अष्टम माला, खंड 13, अंक 3

मंगलवार, 25 फरवरी, 1986
6 फाल्गुन, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

पांचवां सत्र
(आठवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 13 में अंक 1 से 10 तक हैं)

55
24/9/86

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

अष्टम माला, खण्ड 13, पांचवां सत्र, 1986/1907 (शक)

अंक 3, मंगलवार, 25 फरवरी, 1986/6 फाल्गुन, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—22
*तारांकित प्रश्न संख्या : 21 से 26, 28 और 29	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	22—190
*तारांकित प्रश्न संख्या : 27, 30 से 37, 39 और 40	22—29
अतारांकित प्रश्न संख्या : 224 से 236, 238, 240 से 336, 338 से 398, 400 से 427 और 429 से 442	29—189
श्री जी० एम० बनातवाला के दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1985 पर विरोधी विचार व्यक्त करने के कारण राज्य मंत्री श्री आरिफ मोहम्मद खां और श्री जियाउर्रहमान अंसारी के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	190—193
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	193—199
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	199
छठा प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण	200—220
भारत में हाल ही में हुए उपद्रवों के बारे में पड़ोसी देश के शासकीय प्रवक्ताओं द्वारा दिए गए कथित वक्तव्य	
प्रो० के० के० तिवारी	200
श्री बी० आर० भगत	201
श्री चिंतामणि जेना	207
डा० गौरी शंकर राजहंस	209
श्री राम प्यारे पनिका	212
श्री बी० आर० भगत	214

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

विषय	पृष्ठ
कार्य मंत्रणा समिति	220
18वां प्रतिवेदन	
मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) विधेयक—पुरःस्थापित	221—244
पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री ए० के० सेन	221
श्री सैफुद्दीन चौधरी	221
श्री इन्द्रजीत गुप्त	224
श्री अमल दत्त	228
श्री मानिक सान्याल	229
प्रो० मधु दण्डवते	229
श्री राजीव गांधी	231
डा० ए० के० पटेल	232
श्री सी० जंगा रेड्डी	232
श्री सोमनाथ चटर्जी	234
श्री वसुदेव आचार्य	237
श्री सी० माधव रेड्डी	237
श्री ए० के० सेन	240
रावी-ब्यास जल न्यायाधिकरण विधेयक—पुरःस्थापित	244—245
रावी-ब्यास जल न्यायाधिकरण अध्यादेश, 1986 के बारे में वक्तव्य	245
नियम 377 के अधीन मामले	245—250
(एक) सभी कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य में लगभग 25% की वृद्धि करने की मांग	
श्री के० रामचन्द्र रेड्डी	245
(दो) पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए केरल के उत्तरी भाग का विकास करने की मांग	
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	246
(तीन) स्थानीय लोगों को लाभकारी रोजगार प्रदान करने के लिए बिहार के मधुबनी जिले में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने की आवश्यकता	
डा० गौरी शंकर राजहंस	246

विषय	पृष्ठ
(चार) उड़ीसा में उद्योगों तथा लघु एककों को कोयले की पर्याप्त सप्लाई की व्यवस्था करने की आवश्यकता	
श्री अनन्त प्रसाद सेठी	247
(पांच) कालीकट/बेपोर पत्तन पर बेकार श्रमिकों को रोजगार देने के लिए कोचीन, मंगलौर और तूतीकोरिन पत्तनों में पोतों को कालीकट/बेपोर पत्तन में भेजने की मांग	
डा० के० जी० अदियोडी	247
(छः) राजस्थान सरकार को सूखे की गम्भीर स्थिति से निपटने के लिए पांच सौ करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने की मांग	
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	247
(सात) लागत में वृद्धि से बचने के लिए बड़ी परियोजनाओं का काम समय से पूरा करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता	
श्री मूलचन्द डागा	248
(आठ) चाय बागानों के वित्त पोषण के सम्बन्ध में यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया को अपनी नीति उदार बनाने के अनुदेश देने की आवश्यकता	
श्री आनन्द पाठक	249
(नौ) गुजरात में सूखे की गम्भीर स्थिति से निपटने के लिए उपचारात्मक उपाय करने की आवश्यकता	
श्री एम० अहमद पटेल	249
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	250—307
श्री एडुआर्डो फैलीरो	250
श्री जैनुल बशर	256
श्री मेवा सिंह गिल	297
श्री अनादि चरण दास	301
श्री शरद दिघे	303

लोक सभा

मंगलवार, 25 फरवरी, 1986/6 फाल्गुन, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि

*21. श्री सन्तोष मोहन देव† :
श्री नरसिंह मकवाना :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में हाल ही में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न उत्पादों के मूल्यों में कितनी वृद्धि की गई है;

(ग) मूल्यों में वृद्धि करने के क्या कारण हैं;

(घ) मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप कितना अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है; और

(ङ) इस मूल्य वृद्धि से सामान्य मूल्य सूचकांक में किस सीमा तक वृद्धि हो जाएगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ङ) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण-पत्र

(क) और (ख) जी, हां । कुछ पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में 1-2-86 से वृद्धि की गई । बाद में इनमें से कुछ पदार्थों के मूल्यों में दिनांक 6-2-86 से कमी की गई थी । वृद्धि और कमी की दरें निम्नलिखित हैं :

	31-1-86 से पूर्व कीमतें	1-2-86 से प्रभावी वृद्धि	1-2-86 को मूल्य	6-2-86 से प्रभावी कीमतें	6-2-86 को मूल्य	31-1-86 पर 6-2-86 की प्रतिशत वृद्धि
	1	2	3	4	5	6
ए टी एफ	4739.85	500/कि०लि०	5239.85	—	5239.85	10.55

	1	2	3	4	5	6
एम एस	6369.07	500/कि०लि०	6869.07	100/कि०लि०	6769.07	6.28
एच एस डी	3007.55	180/कि०लि०	3187.55	72/कि०लि०	3115.55	3.59
एस के ओ	1821.93	225/कि०लि०	2046.93	90/कि०लि०	1956.93	7.41
एल पी जी (घरेलू)	3028.98	700/कि०लि०	3728.98	280/मी०टन	3448.98	13.87

कीमतों में वृद्धि का कुल औसत लगभग 5.4 प्रतिशत बैठता है।

(ग) योजना के लिए अतिरिक्त स्रोतों से वृद्धि और पेट्रोलियम उत्पादों की तीव्रता से बढ़ रही खपत को नियन्त्रित करने और आयात के मूल्य कम करने की आवश्यकता।

(घ) पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के कारण आयोजित कुल खरीद पर अनुमानित अतिरिक्त वार्षिक राशि के राजस्व की प्राप्ति होगी जो कि संभवत: लगभग 530 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगी।

(ङ) पेट्रोल, केरोसीन और एच० एस० डी० आयल की कीमतों में वृद्धि होने से सामान्य थोक बिक्री मूल्य सूची में 0.21 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

श्री संतोष मोहन देव : मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं कि 1-2-1986 को पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ाने के बाद कांग्रेस के कुछ प्रतिनिधियों की मांग पर सरकार इन पदार्थों की कीमतों में कमी करने को राजी हो गई। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि जनता पार्टी के स्वर्ण शासन के दौरान मिट्टी के तेल और एल० पी० जी० की कीमतों में काफी वृद्धि हुई थी।

प्रो० मधु दण्डवते : वह हीरक शासन था स्वर्ण शासन नहीं।

श्री संतोष मोहन देव : अगर ऐसा है तो जनता शासन के दो सालों और कांग्रेस शासन के दो सालों के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में कितनी तुलनात्मक वृद्धि हुई ?

मंत्री जी का कहना है कि पेट्रोलियम उत्पादों का उपभोग कम होगा। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकारी और गैर सरकारी संगठनों में उपभोग को कम करने के लिए सरकार ने क्या सकारात्मक कदम उठाए हैं ?

श्री चन्द्र शेखर सिंह : प्रश्न के बाद वाले भाग का उत्तर पहले दिया जाता है जो कि इस प्रकार है। जिन पांच पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि की गई है उनके उपभोग की मांग में अप्रैल से दिसम्बर, 1985 के बीच 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी और यदि हम दीर्घ अवधि परिप्रेक्ष्य में अर्थात् जुलाई, 1983 से दिसम्बर, 1984 की तुलना में जुलाई, 1984 से दिसम्बर, 1985 तक को लें तो वृद्धि की दर 7% थी। यह अनुमान लगाया गया है कि कीमतों में वृद्धि के कारण मांग में 1.2% की कमी आएगी। मांग की कीमत लोच .25% है और हाल ही में 5.4% की वृद्धि हुई है, इसलिए अनुमान है कि मांग में 1.2% की कमी होगी। सरकार इतने से ही तसल्ली किए नहीं बैठी हुई है। हम पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण के लिए व्यापक सामूहिक उपायों

का विकास कर रहे हैं। इसमें तेलशोधक कारखानों को ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था के सारे क्षेत्र जैसे औद्योगिक, परिवहन, कृषि तथा घरेलू क्षेत्र को शामिल किया जाएगा। अनुमान है कि इससे हम योजना अनुमान स्तर 6.4 प्रतिशत को प्राप्त कर लेंगे।

जहां तक प्रश्न के पहले भाग का अर्थात् जनता शासन तथा कांग्रेस शासन के दो सालों के दौरान तुलनात्मक वृद्धि का सम्बन्ध है······(व्यवधान) प्रश्न यह है······

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि आपके पास विवरण हो तो यह एक प्रेरणावर्द्धक अनुपूरक प्रश्न बन सकता है।

श्री चन्द्र शेखर सिंह : दिसम्बर, 1977 से सितम्बर, 1979 तक दो बार कीमतों में वृद्धि हुई। मिट्टी के तेल की कीमतों में 19.4 प्रतिशत और डीजल की कीमतों में 19.6 प्रतिशत की वृद्धि की गई। औसत कीमत वृद्धि 19% से अधिक थी। 1985-86 और 1986-87 के दौरान—अगर 1986-87 के दौरान कीमतें फिर से नहीं बढ़ाई जाएं—एस० के० ओ० और डीजल की कीमत में कुल औसत वृद्धि 10.6% हुई है तो, यह 19 प्रतिशत की तुलना में 10.6 प्रतिशत है।

प्रो० मधु दण्डवते : आपने पंडित जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में पहली सरकार के अन्तर्गत कीमतों के आंकड़े नहीं दिए।

श्री चन्द्र शेखर सिंह : कुछ भी हो, कुछ काम तो आपके करने के लिए भी छोड़ दिया गया है।

प्रो० मधु दण्डवते : तो आप चाहते हैं कि हम लौटकर सत्ता में आ जाएं। ठीक है, हम यह कर लेंगे।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, पिछले तीन सालों में सरकार द्वारा विभिन्न आटोमोबाइल उद्योगों को नई मोटर कारें बनाने की अनुमति देने के तथ्य को मद्देनजर रखकर क्या सरकार अथवा उद्योग मंत्रालय के साथ समन्वय करके पेट्रोलियम मंत्रालय इस लाइसेंस प्रणाली के बारे में विचार कर रहा है और क्या मौजूदा लाइसेंस जारी रहेंगे अथवा नहीं ?

श्री चन्द्र शेखर सिंह : महोदय, सरकार माननीय सदस्य के दृष्टिकोण से सहमत है और हम महसूस करते हैं कि पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए विगत में लिए गए कुछ नीति निर्णयों पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। मैंने मंत्रालयों के सभी सम्बन्धित सचिवों की बैठक बुलाई थी और मुझे आशा है कि हम भविष्य में अपनाए जाने वाले सामूहिक उपायों को सदन के समक्ष रख सकेंगे।

[हिन्दी]

श्री नरसिंह मकवाना : माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कीमतें बढ़ने से खपत किस प्रकार कम होगी और आयात का मूल्य भी किस तरह से कम कर रहे हैं।

श्री चन्द्र शेखर सिंह : मैंने बतलाया है कि दो कारणों से खपत कम होगी। पहली बात तो यह है कि दाम बढ़ाने से खपत कम होती है और यह पिछले तजुर्बे के आधार पर कहा जा रहा है और सभी देशों के तजुर्बे के आधार पर भी कहा जा रहा है। मैंने यह भी बतलाया था कि डिमाण्ड की

प्राइस इलास्टीसिटी 0.25 परसेंट है। इस हिसाब से अन्दाज किया जाता है कि डिमाण्ड में 1.2 परसेंट की कमी होगी। दूसरी कार्यवाही कन्जरवेशन मेजर्स के जरिए से की जा रही है। हम लोगों का टारगेट यह है कि पूरे सेवन्थ प्लान पीरियड में रेट आफ ग्रोथ आफ डिमाण्ड जो प्लान डाक्युमेंट ने एनवीसेज किया है, वह 6.4 परसेंट है।

[अनुवाद]

उड़ीसा को विद्युत की आवश्यकता

*22. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में विद्युत की कितनी कमी है और इससे उद्योगों, सरकारी उपक्रमों और तलचर ताप-विद्युत संयंत्र के कार्य-निष्पादन पर कितना प्रभाव पड़ा है; और

(ख) क्या राष्ट्रीय ग्रिड से उड़ीसा को न्यूनतम आवश्यकतानुसार बिजली सप्लाई करने का और उड़ीसा राज्य में कोयले के प्रचुर संसाधनों को ध्यान में रखते हुए ताप-विद्युत के लिए उपयुक्त योजना तैयार करने का विचार है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) अप्रैल, 1985 से जनवरी, 1986 तक की अवधि के दौरान उड़ीसा में विद्युत की कमी लगभग 17.5% थी। विद्युत की सतत कमी से मुख्य रूप से भारी तथा विद्युत की अधिक खपत करने वाले उद्योगों पर प्रभाव पड़ा है। तलचेर ताप विद्युत केन्द्र के घटिया कार्यनिष्पादन और जलाशयों में जल का स्तर नीचा रहने से विद्युत की कमी हुई है।

(ख) विद्युत की कमी को समाप्त करने के लिए जहां तक व्यवहार्य होता है पड़ौसी प्रणालियों से उड़ीसा को विद्युत सप्लाई की जा रही है। उड़ीसा में विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए इब घाटी ताप विद्युत परियोजना और तलचेर सुपर ताप विद्युत केन्द्र नामक दो परियोजनाएं विचाराधीन हैं।

श्री जगन्नाथ पटनायक : महोदय, बिजली की कमी और उसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए क्या उड़ीसा राज्य को दीर्घ-अवधि उपाय के तौर पर, गैर आबंटित कोटे में से विद्युत सहायता, अगर केन्द्र के पास विभिन्न ताप बिजली संयंत्रों में विद्युत उपलब्ध हो तो, दी जाएगी। और यदि हां तो कहां, कब तक और कितनी, विशेषकर राज्य में केन्द्रीय क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, पूर्वी क्षेत्र में एकमात्र केन्द्रीय विद्युत केन्द्र जहां से गैर-आबंटित विद्युत या उसका कुछ हिस्सा उड़ीसा को सप्लाई किया जा सकता है, फरक्का है जहां काम शुरू हो गया है और मार्च महीने से व्यावसायिक तौर पर विद्युत उत्पादन का काम शुरू हो जाएगा। यह निदेश पहले ही दिया जा चुका है कि केन्द्र सरकार के ताप बिजली केन्द्र से गैर-आबंटित बिजली उसी राज्य को दी जाएगी जो बिजली की भारी कमी का सामना कर रहा हो। इसलिए फरक्का में बिजली का व्यावसायिक तौर पर उत्पादन शुरू होते ही उड़ीसा को गैर आबंटित विद्युत का अधिक हिस्सा मिलने लगेगा।

श्री जगन्नाथ पटनायक : हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत-

सप्लाई के मामले में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना है। इसको मद्देनजर रखते हुए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इब घाटी उच्च ताप बिजली, तलचर उच्च ताप बिजली तथा इन्द्रावती पन बिजली परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए क्या सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ? निर्धारित समय तथा इन परियोजनाओं को पूरा करने की अनुमानित तिथि कौन-सी है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा को कुल 483.5 मेगावाट अतिरिक्त बिजली दी जाएगी।

जहां तक इब परियोजना का सम्बन्ध है, यह निवेश सम्बन्धी निर्णय के लिए योजना आयोग के पास विचाराधीन है। संसाधनों के उपलब्ध हो जाने पर ही पता चलेगा कि इस परियोजना को कब शुरू किया जाएगा।

तलचर उच्च ताप बिजली केन्द्र के लाभ शायद आठवीं योजना के पहले साल में मिलने लगेंगे। उक्त परियोजना विश्व-बैंक को प्रस्तुत की जा चुकी है तथा उन्होंने परियोजना का प्रारम्भिक मूल्यांकन कर लिया है।

इन्द्रावती परियोजना के ब्यौरे अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं। बाद में उन्हें एकत्र करके मैं माननीय मंत्री को दे दूंगा।

श्री जगन्नाथ राव : तलचर में उच्च ताप बिजली केन्द्र की स्थापना करने तथा राज्य क्षेत्र में इब घाटी परियोजना का उपयोग करने के दीर्घकालीन उपायों के अलावा सरकार वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए क्या उपाय करेगी ?

इस समय उड़ीसा को मध्य प्रदेश से 45 मेगावाट बिजली मिल रही है।

क्या सरकार सुनिश्चित करेगी कि उड़ीसा को 4 महीने अर्थात् एक मार्च से जून तक, जो कि सबसे कठिन समय होता है, आन्ध्र प्रदेश तथा दामोदर घाटी परियोजना से कुछ बिजली दिलवाएगी ? क्या सरकार आन्ध्र प्रदेश और दामोदर घाटी परियोजना से उड़ीसा को अतिरिक्त विद्युत सप्लाई करने के लिए अपनी सद्भावना का उपयोग करेगी ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : उड़ीसा में मौजूदा विद्युत संकट को हल करने के लिए सरकार पड़ोसी राज्यों से बिजली प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। 1985-86 के दौरान अप्रैल से जनवरी तक उड़ीसा में निरन्तर विद्युत संकट रहा। वहां 44950 लाख यूनिट बिजली की जरूरत थी पर 37070 लाख यूनिट बिजली ही उपलब्ध थी। 37070 लाख यूनिट बिजली में से 7850 लाख यूनिट बिजली आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दामोदर घाटी योजना से उपलब्ध कराई गई थी।

आज समस्या यह है कि क्षेत्र के अन्य राज्य भी विद्युत संकट का सामना कर रहे हैं। मध्य प्रदेश जो कि उड़ीसा को कुछ अतिरिक्त बिजली सप्लाई कर सकता है वह उससे अधिक बिजली सप्लाई करने की स्थिति में नहीं है जितनी कि वह अब उसे कर रहा है। इस समय वह हर महीने 290 लाख यूनिट बिजली सप्लाई कर रहा है। सम्प्रेषण प्रणाली में रुकावटें आने के कारण वे अधिक बिजली की सप्लाई नहीं कर सकते हैं। उड़ीसा को मध्य प्रदेश से जोड़ने के लिए एक नई सम्प्रेषण लाइन है, जिसमें इस लाइन का मध्य प्रदेश वाला हिस्सा तो पूरा हो गया है परन्तु उड़ीसा का पूरा नहीं हुआ है। इसे उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड पूरा करेगा। इसके पूरा होते ही, सम्भवतः मध्य प्रदेश उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड को अतिरिक्त विद्युत की सप्लाई कर सकेगा। उड़ीसा को अपने ताप बिजली केन्द्रों की

क्षमता का भी पूरा उपयोग करना चाहिए, क्योंकि दुर्भाग्य से इस समय विद्युत केन्द्रों की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है ।

[हिन्दी]

न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु अकादमी की स्थापना

*23. **श्री दिलीप सिंह भूरिया† :**
श्री काली प्रसाद पाण्डेय :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए किसी अकादमी अथवा संस्थान की स्थापना करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह अकादमी सीधे उच्चतम न्यायालय के नियन्त्रण में कार्य करेगी; और

(ग) यह कब तक कार्य आरम्भ कर देगी ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देने सम्बन्धी विषय पर भारत सरकार विचार कर रही है। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों, राज्यों के मुख्य मंत्रियों और विधि मंत्रियों के 31 अगस्त और 1 सितम्बर, 1985 को हुए सम्मेलन में पारित संकल्पों में से एक संकल्प में यह सिफारिश की गई थी कि न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए एक संस्थान या अकादमी होनी चाहिए जिसके अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायमूर्ति हों। सरकार ने भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से इस सम्बन्ध में यह सूचित करने का अनुरोध किया है कि वर्तमान स्थिति क्या है और यह भी कि वह प्रस्तावित संस्थान/अकादमी स्थापित करने के लिए सरकार से किस प्रकार की सहायता की अपेक्षा करेंगे। यह बताना सम्भव नहीं है कि यह संस्थान/अकादमी निश्चित रूप से किस तारीख से कार्य करना आरम्भ कर देगी।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का जो उत्तर दिया है और आश्वासन दिया है, उसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और उसी विश्वास के साथ मैं अपना प्रश्न कर रहा हूं कि आजादी के बाद हमारे देश में एक व्यक्ति जो ग्रेज्युएट हो जाता है, उसके बाद उनको डायरेक्ट जज बना दिया जाता है। वह सिर्फ किताबी ज्ञान रखता है और उसको व्यावहारिक ज्ञान नहीं के बराबर होता है । हमारे बहुत सारे पिछड़े हुए क्षेत्र हैं । मेरे डिस्ट्रिक्ट में जेलों में जगह नहीं है और पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जिनमें रहने वाले लोग कानून को प्रक्रिया नहीं जानते हैं और ऐसे क्षेत्रों के लोगों को सीधे जज बनाकर व्यक्ति की लाइफ की जवाबदारी हम सौंप रहे हैं, तो इस काम को सरकार क्यों जल्दी नही करती है जिससे उस व्यक्ति को जो जज बनने जा रहा है, उन हरिजन आदिवासियों को सब तरह की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, लेकिन वह ट्रेनिंग दिया जाना अभी भी विचाराधीन है, तो मैं मन्त्री जी ने जानना चाहता हूं कि इन ट्रेनिंग को देने में अभी कितना समय और लगेगा ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि भारत में जुडीशियरी एक्जीक्यूटिव से बिलकुल अलग है। उसको क्या ट्रेनिंग देनी चाहिए और

किस प्रकार की ट्रेनिंग देनी चाहिए, इसके लिए सबसे उपयुक्त होगा कि वह ट्रेनिंग भारत की सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तय करें। यदि सरकार इस मामले में अपनी तरफ से कोई कार्यवाही करती है, तो यह उचित नहीं होगा क्योंकि जूडीशियरी पर नियंत्रण रखना ठीक नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश इस विषय में बहुत गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। वे जिस समय भी हमें कोई सुझाव देंगे, हम उस पर तुरन्त कार्यवाही करेंगे और जो भी सहायता वह भारत सरकार से चाहेंगे, वह उन्हें उपलब्ध करवाई जाएगी।

हमारी मंशा यह है कि जुडीशियरी की ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम हो वह भारत के मुख्य न्यायाधीश तय करें और उनके जरिए ही वह ट्रेनिंग हो। आदिवासी लोगों के मामले में इस कार्य के लिए सरकार अपनी ओर से कोई अकादमी नहीं बना सकती है। हम चीफ जस्टिस को कह चुके हैं और वे इस पर गौर कर रहे हैं।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : अध्यक्ष जी, मेरी मंशा कतई यह पूछने की नहीं थी कि भारत सरकार जुडीशियरी पर कोई कन्ट्रोल करे। मेरा सवाल तो यह है कि जो जज आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए भेजें, वे ऐसे हों जो लोग सही रूप से न्याय दे सकें और दूध का दूध और पानी का पानी करें। मेरा पूछना केवल यह है कि जब यह विचाराधीन है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसी इंस्टीट्यूशन केवल एक बनाएगी या प्रदेश लेवल पर जहां हाईकोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं और नीचे के स्तर पर जहां कोर्ट हैं, वह भी बनाएंगे क्योंकि जिलों में तो रहने के लिए जगह भी नहीं है तो मंत्री जी इस बात पर विचार करके जल्दी क्यों नहीं करते हैं ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : हमने सेंट्रल अकादमी के लिए भी और स्टेट्स के सारे चीफ जस्टिसज को भी कहा है कि हर राज्य में एक ऐसी अकादमी हो। जब वह अपने सुझाव देंगे उसके बाद तुरन्त उस पर अमल किया जाएगा। अब ट्रेनिंग की आवश्यकता को महसूस किया गया है तो इसीलिए कहा गया है कि ट्रेनिंग जरूरी होनी चाहिए। जजों को और न्यायाधिकारियों को यह महसूस होना चाहिए।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : आप उनको रिमाइन्ड करा दीजिए कि वह जल्दी अकादमी बना लें।

श्री एच० आर० भारद्वाज : आपके रिमाइन्ड कराने से तो जल्दी नहीं बनेंगी।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : हमारे रिमाइन्ड कराने से नहीं, आप रिमाइन्ड करायें।

श्री एच० आर० भारद्वाज : आप यह समझ लीजिए कि अगर चीफ जस्टिसेज कोई ट्रेनिंग का प्रोग्राम देते हैं और उसको लागू नहीं किया जाता है तो इसकी शिकायत होनी चाहिए। जब चीफ जस्टिसेज अपना प्रोग्राम न दे पायें, और हम अपनी तरफ से बनायें तो यह गलत होगा। जब वह प्रोग्राम आ जाएगा तो सेंटर और स्टेटों में तुरन्त उस पर कार्यवाही होगी।

श्री काली प्रसाद पांडेय : माननीय मन्त्री जी के उत्तर से भी स्पष्ट है कि हम अकादमी की स्थापना करना चाहते हैं, उन्होंने अपने जवाब में भी कहा है कि जब मुख्य न्यायाधीश अपने सुझाव भेजेंगे तो उन पर अमल करेंगे। क्या यह सही है कि 15-1-86 के मुख्य न्यायाधीश ने अपने राजस्थान के दौरे के क्रम में यह घोषणा की थी कि देश के विभिन्न राज्यों में बड़े पैमाने पर लंबित मामलों को मद्देनजर रखते हुए न्यायाधिकारियों की कार्यकुशलता पर प्रश्न-चिन्ह लग जाता है ? इस परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए आपने भी कहा कि मुख्य न्यायाधीश का जब सुझाव आएगा, मेरा

कहना यह है कि मुख्य न्यायाधीश की भी वही चिन्ता है जो आपकी है। इसको मद्देनजर रखते हुए आप एक निश्चित अवधि तय करें कि कितनी जल्दी अकादमी की स्थापना कर दी जाएगी ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : जिस दिन चीफ जस्टिस की सिफारिश आ जाएगी, हमने अपनी तरफ से सेंटर में अकादमी बना सकते हैं । जहां तक राज्यों का सवाल है, यह सरकार उस पर आपको कोई आश्वासन दे, यह सर्वथा अनुचित है ।

[अनुवाद]

सैयद शाहबुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, प्रशिक्षण कार्यक्रम तभी होता है जबकि काडर विद्यमान हो। न्यायिक सेवा के लिए राज्य काडर विद्यमान हैं और मैं यह समझता हूं कि सम्बन्धित उच्च न्यायालयों द्वारा न्यायाधीशों को सेवा-काल के दौरान अथवा नियुक्ति के समय उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा सम्बन्ध केन्द्रीय स्थिति से है।

मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहूंगा क्या वे केन्द्रीय न्यायिक सेवा को बनाने से पूर्व संस्थान की स्थापना करके उल्टा कार्य नहीं कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्रीय न्यायिक सेवा के गठन तथा उसकी स्थापना करने के कार्य में कोई प्रगति हुई है।

श्री एच० आर० भारद्वाज : भारतीय न्यायिक सेवा भी विचाराधीन है परन्तु न्यायाधीशों को प्रशिक्षण देने का कार्य उसमें नहीं आता है। वह बिल्कुल ही एक अलग प्रश्न है।

चुनाव कानूनों में संशोधन

*24. **श्री राजकुमार राय**† :
श्री सी० जंगा रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चुनाव कानूनों में सशोधन करने हेतु एक विधान प्रस्तुत करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

विधि और न्याय मन्त्री (श्री ए० के० सेन) : (क) जी हां। सरकार निर्वाचनों में सुधार लाने की दृष्टि से निर्वाचन विधि का संशोधन करने के लिए उत्सुक है।

(ख) निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन-सुधार सम्बन्धी पहले कुछ सुझाव भेजे थे। निर्वाचन आयोग के साथ आगे विचार-विमर्श चल रहा है। विस्तृत रूप से समीक्षा कर लेने और विभिन्न प्रस्तावों पर प्रारम्भिक दृष्टिकोण निश्चित करने के पश्चात ही सरकार राजनैतिक दलों के साथ विचार-विमर्श करेगी। इस प्रक्रम पर उन प्रस्तावों के बारे में, जो राजनैतिक दलों के साथ विचार-विमर्श के आधार पर सामने आ सकते हैं, अभी कुछ बताना सम्भव नहीं होगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री राजकुमार राय : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बताया कि उस पर कंसल्टेशन चल रहा है, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि आखिर यह कंसल्टेशन कब तक चलेगा, इसका कोई अन्त है ? सरकार इस बारे में अपनी खुद क्या राय रखती है, उसके अपने व्यूज क्या हैं ? अगर अपोजिशन लीडर्स से कन्सल्टेशन में देर लगती है यह माननीय मन्त्री या सरकार अपने खुद व्यू नहीं रखता है तो क्या हमारे सजेश्चन पर चुनाव आयोग से ही कोई फाइंडिंग की व्यवस्था मन्त्री महोदय करेंगे और कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे ताकि इंडिपैंडैंट और अन-सोशल नेचर के लोग चुनाव न लड़ सकें और इससे गवर्नमेंट के लिए रास्ता साफ हो सके।

[अनुवाद]

श्री ए० के० सेन : चुनाव आयोग के साथ विचार-विमर्श करने सम्बन्धी सीमा निर्धारित करना बहुत मुश्किल है क्योंकि चुनाव प्रक्रिया हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली की मुख्य धुरी है और सामान्यतः प्रक्रिया समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं और पिछली बार जो हमने किया वह 1976 में किया था और उसके पश्चात् विभिन्न प्रस्ताव आए हैं। उनमें से कुछ 42वें संविधान संशोधन की वजह से उत्पन्न हुए हैं और सरकार उन सब पर विचार कर रही है। संविधान संशोधन के बारे में वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। बहुत से अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए हैं और वित्तीय तथा अन्य उलझनों को ध्यान में रखते हुए उनकी पूरी तरह से जांच करने की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर एक राजनैतिक कोष तथा निर्वाचन कोष की स्थापना करने का प्रश्न एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत जल्दबाजी तथा तीव्र गति से बातचीत नहीं की जा सकती। अतः, मैं समझता हूं कि चुनाव से सम्बन्धित सभी विषयों में ये बेहतर होगा कि हम प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने से पहले राजनैतिक दलों के समक्ष रखने पूर्व उन पर विस्तार से विचार-विमर्श कर लें। हमें चुनाव की प्रक्रिया तथा निर्वाचन कानूनों को, जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं, जल्दबाजी मे तय नहीं करना चाहिए।

श्री राजकुमार राय : जहां चाह वहां राह।

[हिन्दी]

आप कितने समय में कंसल्टेशन पूरा कर लेंगे जिससे कि शीघ्रातिशीघ्र इस मामले को फाइनल किया जा सके।

श्री ए० के० सेन : अध्यक्ष महोदय, मैं इसका जवाब दे चुका हूं। इससे ज्यादा जवाब नहीं दे सकता।

श्री सी० जंगा रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने अपने जवाब में समय की कोई निश्चित अवधि नहीं बताई है। कैबिनेट सब-कमेटी चुनावों में सुधार के बारे के विचार-विमर्श कर रही है। उसके क्या प्रपोजल हैं और कहां तक इस बारे में विचार-विमर्श किया है ? 1985 में राष्ट्रपति जी ने जो अभिभाषण दिया था उसमें उन्होने स्पष्ट कहा कि :

[अनुवाद]

> "सरकार एक स्वच्छ सार्वजनिक जीवन के लिए वचनबद्ध है। वह चाहती है कि चुनावी सुधारों पर राजनीतिक दलों के साथ व्यापक रूप से विचार-विमर्श करने में पहल की

जाए। इसमें सरकार उनके सहयोग का स्वागत करेगी।"

[हिन्दी]

एक साल बीत जाने के बाद भी उस पर कुछ भी कार्यवाही नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय : इसका जवाब मिल गया है, आप कोई दूसरा सवाल करिए।

श्री सी० जंगा रेड्डी : इस बारे में कैबिनेट सब-कमेटी ने क्या राय दी है और कब तक उस राय को आप मानेंगे।

श्री ए० के० सेन : जब प्रपोजल इलेक्शन कमीशन की ओर से आएंगे तभी इस बारे में कुछ कार्यवाही होगी। इस विषय पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। इसके बाद ही इसको फाइनलाइज किया जा सकेगा।

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी : निर्वाचन आयोग एक स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय है और जब एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय ने कुछ प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखे हैं तो सरकार को इन्हें सार्वजनिक तौर पर बताने अथवा कम से कम सभा के समक्ष रखकर संसद सदस्यों तथा विरोधी पक्षों को इसकी जानकारी देने में तथा निर्वाचन आयोग द्वारा सरकार को जो मुख्य सुझाव दिए हैं उन्हें बताने में क्या कठिनाई है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : उन सभी प्रस्तावों को जिन्हें निर्वाचन आयोग ने सरकार के पास भेजा था, पहले ही राजनैतिक दलों के पास भेज दिया गया है।

प्रो० मधु दण्डवते : उन्हें परिचालित किया गया है और उन्हें पढ़कर सुना दिया गया है।

श्री दिनेश गोस्वामी : कृपया हमारे पास भी भेजें। हम संसद में अब आए हैं।

अध्यक्ष महोदय : देर से आने वालों को भी मिलेंगे।

श्री ए० के० सेन : माननीय सदस्य सम्भवतः इस बात का ध्यान रखेंगे कि प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिए जाने से पूर्व उनकी सार्वजनिक तौर पर चर्चा करना प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने में अधिक लाभदायक नहीं है।

श्री सी० माधव रेड्डी : सरकार के समक्ष विभिन्न प्रस्तावों की जांच-पड़ताल के कार्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिए क्या सरकार राजनैतिक दलों से कहेगी कि निर्वाचन आयोग द्वारा उन्हें पहले से भेजे गए प्रस्तावों पर वे अपने विवरणात्मक ज्ञापन भेज दें, आखिर में जब सरकार विरोधी दलों से परामर्श करेगी, और चूंकि यह मात्र एक औपचारिकता होगी, तो क्या सरकार राजनैतिक दलों से अभी ही ज्ञापन मांगने पर विचार करेगी।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा क्या आप चर्चा में विश्वास रखते हैं?

श्री एच० आर० भारद्वाज : मेरे विचार में स्थिति स्पष्ट नहीं है। निर्वाचन आयोग निर्वाचन विधि में संशोधनों का प्रस्ताव करता है और हम उनको अपने दल सहित सभी राजनैतिक दलों के पास भेजते हैं और हमें उनसे उनकी टिप्पणियां प्राप्त होती हैं तथा हम बातचीत करते हैं। हमने पहले भी चर्चा की थी। कुछ को स्वीकार कर लिया गया था तथा कुछ को स्वीकार नहीं किया गया

था। उदाहरण के लिए, निर्वाचनों का खर्च सरकार द्वारा वहन करना। यह एक विषय है जिस पर, जैसाकि मुझसे वरिष्ठ, मंत्री महोदय ने अभी बताया, वाद-विवाद की आवश्यकता है। अन्य मामलों के बारे में, मैं समझता हूं कि हमने भी कतिपय प्रस्तावों को स्वीकार करके उनके बारे में कानून बना दिया। अब पंजाब, असम तथा 1984 के चुनावों से हमें कुछ सुराग प्राप्त हुए हैं कि कुछ बातों को किस प्रकार से रोका जा सकता है। इन सभी प्रस्तावों को परिचालित किया गया है और मैं निर्वाचन आयोग से मालूम करूंगा कि क्या कुछ राजनैतिक दलों ने इस बारे में कुछ सामग्री को लौटाया है और उसके बाद, हमने वायदा किया है कि इस पर आप जितनी जल्दी चर्चा कराना चाहेंगे, हम उसके लिए तैयार हैं।

श्री ए० के० सेन : जहां तक मुझे याद है, आप मुझे स्मरण करा सकते हैं, सदैव प्रक्रिया यह रही है कि सरकार सर्वप्रथम उन प्रस्तावों को अन्तिम रूप देती है जिन्हें विभिन्न दलों में परिचालित किया जाता है और तब राजनैतिक दलों के साथ औपचारिक परामर्श किया जाता है और अब तक आमतौर पर सरकार ने संसद सदस्यों के समक्ष केवल उन संशोधनों को प्रस्तुत किया है जिन्हें सभी राजनैतिक दलों की स्वीकृति प्राप्त होती है तथा कभी भी कोई विवादास्पद मामला प्रस्तुत नहीं किया गया क्योंकि हमने निर्वाचन विधि को दलगत राजनीति से ऊपर रखने का प्रयत्न किया है।

प्रो० मधु दंडवते : प्रतीक्षा करें जब तक कोई श्रीमती ऐक्यूनों पैदा न हो जाए।

खाना पकाने की गैस का उत्पादन और खपत

*25. **श्री चिन्तामणि जेना**† :
श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में खाना पकाने की गैस का वार्षिक उत्पादन कितना हुआ;

(ख) देश में खाना पकाने की गैस की वार्षिक खपत अनुमानित कितनी है;

(ग) क्या यह सच है कि खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों के आवेदन बड़ी संख्या में लंबित पड़े है; और

(घ) यदि हां, तो मांग को पूरा करने के लिए खाना पकाने की गैस के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों में देश में एल० पी० जी० का वार्षिक उत्पादन इस प्रकार था :—

वर्ष	मीट्रिक टन
1982-83	575,000
1983-84	737,000
1984-85	873,000

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान एल० जी० पी० की खपत इस प्रकार थी :—

वर्ष	मीट्रिक टन
1982-83	601,000
1983-84	746,000
1984-85	953,000

(ग) 31-12-1985 को एल० पी० जी० कनेक्शनों की अलाटमेंट के लिए लगभग 37 लाख आवेदन बकाया थे।

(घ) निम्नलिखित को चालू करने/स्थरीकरण से एल० पी० जी० की उपलब्धता में वृद्धि होने की सम्भावना है :—

(एक) हाजिरी में ओ० एन० जी० सी० का फ्रैक्शनेशन प्लांट।

(दो) बरौनी रिफाइनरी का कोकर संयंत्र।

(तीन) कोचीन, मद्रास, विशाखापत्तनम तथा बम्बई (हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन तथा भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन) रिफाइनरियां की विस्थारित क्षमताओं के स्थिरीकरण।

(चार) अतिरिक्त बाटलिंग क्षमता को चालू करना।

श्री चिन्तामणि जेना : माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में उत्तर दिया है कि 31-12-85 तक खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों के लिए लगभग 37 लाख आबेदन लम्बित थे और कुछ परियोजनाओं के शुरू किए जाने और कुछ परियोजनाओं के स्थिरीकरण से खाना पकाने की गैस की उपलब्धता में वृद्धि होने की संभावना है। क्या मैं आदरणीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि ये परियोजनाएं कब तक पूरी होने जा रही हैं और उनके शुरू किए जाने और स्थिरीकरण के बाद उनकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी ?

क्या यह सच है कि सरकार प्रति वर्ष केवल डेढ़ लाख से कम खाना पकाने की गैस के कंनेक्शन दे रही है ? अगर ऐसा है तो सरकार सभी लम्बित आवेदनों को निपटाने में कितना समय लेगी ? इस बीच उनके बकाया मामले बढ़ जायेंगे। इसलिए देश के लोगो की मांगों को पूरा करने के लिए सरकार का क्या कार्यक्रम है ?

मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि सरकार कुछ बाटलिंग संयंत्र शुरू करने जा रही है। वे बाटलिंग संयंत्र क्या हैं और उनको स्थापित करने में और शुरू करने में कितना समय लगेगा ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह : माननीय सदस्य ने बहुत व्यापक मुद्दे उठाये हैं। मैं उन सभी मुद्दों को याद रखने का प्रयास करूगा और उनका उत्तर दूंगा।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग फ्रैक्शनेशन संयंत्र हजीरा में फरवरी 1987 में शुरू होगा। बरौनी रिफाइनरी कोकर संयंत्र 9 जनवरी, 1986 को शुरू किया गया था। रिफाइनरीज में ये सभी स्थिरीकरण कार्यक्रम पूरे कर लिये गये हैं।

अब मैं माननीय सदस्य को सारी स्थिति संक्षेत में उल्लेख करना चाहूगा। यहां तीन मुद्दे हैं। जिस पर समूची स्थिति एक अपेक्षित गति या इसी गति पर चलनी चाहिए। खाना पकाने की गैस की उपलब्धता सातवीं पंचवर्षीय योजना काल के अन्त तक 2380 मीट्रिक टन होने की सम्भावना है। उस समय खाना पकाने की गैस की उपलब्धता में उत्पादन और कुछ आयात भी शामिल है। हमारे देश में सिलेण्डर बनाने की काफी अधिक क्षमता भी है। परन्तु वास्तविक बाधा बाटलिंग क्षमता की है। इस समय एल पी जी पर कार्य चल रहा है। और यह 1-4-1988 तक पूरा हो जायेगा जिससे वर्तमान बाटलिंग क्षमता 9.70 लाग टन से बढ़कर 16 लाग टन तक हो जाएगी। लेकिन वहां खाना पकाने की गैस की उपलब्ध्रता औन बाटलिंग क्षमता में अन्तर रह जायेगा। इसलिए हमने एल० पी० जी० IV का प्रस्ताब रखा है। व्यवहार्यता प्रतिवदेन तैयार किया जा रहा है, लेकिन संसाधनों की कमी से योजना आयोग को एल० पी० जी० बाटलिंग परियोजना को अभी तक मजूरी नहीं दे पाया है। इसलिए एल० पी० जी० की उपलब्धता और बाटलिंग क्षमता में 7.8 लाख टन का अन्तर रह जायेगा। यदि हम समस्त खाना पकाने की गैस को सातवीं योजना के अन्त तक उपयोग करने में समर्थ हो जाते हैं तो हम अपने ग्राहको की संख्या इस वर्ष 1985-86 के अंत में 1 करोड़ की संख्या से कुछ अधिक लगभग 2 करोड़ तक बढा पायेंगे। सातवीं योजनावधि के दौरान यह संख्या 90 से 95 लाख होगी। लेकिन यह क्षमता बाटलिंग की वृद्धि पर, जिसके लिए हम यत्न कर रहे है, निर्भर करता है।

श्री चिन्तामणि जेना : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि क्या सरकार के समक्ष दीनबंधु नामक बायो गैस संयंत्र, जो कम खर्चीला है, को ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में लोकप्रिय बनाने का कोई कार्यक्रम है जिससे खाना पकाने की गैस की मांग कम हो जायेगी। अगर ऐसा है तो वह कौन सा कार्यक्रम है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : कार्यक्रम तो है। लेकिन मैं इसका ब्यौरा नहीं दे सकता, क्योंकि उसका दूसरे मंत्रालय से सम्बन्ध है।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, दिसम्बर, 1985 में 37 लाख एप्लीकेशन्स पेंडिग थी, मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि 1986 के अन्त तक इन 37 लाख एप्लीकेशन्स में से सरकार कितनी क्लियर कर पायेगी ?

[अनुवाद]

श्री चन्द्रशेखर सिंह : 31-12-1985 तक उपलब्धि 12.70 लाख थी और 1986-87 के अस्थायी लक्ष्य 16 लाख है। यह बकाया हमेशा रहेगा, क्योंकि नये मामले दर्ज होंगे।

श्री जी० जी० स्वैल : मंत्री महोदय ने देश में अधिक सिलेंण्डरों के बारे में कहा है यह भी सच है कि प्राकृतिक गैस बहुत अधिक मात्रा में जलाकर नष्ट की जा रही है और वह बाटलिंग क्षमता की कठिनाइयों के बारे में बात करते हैं अब हमारे अनाड़ी व्यक्तियों को यह बात समझ में नहीं आती है।

प्रो० मधु दण्डवते : वह अनाड़ी व्यक्ति नहीं हैं। वह एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह बाटलिंग की बात कर रहे हैं। बाटलिंग बहुत प्रकार से हो सकती है।

श्री जी० जी० स्वैल : यह बात मेरी समझ में नहीं आती। आपके पास बहुत अधिक मात्रा में सिलेंडर हैं। आपके पास गैस की अधिकता है जो आप जलाकर नष्ट कर रहे हैं। वास्तव में आपकी कठिनाइयां क्या हैं ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह : मैंने वास्तव में यह कहकर सदन को विश्वास में लिया था कि बाधा क्या है...............

अध्यक्ष महोदय : बाटलिंग में बाधा है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : वास्तविक बाधा बाटलिंग क्षमता की है। वर्तमान क्षमता के बारे में इस देश में सिलेन्डरों के निर्माण की क्षमता बहुत अधिक 146 लाख सिलेण्डर है। हम उस स्तर तक नहीं पहुंच सकते। जहां तक सिलेण्डरों के निर्माण की क्षमता का सम्बन्ध है, वहां हमेशा ही अधिक क्षमता रहेगी। जहां तक गैस जलने की प्रश्न है मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि भारत के पश्चिमी तट में गैस जलाकर नष्ट करने के मामलों में शीघ्र कमी हो जाने की संभावना है।

लेकिन असम अराकान क्षेत्र में इसे जलाया जा रहा है और यह दो कारणों से कुछ और समय के लिए जारी रहेगा क्योंकि गैस फील्ड बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और कुछ वे उद्योग जिन्हें उपलब्ध गैस की उपयोग करने के लिए योजना बनाई थी, वे समय पर तैयार न हो सके।

हाल ही में असम के मुख्य मन्त्री मुझे मिले थे और मैंने अपने प्रस्ताव पर बल दिया कि उन्हें उपलब्ध गैस के उपयोग के लिए समर्थ होना चाहिए। हम उन्हें उद्योगों और विद्युत संयंत्रों को स्थापित करने के लिए इसे उपलब्ध कराएंगे।

एक माननीय सदस्य : सिलेन्डर समय पर क्यों नहीं भरे जा रहे हैं।

प्रो० जी० जी० स्वैल : मैं जानता हूं कि उत्तर पूर्वीय भारत में रसोई की गैस की बहुत मांग है। आप इसकी सप्लाई क्यों नहीं करते हो ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह : वास्तविक समस्या सिलेण्डरों को भरने की सीमित क्षमता की है। भरने की क्षमता को बढ़ाना होगा।

प्रो० जी० जी० स्वैल : हम जानना चाहते हैं कि क्या कठिनाई है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : उत्तर-पूर्व में जो गैस उपलब्ध है, उसे कुछ उद्योगों द्वारा उपयोग किए जाने की योजना है। कई उद्योगों की स्थापना की जा रही है। अनेक अन्य बाधाओं के कारण, वहां की स्थिति के कारण तथा संसाधनों के अभाव के कारण वे समय पर नहीं पनप पाते हैं। वे ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं और वे हमसे वचनबद्धता चाहते हैं कि उद्योगों की स्थापना के लिए गैस उपलब्ध कराई जाए।

जहां तक पूरे देश में सिलेण्डरों की भरने की क्षमता का संबंध है, उसके लिए निश्चय ही विवशता है। इसकी पूरी होने की सम्भावना है, यदि वे इसे 7वीं योजना की अवधि के दौरान और आगे बढ़ाना चाहते हैं।

मोटर गाड़ियों के पुर्जों के लिए जापान के साथ सहयोग करार

*26. **श्री बृजमोहन महन्ती :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में मोटर गाड़ियों के पुर्जों के निर्माण के लिए जापान तथा अन्य देशों के साथ कितने सहयोग करार किए गए हैं;

(ख) क्या ऐसे सहयोग करारों से स्वदेशी निर्माताओं पर पड़ने वाले कुप्रभाव के बारे में कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) वर्ष 1984 और 1985 में मोटर गाड़ी सहायक क्षेत्र में 83 नियमित विदेशी सहयोग मंजूर किए गए हैं। इनमें से 22 सहयोग जापानी निर्माताओं के साथ हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

श्री बृजमोहन महन्ती : मैं नहीं जानता हूं कि 83 नियमित सहयोगों में से कितने अनियमित सहयोग हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि सहयोग करार में प्रौद्योगिकी का स्थानान्तरण का उल्लेख किया गया है। यदि हां, तो किस श्रेणी का, अर्थात् जो देश में उपलब्ध नहीं है उसका आयात किया जा रहा है या जो देश में उपलब्ध है, लेकिन उच्च घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसका आयात किया जा रहा है, या निर्यात संभाव्यता को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके बारे में किस श्रेणी में कितने सहयोग करार हुए हैं।

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि इसमें कोई अनियमितता नहीं हुई है, केवल नियमित सहयोग हुए हैं। कुछ समय से विभिन्न सहयोगों पर बातचीत हुई है और समाचार पत्रों में इसका उल्लेख किया गया है। अतः, इसमें उसका उल्लेख होगा।

सहयोगों की संख्या पर आते हुए, मैं बताना चाहता हूं कि ये सहयोग मुख्य रूप से वाहनों की नई किस्मों के आगमन को बताते हैं, जिनको देश में कलपुर्जों की उपलब्धता के बारे में नई विशिष्टि और नए मानक की आवश्यकता है।

माननीय सदस्य उस स्वचलित परिवर्तन के बारे में जानते हैं जो देश में चल रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में, दो पहिए वाली गाड़ी, तीन पहिए वाली गाड़ी और चार पहिए वाली गाड़ी में नए माडल आ रहे हैं और इनके लिए नए कलपुर्जों की आवश्यकता है आटो उद्योग के विकास के लिए यह आवश्यक है बल्कि सर्वोत्कृष्ट है कि हमारे पास नए कलपुर्जे होने चाहिए।

माननीय सदस्य यह जानकर खुश होंगे कि इनमें से बहुत से आटो सहायक उद्योगों ने तो अभी देशी आटो सहायक पुर्जों का निर्माण कर रहे हैं वे इस नए किस्म के पुर्जों के निर्माण के लिए भी सहयोग कर रहे हैं जैसा कि मैंने अपने उत्तर में बताया है, 83 सहयोगों में से 22 जापानी निर्माताओं के साथ हैं और इन 22 में से 12 मौजूदा निर्माताओं के साथ हैं। 83 सहयोगों में से 43 निर्माता मौजूदा निर्माता भी हैं। वे आटो सहायक उद्योग के क्षेत्र में अपनी प्रौद्योगिकी को आधुनिक बनाने में पूरा सहयोग कर रहे हैं।

श्री बृजमोहन महन्ती : महोदय, मेरे प्रश्न के भाग (ख) में मैंने पूछा था कि क्या ऐसे सहयोग करारों से स्वदेशी निर्माताओं पर पड़ने वाले कुप्रभाव के बारे में कोई अध्ययन किया गया है। इसका उत्तर यह है कि कोई अध्ययन नहीं किया गया है। जहां तक मौजूदा भारतीय उद्योग का सम्बन्ध है

वे सहयोग में शामिल हो रहे हैं, लेकिन मेरा प्रश्न यह होगा कि क्या इस सहयोग के द्वारा भारतीय देशी उद्योग प्रभावित होंगे और यह भी कि प्रौद्योगिकी का पूरा देशीकरण कब तक संभव होगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि हमारी देशी सामर्थ्य पर वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें सुधार और आधुनिकीकरण होगा जो आधुनिक समय में आवश्यक है। सामान्यतः सहायक उद्योगों ने स्वचालित उद्योग के क्षेत्र में इस तरह के विकास का स्वागत किया है। उन्होंने इसका स्वागत किया है और इसका प्रमाण आटो-एक्सपो 86 प्रदर्शनी में मिल गया था जो हाल ही में प्रगति मैदान में हुई थी।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मूल माडलों के बारे में हमें कब करार सहयोग करना है क्या हमें सहायक कलपुर्जों के बारे में अलग से सहयोग को भी बढ़ावा देना चाहिए ? क्या स्वदेशी को आधुनिक प्रौद्योगिकी बनाने का यह उत्तम तरीका है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यहां पर आप कहां से रास्ता निकालते हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : यह थोड़ा-थोड़ा करके करने का तरीका है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : माननीय सदस्य सहमत होंगे कि आधुनिक प्रौद्योगिकी की आवश्यकताओं को देखते हुए दोनों अनिवार्य हैं। विश्व के अधिकतर विकसित देशों में सहायक विकास को भी बहुत अनिवार्य समझा जाता है ताकि मूल माडलों की आवश्यकताओं को भी उनके द्वारा पूरा किया जा सके। अतः मेरा सुझाव है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। बल्कि यह अधिकतर देशों में सामान्य प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी : अध्यक्ष जी, आटो इण्डस्ट्री को बढ़ाने के लिए जो कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं और इन पर इतना जोर दिया जा रहा है, तो इन सब चीजों को बनाने में और उनको चलाने में जिस पदार्थ की असली जरूरत पड़ेगी, वह पेट्रोलियम है और जब पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि हुई, तो एक तर्क यह दिया गया था कि इसकी खपत कम हो, इसलिए मूल्य वृद्धि की गई है लेकिन आटो इण्डस्ट्री को आप बराबर बढ़ाते जा रहे हैं और वाहन बनाते जा रहे हैं, जिनसे पेट्रोल वगैरह की खपत बढ़ेगी। तो मैं उद्योग मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार के साधनों में कुछ कटौती करेंगे या उनको बढ़ाते चले जाएंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी : सम्मानित सदस्य सहमत होंगे कि इस समय हमारे यहां एक प्रक्रिया चल रही है और यह औद्योगीकरण की प्रक्रिया है और इस आधुनिकीकरण के सन्दर्भ में यह अत्यावश्यक है कि पेट्रोल का जो उत्पादन है और इसका जो प्रयोजन है, वह प्रयोजन प्रति लीटर अधिक हो सके। यह बहुत आवश्यक है। सारे संसार में इस समय इस प्रकार के इंजनों का उत्पादन किया जा रहा है जोकि कम से कम पेट्रोल को इस्तेमाल करते हैं। अब मारुति गाड़ी की जो उपादयता है, यह है कि वह एक लीटर में अधिक किलोमीटर चलती है और इस तरह से पेट्रोल की बचत होती है। तो हमारा प्रस्ताव यह है कि इस प्रकार की टैक्नोलाजी लाई जाए, जिससे पेट्रोल की खपत कम हो और उसी पेट्रोल के अन्तर्गत हमारा अधिक माइलेज हो सके और ज्यादा किलोमीटर गाड़ी चल सके।

श्री बालासाहेब विखे पाटिल : पेट्रोल की खपत करने के लिए जब हम आगे जा रहे हैं और

आटो इण्डस्ट्री को माड्र्नाइज करने जा रहे हैं, तो जिस तरह से इण्डस्ट्रियल एल्कोहल को ब्राजील ने गैसोलीन में कन्वर्ट कर दिया, क्या इस तरह का सुझाव सरकार के सामने है जिससे हम पेट्रोल की खपत कम कर सकें ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : सम्मानित सदस्य का सुझाव वैसे विचारणीय है लेकिन आज के संदर्भ में हम ब्राजील से अपनी तुलना नहीं कर सकते ।

श्रीमन्, ब्राजील में चीनी का उत्पादन गन्ने से नहीं होता है । वहां गन्ने से अल्कोहल बनता है, वहां चीनी का उत्पादन नाममात्र को करते हैं । जो मुझे बताया गया है, जो मेरी सूचना है उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि ब्राजील में गन्ने का उपयोग केवल अल्कोहल बनाने के लिए होता है । हमारे यहां जो व्यवस्था है उसमें गन्ने से मुख्यतः चीनी बनायी जाती है । उसके बाद उसको शीरा वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं ।

[अनुवाद]

विद्युत उत्पादन के लिए विदेशी सहायता

*28. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में 10,000 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता स्थापित करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी सहायता प्राप्त करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संसाधनों से प्राप्त निधियों, द्विपक्षीय सहायता और विभिन्न संघों से प्राप्त सहायता सहित विदेशी सहायता से अनेक विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई हैं । यह प्रथा सातवीं योजना के दौरान जारी रहेगी । विदेशी सहायता कितनी मात्रा में प्राप्त की जाएगी इस बात का निर्धारण योजना के प्रथम वर्ष के कार्य-निष्पादन के बाद प्राप्त होने वाले अतिरिक्त आन्तरिक साधनों की मात्रा के आधार पर किया जाएगा ।

(ख) जिन परियोजनाओं के लिए सातवीं योजना में पूरा प्रावधान नहीं किया गया है अथवा कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है परन्तु जिन्हें शीघ्र ही चालू किए जाने की आशा है और जो क्षेत्रीय महत्व की हैं, उन्हें विदेशी सहायता के लिए प्रस्तुत किया जाएगा तथा प्रत्येक प्रस्ताव पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा ।

[हिन्दी]

श्री बालासाहेब विखे पाटिल : स्पीकर साहब, अभी मैंने जो प्रश्न पूछा था कि.........

[अनुवाद]

क्या सरकार 10,000 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता स्थापित करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी सहायता प्राप्त करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ।

[हिन्दी]

उत्तर में कुछ नहीं दिया। हम जो पंचवर्षीय योजनाएं बना रहे हैं उनके हिसाब से हम आगे जा रहे हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि पिछली छठी पंचवर्षीय योजना के शुरू में बिजली के लिए यह कहा गया था कि हम 15 साल की एक लम्बी अवधि की योजना बनाने जा रहे हैं। उस 15 साल की लम्बी अवधि की योजना को ध्यान में रखते हुए अभी तक फैसला क्यों नहीं किया गया ? कम से कम सातवीं योजना अवधि के लिए तो फैसला किया जाना चाहिए था जो अब हम बिजली के लिए धनराशि की मांग कर रहे हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमन् मैंने अपने उत्तर में कहा है कि जिस तरह से अब से पहली पंचवर्षीय योजनाओं में विद्युत के विकास की योजनाओं के लिए, उनको लगाने के लिए हम बाहर से आर्थिक सहायता लेते रहे हैं उसी के आधार पर सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी कुछ प्रोजेक्ट्स को लिया जा सकता है जिसका फैसला उनके गुण दोष के आधार पर किया जाएगा। सभी योजनाओं में विद्युत की परियोजनाओं के लिए पांच वर्ष के वास्ते लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और उन्हीं लक्ष्य के अनुसार जो अचीवमेंट्स हुई हैं उनको देखा जाता है।

श्री बालासाहेब विखे पाटिल : मैंने पूछा था कि 15 साल के लिए कोई योजना बनी थी, उसके बारे में कोई उत्तर नहीं दिया।

मेरा दूसरा सवाल यह है कि छठी पंचवर्षीय योजना में हमने विदेशों से कितना धन लिया और उससे अभी तक हमने कितनी कैपेसिटी इन्स्टाल्ड की या कमीशंड की और सातवीं पंचवर्षीय योजना में विदेशी धनराशि से कितनी कैपेसिटी इन्स्टाल्ड करने जा रहे हैं।

मेरा तीसरा प्रश्न यह होगा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में बिजली की कमी नहीं रहेगी, ऐसा हमारे प्रधान मंत्री जी ने सदन को आश्वासन दिया था। उसको पूरा करने के लिए आप कैसी योजना बनाने जा रहे हैं क्योंकि अब अभी तक आप धनराशि की बात कर रहे हैं तो फिर आश्वासन कैसे पूरा होगा ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : इस समय देश में बिजली की कुल उत्पादन क्षमता 45 हजार मेगावाट है और छठी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में यह क्षमता 28 हजार मेगावाट थी। इसका मतलब है कि छठी पंचवर्षीय योजना के पहले और उसके आरम्भ से कुल उत्पादन क्षमता लगभग 50 प्रतिशत बढ़ाई गई है। बारवे सर्वे कमेटी रिपोर्ट जिसको कि देश में सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बिजली की कुल कितनी आवश्यकता होनी है इसका अनुमान लगाने के लिए बनाया गया था। कितना प्रावधान हमारी योजना में किया जाना चाहिए, उसके लिए सिफारिश करनी थी, उसके अनुसार उस कमेटी की सिफारिश के आधार पर सातवीं पंचवर्षीय योजना में 30595 मेगावाट अधिक क्षमता लगाने की सिफारिश की गई थी और 65000 करोड़ रुपया सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रावधान करने की सिफारिश की गई, लेकिन संसाधनों में कमी होने के कारण जो कटौतियां की गई, उससे विद्युत विभाग पर भी असर पड़ा और हमें 34000 करोड़ से कुछ अधिक रुपया सातवीं पंचवर्षीय योजना में मिला, जिसमें हमने 22245 मेगावाट सातवीं पंचवर्षीय योजना में अधिक क्षमता लाने का लक्ष्य अपने लिए निर्धारित किया, लेकिन उसी समिति के अनुमान के अनुसार 22000 मेगावाट अधिक क्षमता लाने के बाद हमारे पास जो फर्क रह गया मांग में और हमारे पास प्रतिष्ठापित क्षमता में वो लगभग 10000 मेगावाट का रह गया। अब 10000 मेगावाट के फर्क को

दूर करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी के जो निर्देश हैं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में अन्त तक कोई भी शार्टेज नहीं रहनी चाहिए, अन्तर नहीं रहना चाहिए। इसलिए इसके लिए साधन जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। अपने देश में भी उसके लिए संसाधन जुटाने का प्रयास कर रहे हैं और बाहर से भी जो प्रस्ताव हमें मिल रहे हैं उन पर भी विचार किया जा रहा है और जैसे पहले निवेदन किया है कि हर प्रस्ताव पर, टेक्नीकल आसपेक्ट पर डिपार्टमेंट आफ पावर एण्ड फाइनांशल पैकेजेज की जो ट्र्म्स एण्ड कंडीशंस हैं उसको डिपार्टमेंट आफ इकनामिक अफेयर्स परीक्षण करेगा और उस आधार पर, उसके गुण दोष के आधार पर फैसला किया जाएगा।

श्री गिरधारी लाल व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जैसा इन्होंने अभी कहा कि गुण दोष के आधार पर सलेक्ट किए जाएंगे तो दोष तो कहीं रह नहीं जाता, जब माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बढ़ाएंगे तो फिर ऐसी हालत में राजस्थान में जो कि सबसे ज्यादा कमी वाला, बिजली के साधनों में सबसे ज्यादा कमी वाला प्रदेश है, उसको गुणों के आधार पर प्रोजेक्ट लगाने के लिए सलेक्ट करेंगे या नहीं ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैंने कहा कि आवश्यकता में और जो प्रतिष्ठापित क्षमता है उसमें फर्क नहीं रहने का निर्देश माननीय प्रधान मंत्री जी का है और हमारी योजना पूरे देश के लिए है। देश के किसी भी भाग में वो फर्क नहीं रहना चाहिए, इसका पूरा प्रयास किया जाएगा।

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैंने राजस्थान के लिए पर्टिकुलरली पूछा था।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : राजस्थान भी इस देश का ही एक प्रदेश है। **(व्यवधान)**

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका प्रोटेक्शन चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आदेश दे दें ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : हां, दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा ठीक है।

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में पूंजी निवेश में असमानता के कारण औद्योगीकरण में असंतुलन

*29. **श्री हरीश रावत :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक विभिन्न राज्यों द्वारा सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में औद्योगीकरण पर प्रति व्यक्ति कितना-कितना पूंजी निवेश किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि पूंजी निवेश में हुई इस असमानता के कारण विभिन्न राज्यों में औद्योगीकरण की गति में भारी असंतुलन पैदा हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो चालू योजनावधि के दौरान इस असन्तुलन को दूर करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा यह कार्यवाही की जाएगी ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में औद्योगीकरण पर किये निवेश की राशि के राज्यवार आंकड़े अलग-अलग नहीं रखे जाते। उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के माध्यम से केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, कारखाना क्षेत्र के आंकड़े इकट्ठे करता है। उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 1982-83 सारांश परिणामों और 1981 की गणना के आधार पर कारखाने में कुल नियोजित पूंजी तथा प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश के आंकड़े संलग्न अनुबन्ध में दिए गए हैं।

किसी क्षेत्र अथवा राज्य में औद्योगीकरण की गति, उद्योगों में निवेश के अलावा कई अन्य तथ्यों पर निर्भर होती है जैसे कि प्राकृतिक संपन्नता, आधारभूत सुविधाओं, कच्चे माल, कुशल श्रमिकों, उद्यमिता नेतृत्व की उपलब्धता औद्योगिक सम्बन्धों का वातावरण तथा राज्य सरकारों की ओर से उपलब्ध विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन और सुविधाएं। उद्योगों का छितराव तो सन्तुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने की नीति का केवल एक पहलू है। इस सम्बन्ध में पंचवर्षीय तथा वार्षिक योजनाओं के अन्तर्गत किए गए उपायों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं—सरकारी प्रयोजनाओं के स्थापना स्थल का चयन, औद्योगिक लाइसेंसीकरण नीति, ग्रामीण तथा लघु उद्योगों का संवर्धन, औद्योगिक क्षेत्रों और बस्तियों की स्थापना, आधारभूत सुविधाओं का विकास, रियायती वित्त तथा निवेश राजसहायता।

अनुबन्ध

"निवेशित पूंजी" के कुल तथा प्रति व्यक्ति राज्यवार आंकड़ों का ब्यौरा (उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 1982-83 सारांश, परिणामों तथा 1981 गणना के अनुसार)

राज्य	कुल निवेशित पूंजी* (करोड़ रुपये)	प्रति व्यक्ति निवेशित पूंजी* (रुपये)
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	3572.56	667
असम	557.29	280
बिहार	5962.54	853
गुजरात	5660.31	1660
हरियाणा	1760.70	1363
हिमाचल प्रदेश	517.15	1208
जम्मू और कश्मीर	171.41	286
कर्नाटक	2708.74	729
केरल	1692.66	665

1	2	3
मध्य प्रदेश	4542.27	871
महाराष्ट्र	10796.86	1720
मणिपुर	3.04	21
मेघालय	92.54	691
नागालैंड	नगण्य	नगण्य
उड़ीसा	1761.34	668
पंजाब	2457.45	1464
राजस्थान	2305.23	673
तमिलनाडु	5041.58	1041
त्रिपुरा	17.30	84
उत्तर प्रदेश	6853.03	618
प० बंगाल	5284.35	968

* अनन्तिम

श्री हरीश रावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि औद्योगिक विकास में जो वित्तीय संस्थाएं हैं, उनका भी महत्वपूर्ण भाग होता है, तो मुझे यह बताने की कृपा करें कि विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के द्वारा विभिन्न राज्यों को कितना पूंजी निवेश किया गया है। यदि पूंजी निवेश में कोई अन्तर है तो उसको पाटने के लिए विभिन्न संस्थाओं के लिए जो केन्द्रीय संस्थाएं हैं, उनको क्या निर्देश देने जा रहे हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमन्, जो आंकड़े हमने माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत किए हैं, वो आंकड़े जो अधिष्ठापित क्षमता है और जितना धन लगाया गया है उसके आंकड़े हैं। इसमें अधिकांशतः भाग वित्तीय संस्थाओं का ही है, तो जो प्रति व्यक्ति क्षमता आई है उसका अर्थ यह है कि वित्तीय संस्थाओं ने उस राज्य में उतना धन लगाया है। श्रीमन् भविष्य के लिए……।

श्री हरीश रावत : यदि कोई अन्तर है तो उस अन्तर को पाटने के लिए आप क्या कर रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्री सौमैया प्लानिंग सचिव हैं, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है जो कि सारे प्रश्न पर विचार कर रही है और यह प्रश्न अवश्य महत्व का है कि पिछड़े हुए क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए और वहां उद्योग लगाने के लिए वहां वित्तीय संस्थाएं अधिक योगदान दें। इस सम्बन्ध में अवश्य ही वित्तीय सस्थाओं से परामर्श किया जाएगा।

श्री हरीश रावत : माननीय मंत्री जी ने अपने स्वभाव के अनुसार, विनम्र स्वभाव के अनुसार मेरे उग्र प्रश्न का बड़ा ही विनम्र और सन्तुलित उत्तर दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह

निवेदन करूंगा कि विभिन्न राज्यों में जो अन्तर है पूंजीनिवेश में, उसको पाटने के लिए आप क्या कर रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमन् मैं अत्यन्त नम्रतापूर्वक कहूंगा, उन्होंने जो उग्रता अपने प्रश्न में नहीं बताई है, उस उग्रता को……।

अध्यक्ष महोदय : आप उग्रता को नम्रता से काटना चाहते हैं?

श्री नारायण दत्त तिवारी : उग्रता के अनुपात में दृढ़ता से मैं कहना चाहता हूं। **(व्यवधान)**

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

नए सीमेंट कारखानों द्वारा क्षमता का उपयोग

*27. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे नए सीमेंट कारखानों की संख्या कितनी है जिन्होंने राष्ट्रीय औसत की 76 प्रतिशत की विद्यमानता में अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया है; और

(ख) उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर सीमेंट उपलब्ध कराने के वचन को पूरा कराने के लिए उद्योग के प्रबन्धकों पर दबाव डालने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) नए बड़े सीमेंट संयंत्रों जिन्होंने वर्ष 1982-83 से 1985-86 (दिसम्बर 1985 तक) के दौरान उत्पादन शुरू कर दिया था, में से चार एककों के सम्बन्ध में चालू वर्ष के दौरान क्षमता उपयोग 100% से अधिक रहा। एक एकक के सम्बन्ध में क्षमता उपयोग 90% रहा। आठ एककों में से जहां क्षमता उपयोग 76% से कम रहा, दो एककों ने वर्ष 1985-86 में ही उत्पादन शुरू किया, अतः उन्हें अपना उत्पादन स्थिर कर पाने में कुछ और समय लगेगा। अन्य छः एककों के सम्बन्ध में आन्तरिक तथा बाहरी रुकावटों के कारण क्षमता का कम उपयोग हो पाया। रेल वंगनों, कोयला और बिजली आदि की सप्लाई जैसी बाह्य रुकावटों पर काबू पाने में एककों की सहायता करने की दृष्टि से सीमेंट उद्योग के विकास आयुक्त, सीमेंट उत्पादकों, कोयला विभाग, रेल प्राधिकरणों आदि के साथ नियमित रूप से बैठकें करते रहते हैं। यह उल्लेखनीय है कि देश में सीमेंट के उत्पादन में वर्ष 1982-83 के 23:.20 लाख मी० टन की अपेक्षा वर्ष 1985-86 में उत्पादन समग्र रूप से बढ़कर 325.00 मी० टन उत्पादन हो जाने का अनुमान है। इसके फलस्वरूप, बाजार में अब सीमेंट अपेक्षाकृत उचित मूल्यों पर सुगमता से मिल रहा है।

आटो-एक्सपो 1986 प्रदर्शनी

*30. **डा० कृपासिन्धु भोई** :
श्री आनन्द सिंह :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1986 में नई दिल्ली में आयोजित आटो-एक्सपो 1986 प्रदर्शनी की मुख्य बातें/प्रयोजन और उद्देश्य क्या थे;

(ख) क्या इस प्रदर्शनी में भारतीय मोटरगाड़ियों के निर्यात के लिए कोई क्रियादेश प्राप्त हुए; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) अपनी रजत जयन्ती मनाने के लिए भारतीय इंजीनियरी उद्योग संघ के सहयोग से भारतीय मोटरगाड़ी निर्माता संघ और भारतीय मोटरगाड़ी हिस्सा-पुर्जा निर्माता संघ द्वारा संयुक्त रूप से आटो-एक्सपो, 86 का आयोजन किया गया था जो मुख्य रूप से भारतीय मोटरगाड़ी उद्योग की प्रौद्योगिकी सम्बन्धी क्षमता की प्रदर्शनी के रूप में था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

हजीरा-बिजयपुर-जगदीशपुर गैस पाइप लाइन सम्बन्धी निर्णय

***31. श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी :**
श्री एस० जयपाल रेड्डी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हजीरा-बिजयपुर-जगदीशपुर गैस पाइप लाइन परियोजना को कार्यान्वित करने हेतु विदेशी कम्पनी समूह के सहयोग के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें बिलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) यह संविदा किन शर्तों पर करने का बिचार है;

(घ) अन्तिम निर्णय किस तारीख तक लिए जाने की सम्भावना है;

(ङ) क्या सरकार को कुछ फर्मों से इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि उनकी निविदाओं का ठीक से मूल्यांकन नहीं किया गया है अथवा इस सम्बन्ध में सही प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है; और

(च) यदि हां, तो उन अभ्यावेदनों में किस तरह की आपत्तियां उठाई गई हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) एच० बी० जे० पाइप लाइन के निर्माण के लिए ठेका देने के वास्ते गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड से प्राप्त सिफारिशों की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

(ङ) और (च) इस समय विवरण देना लोक हित में नहीं होगा।

उड़ीसा में परादीप पत्तन में तेल का टर्मिनल स्थापित करना

*32. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम उड़ीसा में परादीप पत्तन में तेल का टर्मिनल स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है;

(ख) क्या परादीप पत्तन न्यास प्राधिकरण ने इस बीच तेल टर्मिनल बनाने के लिए उपयुक्त स्थान निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां, तो परादीप में तेल टर्मिनल की स्थापना में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त प्रस्ताव के कार्यान्वयन को तेज करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) सातवीं योजना की अवधि के दौरान उड़ीसा के पारादीप में तेल टर्मिनल स्थापित करने की सम्भावना के बारे में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन ने विचार किया किन्तु वित्तीय कठिनाइयों के कारण इस सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं हुई है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) जैसा कि ऊपर के भाग (क) के उत्तर में कहा गया है, वित्तीय कठिनाइयों के कारण इस प्रस्ताव पर कोई प्रगति नहीं हुई है ।

हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के लिए पृथक-पृथक दूरसंचार तथा डाक सर्किल

*33. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यमान पश्चिमोत्तर सर्किलों को तीन भागों में विभाजित करके हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के लिए पृथक-पृथक दूर-संचार तथा डाक सर्किल स्थापित करने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और पृथक सर्किलों को किस तारीख तक तथा किन स्थानों पर स्थापित करने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में कब तक निर्णय लिए जाने की सम्भावना है और इनकी स्थापना किस तारीख तक कर दी जाएगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) डाक—जी हां । उत्तर-पश्चिम सर्किल को तीन भागों में विभाजित करके हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लिए अलग-अलग डाक सर्किल बनाने का निर्णय ले लिया गया है ।

दूरसंचार : जी नहीं ।

(ख) और (ग) डाक : हिमाचल प्रदेश और पंजाब के पोस्टमास्टर जनरल इन दो प्रस्तावित सर्किलों का कार्यभार अम्बाला में ग्रहण करेंगे। अनुमोदित अधिकारी उपलब्ध हो जाने पर इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिए जाएंगे। इसके बाद इन दोनों सर्किलों के मुख्यालय किसी उपयुक्त दिन चण्डीगढ़ और शिमला में शिफ्ट कर दिए जाएंगे बशर्ते कि इनके लिए उपयुक्त स्थान मिल जाए तथा पदों के सृजन पर लगी वर्तमान रोक को देखते हुए इन्हें चलाने के लिए कर्मचारियों की मंजूरी मिल जाए।

दूरसंचार : सरकार ने हिमाचल प्रदेश और पंजाब के नए दूरसंचार सर्किलों के लिए महा-प्रबन्धक के पदों का सृजन करने की मंजूरी दे दी है। इन सर्किलों का गठन करने के लिए कार्रवाई की जानी है। नए सर्किलों के गठन की सम्भावित तारीख बताना सम्भव नहीं है।

घरेलू कूड़े कचरे से ऊर्जा का उत्पादन

*34. श्री पी० कुलनवईवेलू : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग सभी राज्यों में उद्योगों के लिए बिजली की सप्लाई में कमी है और क्या 'घरेलू कूड़े-कचरे' का ऊर्जा उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऊर्जा के उत्पादन के लिए "डोमेस्टिक वेस्ट रिसाइकलिंग प्लाट" स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मलजल अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन करने के लिए दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश आदि में अपशिष्ट पुनर्चक्रण संयंत्र कार्य कर रहे हैं। गंगा तथा गंगा के आस-पास के शहरों (गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत) और भारत के अन्य शहरों में भी ऐसे संयंत्र लगाने का प्रस्ताव भी किया गया है। नगर के ठोस अपशिष्टों से विद्युत का उत्पादन करने के लिए एक प्रायोगिक संयंत्र तिमारपुर, दिल्ली में स्थापना के अधीन है। मार्च, 1987 में आरम्भ होने पर यह परियोजना प्रतिदिन 300 मीटरी टन कूड़ा कचरा भस्म करेगी और 3.75 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन करेगी। विभिन्न राज्यों के अन्य शहरों में भी अपशिष्ट संयंत्रों से अतिरिक्त ऊर्जा स्थापित किए जाने के भी प्रस्ताव हैं। बायोगैस के माध्यम से अपशिष्ट से ऊर्जा निर्माण के लिए शौचालयों से जुड़े हुए कुछ सामुदायिक और संस्थागत बायोगैस संयंत्र गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश आदि में स्थापित किए जा चुके हैं। इस कार्यक्रम को विस्तृत करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि ऊर्जा वसूली के साथ-साथ सफाई भी ग्रामों एवं शहरों में उपलब्ध की जा सके।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

लाइसेंस-मुक्त उद्योगों में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबन्धों से छूट

*35. डा० टी० कल्पना देवी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौवहन तथा होटल उद्योग समेत सभी लाइसेंस-मुक्त उद्योगों को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबन्धों से छूट देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त उपाय का क्या लाभ है; और

(घ) क्या यह अब तक पालन की गई औद्योगिक नीति से भिन्न नहीं है?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत अनुमोदन प्राप्त करने की अपेक्षा से निम्नलिखित उद्योगों को मुक्त किया है :—

(i) जहाज उद्योग;

(ii) होटल उद्योग; और

(iii) लाइसेंस मुक्त उद्योग।

इस मुक्ति को उक्त अधिनियम की धारा 22-क के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित किया गया है।

(ग) इस मानदण्ड के पीछे मूल पहुंच-मार्ग, बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा उपर्युक्त उद्योगों में निवेश करने का माध्यम बनाना है, जो या तो राशि रूप में अधिक हो या दायित्व प्रवृत्त हो या परिष्कृत तकनीकी निहित हो या देश में उद्योग रहित जिलों के विकास का परिणामी हो।

(घ) नहीं, श्रीमान् जी।

लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों के आरक्षण की समाप्ति

***36. श्री सी० माधव रेड्डी :**

श्री मोहम्मद महफूज अली खां :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों का भारी संख्या में आरक्षण समाप्त करने के बारे में हाल ही निर्णय किया है;

(ख) इतनी भारी संख्या में मदों का आरक्षण समाप्त करने के क्या कारण हैं और क्या इससे लघु उद्योग क्षेत्र के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ग) आरक्षण समाप्त करने के लिए क्या मानदंड अपनाये गये हैं; और

(घ) लघु उद्योग क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रोत्साहन देने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) लघु क्षेत्र में विनिर्माण के लिए वस्तुओं का आरक्षण/अनारक्षण एक सतत प्रक्रिया है। भारत सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन एक आरक्षण समिति नियुक्त की है; जो उन वस्तुओं के सम्बन्ध में

जिनको केवल लघु क्षेत्र में ही उत्पादन के लिए आरक्षित कर देना चाहिए सिफारिश करती है। इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। सरकार को इस समिति की ओर से कई सिफारिशें प्राप्त हुई हैं। सरकार इन पर यथा समय निर्णय लेगी ?

(ग) सामान्यत: निम्नलिखित किस्म के उद्योगों को अनारक्षित करने के लिए विचार किया जाता है:—

(1) ऐसे उद्योग जहां बड़े पैमाने पर आयात करने की अनुमति दी जा रही है और/या जहां बड़े पैमाने पर तस्करी हो सकती है ?

(2) उच्च प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्र में स्थित उद्योग या जिन उद्योगों में निर्यात का संवर्द्धन करने के लिए काफी प्रोत्साहन की आवश्यकता है, जो आवश्यक रूप से बड़े आकार के होने चाहिए ताकि लागतों को कम किया जा सके और अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से प्रतियोगी बनाया जा सके।

(3) वे उद्योग, जहां आकार सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण लघु क्षेत्र बढ़िया किस्म का उत्पादन कर पाने में असमर्थ है और वह आधुनिक प्रौद्योगिकी को नहीं अपना सकता।

(घ) लघु उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किए प्रोत्साहनों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल है :—

(1) उत्पादन शुल्क के मामले में राजकोषीय रियायतें देना।

(2) उदार शर्तों पर ब्याज की रियायती दरो पर वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋणों के वितरण में प्राथमिकता देना।

(3) लघु उद्योग सेवा संस्थानों और विस्तार केन्द्रों के माध्यम से परामर्श सेवा, सामान्य सुविधाएं तथा तकनीकी सहायता प्रदान करना।

(4) क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्रों और फील्ड परीक्षण केन्द्रों के माध्यम से परीक्षण की सुविधाएं प्रदान करना।

(5) दुर्लभ कच्चे माल (स्वदेशी और आयातित) की खरीद करने में सहायता देना।

(6) केवल लघु क्षेत्र में ही विनिर्माण करने के लिए उद्योगों का आरक्षण करना।

(7) केवल लघु क्षेत्र से ही सरकार द्वारा खरीद करने के लिए वस्तुओं का आरक्षण करना।

(8) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के माध्यम से किराया खरीद के आधार पर संयंत्र और मशीनों की पूर्ति करना।

(9) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा महासंघ (कन्सोर्टिया) बनाकर, भारत और विदेशों में प्रदर्शनियों/मेलों का आयोजन करके या उनमें भाग लेकर, क्रेता-विक्रेता सम्मेलन की व्यवस्था आदि करके विपणन सम्बन्धी सहायता का दिया जाना।

(10) निर्यात में सहायता देना।

(11) लघु उद्योग सेवा संस्थानों, आद्यरूप विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्रों, नेशनल इन्स्टीट्यूट

फार इन्टरप्रेन्यूरशिप एण्ड स्मॉल बिजीनेश डेवलपमेंट, राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, टूल रूमों आदि में प्रशिक्षण सुविधाओं का प्रावधान करना ।

(12) चुने हुए उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए सहायता देना ।

(13) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों सम्बन्धी संयुक्त संयंत्र समितियों के माध्यम से सहायक उद्योग का विकास करना ।

डी० एम० टी० के मूल्य

*37. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हालांकि सरकार ने हाल ही में मैथानाल, एक ऐसा कच्चा माल जो पैराक्सीलीन के साथ मिला कर डी० एम० टी० बनाने के काम में आता है, के पजीकृत मूल्य को 6800 रुपए प्रति मीट्री टन से घटा कर 6300 रुपए प्रति मीट्री टन किया है, किन्तु डी० एम० टी० के तीन उत्पादकों ने डी० एम० टी० के मूल्व को सरकार की घोषणा के अनुसार अभी तक नहीं घटाया है, और

(ख) यदि नहीं, तो डी० एम० टी० से बनाए जाने वाले पोलिस्टर फाइबर और मिलामेंट धागे के उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) सरकार द्वारा 1 दिसम्बर, 1985 से मैथानाल के पूल्ड मूल्य में घोषित कमी से डी० एम० टी० के बिक्री मूल्य में कोई कमी नहीं हुई है।

(ख) पोलिस्टर स्टेपल फाईबर तथा पोलिस्टर फिलामेंट यार्न के लिए उचित बिक्री मूल्यों को बी० आई० सी० पी० द्वारा लागत अध्ययन के माध्यम से निर्धारित करने का प्रस्ताव है ।

खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों में कम गैस भरना

*39. **श्रीमती गीता मुखर्जी** :
श्री एम० रघुमा रेड्डी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में खाना पकाने की गैस भरने वाले विभिन्न संयंत्रों में अचानक मारे गये छापों के दौरान खाना पकाने की गैस के अनेक सिलेंडरों में गैस कम भरी पाई गयी थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन के माप और तौल विभाग ने 7 और 14 जनवरी, 1986 को इंडियन आयल कारपोरेशन तथा भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन के शकूर बस्ती स्थित एल० पी० जी० बार्टलिंग संयंत्रों का निरीक्षण किया ।

आई० ओ० सी० के संयत्र में 12 सिलिण्डरों की जांच की जिनमे से दस के वजन 400 से 900 ग्राम तक कम पाये गये। एक का वजन 300 ग्राम अधिक था तथा एक का वजन ठीक था। बी० पी० सी० के संयंत्र के जांच किये गये 20 सिलिण्डरों में से 7 के वजन 150 से 1100 ग्राम कम कम पाये गये, 9 का वजन 100 ग्राम से 1450 ग्राम अधिक पाया गया तथा 4 सिलिण्डरों का वजन ठीक था।

तेल कंपनियां मशीनों का तत्काल अनुरक्षण कर रही हैं तथा स्वचालित भरण मशीनों और तोलने की प्रणाली के काम करने में असन्तुलन को न्यूनतम करने के उद्देश्य से आन्तरिक जांच तथा नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ किया जा रहा है।

जल-विद्युत परियोजनाओं की पूर्ति में विलंब

*40. प्रो० रामकृष्ण मोरे : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन जल-विद्युत परियोजनाओं के 1985 के अन्त तक पूरा होने और अधिक विलम्ब हुआ है, तथा कितना विलम्ब हुआ और इसके क्या कारण हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने वाला यदि कोई केन्द्रीय अभिकरण है तो उसका क्या स्वरूप है और इसके कार्यकरण का सरकार किस प्रकार मूल्यांकन करती है; और

(घ) निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है और नये कार्यक्रम के अनुसार इन परियोजनाओं को किस प्रकार पूरा और चालू किया जायेगा ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) 1167.5 मेगावाट क्षमता की कुल 28 जल विद्युत यूनिटों में से, जिन्हें वर्ष 1985-86 के दौरान चालू करने का कार्यक्रम था, कुल 95.5 मेगावाट क्षमता की तीन यूनिटों के पिछड़ जाने की सम्भावना है। इन यूनिटों को चालू करने में लगभग 6 से 9 महीने का विलम्ब होने की सम्भावना है, जिसका मुख्य कारण सिविल निर्माण कार्यों और जल-विद्युत मेकेनिकल कार्यों का पूरा होना पिछड़ जाना है। इन यूनिटों के संबंध में लागत में वृद्धि का पता परियोजनाओं के परा होने के बाद पता लगेगा।

(ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन की मानीटरिंग कर रहा है और वह इस कार्य को संतोषजनक ढंग से पूरा कर रहा है।

(घ) इन यूनिटों के वर्ष 1986-87 के दौरान चालू किए जाने की सम्भावना है। कारगर परियोजना प्रबन्ध व्यवस्था और समुचित मानीटरिंग की आवश्यकता के बारे में परियोजना प्राधिकारियों पर निरन्तर जोर दिया जा रहा है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण भी इन परियोजनाओं को पूरा करने की दिशा में नियमित रूप से मानीटरिंग कर रहा है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कर्मचारियों द्वारा आय के अनुपात से अधिक परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण

224. श्री पूर्ण चन्द्र मलिक : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रकट आय के अनुपात से अधिक परिसम्पत्तियां रखने वाले कर्मचारियों के बारे में सरकार की नीति क्या है;

(ख) कोल इण्डिया, स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि०, राज्य व्यापार निगम, धातु तथा खनिज व्यापार निगम, आयल इण्डिया, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, प्रोजेक्ट एण्ड डिवलपमैंट इण्डिया लि०, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लि०, हिन्दुस्तान स्टील कन्स्ट्रक्शन लि० तथा अन्य बड़े सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अब तक ऐसे कितने मामलों की सूचना मिली है; और

(ग) क्या इन बड़े उपक्रमों के जिन अधिकारियों के विरुद्ध मामलों की सूचना मिली है, उनके विरूद्ध उपयुक्त मुकदमा चलाया गया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) आदर्श आचरण, अनुशासन एवं अपील नियमों में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था की गई है कि किसी कर्मचारी अथवा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आय के ज्ञात साधनों के अनुपात से अधिक आर्थिक संसाधनों अथवा सम्पत्ति पर अधिकार रखना, जिसका वह कर्मचारी सन्तोषजनक लेखा-जोखा न दे सके, कदाचार माना जायेगा।

(ख) और (ग) सरकारी क्षेत्र के प्रमुख उद्यमों से ऐसे सूचित मामलों की संख्या के बारे में जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है। उसे एकत्र किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

तालचेर में सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० की खानों में चोरी

225. **श्री के० प्रधानी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 4 फरवरी, 1986 के "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" नई दिल्ली में "पिलफिरेज फ्राम सेन्ट्रल कोल्फील्ड्स लि० माइन्स इन तालचेर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस चोरी को रोकने के लिए जिससे केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार को भी राजस्व की भारी धनराशि से वंचित रहना पड़ता है; क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) इस समाचार में तालचेर में सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० की कोलियरियों से कोयले के अवैध खनन एवं चोरी का उल्लेख है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

कूड़े-कचरे से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने की योजना

226. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड के चेयरमैन ने बताया है कि बंगलौर शहर में कूड़े-कचरे से 15 मैगावाट तक बिजली का उत्पादन किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार कूड़े-कचरे से बिजली का उत्पादन करने की किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) अध्यक्ष, कर्नाटक विद्युत बोर्ड ने सूचित किया था कि कुछ निश्चित अनुमानों के अनुसार बंगलौर के कूड़े-कचरे से 10 से 15 मेगावाट तक विद्युत उत्पन्न हो सकेगी ।

(ख) और (ग) तिमारपुर, दिल्ली में केन्द्र एक एक परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है जो प्रतिदिन 300 मीटरी टन कूड़ा कचरा भस्म करेगी और इसकी 3.75 मेगावट की स्थापित क्षमता होगी । इस परियोजना का आरम्भ मार्च, 1987 से होना है । भारत के अन्य शहरों में स्थापित कूड़ा-कचरा संयंत्रों से ऊर्जा प्राप्त करने का प्रस्ताव किया गया है । कुछ शहरों में कूड़े-कचरे का विस्तृत विश्लेषण प्रगति पर है और इन विश्लेषणों के पूर्ण होने के पश्चात तकनीकी संभाव्यता का पता लगा दिया जाएगा ।

मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में उप-डाकघरों का दर्जा बढ़ाना

227. **श्री सुभाष यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के उन उप-डाकघरों के नाम और संख्या क्या हैं जिनका दर्जा बढ़ाये की जाने की संभावना हैं; और

(ख) इनका दर्जा कब तक बढ़ा दिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में किसी भी डाक घर का दर्जा बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

लघु एककों के विकास को अवरुद्ध करने वाली आर्थिक नीतियां

228. **श्री एन० डेनिस** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या विगत में यह देखा गया है कि भारत की आर्थिक नीति कुछ मामलों में लघु क्षेत्र के एककों के विकास को अवरुद्ध कर रही है;

(ख) क्या सरकार ने लघु उद्योगों के मध्यम और बड़े पैमाने के उद्योगों के रूप में विकास के लिए आने वाली सभी आर्थिक कठिनाईयों को दूर करने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां तो इस संबंध में उत्तरदायो कारणों को दूर करने लिऐ सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) लघु एककों को उत्पादन शुल्क के मामले में राजकोषीय रियायतें प्रदान की जाती हैं और वित्तीय संस्थानों द्वारा ब्याज की रियायती और उदार शर्तों पर ऋण के वितरण में प्राथमिकता दी जाती है । इस प्रकार लघु एककों को प्रोत्साहन देना ही सरकार की नीति का उद्देश्य है । ऐसे एककों को दी जाने वाली रियायतों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है ताकि इनके विकास की गति तीव्र की जा सके ।

भारत में औषध उद्योग और औषधियों के उत्पादन पर नियन्त्रण

229. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के कितने औषध उद्योग कार्य कर रहे हैं;

(ख) इनमें से विदेशी औषध उद्योग कितने हैं;

(ग) क्या यह सच है कि देश में गैर-लाइसेंस शुदा औषधि निर्माता अपना व्यापार चला रहे हैं और वे घटिया किस्म की औषधियों का उत्पादन कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों को ऐसा करने से रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) लाइसेंसधारी निर्माता द्वारा उत्पादित दवाइयों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए सरकार द्वारा क्या पद्धति अपनाई गई है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) उपलब्ध ब्यौरों की सीमा तक संगठित क्षेत्र में लगभग 253 एकक औषधों और भेषजों का निर्माण कर रहे हैं। इनमें से 10 फेरा कम्पनियां हैं जिनकी प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी 40 प्रतिशत से अधिक है।

(ग) उपलब्ध सूचना की सीमा तक संगठित क्षेत्र में कोई भी कम्पनी औद्योगिक उत्पादन के बिना औषधों का उत्पादन नहीं कर रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) औषधों के निर्माण में लगी कम्पनियों को औषध और प्रशासन अधिनियम 1940 और उसके अधीन बनाए गए नियमों का पालन करना पड़ता है जिसका संचालन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

छोटा उदयपुर (बड़ौदा) में सीमेंट कारखाने की स्थापना

230. **श्री अमरसिंह राठवा** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात के बड़ौदा जिले में छोटा उदयपुर क्षेत्र में चूने के पत्थर के भण्डार हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उस क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र में सीमेंट कारखाना स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो चूने के पत्थर का उपयोग करने के लिए अन्य क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) सरकार की जानकारी के अनुसार गुजरात के बड़ौत जिले में छोटा उदयपुर क्षेत्र में सीमेंट बनाने के लिए उपयुक्त चूने के पत्थर के भंडार नहीं हैं।

(ङ) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

कोयले के मूल्य में वृद्धि

231. **श्री आनन्द प्रकाश सेठी : क्या ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कोयले के मूल्यों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या योजना आयोग ने भी इसके विकास तथा इसकी सिफारिशों का अध्ययन करने के बाद इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) औद्योगिक लागत एवं कीमत ब्यूरो की सिफारिशों पर दिनांक 8-1-1984 से निर्धारित कोयले की कीमतों का दिनांक 1-4-1985 से पुनरीक्षण होना था । उस समय से कोयले की उत्पादन लागत में इन कारणों से काफी बढ़ोतरी हुई है । उत्पादन सामग्री जैसे—भंडार, विस्फोटक पदार्थ, इमारती लकड़ी आदि की कीमतों का बढ़ना, बोनस । अनुग्रह राशि देने की सीमा बढ़ाने के कारण मजदूरी में बढ़ोतरी, औद्योगिक महंगाई भत्ते की दर में संशोधन, भूमिगत भत्ते आदि में बढ़ोत्तरी, पेट्रोल, तेल और चिकनाई पदार्थों (पी० ओ० एल०) की कीमतों का बढ़ना, रेल माल भाड़ा/किराए का बढ़ना, मूल्यह्रास और ब्याज आदि का अधिक भार ।

कोल इण्डिया लि० ने इसीलिए कोयला कीमतों में वृद्धि का अनुरोध किया और सरकार ने उस अनुरोध पर विचार किया तथा दिनांक 9-1-86 से कोलले की खान मुहाना कीमतों में संशोधन कर दिया गया

(ग) योजना आयोग ने कोयला विभाग के कोयले की कीमतों में संशोधन के प्रस्ताव को सहमति दे दी थी ।

नियमित निकायों के प्रबन्धकों के वेतन की अधिकतम सीमा का बढ़ाया जाना

232. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निगमित निकायों के प्रबन्धकों, जो देश में पहले ही, अधिकतम वेतन ले रहे हैं, के वेतन की अधिकतम सीमा बढ़ा रही है;

(ख) क्या सरकार इस प्रावधान को समाप्त करने का भी प्रस्ताव कर रही है कि किसी प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति के प्रत्येक अवसर पर उसका वेतन निर्धारित करने से पहले कम्पनियों को पूर्व अनुमति लेनी होगी;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और क्या इस सम्बन्ध में कोई मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं या किए जा रहे हैं, तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है;

(घ) क्या सरकार कम्पनी के संयुलन पत्र में एक वर्ष में 36,000 रु० से अधिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के नाम प्रकाशित करने की अनिवार्यता समाप्त करने पर भी विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो किन बातों को ध्यान में रखकर ऐसा किया जा रहा है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ङ) कम्पनी और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियमों पर उच्चाधिकार विशेषज्ञ समिति (सच्चर समिति) तथा प्राप्त किए गए अनेकों अभिवेदनों को दृष्टिगत करते हुए, सरकार, कम्पनी अधिनियम में कुछ संशोधन करने पर विचार कर रही है। इस सम्बन्ध में प्रस्तावों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

दिल्ली में "जन सेवा टेलीफोन" सेवाएं

233. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली जैसे महानगरों में भी "199", "198", "197" जैसी "जन सेवा टेलीफोन" सेवाओं से दिन के समय भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होता है;

(ख) क्या इन "जन सेवा टेलीफोन" से दिन में 24 घंटे कार्य करने की अपेक्षा की जाती है;

(ग) इस प्रकार की स्थिति के क्या कारण हैं; और

(घ) इन सेवाओं को भरोसेमन्द बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) डाइरेक्टरी पूछताछ सेवा "197" में सुधार की दृष्टि से इसे कम्प्यूटरीकृत किए जाने का प्रस्ताव है। "197", "198" और "199" सेवाओं पर प्रतिदिन टेस्टकाल भी की जाती है तथा जहां कहीं भी कोई कमी पाई जाती है, उसे दूर करने के लिए कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

बिहार में सहरसा जिले के महानगरों के लिए एस० टी० डी० (डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने) की सुविधा

234. **श्री चन्द्र किशोर पाठक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन प्रमुख शहरों और महानगरों के नाम क्या हैं जिनके लिए बिहार के सहरसा जिले एस० टी० डी० (डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने) की सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) जिन महानगरों के लिए एस० टी० डी० (डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने) की सुविधा नहीं दी गई है उनके लिए यह सुविधा कब तक उपलब्ध कराने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) बिहार में सिहरसा जिला मुख्यालय से बड़े शहरों तथा महानगरों के लिए एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) किसी स्थान पर एस० टी० डी० सुविधाएं निम्नलिखित कार्य पूरा होने के बाद ही प्रदान की जा सकती है।

(एक) उस स्थान पर समुचित किस्म का आटोमेटिक एक्सचेन्ज का संस्थापन।

(दो) उस स्थान को राष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़ने के लिए अपेक्षित विश्वसनीय संचारण माध्यम की संस्थापना करना।

(तीन) उस ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेन्ज में उचित किस्म का टर्मिनेशन लगाना। जिससे स्थान को जोड़ा जाना है।

(चार) उस स्थान के स्थानीय एक्सचेन्ज में अपेक्षित टर्मिनिटिंग उपस्कर की संस्थापना।

सहरसा में उपरोक्त कार्यों के सातवीं योजना अवधि के दौरान पूरा होने की सम्भावना है और उसके बाद एस० टी० डी० सुविधा प्रदान की जाएगी।

[अनुवाद]

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में सेवा-निवृत्त व्यक्तियों की नियुक्ति

235. **डा० ए० के० पटेल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जो 58 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात् (अथवा सेवा-निवृत्त के पश्चात्) अभी तक भी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में प्रमुख/परामर्शदाता/सलाहकार आदि के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा 31 दिसम्बर, 1985 को उनकी आयु, पदनाम, अर्हता, कार्यक्षेत्र, वेतन और भत्ते आदि क्या थे; और

(ख) इस प्रकार के सेवा-निवृत्त व्यक्तियों को नियुक्त करने के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) अपेक्षित ब्यौरे सहित अधिकारियों के नाम संलग्न विवरण में दिए जाते हैं।

(ख) सरकार की नीति यह है कि अधिवार्षिकी की आयु के बाद अधिकारियों के सेवाकाल में वृद्धि/पुनर्नियोजन विशेष परिस्थियियों में ही किया जाना चाहिए।

विवरण

उन अधिकारियों के नाम जो 58 वर्ष की आयु पूरी करने या अपनी सेवा-निवृत्ति के बाद बी० एच० ई० एल० में प्रमुख/परामर्शदाता/सलाहकार आदि के रूप में काम कर रहे हैं।

क्रमांक	नाम और जन्मतिथि	वर्तमान पदनाम	अर्हताएं	कार्य क्षेत्र	वेतन	भत्ते
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री एन० एस० एन० मूर्ति 12-8-1926 (कार्यकाल 24 फरवरी, 1986 को समाप्त होता है)	सलाहकार	बी० एस सी० (आनर्स) बी० आई० आई० एस० सी० (इलेक्ट्रिकल)	अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत कार्यक्रम विभाग के अधीन एकीकृत ऊर्जा योजनाएं।	1000 रु० प्रतिमास (समेकित)	1. मकान किराया भत्ता/कम्पनी-आवास 2. सरकारी यात्रा के लिए सरकारी परिवहन या परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति। 3. चिकित्सा सुविधाएं।
2.	श्री वी० सी० टंडन, 22-7-1927 (कार्यकाल 24-7-1986 को समाप्त होता है)	सलाहकार	एम० ए०	राय गणना और सर्वेक्षण के बारे में प्रबन्धकों को सलाह देना।	2000 रु० प्रतिमास (समेकित)	—वही—
3.	श्री डी० आर० मलिक 12-6-13 (कार्यकाल मई	अंशकालिक परामर्शदाता	बी० एस सी० आई० ओ० एस० एफ०	सैन्ट्रल फाउन्ड्री फोर्ज प्लांट, हरिद्वार में	1000 रु० प्रतिमास रिटेनर फीस के रूप	—वही—

1	2	3	4	5	6	7
	1986 में समाप्त होता है)		एम० आई० बी० एफ० एम० आई० आई० एम०	स्टील मेल्टिंग शाप	में और हरिद्वार में ठहरने की अवधि के दौरान व्यय के लिए प्रतिदिन 250 रु० ।	
4.	श्री आर० एस० सम्भरवाल 2-2-1927 (31-3-1986 को कार्यकाल समाप्त होता है)	विशेष कार्य	बी० ए०	कस्टम के साथ मामलों, मेसर्स स्कोडा, मे० सीमेंस, और मे० प्रोमाशएक्सपोर्ट के साथ पुराने ठेकों को अन्तिम रूप देने के बारे में विशेष कार्य ।	1100 रुपए प्रतिमास (समेकित)	—वही—

उदार लाइसेंस नीति का औषध उद्योग पर लागू किया जाना

236. **श्री नरेन्द्र चन्द्र चतुर्वेदी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उदार बनाई गई लाइसेंस नीति एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों तथा ऐसी कम्पनियों सहित, जो पहले विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आती थी, औषध उद्योग पर लागू होती है; और

(ख) यदि नहीं, तो इन कम्पनियों को उदार लाइसेंस नीति के लाभ से वंचित रखने के क्या कारण हैं ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) उदारीकरण सम्बन्धी उपायों में औद्योगिक अनुमोदनों तथा लाइसेंस मुक्ति के आवेदन-पत्रों को शीघ्र निपटाना शामिल है। सभी वर्गों की कम्पनियों के लिए, औद्योगिक अनुमोदनों सम्बन्धी आवेदन-पत्रों को शीघ्रता से निपटाया जा रहा है। तथापि, लाइसेंस मुक्ति सम्बन्धी योजना केवल गैर-फेरा/गैर-एम० आर० टी० पी० कम्पनियों पर लागू होती है।

[हिन्दी]

ईंधन के वैकल्पिक स्रोत

238. **श्री कमला प्रसाद :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल के दामों में वृद्धि होने के फलस्वरूप सरकार ने ईंधन के वैकल्पिक स्रोतों की खोज के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1982 से आज तक ईंधन के कितने वैकल्पिक स्रोतों की खोज की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी हां।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में डीजल एवं विद्युत वाहनों के स्थान पर बायोगैस ऊर्जा बागवानी, क्रिकेट अपशिष्टों और खाना बनाने के लिए सौर कुकरों, इथोनल एवं मैथेनल जैसे जहर वाले पदार्थों, सौर बायोमास तथा विद्युत के लिए वायु के स्रोतों का विकास किया गया है। अधिक आर्थिक प्रणालियों के विकास और जहां सम्भव हो इन स्रोतों के उपयोग को जारी रखा जा रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

कोयला प्रबन्ध व्यवस्था में सुधार लाना

240. **डा० सुधीर राय :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला प्रबन्ध व्यवस्था का स्तर घटिया होने और कोयले का मूल्य नियन्त्रित होने के कारण कोयला दिन-प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो प्रबन्ध में सुधार लाने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) कोयले की लागत में वृद्धि के विभिन्न कारण हैं जिनमें से कुछ प्रबन्ध-मंडल नियंत्रण से बाहर हैं, जैसे पूंजीगत सामानों, उत्पादन-सामग्री और भंडार-सामग्री की लागत में वृद्धि, मजदूरी और अन्य सुविधाओं में वृद्धि, पेट्रोलियम उत्पादों की लागत तथा भाड़े में वृद्धि और मूल्यह्रास तथा ब्याज खर्च में वृद्धि। फिर भी, खानों के कामकाज और कोयले की उत्पादकता को लागत की दृष्टि से अधिक लाभकारी बनाने में प्रबण्ध-मंडल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कार्य इन उपायों से किया जा सकता है—संयंत्रों और उपकरणों की क्षमता का बेहतर उपयोग, आधुनिक प्रौद्योगिकी अंगीकार करना और उसका उपयोग करना, सामग्री-सूची पर बेहतर नियन्त्रण, प्रबन्ध-मंडल में श्रमिकों को शामिल करना और उनसे बेहतर सहयोग लेना, बेशी श्रमिकों की संख्या में कमी और उन्हें अन्यत्र काम पर लगाना, कार्मिकों का प्रशिक्षण, खान-मुहाना स्टाकों को कम करना और परिवहन में सुधार, अच्छी किस्म के कोयले का उत्पादन और उपभोक्ताओं को उनकी सप्लाई, आदि।

प्रगन्ध को लाभकारी परिणाम की ओर उन्मुख करने के लिए उसमें सुधार एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और सरकार इस क्षेत्र में विशेष जोर दे रही है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त स्थान

241. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :**

प्रो० मधु दंडवते :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में 31 दिसम्बर, 1985 तक न्यायाधीशों और अतिरिक्त न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त थे;

(ख) उच्च न्यायालयों में एक वर्ष से अधिक की कितनी रिक्तियां हैं;

(ग) वर्ष 1985 के दौरान, जितनी नियुक्तियां की गईं; और

(घ) क्या सरकार का विचार प्रत्याशित रिक्तियों के लिए कोई प्रक्रिया तैयार करने का है जिससे कि उन्हें रिक्त होते ही भरा जा सके ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) 31-12-1985 की जो स्थिति थी उसके अनुसार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के 3 पद रिक्त थे। उसी तारीख को, उच्च न्यायालयों में स्थाई न्यायाधीशों के 47 पद और अपर न्यायाधीशों के 15 पद रिक्त थे।

(ख) उच्च न्यायालयों में एक वर्ष से अधिक समय से 29 पद रिक्त थे।

(ग) 1985 के दौरान, उच्च न्यायाधीशों में अपर न्यायाधीशों/स्थायी न्यायाधीशों की 32 नई नियुक्तियां की गई।

(घ) न्यायाधीशों के ऐसे पदों को, जो रिक्त होने वाले हैं, भरने के लिए अग्रिम रूप से कार्र-

बाई करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम का अनुसरण करने के लिए राज्यों के मुख्यमन्त्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से पहले ही आग्रह किया गया है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लम्बित मामले

242. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) इन लम्बित मामलों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की रजिस्ट्रियों द्वारा प्रस्तुत जानकारी संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

(ख) लम्बित मामलों को कम करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण-1

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों की संख्या

न्यायालय का नाम	लम्बित मामलों की संख्या (31-12-1983)	
उच्चतत न्यायालय	नियमित सुनवाई के मामले	47,143
	ग्रहण किए गए मामले	40,104
	प्रकीर्ण मामले	79,072
	योग	1,66,319

उच्च न्यायालय	लम्बित मामलों की कुल संख्या (31-12-1985 तक)
1	2
आंध्र प्रदेश	90,617
गुजरात	41,750
पटना	56,904
पंजाब और हरियाणा	40,285 (30-6-1985 तक)

1	2
इलाहाबाद	2,42,379
मुम्बई	1,06,657
दिल्ली	74,226
हिमाचल प्रदेश	9,768
जम्मू-कश्मीर	27,515
कर्नाटक	91,510
केरल	1,14,122
मध्य प्रदेश	52,463
मद्रास	1,49,469
उड़ीसा	26,923
राजस्थान	49,102
सिक्किम	51 (31-12-1984 तक)
कलकत्ता	1,39,050 (31-12-1983 तक)
गौहाटी	13,403

विवरण-2

लम्बित मामलों को कम करने के लिए समय-समय पर उठाए गए कदम

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों को कम करने के लिए हाल ही के वर्षों में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं—

1. उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के द्वितीय अपील में निर्णय से लेटर्स पेटेंट अपील को समाप्त करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता का 1976 में संशोधन किया गया (देखिए धारा 100क)

2. विधि आयोग की सिफारिशों पर आधारित दंड प्रक्रिया संहिता वर्ष 1973 में अधिनियमित की गई।

3. उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश-संख्या) अधिनियम, 1956 का संशोधन करके 31-12-1977 से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 13 से बढ़ाकर 17 कर दी गई, इसमें मुख्य न्यायमूर्ति सम्मिलित नहीं हैं।

4. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या मार्च, 1977 में 351 थी जिसे 1 फरवरी, 1986 को 430 कर दिया गया है।

5. उच्चतम न्यायालय ने भी निम्नलिखित उपाय किए हैं—

(i) कुछ मामलों को पूर्विकता दी जाती है;

(ii) प्रकीर्ण मामले प्रतिदिन सुनवाई के लिए रखे जाते हैं;

(iii) ऐसी रिट पिटीशनों को, जिनमें एक जैसे प्रश्न अन्तर्वलित होते हैं, एक ग्रुप में रखा जाता है और 50 से लेकर 100 मामलों के बैंच सुनवाई के लिए एक साथ रखे जाते हैं;

(iv) ऐसे अन्य मामलों का भी जिनमें एक समान प्रश्न अन्तर्वलित होते हैं, समय-समय पर पता लगाकर उन्हें एक साथ रखा जाता है और इस बात का प्रयत्न किया जाता है कि ऐसे ग्रुपों का निपटारा शीघ्र हो जाए;

(v) उच्चतम न्यायालय के नियमों का 1966 में पुनरीक्षण किया गया और उसमें यह उपबन्ध किया गया कि अभिलेखों का मुद्रण स्वयं उच्चतम न्यायालय के पर्यवेक्षण में ही कराया जाए। इसमें भी काफी समय लग जाता था, अतः अभी हाल में न्यायालय ने, जहां कहीं भी सम्भव होता है, अभिलेख तैयार करने की आवश्यकता को समाप्त करना और अपील की सुनवाई विशेष इजाजत पेपर बुक पर ही करना आरम्भ कर दिया है, परन्तु वह ऐसा तब करता है जब उत्तर में दोनों पक्षकार अपने प्रति शपथ-पत्र दाखिल कर देते हैं;

(vi) न्यायालय का समय बचाने के लिए, भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति, न्यायालय के समय के पश्चात् चर्चा कर रहे हैं जिसमें इससे पूर्व कम से कम लगभग एक घण्टा लग जाता था;

(vii) दांडिक अपीलों में, अपीलार्थियों के काउंसेल से यह अपेक्षा की जाती है कि वे साइक्लोस्टाइल अभिलेख को, मुद्रित कराने में लगने वाले समय को बचाने के लिए, फाइल करें जिससे कि मामले पर शीघ्र सुनवाई हो सके;

(viii) चैंबर में माननीय न्यायाधीशों और रजिस्ट्रार को कुछ प्रकार के मामलों के निपटाने के लिए, जो कि इससे पूर्व न्यायालय की सूची में थे, सशक्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय नियमों को संशोधित किया गया है। न्यायालय का समय बचाने के लिए ऐसा किया गया है;

(ix) विधि की उस शाखा से सम्बन्धित विशेष प्रकार के मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए विशिष्ट न्यायपीठों का गठन किया गया है जिसमें विशिष्ट न्यायपीठ गठित करने वाले माननीय न्यायाधीश विशेषज्ञ होते हैं। इससे विशिष्ट न्यायपीठ को ऐसे मामलों को शीघ्रता से निपटाने में सहायता मिलती है।

6. उपर्युक्त के अतिरिक्त, कुछ उच्च न्यायालय मामलों के बेहतर निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय कर रहे हैं—

(क) कई उच्च न्यायालयों द्वारा ऐसे मामलों को एक ग्रुप में रखा जाता है जिसमें एक जैसे प्रश्न अन्तर्वलित होते हैं;

(ख) सूचना की तामील के लिए थोड़ा समय देकर सुनवाई के लिए मामले नियत करना;

(ग) अभिलेख के मुद्रण की आवश्यकता को समाप्त करना;

(घ) कुछ अधिनियमों के अधीन मामलों में शीघ्र कारंवाई करना और उन्हें पूर्विकता देना।

7. विधि आयोग की 79वीं रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सिफारिशों की समीक्षा की गई है। अधिकांश सिफारिशों पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों द्वारा कारंवाई की गई है, इसलिए वे सिफारिशें संघ सरकार के विचारों सहित उनको भेज दी गई हैं और उनसे आवश्यक कारंवाई करने का अनुरोध किया गया है।

8. सरकार ने विधि आयोग को, आवश्यक सुधार लाने के लिए न्यायिक पद्धति का अध्ययन करने का कार्य सौंपा है। विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं—

(क) (i) ग्रामीण क्षेत्रों में विवादों के निपटारों के लिए न्याय पंचायत या अन्य तंत्र की स्थापना करके उसका विस्तार करने और उसे सुदृढ़ करके;

(ii) उपयुक्त क्षेत्रों और केन्द्रों में परिनिश्चित अधिकारिता और शक्तियों सहित भाग लेने वाली न्याय पद्धति स्थापित करके;

(iii) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कार्य की मात्रा को घटाने के लिए न्यायिक श्रेणी के भीतर अन्य पंक्ति या पद्धति स्थापित करके;

न्याय प्रशासन की पद्धति का विकेन्द्रीकरण करने की आवश्यकता।

(ख) ऐसे विषय जिनके लिए संविधान के भाग 14-क में यथापरिकल्पित अधिकरणों (सेवा अधिकरणों को अपवर्जित करते हुए) को शीघ्र स्थापित करने की आवश्यकता है और उनके स्थापन और कार्यकरण से सम्बन्धित विभिन्न विषय;

(ग) प्रक्रिया सम्बन्धी विधियां साधारणतः मामलों के शीघ्र निपटाने, अनावश्यक मुकदमेबाजी को और मामलों की सुनवाई में विलम्ब को कम करने की दृष्टि से और प्रक्रिया तथा प्रक्रिया सम्बन्धी विधियों में सुधार और विशेष रूप से मद 1(i) और 1(ii) में परिकल्पित विषयों के अनुरूप प्रक्रियाओं के लिए उपाय करना।

(घ) अधीनस्थ न्यायालयों/अधीनस्थ न्यायपालिका में नियुक्ति का ढंग।

(ङ) न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण।

(च) न्यात प्रशासन की पद्धति को सुदृढ़ करने में विधि व्यवसाय की भूमिका।

(छ) ऐसे मानदण्डों के निश्चित करने की वांछनीयता जिनका सरकार और पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा विवादों के निपटारे में पालन किया जाना चाहिए। इसके अन्तर्गत सरकार और ऐसे उपक्रमों की ओर से मुकदमों के संचालन के लिए वर्तमान पद्धति का पुनर्विलोकन भी है।

(ज) मुकदमेबाजी का खर्च मुकदमा लड़ने वालों पर भार कम करने की दृष्टि से।

(झ) अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन; और

(ञ) ऐसे अन्य विषय जो आयोग उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए उपयुक्त या आवश्यक समझे या जो सरकार द्वारा उसे समय-समय पर निर्देशित किए जाएं।

9. सरकार ने उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों के बकाया की समस्या की समीक्षा करने के लिए और उसके लिए उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए, तीन मुख्य न्यायमूर्तियों की एक अनौपचारिक समिति गठित की है ।

[हिन्दी]

बिहार के बेतिया जिले में तेल भण्डार संबंधी तथ्य

243. **श्री अब्दुल हन्नान अंसारी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के विशेषज्ञों ने कहा है कि बिहार के बेतिया जिले में छः हजार फुट की गहराई पर तेल के भारी भंडार हैं;

(ख) क्या आयोग द्वारा लगाये गये संयंत्र में, दोषपूर्ण नींव के कारण, 5,400 फुट की गहराई तक ड्रिलिंग करने के बाद दरार पड़ गई थी और काम रुक गया था और आयोग ने कह दिया कि उक्त स्थान में कोई तेल नहीं है ।

(ग) क्या इस क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के बाद सोवियत संघ के विशेषज्ञों ने कहा है कि 6,000 फुट गहराई के नीचे तेल उपलब्ध है;

(घ) क्या यह सच है कि सरकार ने इस परियोजना पर 32 करोड़ रुपए व्यय किये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का बिचार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) जी, नहीं। बैना जिले में गण्डक-1 कूआ उप-तल भूवैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करने के लिए पेरा मीट्रिक कुएं के रूप में खोदा गया गया था । जब आग्नेय चट्टानें अन्दर मिलीं तो खनन कार्य बंद कर दिया गया क्योंकि खनन का उद्देश्य पूरा हो गया था ।

(घ) इस कुएं के खनन पर लगभग 8.2 करोड़ रुपये का खर्च आया ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[अनुवाद]

दक्षिण राज्यों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाएं

244. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिणी राज्यों में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित बिजली परियोजानाओं के नाम क्या हैं;

(ख) वर्ष 1985 में दक्षिणी राज्यों में द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं से कुल कितनी मात्रा की बिजली का उत्पादन हुआ है;

(ग) उसके राज्य-वार वितरण का ब्योरा क्या है; और

(घ) गत वर्ष के अन्त तक ऊर्जा का कितना भंडार उपलब्ध था ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) दक्षिणी क्षेत्र में रामगुण्डम सुपर ताप विद्युत केन्द्र, कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र और नेवेली लिग्नाइट ताप विद्युत केन्द्र केन्द्रीय क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं।

(ख) वर्ष 1985 (जनवरी-दिसम्बर) के दौरान इन विद्युत केन्द्रों से ऊर्जा का सकल उत्पादन लगभग 8190 मिलियन यूनिट हुआ था।

(ग) जनवरी-दिसम्बर, 1985 की अवधि के दौरान रामगुण्डम सु० ता० विद्युत केन्द्र से ऊर्जा की वास्तविक सप्लाई नीचे दिए गए अनुसार थी :—

	मिलियन यूनिट
आन्ध्र प्रदेश	1557.7
कर्नाटक	787.1
तमिलनाडु	388.2
गोवा	68.1

इस अवधि के दौरान कलपक्कम परमाणु संयंत्र और नेवेली लिग्नाइट ताप विद्युत केन्द्र से हुए समस्त ऊर्जा उत्पादन का उपयोग तमिलनाडु द्वारा किया गया था।

(घ) इन केन्द्रों से हुए समस्त उत्पादन का उपयोग कर लिया गया था।

सरकारी क्षेत्र को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबन्धों से छूट

245. **डा० जी० विजय रामाराव** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबन्धों से छूट देना सच्चर समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के विरुद्ध है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में संशोधन करने के परिणामस्वरूप बड़ी कम्पनियां इसके क्षेत्राधिकार से निकल जायेंगी और छोटी कम्पनियां इसके अन्तर्गत आ जायेंगी ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) सच्चर समिति ने सिफारिश की है कि सार्वजनिक क्षेत्र को भी एकाधिकारिक, अवरोधक और अनुचित व्यापार प्रथा के सम्बन्ध में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की परिधि में लाना चाहिए। समिति सार्वजनिक क्षेत्र की राज्य के हाथों में आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण के सम्बन्ध में छूट की विरोधी नहीं है क्योंकि इस प्रकार की छूट जनहित में है बशर्ते कि वह एकाधिकार के विरुद्ध प्रतिकारी शक्ति तैयार करती रहे।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

टेलीफोन कर्मचारियों द्वारा निजी टेलीफोनों का अनाधिकृत प्रयोग

246. **श्री मानिक रेड्डी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में टेलीफोन कर्मचारियों द्वारा निजी टेलीफोन को कनेक्शन "प्रिय आदमियों" को देने सहित उनका अनधिकृत प्रयोग करने के बारे में प्रयोक्ताओं से कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन शिकायतों का कोई समाधान किया गया है; और

(ग) यदि कोई कर्मचारी दोषी पाया गया है तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) कभी-कभी उपभोक्ताओं द्वारा बिल प्राप्त कर लेने के द इस प्रकार की शिकायतें मिलती हैं। इस प्रकार के मामलों में दोषी टेलीफोन कर्मचारियों, यदि कोई हों, का पता लगाना इसलिए संभव नहीं हो पाता क्योंकि इसमें अत्यधिक विलंब हो गया होता है।

यदि वास्तविक टेलीफोन करने वाले का पता चल जाता है, तो प्रभावित उपभोक्ताओं के बिल में छूट दी जाती है जबकि बाद के बिल उन उपभोक्ताओं के नाम जारी किए जाते हैं, जिन पर लाइन बदल कर टेलीफोन करने का संदेह हो।

हल्की लकड़ी का उपयोग करने वाले उद्योग

247. **डा० के० जी० अदियोडी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने मुख्य उद्योग बांस, रीड, यूकेलिप्टस जैसी हल्की लकड़ी का उपयोग कर रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में इन उद्योग में अधिष्ठापित्त क्षमता कितनी थी और वास्तविक उत्पादन कितना था;

(ग) क्या ये उद्योग वास्तविक अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग कर रहे हैं, यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) कच्चे माल की कम सप्लाई, तालाबन्दी आदि से प्रभावित उद्योगों के नाम (राज्यवार) क्या हैं; और

(ङ) सरकार ने कच्चे माल की कमी को पूरा करने और अन्य बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) देश में 23 एकक बांस, रीड़, यूकेलिप्टस जैसी हल्की लकड़ी का उपयोग करके कागज का गत्ता बना रहे हैं।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों में इन एककों की अधिष्ठापित्त क्षमता, उनका उत्पादन और

क्षमता उपयोग निम्न प्रकार रहा :—

वर्ष	अधिष्ठापित क्षमता	उत्पादन	क्षमता उपयोग
1993	11,60,860	7,46,370	64 प्रतिशत
1984	11,60,860	7,85,240	67 प्रतिशत
1985	11,72,360	7,90,370	67 प्रतिशत

वित्तीय बाधाओं, प्रबन्धकीय खामियों, कच्चे माल की कमी आदि जैसी विभिन्न बाधाओं के कारण इन एककों का क्षमता उपयोग कम रहा।

(घ) जिन एककों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, वे निम्नलिखित हैं :—

(1) असम	अशोक पेपर मिल्स
(2) बिहार	रोहतास इण्डस्ट्रीज
(3) पश्चिम बंगाल	(1) टीटागढ़ पेपर मिल्स
	(2) बंगाल पेपर मिल्स

(ङ) उपर्युक्त उपचारात्मक अभ्युपाय तैयार करते समय उद्योग, सरकार, वित्तीय संस्थानों और अन्य सम्बन्धित अभिकरणों द्वारा कागज उद्योग की समस्याओं को ध्यान में रखा जाता है। कुछ एककों ने आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन आरम्भ किया है ताकि कच्चे माल का अधिकाधिक किफायती उपयोग अधिक उत्पादन ऊर्जा की खपत में कमी, गुणवत्ता में सुधार, प्रदूषण नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके तथा गत प्रयोगता को रोका जा सके। कागज उद्योग को उत्पादन शुल्क में रियायती कर, और आयातित कच्चे माल पर लगने वाले सीमा शुल्क में कटौती करके उसे समाप्त करके अनेक राजकोषीय राहतें प्रदान की गई हैं। उद्योग के लिए कोयले का आबंटन बढ़ाकर अवस्थापना सम्बन्धी सहायता में सुधार किया गया है।

[हिन्दी]

रामगढ़, जैसलमेर में गैस पर आधारित ताप विद्युत केन्द्र

248. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामगढ़ (जैसलमेर) में गैस पर आधारित ताप विद्युत केन्द्र की क्षमता क्या होगी;

(ख) उपर्युक्त विद्युत केन्द्र के निर्माण के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) उपर्युक्त विद्युत केन्द्र जैसलमेर जिले को विद्युत सप्लाई करने के लिए कब तक तैयार हो जाएगा?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड द्वारा प्रस्तावित रामगढ़ में गैस पर आधारित 3 मेगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता वाली विद्युत परियोजना को राज्य की सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने को स्वीकार कर लिया गया है। परियोजना को पूरा करने के कार्यक्रम के बारे में निर्णय, उपस्कर के लिए आर्डर देने के पश्चात् राज्य बिजली बोर्ड द्वारा लिया जा सकेगा।

[अनुवाद]

तेल पाए जाने वाले स्थान

249. **श्री मदन पांडे : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा अन्य पेट्रोलियम पदार्थ हाल ही में कहां-कहां पर पाए गए हैं; और

(ख) इन स्थानों पर तेल संसाधनों की अनुमानित मात्रा कितनी है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) अप्रैल, 1985 से जनवरी, 1986 के दौरान देश के निम्नलिखित क्षेत्रों में तेल तथा गैस मिली है :

राज्य	स्थान/क्षेत्र	क्या निकला
तटवर्ती		
आन्ध्र प्रदेश	नरसापुर	गैस
	ताटी पाका	गैस
	काजा	गैस
असम	टिनखोंग-तिनाली	आयल
	राजगढ़	आयल
गुजरात	कर्जेसन	गैस
	पाखाजन	आयल
तमिलनाडु	नरीमनम	आयल एण्ड गैस
अपतट		
पश्चिमी तट	बी-147	गैस
	पाना ईस्ट	आयल एण्ड गैस
	डी-18	गैस
	डी-172	आयल एण्ड गैस

(ख) उपर्युक्त खोज अन्वेषणात्मक है यथा तेल और गैस के भण्डारों की मात्रा का पता उन क्षेत्रों की रूपरेखा बनाने के बाद ही लग सकेगा।

केरल में खाना पकाने की गैस की एजेन्सियों की संख्या

250. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केरल में खाना पकाने की गैस की एजेन्सियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या मौजूदा एजेंसियां केरल की सम्पूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समक्ष हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या वहां पर नई एजेन्सियां खोलने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) इस समय केरल में एल० पी० जी० के 96 वितरक काम कर रहे है।

(ख) से (घ) हालांकि इस समय मौजूदा उपभोक्ताओं की ये वितरणशिपें सेवा कर रही हैं फिर भी और स्थानों पर पहुंचने तथा नए उपभोक्ताओं के लिए तब उद्योग द्वारा नई वितरणशिपें स्थापित करने की योजना है। प्रस्तावित वितरणशिपों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

तेल उद्योग द्वारा अपनी विभिन्न विपणन योजनाओं में केरल राज्य में खोली जाने वाली प्रस्तावित एल० पी० जी० वितरण शिपों का विवरण

इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड

1. चित्तौड़/थाटामंगलम
2. पुणेलर
3. अडोर/पोराकेडा
4. नयतीनकरां
5. वाइपिन
6. पठानापुरम
7. नेंडुमंगड
8. पारावीर
9. कंजीरापल्ली/पेनकुनाम
10. हरीपद
11. वेदानापल्ली/त्रिपरयार
12. नेनमरा/अयालुर
13. चेराई/ईदानुकड
14. त्रिवेन्द्रम (2 स्थान)
15. कुट्टूपरम्बा
16. अम्बालापुजा
17. कैपामंगलम
18. मनारघाट
19. त्रिचुर
20. कटाकडा
21. फिरोका
22. पालघाट/पेडुसरी
23. अरुर
24. चतहनूर
25. वडाकनोहेरी
26. नीमाम
27. मलापली
28. स्योंनड नार्थ/रयोंनाड साउथ
29. अरासला
30. मनालौर

31. चिरायिनकिल
32. क्वीलिन
33. पैराम्बरा
34. थामरसरी
35. पयाली
36. परापनागडी
37. अरनमुला
38. कूमेली
39. मटानुर
40. त्रिउरागंडी
41. कुनामंगलम
42. कुलैंगुडा
43. निलाम्बुर
44. पुत्युपल्ली
45. कोनी
46. कराकुलम
47. कोचीन (2 स्थान)
48. अंचल
49. मनाथवडी
50. मन्नार
51. पैम्पडी
52. किलीकलूर/कटामकरा

भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड

53. कोचीन
54. उलौर
55. त्रियुवेला
56. अल्म्पी
57. बालाराम्पुरम
58. पेरीन्थल माना
59. कलपोट्टा
60. पोन्ननी
61. पोरामेडा
62. थोडूपूषा
63. इदूकी
64. मुन्नार

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड

65. कालीकट (2 स्थान)
66. त्रिचुर
67. बेपोरी
68. कुम्बला
69. कोचीन
70. त्रिवेन्द्रम
71. एलैम्पसी
72. तालीपराम्भा
73. केडीयारी
74. पालीघाट

आन्ध्र प्रदेश के प्रकाशम तथा तथा गुंटर जिलों में टेलीफोन सेवा में सुधार

251. श्री सी० सम्बु : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के प्रकाशम तथा गुंटूर जिलों में कितने कंप्यूटरीकृत टेलेक्स तथा माइक्रोवेव प्रणाली एक्सचेंज आरम्भ करने का प्रस्ताव है;

(ख) आन्ध्र प्रदेश के प्रकाशम तथा गुंटूर जिलों में टेलीफोनों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए अन्य क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) गुंटूर जिले में चिल्कालूरीपेट में अभी हाल ही में 20 लाइनों का एक छोटा कंप्यूटरीकृत टेलेक्स एक्सचेंज चालू किया गया है। इन जिलों में फिलहाल कोई और इलेक्ट्रानिक टेलेक्स एक्सचेंज संस्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है। निम्नलिखित माइक्रोवेव योजनाएं कार्य कर रही हैं अथवा उनकी योजना बनाई गई है :

1. गुंटूर तेनाली-बिजयवाड़ा (कार्यरत)

2. गुंटूर नरसरावपेट (यू० एच० ए० कार्यरत)

3. गुंटूर चिल्कालुरीपेट सत्तनाहल्ली—योजना बनाई गई है।

(ख) और (ग) इन जिलों में टेलीफोन प्रणाली संतोषजनक है। सेवा में और सुधार की दृष्टि से नैत्यक जांच की जाती है तथा शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। परियात की उपयुक्तता के आधार पर अतिरिक्त ट्रंक सर्किट प्रदान किए जाते हैं। विभाग द्वारा टेलीफोन सेवाओं को आवधिक रूप से मानीटर किया जाता है तथा जहां सुधार की गुंजाइश होती है तत्काल कार्रवाई की जाती है।

आटोमोबाइल उद्योग में मन्दी

252. **श्री वी० एस० विजयराघवन :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आटोमोबाइल उद्योग में मन्दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का तेल की बचत करने के लिए इस क्षेत्र में क्षमता के विकास पर रोक लगाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं। किन्तु केवल वाणिज्यक गाड़ियों के मामले में बिक्री में वृद्धि प्रत्याशा से कुछ कम है।

(ख) प्रश्न ही रहीं उठता।

(ग) अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र में पर्याप्त क्षमता स्वीकृत की गई है। नीति यह है कि गाड़ियों की ईंधन क्षमता में सुधार करके पेट्रोलियम उत्पादों का इष्टतम उपयोग किया जाय।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

महाराष्ट्र के धूले जिले तारघर खोलना

253. **श्री माणिक राव होडल्या गावीत :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य के सबसे अधिक पिछड़े/आदिवासी धूले जिले में तारघरों की अनुपलब्धता के कारण उस जिले में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त जिलों में 5,000 जनसंख्या वाले प्रत्येक टाउन में नए तारघर खोलने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। धूले जिले में पर्याप्त तार सुविधाएं उपलब्ध हैं जिसमें एक विभागीय तारघर तथा तार सुविधाओं वाले 43 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन हैं।

(ख) धूले जिले में 5,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में संयुक्त डाक-तार घर (तारघर) उपलब्ध हैं।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में बिजली परियोजनाओं की क्रियान्वितों में विलम्ब होना

254. **श्री सुरेश कुरूप :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में विभिन्न बिजली परियोजनाओं की क्रियान्वितों में अत्यधिक विलम्ब होने के कारण इन परियोजनाओं की लागत में भारी वृद्धि हो गई है;

(ख) ऐसी परियोजनाओं के नाम क्या हैं और इनका मूल परिव्यय कितना था और बढ़ी हुई लागत कितनी है; और

(ग) इनकी क्रियान्विती में विलम्ब होने के मुख्य कारण क्या हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) विद्युत परियोजनाएं स्थापित करना एक जटिल कार्य है जिसमें विभिन्न एजेन्सियां शामिल हैं तथा विभिन्न व्यापक निवेशों को सिलसिले-वार लगाया जाना अपेक्षित होता है। किसी एक एजेन्सी की ओर से विलम्ब होने अथवा महत्वपूर्ण सामग्री की सप्लाई बेमेल होने से समय और लागत में वृद्धि हो जाती है।

केवल परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्बों के कारण लागतों में सही-सही वृद्धि को बता पाना कठिन है क्योंकि अन्य विभिन्न पहलुओं के कारण भी लागत में वृद्धि होती है जैसे कि कीमतों में आम वृद्धि, उपस्कर सामग्रियों आदि की कीमतों में वृद्धि।

केरल में विद्युत परियोजनाओं के सम्बन्ध में समय और लागत में वृद्धि तथा उनके क्रियान्वयन में हुए विलम्ब के कारण दिखाने वाला ब्यौरा संलग्न-विवरण में दिया गया है।

विवरण

केरल राज्य में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं

क्र० सं०	परियोजना का नाम और क्षमता मेगावाट में	मूल लागत (करोड़ रु० में)	संशोधित अनुमानित लागत (करोड़ रु० में)	चालू करने का मूल कार्यक्रम	चालू करने की संभावित तारीख	विलम्ब के कारण
1	2	3	4	5	6	7
1.	इदामलयार (2×37.5 मेगावाट)	23.40	89.00	78-79	यूनिट-1 को जुलाई, 85 में रोटेट कर दिया गया था। यूनिट-2 1986-87	ठेकेदारी सम्बन्धी समस्याएं पर्याप्त निधियां उपलब्ध न होना, विद्युत सुरंग में संशोधन कार्य।
2.	इदुक्की चरण-दो (3×130 मेगावाट)	31.68	80.00	84-85	यूनिट-1 को अक्तूबर, 85 में चालू कर दिया गया था। यूनिट-2 फरवरी, 86 यूनिट-3 1986-87	ठेकेदारी सम्बन्धी समस्याएं उपस्कर, यूनिट की सुपुर्दगी में विलम्ब/उत्थापन में समस्याएं।
3.	कक्कड़ (2×25 मेगावाट)	18.60	50.00	84-85	89-90	ठेकेदारी सम्बन्धी समस्याएं, पर्याप्त निधियां उपलब्ध न होना।

1	2	3	4	.5	6	7
4.	कल्लड़ (2×7.5 मेगावाट)	11.80	12.50	84-85	89-90	ठेकेदारी सम्बन्धी समस्याएं, पर्याप्त निधियां उपलब्ध न होना, उपस्कर की सुपुर्दगी में विलंब/समस्याएं।
5.	लोअर पेरियार (3×60 मेगावाट)	88.43	142.07	89-90	90-91	विद्युत उत्पादन यूनिटों के लिए आर्डर देने तथा विभिन्न सिविल कार्यों के पूरा होने में विलम्ब।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसरों के लिए सुविधाएं/योजनाएं

255. **श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को विशेषकर महिलाओं को रोजगार/अर्घ-रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इस समय दी गई सुविधाओं/लागू योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन योजनाओं में ग्रामीण और शहरी महिलाओं को अम्बर चरखा उपलब्ध कराने की योजना भी शामिल की गई है;

(ग) क्या सरकार का यह विचार है कि इन चरखों से उनको जी विकापार्जन में सहायता मिलेगी;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) एक विवरण संलग्न है

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) चरखे बांटने सम्बन्धी कार्यक्रम का सातवीं योजना अवधि के दौरान विस्तार किए जाने का विचार है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

1. खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्रों में चलाए गए खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रम से महिलाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलते हैं। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग प्रशिक्षण, उपकरणों की पूर्ति, कार्य करने की शैडों और गोदामों को बनाने, कच्चा माल खरीदने, उत्पादन तथा विपणन के लिए कार्यशील पूंजी हेतु सहायता प्रदान करता है। यह आयोग सहकारी समितियों को अंश-पूंजी के लिए तथा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत संस्थानों को पूंजी संरचना ऋण देता है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम की अनुसूची में शामिल अनेक ग्रामोद्योग जैसे वनों में मिलने वाले पौधों और फलों के एकत्रीकरण, गोंद रेजिन के विनिर्माण, कत्था के विनिर्माण, कुटीर दियासलाई उद्योग, बांस तथा बेंत कार्य आदि तथा खादी से महिलाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। खादी में, कताई सम्बन्धी कार्य लगभग पूरी तरह महिलाओं द्वारा ही किया जाता है।

2. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को उनकी आय बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की एक विशेष योजना के रूप में वर्ष 1982 में 22 राज्यों के 50 चुने हुए जिलों में एक पायलट परियोजना के आधार पर महिलाओं और बच्चों के विकास का एक कार्यक्रम चलाया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की महिला सदस्यों की ओर ध्यान देना है ताकि स्वयं पोषण के आधार पर आय पैदा करने सम्बन्धी कार्यों के लिए विभिन्न अवसरों का सृजन करके उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सके। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को शिशु देखरेख सुविधाओं के रूप में सहायताकारी सेवाएं दी जाती हैं।

3. 1979 में आरम्भ की गई ट्राइसेम योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लक्ष्यबद्ध परिवारों के समूह से सम्बन्धित ग्रामीण युवकों (18-35 वर्ष आयु) को तकनीकी प्रशिक्षण देना है जिससे कि वे कृषि और सहायक कार्यों, उद्योग, सेवाओं तथा व्यवसायिक कार्यों आदि में स्व-रोजगार प्राप्त कर सकें। इस योजना के अधीन प्रत्येक ग्राह्य परिवार से एक ग्रामीण चुना जाता है।

4. रोजगार/अर्ध-रोजगार दिलाने वाला एक अन्य कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम है जिसका क्रियान्वयन देश के सभी जिलों में स्थापित जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों के माध्यम से किया जा रहा है।

[अनुवाद]

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार यूनिटों की परिसम्पत्ति सीमा बढ़ाए जाने के कारण कई कम्पनियों की परिसम्पत्तियों में वृद्धि

256. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापरिक व्यवहार यूनिटों के लिए लागू परिसम्पत्ति सीमा बढ़ाए जाने के परिणामस्वरूप कई कम्पनियों की कुल परिसम्पत्तियों में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या यह कई कम्पनियों के एक में विलयन के परिणामस्वरूप भी हुआ है; और

(ग) क्या सरकार का विचार नए मानदण्डों के आधार पर पुनर्मूल्यांकन करने का है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) हां, श्रीमान् जी ।

(ख) कुछ कम्पनियों का एक में विलयन सामान्यतः विलयन की गई कम्पनियों की कुल परिसम्पत्तियों में वृद्धि का परिणाम नहीं होगा ।

(ग) उपर्युक्त (क) को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

टीटागढ़ पेपर मिल्स कम्पनी लिमिटेड पश्चिम बंगाल का प्रबन्ध ग्रहण

257. **श्री अनिल बसु** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को टीटागढ़ पेपर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, पश्चिम बंगाल का प्रबन्ध ग्रहण करने के बारे में बंगाल कागजकल मजदूर यूनियन (सी० आई० टी० यू०) 24 परगना से दिनांक 21 जनवरी, 1986 का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो यूनियन ने उक्त ज्ञापन में किन-किन मुख्य मुद्दों को उठाया है; और

(ग) उसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां ।

(ख) उक्त ज्ञापन में सरकार से टीटागढ़ पेपर मिल्स के यूनिट नं० 1 से तालाबन्दी उठाने और यूनिट नं० 2 को बन्द करने के नोटिस को वापिस लेने, निदेशक-मण्डल का पुनर्गठन करके कम्पनी के प्रबन्ध में सरकार द्वारा सक्रिय सहयोग करने और कम्पनी के प्रबन्ध के अभिग्रहण का भी अनुरोध किया गया है ।

(ग) वित्तीय संस्थान कम्पनी के पुनरुज्जीवन और पुर्नस्थापन के लिए उपायों की समीक्षा करने में संलग्न हैं । उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनी के प्रबन्ध के अभिग्रहण का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

पश्चिमी जर्मनी की डायमलर बेंज को रायल्टी की अदायगी

258. **श्री राममूर्ति भट्टम** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी की डायमलर बेंज जो मर्सिडीस कार बनाती है जिसका बजाज टम्पू के साथ सहयोग है, को 10 वर्ष की अवधि में 3.5 प्रतिशत की रायल्टी की अदायगी उद्योग मन्त्रालय द्वारा मन्जूर की गई है और डायमलर बेंज को सूचित कर दिया गया है;

(ख) क्या वित्त मन्त्रालय के हस्तक्षेप से 7 वर्ष की अवधि के लिए रायल्टी की अदायगी को घटाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस प्रकार के परिवर्तन से सरकारी घोषणाओं और संदेशों की विश्वसनीयता का अतिक्रमण नहीं होगा ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) सात वर्षों की ही अवधि में 3.5% की रायल्टी की मन्जूरी के बारे में भारतीय कम्पनी मे० बजाज टेम्पो लिमिटेड की सूचना दे दी गई थी ।

(ख) से (घ) वित्त मन्त्रालय की सलाह पर इस मामले पर फिर से विचार किया जा रहा है ।

तेल उत्पादन में आत्म-निर्भरता

259. **श्री मुरलीधर माने** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में कच्चे तेल का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कच्चे तेल का कितना उत्पादन होने का अनुमान है;

(ग) क्या कच्चे तेल का उत्पादन वर्ष 1985-90 की अवधि के दौरान देश की कच्चे तेल की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त होगा; और

(घ) यदि हां, तो कच्चे तेल के उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) 102.7 मि० मी० टन ।

(ख) 159 मि० मी० टन।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाने तथा आत्म-निर्भरता की ओर बढ़ने के लिए प्रस्तावित कदमों में कुछ ये हैं—

(एक) अन्वेषण में तेजी लाना जिससे उत्पादन में वृद्धि हो ।

(दो) वर्क ओवर गतिविधियों को तेज करना ।

(तीन) अधिक तेल निकालने की तकनीकों का प्रयोग ।

(चार) उच्च प्रोद्योगिकी का प्रयोग।

(पांच) उपभोग में वृद्धि को रोकने के उद्देश्य से संरक्षण उपाय।

हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंज

260. श्री के० डी० सुल्तानपुरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दोरान हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में कितने टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ये एक्सचेंज किन-किन स्थानों पर स्थापित किए गए; और

(ग) किन-किन टेलीफोन एक्सचेन्जों को उपग्रह के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 1986-87 के दौरान हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में 15 टेलीफोन एक्सचेन्ज खोलने का प्रस्ताव है।

(ख) जानकारी संलग्न-विवरण में दी गई है।

(ग) काल्पा और कोलांग एक्सचेन्जों को उपग्रह माध्यम से जोड़ने का प्रस्ताव है।

विवरण

हिमाचल प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गए एक्सचेन्जों के नाम

1983-84	1984-85	1985-86 अब तक खोले गए	31-3-86 तक खोले जाने वाले प्रस्तावित एक्सचेन्ज
1	2	3	4
1. कुथेरा	1. स्वरघाट	1. इंदोरा	1. खोरा
2. दादासिबा	2. मारमौर	2. बारा	2. मानीकरन
3. घेरविन	?. चौउरा	3. सुखबैन	3. लांझ
4. धनेता	4. भुरानी	4. खुनदुन	4. मसरेहर
5. फतेहपुर	5. गलोरे	5. मोहरियन	5. थिर सालुही
6. भांग	6. लांबली		6. पंजवार
7. बरोह	7. तोनीदेवी		7. बरमाना
8. सतौम	8. गांगथ		8. बाड़ागांव
9. दारोह	9. कंदवाल		9. नागली
10. भेरा	10. राक्कर		10. जावली
11. बुनेरा	11. रानीताल		11. बैरे

1	2	3	4
12. संतोखगढ़	12. सुनही		
13. हरिपुर [कुल]	13. धरमपुर		
14. परोर	14. कोट्टी		
15. देओथी	15. पद्दर		
16. नैना-टिक्कर	16. नगवायन		
17. टिक्कर	17. घना हट्टी		
18. नन्दपुर	18. रावलखैर		
19. देवरी-खेनेती	19. शीलघाट		
	20. धौली खान		
	21. बड्डी		
	22. मानगढ़		
	23. राम शहर		
	24. सोहरी तकोली		

वृहत बम्बई में डाकघर इमारतों का निर्माण

261. **श्री शरद दिघे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वृहत बम्बई में डाकघर इरारतों के निर्माण के कितने भूखण्ड आरक्षित और अधिगृहीत किए गए हैं जो अभी भी खाली पड़े है;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त डाकघर इमारतों के तेजी से निर्माण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) ग्रेटर बम्बई में डाकघर की इमारतों के लिए 16 प्लाटों का अधिग्रहण कर लिया गया है। ये सभी प्लाट खाली हैं।

(ख) (एक) डाकघरों के लिए जिन प्लाटों का पहले ही अधिग्रहण किया जा चुका है तथा जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है, उनका ब्यौरा इस प्रकार है—

प्लाट का नाम	क्षेत्र
1	2
	(वर्ग मीटर में)
(1) बैकवे रेक्लमेशन	766.08
(2) बान्द्रा पूर्व	1108.00

1	2
(3) चाकला एम० आई० डी० सी०	855.00
(4) डी० एन० नगर, अन्धेरी	1000.00
(5) सिद्धार्थ नगर, गोरेगांव	1000.00
(6) आजाद नगर, अन्धेरी	896.34
(7) उन्नत नगर, गोरेगांव	506.04
(8) मोतीलाल नगर, गोरेगांव	1331.81
(9) पोईसर, कंडीवल्ली	736.05
(10) गोरे रोड, बोरीवली	745.81
(11) बहीसर	592.19
(12) कुरला	571.30
(13) टैगोरनगर, बिखरोली	1000.00
(14) कन्नामवारमगर, बिखरोली	2200.00
(15) पोवई	1226.76
(16) मांदूप पूर्व	549.25

(दो) इसके अलावा, ऐसे अन्य प्लाट भी हैं जिन्हें डाक विभाग के लिए निर्धारित किया गया है। तथापि प्लाटों की उपयुक्तता और वास्तविक उपलब्धता जैसे विभिन्न पहलुओं पर इनका कब्जा लेना निर्भर करता है।

(ग) संसाधनों की दिक्कत होने के कारण इन प्लाटों पर इमारतों का निर्माण कार्य शुरू करना सम्भव नहीं हो सका।

(घ) सातवीं योजना में इनमें से कुछ प्लाटों पर इमारतों का निर्माण करने का प्रस्ताव है बशर्ते कि इसके लिए धन उपलब्ध हो जाए।

केरल में भारी उद्योग की स्थापना

262. **श्री टी० बशीर :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजनावधि के दौरान केरल में भारी उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) केरल में सरकारी क्षेत्र में एक भारी इंजीनियरी एकक पहले से ही है अर्थात् कलमश्शेरी में एच० एम० टी० लिमिटेड का एकक। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उस राज्य में सरकारी क्षेत्र में भारी इंजीनियरी परियोजना स्थापित करने के लिए इस समय कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में अशोधित तेल की आवश्यकता पूरी करने के लिए उठाए गए कदम

263. **श्री गुरुदास कामत :**
श्री एन० टोम्बी सिंह :
श्री हुसेन दलवाई :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के दौरान भारत में अशोधित तेल के उत्पादन से देश की आवश्यकता पूरी हो जाएगी;

(ख) यदि नहीं, तो पंचवर्षीय योजना के दौरान अशोधित तेल की आवश्यकताओं की तुलना में कितने प्रतिशत तेल का आयात किया गया; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देशीय बाजार में अशोधित तेल की आवश्यकता पूरी करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है, और उसका क्या लक्ष्य रखा गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) देश की पेट्रोलिलम (क्रूड और क्रूड के बराबर उत्पादों) की देश की आवश्यकता की लगभग 55% की पूर्ति छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में हुए उत्पादन से हुई और शेष का आयात किया गया।

(ग) हाइड्रोकार्बन के भण्डारों और क्रूड आयल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं—

(1) अन्वेषण को तीव्र करना जो अन्ततः उत्पादन वृद्धि की ओर ले जाएगा।

(2) वर्क ओवर कार्य में तेजी लाना।

(3) वृद्धात्मक तेल प्राप्त तकनीक का प्रयोग।

(4) उन्नत तकनीक को अपनाना। सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्रूड आयल के उत्पादन का लक्ष्य 159 मिलियन टन है।

ऊर्जा विकास परिषद्

264. **श्री पी० एम० सईद :** क्या **ऊर्जा मंत्री** ऊर्जा विकास परिषद् की स्थापना के बारे में 3 दिसम्बर, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2293 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित ऊर्जा विकास परिषद् के गठन और कार्य आदि के बारे में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) उपर्युक्त परिषद् के सदस्यों के नाम क्या हैं और क्या इसमें राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) प्रस्तावित ऊर्जा विकास परिषद की संरचना तथा इसके कार्यों के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

राज्यों को लेवी कागज का आबंटन

265. **श्री पी० नामग्याल : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान अलग-अलग राज्यवार विभिन्न कागज मिलों से अभ्यास पुस्तिकाओं के निर्माण और पाठ्य-पुस्तकों के मुद्रण के लिए लेवी कागज को कितनी मांग प्राप्त हुई है और इसका कितना आबंटन किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि कागज नियन्त्रक द्वारा नियमित आबंटन किए जाने के बाद भी कुछ कागज मिलें कागज नियंत्रक के निदेशों का उल्लघन कर रही हैं और अपने उत्पादों को अन्यत्र भेज रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या उल्लंघन करने वाली मिलों तथा चूक करने वालों की एक सूची तथा उनके विरुद्ध उठाए गए कदमों तथा विभिन्न राज्यों को भविष्य में लेवी कागज की नियमित सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा सभापटल पर रखा जाएगा ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) अभ्यास पुस्तिकायें बनाने तथा पाठ्य-पुस्तकें छापने के लिए राज्यों/संघ क्षेत्रों के शिक्षा क्षेत्रों को छपाई के सफेद कागज का आबंटन, इस प्रकार के कागज की उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक राज्य/संघ क्षेत्र में विद्यार्थियों की संख्या को देखकर किया जाता है। 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान किए गए आबंटनों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) विभिन्न कागज मिलों द्वारा आबंटित कोटे की तुलना में छपाई का सफेद कागज की कम मात्रा भेजे जाने के बारे में समय-समय पर शिकायतें मिलती रहती हैं। इनकी ओर मिलों का ध्यान आकर्षित कराया जाता है और आपूर्ति शीघ्र करने के लिए आवश्यक निदेश दिए जाते हैं। आपूर्ति स्थिति की समीक्षा करने तथा पिछली आपूर्तियों की कमी, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए मिलों के प्रतिनिधियों के साथ सावधिक बैठकें बुलाई जाती हैं। सरकार 16 जनवरी, 1986 से छपाई के सफेद कागज के मूल्यों में 800 रु० प्रति मी० टन की वृद्धि करने पर सहमत हो गई है।

विवरण

वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान किए गए छपाई के सफेद कागज के आबंटनों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

		1984-85			1985-86		
क्रमांक	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	पाठ्य पुस्तकें	अभ्यास पुस्तिकायें	योग	पाठ्य पुस्तकें	अभ्यास पुस्तिकायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	4891	3929	8820	4655	3724	8379

1 2	3	4	5	6	7	8
2. असम	1898	2679	4577	1930	2055	3985
3. बिहार	3025	4672	7697	4084	2838	6922
4. गुजरात	4002	3207	7209	3813	1543	5356
5. हरियाणा	4553	1123	5666	1348	1080	2428
6. हिमाचल प्रदेश	1263	419	1682	476	383	859
7. कर्नाटक	3985	2781	6766	3502	2811	6313
8. केरल	4712	3849	8551	4515	3615	8130
9. मध्य प्रदेश	4144	3327	7471	3482	2904	6386
10. महाराष्ट्र	7564	6084	13648	6884	5780	12664
11. मणिपुर	184	150	334	182	148	330
12. नागालैंड	132	65	197	474	81	555
13. उड़ीसा	2233	1792	4025	2128	1705	3833
14. पंजाब	2392	1713	4105	2940	1646	4586
15. राजस्थान	4305	2167	6472	3110	2089	5199
16. सिक्किम	184	147	331	233	195	428
17. तमिलनाडु	5642	5593	11235	6138	4283	10421
18. उत्तर प्रदेश	11046	8875	19921	11408	8529	19937
19. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	35	29	64	26	22	48
20. पश्चिम बंगाल	4787	2075	6862	5044	4051	9095
21. चण्डीगढ़	90	72	162	90	74	164
22. दिल्ली	1163	1180	2343	1155	960	2105
23. गोवा, दमन और दीव	176	140	316	171	138	309
24. मिजोरम	102	81	183	220	104	324
25. पांडिचेरी	97	82	179	96	78	174
26. जम्मू और काश्मीर	511	411	922	502	303	805

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	मेघालय	205	166	371	202	164	366
28.	त्रिपुरा	1001	807	1808	609	530	1139
29.	अरुणाचल प्रदेश	19	14	33	58	60	118
30.	लक्षद्वीप	7	4	11	8	4	12
31.	दादर और नगर हवेली	7	4	11	8	4	12
	योग	74355	57627	131972	66491	51901	121382

केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम को औद्योगिक सालवेन्ट संयन्त्र के लिए लाइसेंस

266. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय औद्योगिक लाइसेंस समिति ने केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम को एक औद्योगिक साल्वेन्ट संयंत्र की स्थापना के लिए कोई लाइसेंस दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में खाना पकाने की गैस की सप्लाई में विलम्ब होना

267. **श्रीमती किशोरी सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सहित देश के विभिन्न भागों में वर्तमान प्रयोक्ताओं को खाना पकाने की गैस को सप्लाई करने में काफी विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वर्तमान प्रयोक्ताओं को गैस सप्लाई करने में औसतन कितना समय लगता है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) 31-1-1986 को देश के कुछ भागों में एल० पी० जी० सिलेण्डरों की आपूर्ति में कुछ देरी हो रही है। पीक सीजन (सर्दी का मौसम) की मांग को पूरा करने में देरी होने के कारण ये हैं : कुछ क्षेत्रों में अपर्याप्त बाटलिंग क्षमता परिवहन अड़चनें, औद्योगिक सम्बन्ध वितरकों की समस्याएं तथा रास्ता रोको और "बन्द" के कारण सप्लाई में रुकावट आदि।

(ग) तेल कम्पनियों से एल० पी० जी० के वितरकों को इस बात के अनुदेश हैं कि उपभोक्ता से अनुरोध प्राप्त होने के 48 घंटे के अन्दर ही रिफिल दे दिया जाए।

कर्नाटक और गुजरात में बिजली की कमी

268. **श्री के० वी० शंकरगौडा**
श्री बी० वी० देसाई :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बिजली की भारी कमी वाले कर्नाटक और गुजरात राज्य की सहायता करने हेतु विभिन्न कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों की सहायता करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह दोनों राज्यों में बिजली की तुरन्त सप्लाई करें;

(घ) क्या कर्नाटक के मुख्य मंत्री ने उनसे 14 जनवरी, 1986 को भेंट की थी और गत तीन वर्षों से बिजली की कमी के कारण राज्य को हो रही कठिनाई से उन्हें अवगत कराया था;

(ङ) मुख्य मंत्री से भेंट किए जाने के बाद केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार की क्या सहायता की है; और

(च) मुख्य मंत्री ने भेंट के दौरान किन मुद्दों को उठाया ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) कम जल विद्युत उत्पादन के कारण कर्नाटक विद्युत की कमी का सामना करता रहा है। ताप विद्युत यूनिटों में कई बार बंदी के कारण जनवरी, 1986 के मध्य के दौरान लगभग एक सप्ताह के लिए गुजरात में विद्युत की कमी की स्थिति बन गई थी। विद्युत की कमी की स्थिति को समाप्त करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से इन राज्यों को इष्टतम सहायता देने के लिए अनुरोध किया गया था। गुजरात अब कुल मिलाकर अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है।

(घ) जी, हां। कर्नाटक के मुख्य मंत्री ने ऊर्जा मंत्री से 13 जनवरी, 1986 को मुलाकात की थी।

(ङ) महाराष्ट्र से कर्नाटक को यथासम्भव सीमा तक फालतू विद्युत सप्लाई करने के लिए अनुरोध किया गया था।

(च) कर्नाटक के मुख्य मंत्री ने विद्युत की कमी की समस्या समेत कर्नाटक के विद्युत क्षेत्र से सम्बन्धित मामलों पर विचार-विमर्श किया था।

बिहार सरकार को विद्युत संसाधनों में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय सहायता

269. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बिहार सरकार ने अपने विद्युत संसाधनों में वृद्धि करने के लिए केन्द्र से उदार सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या केन्द्रीय सरकार ने बिहार को कोई सहायता प्रदान की है/करने का विचार है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में बिहार में विद्युत उपलब्धता की स्थिति की भी पुनरीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना अनुसार, बिहार सरकार से इस प्रकार का कोई अनुरोध हाल ही में प्राप्त नहीं हुआ है। बिहार के लिए 1986-87 के लिए वार्षिक योजना को योजना आयोग द्वारा 7-2-86 को मन्जूरी दी गई थी। राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों तथा ब्लाक अनुदानों के रूप में दी जाती है। यह किसी विशिष्ट कार्यक्रम/परियोजना से सम्बन्धित नहीं है।

(ग) और (घ) पूर्वी क्षेत्र में विद्युत की स्थिति की हाल ही में कलकत्ता में हुई बैठक में समीक्षा की गई थी। विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने, विद्युत उत्पादन यूनिटों के स्थिरीकरण, प्रचालन तथा अनुरक्षण कार्यों के लिए पर्याप्त कार्मिकों के प्रशिक्षण आदि की आवश्यकता के बारे में बिहार के प्राधिकारियों को जोर देकर कहा गया है।

केन्द्रीय तारघरों में तारों का गुम होना

270. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, नई दिल्ली, हैदराबाद, बंगलौर, पुणे, अमृतसर, जयपुर, लखनऊ, पटना और श्रीनगर के केन्द्रीय तारघरों में प्रत्येक में गत दो वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितने तार गुम हुए;

(ख) तारों के इस प्रकार गुम होने के क्या कारण हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उक्त तारघरों में प्रत्येक में गुम हुए ट्रांजिट टेलीग्रामों का प्रतिशत क्या है; और

(घ) क्या "स्टोर एण्ड फारवर्ड" टेलीग्राम, प्रणाली लागू किए जाने के बाद गुम होने वाले तारों की संख्या बढ़ी है या कम हुई है और इसके क्या कारण हैं और उसके लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां। सांख्यिकीय जानकारी संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) तार गुम होने के मुख्य कारण निम्न प्रकार हैं—

(एक) विभिन्न स्तरों पर तारों का व्यक्तियों द्वारा निपटान करते समय मानवीय भूल।

(दो) लाइनों तथा उपस्कर में तकनीकी दोष।

(ग) जानकारी अनुबंध में दी गई है।

(घ) स्टोर एण्ड फारवर्ड टेलीग्राम प्रणाली लागू करने के बाद तार गुम होने के मामलों की संख्या में कुल मिलाकर कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। संदेश गुम होने के मामलों को कम से कम करने के लिए टेलीग्राफ नेटवर्क में सुधार करने के लिए निरन्तर प्रयत्न किए जा रहे हैं।

विवरण

क्रम सं० केन्द्रीय तारघर का नाम	निम्न वर्षों के दौरान गुम हुए तारों की संख्या		निम्न वर्षों के दौरान पारगमन तारों की प्रतिशतता	
	1983-84	1984-85	1983-84	1984-85
1. कलकत्ता	37	32	नगण्य	—
2. बम्बई	5059	5450	0.020	0.017
3. मद्रास	160	147	0.001	0.001
4. नई दिल्ली	209	206	0.176	.016
5. हैदराबाद	85	71	0.003	0.002
6. बेंगलूर	12	32	0.0003	0.0007
7. पुणे	48	65	0.03	0.05
8. अमृतसर	शून्य	शून्य	शून्य	—
9. जयपुर	13	25	0.002	0.008
10. लखनऊ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11. पटना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
12. श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर)	12	10	नगण्य	—

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को हुई संचित हानि को बट्टे खाते मे डालना

271. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी उद्यम विभाग के अन्तर्गत कार्य कर रहे सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को हुई संचित हानि को बट्टे खाते में डालने का है;

(ख) यदि हां, तो इन उद्योगों की पूंजी के पुनर्निर्माण के लिए दी जाने वाली सुविधाओं की मुख्य रूपरेखा क्या है और घाटा उठाने वाले इन उद्योगों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक उद्योग को कितना एकत्रित घाटा हुआ है; और

(ग) उक्त घाटे को बट्टे खाते में डालना भविष्य में इन उद्योगों के कुशलतापूर्वक और आर्थिक रूप से सक्षम होकर कार्य करने में कहां तक सिद्ध होगा ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के जिन उपक्रमों में हानि हो रही है उनके लिए आवश्यक किसी भी वित्तीय सहायता के बारे में अभी अन्तिम रूप से कोई विचार नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

हरियाणा में छोटे टेलीफोन एक्सचेन्ज

272. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान हरियाणा राज्य में कहां और कितने स्थानों पर छोटे टेलीफोन एक्सचेन्ज खोले जाएंगे; और

(ख) प्रत्येक छोटे टेलीफोन एक्सचेन्ज के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है और उसकी क्षमता क्या होगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) हरियाणा में 1986-87 दौरान आठ नए एम० ए० एक्स-III किस्म के मिनी टेलीफोन एक्सचेन्ज खोलने का प्रस्ताव है। स्थानों के नामों का अभी पता लगाया जाना है क्योंकि अपेक्षित मांग होने और वित्तीय दृष्टि से प्रस्ताव की व्यवहार्यता पर ही मिनी एक्सचेन्ज खोले जाते हैं।

(ख) इसके लिए अलग से निधि का आबंटन नहीं किया गया है। इसे सम्बन्धित डिवीजन को दिए गए एकमुश्त अनुदान से पूरा किया जाएगा। स्थापित किए जाने वाले सभी प्रस्तावित एक्सचेन्जों की क्षमता 25 लाइनों की है।

प्रमुख नगरों को भोपाल के साथ एस० टी० डी० से जोड़ना

273. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 31 मार्च, 1986 से पहले कुछ नए प्रमुख नगर भोपाल के साथ एस० टी० डी० से जोड़े जाएंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भोपाल में ट्रंक स्वचालित एक्सचेन्ज इस वर्ष के अन्त तक बनकर तैयार हो जाएगा; और

(घ) मध्य प्रदेश के विभिन्न नगरों को उपग्रह प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़ने सम्बन्धी भावी कार्यक्रम क्या हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) इन्दौर ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेन्ज के जरिए एस० टी० डी० पर जो 120 स्टेशन पहले ही भोपाल से जुड़ चुके हैं उनके अलावा, निम्नलिखित 33 अन्य स्थानों को 31-3-1986 से पहले एस० टी० डी० प्रणाली द्वारा भोपाल से जोड़े जाने की सम्भावना है। इनमें अनेक जिला मुख्यालय भी शामिल हैं।

(1) इलाहाबाद	(5) चलकुडी
(2) अरुप्पूकोट्टै	(6) डिब्रूगढ़
(3) चिदम्बरम	(7) डिंडिगल
(4) चिंगलपुर	(8) देवास

(9) गोपी चाटिपलायम
(10) खड़गपुर
(11) कुरनूल
(12) कोविलपट्टी
(13) कंग्याम
(14) लखनऊ
(15) मन्नारगुडी
(16) मायावरम
(17) मन्दसौर
(18) नागरकोइल
(19) पल्लाडम
(20) पांडिचेरी
(21) पलाई
(22) रामेश्वरम्
(23) शिवकाशी
(24) तिरुचैंनगोडे
(25) तिरुपति
(26) तूतीकूरिन
(27) थैनी
(28) उडुमलपेर
(29) वाराणसी
(30) वेल्लोर
(31) विल्लूपुरम
(32) विरुद्धनगर
(33) वारंगल

इसके अलावा, भोपाल और विदिशा के बीच 31-3-1986 से पहले प्वाइंट-टू-प्वाइंट एस० टी० डी० सेवा उपलब्ध हो जाएगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सातवीं योजना में अनेक भू-केन्द्रों को स्थापित करने का प्रस्ताव है जो उनके औचित्य पाए जाने तथा आवश्यकता पड़ने पर आधारित होंगे। मध्य प्रदेश की मांग पर विचार किया जाएगा।

केरल द्वारा मत्स्य उद्योग के लिए मिट्टी के तेल की अतिरिक्त मांग

274. **प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल ने मत्स्य उद्योग की आवश्यकता की पूर्ति के लिए मिट्टी के तेल की अतिरिक्त मात्रा की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मांग की गई है; और

(ग) कितनी वास्तविक सप्लाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) फिशिंग क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के वास्ते 1,500 कि० लीटर मिट्टी के तेल के आबंटन के लिए अप्रैल/मई, 1985 में केरल सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ। इस उद्देश्य के लिए 1000 कि० ली० प्रतिमाह मिट्टी का तेल राज्य को दिया जा रहा है।

भारतीय उद्योग में विदेशी सहयोग का सर्वेक्षण

275. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1981 को समाप्त हुए चार वर्षों के दौरान विदेशी सहयोग के 43 प्रतिशत से अधिक प्रस्ताव विफल हो गए;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय उद्योग में विदेशी सहयोग 1977-78 से 1980-81 के भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये गये चौथे सर्वेक्षण से यह पता चलपा है कि पूर्वी यूरोप के देशों द्वारा किये गए विफल प्रस्तावों की संख्या इन देशों के साथ हुए प्रभावी समझौते से लगभग दुगनी थी; और

(ग) यदि हां तो सर्वेक्षण में अन्य किन मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है और उसमें बताए गए दोषों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

लाइसेंसशुदा क्षमता से अधिक क्षमता को विनियमित करने के लिये नियमों को उदार बनाया जाना

276. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :**

श्री आनन्द सिंह :

क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाइसेंसशुदा क्षमता से अधिक क्षमता को विनियमित करने के संबंध में हाल ही में नियमों को उदार बनाया गया है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उदारीकरण के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) अधिष्ठापित क्षमता के अधिकतम उपयोग द्वारा उत्पादन को बढ़ाने के लिए औद्योगिक उपक्रमों को समर्थ बनाने की दृष्टि से, अप्रैल, 1982 में घोषित क्षमताओं के पृष्ठांकन की योजना संशोधित रूप में फिर से शुरू की गई है, जिसके ब्यौरे औद्योगिक विकास विभाग के दिनांक 15-1-86 के प्रैस टिप्पण सं० 1 (1986) (शृंखला) में दिए गए हैं, जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय को भेज दी गई हैं ।

स्वतंत्रता सेनानियों को दी गई खाना पकाने की गैस एजेंसियां

277. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में स्वतंत्रता सेनानियों को अब तक खाना पकाने की गैस की कितनी एजेन्सियां दी गई हैं; और

(ख) वर्ष 1986 के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को कुल कितनी गैस एजेन्सियां देने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) अभी तक हरियाणा में "फ्रीडम फाइटर" श्रेणी में दो एल० पी० जी० की वितरणशिपें दी गई हैं। तीसरी के लिए चयन हो रहा है तथा इस श्रेणी में चौथी वितरणशिप को तेल उद्योग की 1985-86 की विपणन योजना में शामिल किया गया है।

[हिन्दी]

बरौनी में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना

278. **प्रो० चन्द्र भानु देवी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी तेल शोधक कारखाने तथा वहां व्याप्त बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए सरकार को बरौनी में तुरन्त एक पेट्रो-रसायन उद्योग समूह स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त उद्योग-समूह की स्थापना का कार्य कब तक आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) इस प्रकार की परियोजनाओं के स्थान का निर्णय तकनीकी आर्थिक तथ्यों के आधार पर किया जाता है। मार्च, 1981 में प्रस्तुत रिपोर्ट में भारत सरकार द्वारा गठित स्थल चयन समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि बरौनी स्थित स्थल कैप्रोलैक्टम संयंत्र तथा एरोमेटिक्स पर आधारित डाऊन स्ट्रीम यूनिट स्थापित करने के लिए उपयुक्त होगा। तदनुसार प्रति वर्ष 50,000 टन कैप्रोलैक्टम का उत्पादन करने हेतु बरौनी में एक संयंत्र स्थापित करने के लिए बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० को जुलाई, 1985 में एक आशय पत्र जारी किया गया है।

[अनुवाद]

इम्फाल स्थित टेलीफोन एक्सचेंज की मशीन को बदलना

279. **श्री एम० टोम्बी सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में इम्फाल स्थित टेलीफोन एक्सचेंज की वर्तमान मशीन को बदलकर दूसरी मशीन लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोई परिवर्तन नहीं किया जाना है।

हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची द्वारा बिजली के बिलों का भुगतान न किया जाना

288. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिजली बोर्ड द्वारा बिजली के बिलों का भुगतान न किए जाने के कारण बिजली का कनेक्शन का कनेक्शन काट दिए जाने के पश्चात् से रांची (बिहार) में हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के तीनों संयंत्रों में 11 जनवरी, 1986 से उत्पादन बन्द हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो बकाया राशि का ब्यौरा क्या है और भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) निधियों की अड़चन के कारण बिलों का भुगतान न करने से 11 और 12 जनवरी, 1986 को लगभग 33 घन्टे तक बिजली बन्द की गई थी और उत्पादन में रुकावट आई थी।

हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एच० ई० सी०) पर 11-1-1986 तक बिहार राज्य बिजली बोर्ड की 3.03 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी। इस पर बिहार राज्य बिजली बोर्ड पर एच० ई० सी० का 3 करोड़ रुपये के क्लेम पर पंच-निर्णय हो रहा है।

कोयले के मूल्य में वृद्धि

281. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला के मूल्य में वृद्धि के कारण विद्युत यूनिटों को कोयला की खरीद पर 3 प्रतिशत अधिक खर्च करना पड़ेगा; और

(ख) इस अतिरिक्त खर्च का विद्युत उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) हाल ही में कोयले की कीमतों में संशोधन पर विचार करते समय इस्पात, रेलवे और विद्युत आदि प्रमुख उपभोक्ता-क्षेत्रों पर और पूरे देश की अर्थ-व्यवस्था पर इसके बोझ को ध्यान में रखा गया था। दिनांक 9-1-19 6 से लागू कोयले की कीमतों में वृद्धि का बिजली क्षेत्र में भार 1.33 पैसे प्रति यूनिट (लगभग 3%) होने का अनुमान लगाया गया था।

मारुति बनाम सिटरोइन कार

282. **डा० चिन्ता मोहन :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिटरोइन कार ने मारुति और अन्य छोटी कारों के मुकाबले बाजार में विशेषकर अन्तिम उपभोक्ता मूल्य, बाजार फालतू पुर्जे आदि में विभिन्न फायदे देने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सिटरोइन कार का उचित समय में स्वदेशीकरण परियोजना का एक भाग है, जो मारुति के मामले में कहीं दिखाई नहीं देती है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) सिट-रोइन कार का निर्माण करने के लिए मे० एस्कार्ट्स लिमिटेड से प्राप्त आवेदन पर विचार किया जा रहा है।

नई औषध नीति

283. **श्री अख्तर हसन :**
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :
श्री चन्द्र किशोर पाठक :
श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक व्यापक औषध नीति सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो नई नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) जन साधारण को मानक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस नीति में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) नई नीति की कब तक घोषणा किए जाने की आशा है?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नीति सम्बन्धी विवरण-पत्र स्वयं स्पष्ट होगा।

(घ) शीघ्र ही।

कोयले का उत्पादन

284. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष में कोयले के उत्पादन का लक्ष्य कम कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो वह लक्ष्य कितना कम किया गया है; और

(ग) लक्ष्य कम करने के क्या कारण हैं?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिनांक 31-3-1985 को चूंकि कोयले का खान-मुहाना स्टाक अत्यधिक बढ़ गया था अर्थात् 30.4 मिलियन टन हो गया था और अनेक स्थानों पर स्वतः प्रदहन के कारण कोयले के स्टाकों में आग लग रही थी, इसलिए कोयले के उत्पादन लक्ष्य की पुनरीक्षा की गई थी और उत्पादन-लक्ष्य 158.50 मिलियन टन से घटाकर 154.5 मिलियन टन कर दिया गया था।

[हिन्दी]

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के कर्मचारियों को क्वार्टरों का आबंटन

285. **श्री राम बहादुर सिंह : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, हतिया, रांची के कर्मचारियों के लिए बनाए गए क्वार्टर उन्हें आबंटित न करके पुलिस कर्मचारियों को आबंटित कर दिए गए हैं, जो उनका किराया भी नहीं दे रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, हतिया, रांची के कर्मचारियों को क्वार्टरों का आबंटन तथा पुलिस कर्मचारियों द्वारा देय किराये की वसूली सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए एच० ई० सी० की बस्ती से पुलिस थानों में नियुक्त पुलिस कर्मियों को किराया-आधार पर हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा कुछ ही क्वार्टरों का आबंटन किया गया है। एच० ई० सी० ने देय किराये की वसूली का मामला बिहार सरकार के साथ उठाया है।

[अनुवाद]

बकाया राशि की वसूली करने के लिए सरकारी क्षेत्र की सहायता

286. **श्री एस० एम० गुरड्डी : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कैमिकल्स और फार्मास्युटिकल्स के सरकारी क्षेत्र के अनेक एककों द्वारा केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों, औषधालयों और राज्य सरकारों को सप्लाई किए गए अपने उत्पादों के बिलों की बकाया भारी धनराशि बकाया है;

(ख) सरकारी क्षेत्र के एक एकक की राशि दूसरे क्षेत्र पर बकाया रहने तथा राज्य सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के एककों को नियमित रूप से भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का सरकारी क्षेत्र के इन एककों को अपनी बकाया राशि वसूल करने में सहायता देने के लिए कोई कदम उठाने का विचार है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) शायद बजट बाधाओं के कारण राज्य सरकारों की ओर काफी मात्रा में बकाया है।

(ग) फरवरी, 1985 में राज्यों के मुख्य मंत्रियों और संघ शासित प्रशासनों के प्रमुखों से अन्य बातों के साथ सार्वजनिक क्षेत्रीय औषध कम्पनियों के बकाया बिलों का निपटान करने का अनुरोध किया गया था। अक्तूबर, 1985 में मुख्य मंत्रियों को इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड के बकाया के सम्बन्ध में दुबारा स्मरण कराया गया था।

मंगलौर में तेल शोधक कारखाना स्थापित करना

287. श्री बी० एस० कृष्णा अय्यर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर में तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो 1985-86 के दौरान कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) तेल शोधक कारखानों द्वारा कब तक कार्य शुरू करने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) 0.78 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान)।

(ग) इस रिफाइनरी को संयुक्त क्षेत्र में लगाने के लिए विभिन्न पार्टियों से प्राप्त प्रस्तावों की सरकार जांच कर रही है ।

तापीय संयंत्रों की क्षमता में गिरावट

288. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तापीय संयंत्रों की कार्यक्षमता घट रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और तापीय संयंत्रों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) । (क) और (ख) जी, नहीं । अप्रैल, 1985 से जनवरी, 1986 की अवधि के दौरान ताप-विद्युत केन्द्रों का औसत अखिल भारतीय संयंत्र भार अनुपात 51.3% था जबकि इसकी तुलना में 1983-84 में यह 47.9% था तथा 1984-85 के दौरान 50.1% था । संयंत्र भार अनुपात में और सुधार करने के लिए कई उपाय सतत रूप से किए जा रहे हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—(1) संयंत्र सुधार कार्यक्रमों को हाथ में लेने के लिए राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत केन्द्रों को सहायता देना, (2) अपेक्षित गुणवत्ता वाला कोयला आवश्यक मात्रा में प्राप्त करने तथा स्वदेशी और विदेशी स्रोतों से फुटकर पुर्जे प्राप्त करने में राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत केन्द्रों को सहायता प्रदान करना, (3) कमी वाले उन क्षेत्रों, जहां सुधार की आवश्यकता है, का पता लगाने और उसे दूर करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रमों को तैयार करने हेतु कृतिक बलों तथा रोविंग दलों द्वारा क्षेत्रों का दौरा करना, (4) इंजीनियरों और प्रचालन तथा अनुरक्षण कार्मिकों को प्रशिक्षण देना; और (5) 32 ताप-विद्युत केन्द्रों के लिए 500 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता वाली केन्द्र द्वारा प्रायोजित नवीकरण तथा आधुनिकीकरण स्कीम का कार्यान्वयन ।

[हिन्दी]

दिल्ली के यमुना पार क्षेत्र में खाना पकाने की गैस की कालाबाजारी

289. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के यमुनापार क्षेत्र में गैस सिलेण्डरों की कालाबाजारी खुलेआम चल रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) तेल उद्योग को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

मतदान की आयु सीमा घटाना

290. **श्री अमर राय प्रधान :**

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मतदान की आयु को घटाकर 18 वर्ष करने के लिए विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) हमारे देश में जो सामाजिक-आर्थिक स्थितियां व्याप्त हैं उनको ध्यान में रखते हुए, मतदान के लिए आयु का इस समय घटाया जाना व्यावहारिक या लाभप्रद नहीं समझा गया है।

राज्यवार गांवों का विद्युतीकरण

291. **श्री राम प्यारे पनिका :**

प्रो० के० के० तिवारी :

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक कितने गांवों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है;

(ख) उन गांवों की राज्यवार संख्या कितनी है जहां बिजली नहीं पहुंचाई गई है;

(ग) इन गांवों में कब तक बिजली पहुंचाए जाने की संभावना है?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार, देश में 31-12-1985 तक 3,77,783 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है।

(ख) जिन गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है, उनकी राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) देश के गांवों का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण सातवीं तथा आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान प्राप्त कर लिए जाने का अनुमान है जो कि स्रोतों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

विवरण

1971 की जनगणना के आधार पर 31-12-1985 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत किए जाने वाले गांवों की राज्यवार सख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र०सं०	राज्य	विद्युतीकृत किए जाने वाले गांव
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	4,087
2.	असम	9,448
3.	बिहार	32,984
4.	गुजरात	1,497
5.	हरियाणा	—
6.	हिमाचल प्रदेश	1,901
7.	जम्मू व कश्मीर	768
8.	कर्नाटक	3,611 (ख)
9.	केरल	—
10.	मध्य प्रदेश	28,770
11.	महाराष्ट्र	2,149
12.	मणिपुर	1,294
13.	मेघालय	3,295
14.	नागालैण्ड	278 (क)

1 2	3
15. उड़ीसा	22,950
16. पंजाब	—(+)
17. राजस्थान	13,153
18. सिक्किम	201(=)
19. तमिलनाडु	28
20. त्रिपुरा	2,780
21. उत्तर प्रदेश	48,086
22. पश्चिम बंगाल	18,614
जोड़ (राज्य)	195,956
जोड़ (संघ शासित क्षेत्र)	2,387
जोड़ (अखिल भारत)	198,343

(=) जनगणना प्राधिकारियों द्वारा राजस्व ब्लाक को सबसे छोटा प्रशासनिक यूनिट माना गया है।

(+) 62 गांव बिना आबादी वाले घोषित किए गए हैं।

(क) 31-8-1985 की स्थिति के अनुसार।

(ख) 30-11-1985 की स्थिति के अनुसार।

रांची स्थित हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन संयंत्र में संकट

292. **श्री नारायण चौबे** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रांची स्थित हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस प्रमुख औद्योगिक एकक को क्रयादेश प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है;

(ग) क्या सोवियत संघ की सहायता से स्थापित इस संयंत्र को काफी हद तक सोवियत संघ के क्रयादेश प्राप्त करने पर निर्भर रहना पड़ता है;

(घ) क्या प्रशासनिक तन्त्र में अवसर परिवर्तन होने के कारण अधिकारियों को जिम्मेवार ठहराना कठिन हो जाता है;

(ङ) क्या सरकार ने संकट के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त एकक को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची (एच० ई० सी०) में कुछ औद्योगिक अशान्ति थी और उसके परिणाम-स्वरूप उत्पादन में हानि हुई थी ।

(ख) हाल में नहीं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) औद्योगिक अशान्ति के अलावा एच० ई० सी० में वर्तमान स्थिति के लिए विभिन्न कारणों में कम उत्पादकता का होना भी शामिल है । कम्पनी की मदद करने की दृष्टि से सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जिनमें संयंत्र का आधुनिकीकरण, प्रबन्ध को मजबूत बनाना, और सम्भव सीमा तक धनराशियां देना शामिल हैं ।

सिलेंडरों में खाना पकाने की गैस कम भरे जाने के सम्बन्ध में शिकायतें

293. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :**
प्रो० पी० जे० कुरियन :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ताओं को निश्चित मात्रा से कम भरे गए खाना पकाने की गैस के सिलेण्डर बेचे जाने के सम्बन्ध में सारे देश में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या इन शिकायतों की किन्हीं उचित प्राधिकारियों द्वारा जांच की गई है अथवा कोई जांच कराई गई है;

(ग) सिलेंडरों को कम भरे जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) विपणन कम्पनियों द्वारा गैस को सिलेंडरों में कम मात्रा में भरे जाने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) देश के विभिन्न भागों से एल० पी० जी० सिलिण्डरों के कम वजन के सम्बन्ध में शिकायतें तेल विपणन कम्पनियों को अपने व्यापारिक क्रियाकलापों के दौरान प्राप्त हुई हैं;

(ख) कम्पनियों द्वारा ऐसी शिकायतों की जांच की जाती है और उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

(ग) तेल उद्योग के कुछ बाटलिंग संयंत्रों में अपेक्षित मात्रा से कम गैस भरने तथा अधिक गैस भरने के सम्बन्ध में हाल ही में सूचना मिली है । इसका कारण सर्दी में अधिकतम मांग को

पूरा करने के लिए संयंत्र के गहन उपयोग के दौरान भारी टूट-फूट होने से स्वचालित भरण मशीनों तथा तोलने की प्रणाली में खराबी आ जाना है।

(घ) तेल कम्पनियां म.ि ीं का तत्काल अनुरक्षण कर रही हैं तथा आन्तरिक जांच और नियंत्रण प्रणालियां को मजबूत कर रही हैं ।

सीमेंट उद्योग की उपलब्धि और लक्ष्य

294. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान सीमेंट उद्योग की उत्पादन उपलब्धि सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार सन्तोषजनक रही है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने उद्योग को लेवी कोटा कम करने और विभिन्न उदार उपायों की घोषणा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहायता देने की कोशिश की है परन्तु उद्योग ने इन उपायों का पूरा लाभ नहीं उठाया और अपने एककों के आधुनिकीकरण के लिए उनका कोई कार्यक्रम नहीं था; और

(ग) सरकार द्वारा सीमेंट उद्योग के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या लक्ष्य निर्धारित किए ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) अवस्थानापरक बाधाओं को ध्यान में रखते हुए, छठी पंचवर्षीय योजका में सीमेंट का उद्योग का कार्य निष्पादन संतोषजनक माना गया क्योंकि सीमेंट उत्पादन में 1979-80 के 176.2 लाख मी० टन से 1984-85 में 301.7 लाख मी० टन की वृद्धि हुई, जो 71 प्रतिशत बैठती है ।

(ख) सरकार द्वाता घोषित उदारीकरण को विभिन्न अभ्युपायों का लाभ उठाते हुए, सीमेंट उद्योग ने 2600 करोड़ रु० की कुल लागत का आधुनिकीकरण विस्तार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किया है और इस पर मार्च, 1986 तक 763 करोड़ रु० का वास्तव में संचयी व्यय हो चुका है ।

(ग) गातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के आखिरी वर्ष के लिए 490 लाख मी० टन का उत्पादन लक्ष्य रखा गया है ।

तमिलनाडु में माइलापुर-मण्डावेली एक्सचेंज का विस्तार

295. **श्रीमती वैजयन्तीमाला बाली :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु में माइलापुर-मण्डावेली क्षेत्र के लिए केवल एक ही टेलीफोन एक्सचेंज हैं;

(ख) इस एक्सचेंज की लाइन क्षमता कितनी है;

(ग) वर्ष 1985 में इस टेलीफोन एक्सचेंज में ओ० वाई० टी० तथा अन्य श्रेणियों के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शनों के लिए आवेदनों (श्रेणी-वार) की संख्या कितनी थी;

(घ) क्या नये कनेक्शनों की मांग को देखते हुए इस एक्सचेंज की वर्तमान क्षमता पर्याप्त है;

(ङ) यदि नहीं, तो इस टेलीफोन एक्सचेंज के विस्तार हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या इसकी वर्तमान कार्य क्षमता का विस्तार करने के लिए इस एक्सचेंज का नया भवन बनाने के लिए कोई भूमि आवंटित की गई थी; और

(छ) यदि हां, तो निर्माण-कार्य अब तक आरम्भ न किए जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) 6800 लाइनें।

(ग) ओ० वाई० टी० तथा अन्य श्रेणियों में आवेदन-पत्रों की संख्या इस प्रकार है :—

ओ० वाई० टी०	407
गैर-ओ० वाई० टी०	2217
योग	2624

(घ) जी नहीं।

(ङ) 1987-88 के दौरान मण्डावेली एक्सचेंज के अहाते में एक 3000 लाइनों के इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज के संस्थापन की योजना बनाई गई है।

(च) इस क्षेत्र की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए मण्डावेली में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज की संस्थापना हेतु भूमि अभिग्रहण कर ली गई है।

(छ) टेलीफोन एक्सचेंज भवन के निर्माण के लिए भवन योजना तथा प्राक्कलन की मंजूरी के लिए कारवाई की जा रही है तथा एक वर्ष के भीतर निर्माण कार्य प्रारम्भ होने की संभावना है।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम पदार्थों के उपयोग को कम करने के प्रयास

296. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बाजार में पेट्रोलियम पदार्थों का मूल्य गिरने के कारण पेट्रोलियम निर्यातक देशों (ओपेक) को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) देश में पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि करने के क्या कारण हैं जबकि पेट्रोलियम पदार्थों के 28 डालर प्रति बैरल से घटकर 20 या 18 डालर प्रति बैरल होने की संभावना है;

(ग) क्या ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत विकसित किए बिना राष्ट्रीय हितों की रक्षा और आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग कम करने के प्रयास किए गए है; और

(घ) यदि हां, तो आम आदमी को राहत देने के लिए भविष्य में क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) इस प्रकार की खबरें समाचार पत्रों में आई हैं।

(ख) पेट्रोलियम उत्पादों के उपभोग में हो रही तेजी से वृद्धि को रोकने तथा आयोजना के लिए संसाधन बढ़ाने के वास्ते कीमतों में वृद्धि की गई थी।

(ग) और (घ) पेट्रोलियम उत्पादों के प्रयोग में बचत तथा उनकी क्षमता तथा किफायत पूर्ण उपयोग के लिए ऊर्जा के विकल्पिक साधनों आदि को विकसित करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। इनसे पेट्रोलियम खरीदारी की कीमतों को कुछ सीमा तक रोकने की सम्भावना है।

राजस्थान में खाना पकाने की गैस की प्रतीक्षा सूची

297. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में खाना पकाने की गैस लेने के लिए प्रतीक्षा सूची में जिलेवार कितने व्यक्ति हैं; और

(ख) राजस्थान में प्रतिवर्ष कितने गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं और वर्ष 1986 के अन्त तक कितने कनेक्शन दिए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) 31-12-1985 को राजस्थान में खाना पकाने की गैस लेने के वास्ते लगभग 146,220 व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में थे। जिलावार विवरण इस समय उपलब्ध नहीं है।

(ख) वर्ष 1985 के दौरान, राजस्थान में 41153 कनेक्शन जारी किए गए थे। तेल उद्योग के वार्षिक नामांकन कार्यक्रम के अन्तर्गत देश में नए कनेक्शन जारी किए जाते हैं तथा ये एल० पी० जी० की उपलब्धता में वृद्धि बाटलिंग क्षमता, परिवहन व्यवस्था तथा अन्य आधारभूत ढांचे पर निर्भर करता है। राजस्थान में वर्ष 1986-87 में नए कनेक्शन तेल उद्योग के उस वर्ष के लक्ष्य के अनुसार जारी किए जाएंगे।

[अनुवाद]

केरल में खाना पकाने की गैस के सिलेन्डर निर्माताओं की शिकायतों को दूर करने हेतु उपाय

298. **श्री के० मोहन दास** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में खाना पकाने की गैस के सभी सिलेण्डर निर्माताओं को प्रयोक्त कंपनियों से पर्याप्त क्रयादेश प्राप्त हो रहे हैं; जिससे कि वे अर्थक्षम बन सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विगत में क्रयादेशों की कमी के कोई शिकायत की गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो इन शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (घ) तेल उद्योग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार केरल में एल० पी० जी० सिलिंडरों के लिए एक एकक है। वर्ष के आरंभिक चरण में पहले निर्धारित नीति के अनुसार यह एकक आर्डर देने के लिए उपयुक्त नहीं थी। तेल उद्योग ने हाल ही में इस एकक को आर्डर दिये हैं।

खंभात तथा कावेरी बेसिन में ड्रिलिंग के लिए सोवियत संघ के साथ करार

299. **श्री बी० तुलसी राम** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खंभात तथा कावेरी बेसिन में तेल की खोज के संबंध में भारत तथा सोवियत संघ के बीच कोई करार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कब तक काम आरम्भ होने की आशा है; और कितनी मात्रा में तथा किस किस्म का तेल निकाले जाने की आशा है;

(ग) क्या उक्त करार में आन्ध्र प्रदेश में गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में प्राप्त तेल निकालना भी शामिल है;

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में प्राप्त तेल केवल तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा निकाला जायेगा अथवा इसके लिए किसी अन्य देश के साथ कोई करार किया जायेगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सोवियत संस्थाएं उत्तर कैम्बे और कावेरी के तटीय बेसिनों में गहन संघटित अन्वेषण निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार करेंगी।

	उत्तर कैम्बे	कावेरी
भूकम्पीय सर्वेक्षण	3100 लाइन कि० मी०	4000 लाइन कि० मी०
खुदाई		
(एक) कुंओं की सं०	38	37
(दो) मीटरेज	81500	122000
अवधि	1986-92	1986-1995

(ग) जी, नहीं ।

(घ) दिये गये विकल्प के प्रति सोवियत पक्ष में उत्तर कैम्बे और कावेरी के तटीय बेसिनों में क्षेत्रों का चयन किया है ।

(ङ) और (च) वर्तमान योजना के अनुसार ओ० एन० जी० सी० अकेले ही तटीय कृष्णा-गोदावरी बेसिन पर तेल के कुओं की खुदाई करेगी । तथापि इस बेसिन के अपतटीय क्षेत्र में कुछ ब्लाकों को अन्वेषण के विदेशी कम्पनियों को बोली लगाने के लिये प्रस्तावित करने का निर्णय लिया गया है ।

टेलीफोन सेवा द्वारा लक्षद्वीप के द्वीपों को केरल की मुख्य भूमि से जोड़ा जाना

300. **प्रो० के० बी० थामस** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्षद्वीप समूह के कितने द्वीपों को टेलीफोन सेवा द्वारा केरल की मुख्य भूमि से जोड़ा गया है; और

(ख) द्वीपसमूह में संचार सेवा में सुधार हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 10 मुख्य द्वीपसमूहों में से केवल दो द्वीप समूह यानी कवाराती तथा मिनिकोय, केरल मुख्य भूमि के साथ टेलीफोन सेवा द्वारा जुड़े हुए हैं ।

(ख) द्वीपसमूहों की दूरसंचार सेवाओं में सुधार की दृष्टि से निम्नलिखित कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है :

(एक) अंद्रोथ, अगाथी, अमेनी और कालापानी में भू-उपग्रह स्टेशन का प्रस्ताव है । अमेनी-कडमाथ, अमेनी-किल्टन, चेतला-किल्टन तथा चेतला-बितरा के बीच यू० एच० एफ० लिंक (रेडियो प्रणाली) प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है ।

(दो) 1988-89 के लिए कवाराती हेतु एस० टी० डी० प्रदान करने का प्रस्ताव है ।

(तीन) चालू वित्त वर्ष के दौरान चेतलात में 45 लाइनों के एक टेलीफोन एक्सचेंज का प्रस्ताव है ।

[हिन्दी]

दिल्ली और बलिया तथा दिल्ली और आजमगढ़ तथा गाजीपुर के बीच एस० टी० डी० सेवा

301. **श्री जगन्नाथ चौधरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली और बलिया और आजमगढ़ तथा गाजीपुर के बीच एस० टी० डी० सेवा प्रारम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक प्रारम्भ होने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) बलिया, आजमगढ़ तथा गाजीपुर को वाराणसी ट्रक आटोमेटिक एक्सचेंज के साथ जोड़कर सातवीं योजना अवधि के दौरान इन स्थानों के लिए एस० टी० डी० सुविधाएं प्रदान करने की योजना है जहां से दिल्ली सहित अनेक स्थानों के लिए देशव्यापी उपभोक्ता डाइलिंग सुविधा प्रदान की जा सकेगी ।

[अनुवाद]

बांकुरा को दिल्ली और कलकत्ता के साथ एस० टी० डी० से जोड़ना

302. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बांकुरा को दिल्ली और कलकत्ता के साथ एस० टी० डी० से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) बांकुरा एक मैनुअल एक्सचेंज है। बांकुरा के इस एक्सचेंज को आटोमेटिक बनाने तथा बांकुरा और आसनसोल के बीच विश्वसनीय संचारण माध्यम प्रदान करने के बाद इसे आसनसोल ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज के साथ जोड़कर बांकुरा को एस० टी० डी० के लिए दिल्ली और कलकत्ता के साथ जोड़ने की योजना है ।

त्रिपुरा को सीमेंट का आबंटन

303. **श्री अजय विश्वास** : यह **उद्योग मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 और 1985 के दौरान त्रिपुरा को कुल कितनी सीमेंट की आवश्यकता थी;

(ख) उक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार ने त्रिपुरा को कितनी सीमेंट का आबंटन किया; और

(ग) इस अवधि में त्रिपुरा को वास्तव में कितना सीमेंट भेजा गया ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) राज्य सरकारों की सीमेंट की आवश्यकताओं को नियमित आधार पर प्राप्त नहीं किया जाता, न ही त्रिपुरा सरकार ने 1984 और 1985 में अपनी आवश्यकताएं सूचित की थीं ।

(ख) और (ग) वर्ष 1984 और 1985 के दौरान त्रिपुरा सरकार को (राज्य कोटे के अन्तर्गत) आबंटित लेवी सीमेंट और प्रेषित लेवी सीमेंट के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(आंकड़े हजार मी० टनों में)

वर्ष	आबटन (सिंचाई और बिजली परियोजनाओं सहित)	प्रेषण (सिंचाई और बिजली परियोजनाओं सहित)
1984	66	27
1985	67	36 (अनन्तिम)

ड्रिलिंग के लिए लगाए गए रिगों का ब्यौरा

304. **श्री अमल दत्त :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोलियम/गैस के लिए किन स्थानों पर ड्रिलिंग-कार्य किस चरण में है, चल रहा है और प्रत्येक स्थानों पर ड्रिलिंग कार्य और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) तेल/गैस का पता लगाने के लिए कितने रिंग प्रयोग किए जा रहे हैं;

(ग) क्या रिगों की वर्तमान संख्या अपर्याप्त है और कुछ मामलों में वे अनुप्रयुक्त भी है;

(घ) क्या उपयुक्त रिंग उपलब्ध न होने के कारण ड्रिलिंग कार्य में बाधा पड़ रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) निम्नलिखित स्थानों/बेसिनों में खनन कार्य चल रहा है :

कैम्बे

असम और अराकन

कच्छ-सौराष्ट्र

राजस्थान

बंगाल

कावेरी

कृष्णा-गोदावरी

अरुणाचल प्रदेश

अण्डमान अपतट

बम्बई अपतट और उत्तरी पूर्वी तट ।

इनमें से अधिकतर क्षेत्रों में किए गए अन्वेषणात्मक हैं तथा योजना के अनुसार चल रहा है ।

(ख) इस समय अन्वेषण खनन के लिए 53 रिग काम कर रहे हैं ।

(ग) मौजूदा रिग उपयुक्त हैं तथा योजना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और रिगों को खरीदने/किराए पर लेने की योजना है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के थल स्थित एकक को गैस की सप्लाई

305. **श्री डी० बी० पाटिल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में थल स्थित एकक में कच्चे माल और ऊर्जा—दोनों प्रयोजनों के लिए उर्वरकों का उत्पादन करने हेतु राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को उसकी परियोजना के लिए गैस की सप्लाई करने का दृढ़ वचन दिया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि अगस्त, 1985 से ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए गैस की सप्लाई कम कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो ऊर्जा के प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की गैस आवश्यकता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गैस की सप्लाई कम करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, नहीं। आर० सी० एफ० थाल की फीडस्टाक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही गैस देने के पक्के वचन दिए हुए हैं। ईंधन के रूप मे गैस की पूर्ति वरीयता प्राप्त उपभोक्ताओं की नियमित आधार पर आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही उपलब्ध होने पर बिल्कुल फाल बैक आधार पर ली जाती है।

(ख) और (घ) वरीयता प्राप्त उपभोक्ताओं, जिनको नियमित आधार पर गैस दी जा रही है, द्वारा अधिक गैस उठाने के कारण, सितम्बर, 1985 से फालतू उपलब्ध गैस फालबैक उपभोक्ताओं को कम मात्रा में दी जा रही है।

(ग) आर० सी० एफ० थाल की ईंधन की आवश्यकता लगभग एक मिलियन घन मीटर गैस प्रति दिन के बराबर है; इसके बायलर कोयला तथा गैस दोनों का ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं।

कारों में टेलीफोन कनेक्शन लगाया जाना

306. **श्री हुसैन दलवई : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में कारों में कितने टेलीफोन कनेक्शन लगाये गये हैं;

(ख) कलकत्ता और मद्रास जैसे अन्य महानगरों में कारों में वाणिज्यिक रूप से टेलीफोन लगाने की प्रणाली कब तक प्रारम्भ की जायेगी;

(ग) क्या कारों में लगाये जाने वाले टेलीफोनों की संख्या पर कोई प्रतिबन्ध है; और

(घ) यदि हां, तो कारों में ऐसे कितने टेलीफोन लगाये जायेंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) अभी तक दिल्ली में कारों में 38 मोबाइल टेलीफोन लगाये गये हैं।

(ख) दिल्ली में शुरू की गई इस सेवा की लोकप्रियता और व्यवहार्यता के आधार पर अन्य महानगरों में भी कार टेलीफोन सेवा शुरू करने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) दिल्ली में मोबाइल रेडियो टेलीफोन प्रणाली की सज्जित क्षमता 100 है। इस सेवा के लिए मांग होने पर इस क्षमता में वृद्धि की जा सकती है।

सिक्किम के माइक्रो-जल विद्युत परियोजनाओं से विद्युत

307. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पहाड़ी क्षेत्रों में इंधन के लिए उपयोग में लाई जा रही लकड़ी की कटाई को रोकने में माइक्रो जल विद्युत परियोजनाओं से उपलब्ध की जाने वाली विद्युत से सहायता मिल सकती है;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों में, जहां अधिक विद्युत उत्पादन क्षमता उपलब्ध है सरकार द्वारा प्रस्तावित माइक्रो जल विद्युत योजनाओं की संख्या कितनी है; और

(ग) यदि उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सिक्किम को भी इन क्षेत्रों में शामिल किया गया है?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्तमान में माइक्रो/मिनी/लघु जल-विद्युत स्कीमों का क्रियान्वयन विभिन्न राज्य योजनाओं के अन्तर्गत किया जा रहा है और देश के विभिन्न भागों में 87 स्कीमें प्रचालन में हैं तथा 78 स्कीमें निर्माणाधीन हैं। सिक्किम में इस प्रकार की 3 स्कीमें प्रचालन में हैं तथा अन्य 2 स्कीमें निर्माणाधीन हैं।

पश्चिम बंगाल में तेल की खोज

308. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष पश्चिम बंगाल में नये सिरे से तेल और गैस की खोज का कोई कार्यक्रम प्रारम्भ किये जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मिदनापुर में दिघा (कन्टई) का सम्पूर्ण समुद्र तट तेल भण्डारों से भरा हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) चालू वर्ष के (1985-86) के दौरान छः भूकम्पीय तथा एक गुरुत्व चुम्बकीय पार्टियां पश्चिम बंगाल में काम कर रही हैं। तीन रिग भी खोज खनन में लगे हुए हैं।

(ग) और (घ) इस क्षेत्र में तेल मिलने की आशा है किन्तु अभी तक हाइड्रोकार्बन की वाणिज्यिक उपलब्धि नहीं हुई है।

शाखा डाकघरों का खोला जाना

309. **श्री उत्तम राठौड़** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 19.3-84, 1984-85 और 1985-86 में प्रत्येक राज्य में कितने शाखा डाक घरों के लिए मंजूरी दी गई;

(ख) उनमें से कितने डाकघर खोले गये;

(ग) पहले से स्वीकृत शेष शाखा डाकघरों को न खोलने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन शाखा डाकघरों को कब तक खोला जायेगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 1983-84 और 1984-85 में प्रत्येक राज्य में मंजूर किए गये शाखा डाकघरों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। 1985-86 के दौरान पदों के सृजन पर लगी रोक के कारण कोई डाकघर मंजूर नहीं किया गया।

(ख) 1983-84 में मंजूर किए गये 2314 डाकघरों में से 2146 डाकघर खोल दिये गये थे। 1984-85 में ऐसे 62 डाकघर भी खोले गये जिनकी मंजूरी वित्त मंत्रालय से प्राप्त विशेष छूट के आधार पर दी गई थी।

(ग) 1983-84 के दौरान 168 मंजूर शुदा डाकघरों को पदों के सृजन पर लगी पाबन्दी के कारण नहीं खोला गया था।

(घ) जैसे ही पदों के सृजन पर लगी रोक को हटा लिया जायेगा या उनमें ढील दी जायेगी, बाकी मामलों पर उपलब्ध संसाधनों तथा इस बीच लाइसेंस शुदा डाक एजेंटों की नई योजना से जो भी सुविधाएं प्राप्त हो सकें, उन्हें ध्यान में रखकर विचार किया जायेगा।

विवरण

प्रत्येक राज्य/सर्किल में मंजूर किए गए और खोले गए शाखा डाकघर

क्रम सं०	राज्य/सर्किल का नाम	1983-84 में मंजूर किये गये/खोले गए		1984-85 में मंजूर किये गये/खोले गये	
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	150	147	1	1
2.	बिहार	311	198		8

1	2	3	4	5	6
3.	दिल्ली	—	—	—	—
4.	गुजरात	98	98		1
5.	दादरा और नगर हवेली	—	—		—
6.	जम्मू एवं कश्मीर	33	33		3
7.	कर्नाटक	50	50		1
8.	केरल	75	73		1
9.	लक्ष्यद्वीप	—	—		—
10.	मध्य प्रदेश	278	268		8
11.	महाराष्ट्र	225	216		7
	उत्तर-पूर्व				
12.	असम	113	186		1
13	अरुणाचल प्रदेश	23	13		—
14.	मेघालय	6	6		1
15.	मणिपुर	15	15		—
16.	मिजोरम	7	5		1
17.	नागालैंड	16	16		—
18.	त्रिपुरा	4	4		—
	उत्तर-पश्चिम				
19.	हरियाणा	46	38		—
20.	पंजाब और चण्डीगढ़	27	27		—
21.	हिमाचल प्रदेश	34	34		6
22.	उड़ीसा	120	120		3
23.	राजस्थान	144	144		5
24.	(क) तमिलनाडु	110	120		3
	(ख) पांडिचेरी	—	—		—
25.	उत्तर प्रदेश	337	331		8
26.	पश्चिम बंगाल	177	146		4
27.	सिक्किम	3	3		—
28.	अण्डमान और निकोबार	2	—		—
	योग	2314	2146		62

उद्योग विहीन जिला योजना की पुनरीक्षा

310. **श्री एस० भो० घोलप** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "उद्योग विहीन जिला योजना" की पुनरीक्षा करने और इसे उचित ढंग से संशोधित करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी; और

(ख) यदि हां तो समिति की सिफारिशें क्या हैं और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) "उद्योग रहित जिलों" सहित पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण की योजना की समीक्षा और संशोधन करने के लिए एक अन्तर-मन्त्रालय समिति नियुक्त की गई है।

(ख) समिति की सिफारिशों का इन्तजार किया जा रहा है ?

बम्बई हाई और गुजरात तेल क्षेत्र से तेल का उत्पादन

311. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में विभिन्न तेल क्षेत्रों से कच्चे तेल की कितनी मात्रा का उत्पादन होने की आशा है;

(ख) बम्बई हाई और इसके आस-पास के क्षेत्रों से वर्ष 1980-81 से 1984-85 तक कितनी मात्रा में तेल का उत्पादन हुआ; और

(ग) सातवीं योजना के अन्त तक तेल की कितनी मात्रा के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) (क) और (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन का लक्ष्य 159 मि० मी० टन रखा गया है जिसमें गुजरात के विभिन्न तेल क्षेत्रों से प्राप्त होने वाला 25 मि० मी० टन शामिल है।

(ग) 63.36 मि० मीट्रिक टन।

[हिन्दी]

गुजरात में टेलेक्स और टेलीफोन के नए कनेक्शन

312. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1985 से 10 फरवरी, 1986 तक की अवधि के दौरान राजकोट शहर, राजकोट जिले और गुजरात के अन्य जिलों में टेलीफोन और टैलेक्स के कितने नये कनेक्शन दिए गए हैं;

(ख) इस अवधि के दौरान नये कनेक्शनों के लिए कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए;

(ग) 31 जनवरी, 1986 को उपर्युक्त स्थानों में इन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा-सूची में कितने लोग थे; और

(घ) दिसम्बर, 1986 तक कितने नये कनेक्शन दिए जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) 1-1-1985 से 10-2-1986 तक दिए गए नए टेलीफोन और टेलेक्स कनेक्शनों की संख्या निम्न प्रकार है :

	टेलीफोन	टेलेक्स
(1) राजकोट शहर	485	7
(2) राजकोट जिला (शहर को छोड़कर)	1265	शून्य
(3) अहमदाबाद सहित अन्य जिले	218.66	155

(ख) इस अवधि के दौरान नए कनेक्शनों के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या निम्न प्रकार है :

	टेलीफोन	टेलेक्स
(1) राजकोट शहर	2,262	14
(2) राजकोट जिला (शहर को छोड़कर)	1,257	12
(3) अहमदाबाद सहित अन्य जिले	42,867	237

(ग) 31-1-19८6 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा-सूची निम्न प्रकार थी :

	टेलीफोन	टेलेक्स
(1) राजकोट शहर	9,086	शून्य
(2) राजकोट जिला (राजकोट शहर को छोड़कर)	1,458	9
(3) अहमदाबाद सहित अन्य जिले	85,259	308

(घ) दिसम्बर, 1986 तक दिए जाने वाले सम्भावित कनेक्शन निम्नानुसार हैं :

	टेलीफोन	टेलेक्स
(1) राजकोट शहर	5,000	मांग पर
(2) राजकोट जिला (राजकोट शहर को छोड़कर)	400	9
(3) अहमदाबाद सहित अन्य जिले	25,000	69

[अनुवाद]

उपलब्ध गैस के अधिकतम उपयोग हेतु पूंजी परिव्यय

313. **श्री के० प्रधानी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गैस भण्डारों से निकाली जा सकने वाली गैस की मात्रा का कोई अनुमान लगाया गया है और उसके अधिकतम उपयोग हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तट दूर क्षेत्रों में गैस का कितना भण्डार होने का अनुमान है; और

(ग) कार्यक्रम की मुख्य रूपरेखा क्या है और इस पर कितना पूंजी परिव्यय होगा तथा इसके लिए कौन-कौन से क्षेत्र चुने गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 1-1-1985 को लगभग 380 विलियन घन मीटर प्राप्य अपतट गैस भण्डारों का अनुमान लगाया गया है।

(ग) अपतट क्षेत्र में प्राप्य गैस के भण्डार देश के विभिन्न भागों अर्थात पश्चिमी अपतट, आन्ध्र प्रदेश पूर्वी तट आदि में फैले हुए हैं। गैस का उत्पादन करने तथा उसे उर्वरकों, पेट्रोरसायनों के उत्पादन बिजली पैदा करने तथा अन्य कार्यों में लगाने का प्रस्ताव है। सातवी तोजना की अवधि के दौरान आवश्यक उत्पाद संसाधन करने परिवहन तथा पश्चिमी अपतट क्षेत्रों से गैस के संबंध में एल० पी० जी० निकालने की सुविधाएं बनानें के लगभग 3000 करोड़ रुपये के कुल पूंजी परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है। इसमें गैस-खपत परियोजनाओं की स्थापना के लिए आवश्यक परिव्यय शामिल नहीं हैं।

कोयले से कृत्रिम तरल ईंधन के उत्पादन के संबंध में कोल इंडिया लि० का प्रतिवेदन

314. **श्री के० प्रधानी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम-संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के सहायता प्राप्त परियोजना के अतर्गत कोयले से कृत्रिम तरल ईंधन के उत्पादन के संयंत्र में प्रारम्भिक व्यवहार्यता प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूप-रेखा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करनें में कोल इंडिया लि० द्वारा कितना समय लिए जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) कोयले से संश्लिष्ट तेल तैयार करने के संबंध में एक पूर्व-साध्यता अध्ययन रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत की गई है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा यू० एन० आई० डी० ओ० के एक परामर्शदाता और कोल इंडिया लि० द्वारा

तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में प्रतिवर्ष एक मिलियन टन तरल उत्पाद तैयार करने के लिए अपनाई जाने वाली तकनॉलाजी और तत्संबंधीं एक संयंत्र की अर्थव्यवस्था की जांच की गई है। रिपोर्ट के अनुसार इस परियोजना में 2800 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश करना होगा।

सरकारी उद्यमों के प्रबन्ध के लिए नया नीति दृष्टिकोण

315. **श्री के० प्रधानी : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के एक संगठन सरकारी उद्यमों सम्बन्धी स्थायी सम्मेलन ने सरकारी उद्यमों के प्रबन्ध के बारे में नया नीति दृष्टिकोण खोज निकाला है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

उड़ीसा में विद्युत संयंत्रों का निर्माण

316. **श्री चिन्तामणि जेना : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड ने उड़ीसा राज्य में दो विद्युत सयंत्रों के निर्माण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा वाली विभिन्न फर्मों से विस्तृत तकनीकी और बजटीय प्रस्ताव आमंत्रित किये थे;

(ख) यदि हां, तो उन पर कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए और उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या ये परियोजनाएं भारत सरकार के पास मंजूरी के लिए विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी प्रदान की जाएगी ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड ने दो गैस टरबाइन संयंत्रों के लिए विश्वव्यापी निविदाएं आमंत्रित की हैं तथा अन्तिम तारीख 28-3-1986 है। उड़ीसा सरकार को इब ताप विद्युत परियोजना के लिए वित्तीय पैकेजों के साथ विदेशी उपस्कर सप्लाईकर्ताओं से प्रारंभिक प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं। साधनों की कठिनाइयों, प्रस्तावों की तकनीकी और वित्तीय उपयुक्तता, समनरूप अपेक्षित रुपये की उपलब्धता, स्वदेशी तौर पर उपस्कर की उपलब्धता आदि जैसे विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए विस्तृत प्राप्त होने पर ही इस ताप विद्युत संयंत्र के प्रस्तावों के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को उड़ीसा के प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत गैस

टरबाइनों के लिए परियोजना रिसोर्ट पर, ईंधन सहित आवश्यक निवेश सुनिश्चित हो जाने के बाद ही, तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के लिए विचार किया जा सकता है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण नें इब ताप विद्युत परियोजना को तकरीकी-आर्थिक दृष्टि से अनुमोदित कर दिया है।

ब्लेडों का निर्माण करने वाली कंपनियां

317. **श्री चिन्तामणि जेना : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)देश में ब्लेडों का निर्माण करने वाली कम्पनियों के नाम क्या है,

(ख) उनमें से विदेशी कम्पनियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या देश में नया ब्लेड कारखाना स्थापित करने के लिए कोई नया लाइसेंस जारी किया गया है;

(घ) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या किसी विदेशी कम्पनी ने भारत में ब्लेड कारखाना स्थापित करने के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन किया है; और

(च) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) इस समय निम्न लिखित कम्पनियां रेजर ब्लेडों के उत्पादन में संलग्न हैं :—

(1) मे० हरबन्स लाल मल्होत्रा एण्ड संस, कलकत्ता।

(2) मे० नेशनल रेजर एंड ब्लेड कम्पनी, कलकत्ता।

(3) मे० सेण्ट्रान इंडस्ट्रियल अलाइअन्स लि०, बम्बई।

(4) मे० विद्युत मिटैलिक्स लि०, बम्बई।

(5) मे० टी० टी० ब्लेड्स लि०, मद्रास।

(6) मे० शार्पएज लिमिटेड, नई दिल्ली।

(7) मे० इन्डो स्विग लिमिटेड, हैदराबाद।

(8) मे० एवरकीन रेजर ब्लेड कम्पनी लि०, बम्बई।

(9) मे० विल्टेच इण्डिया लि०, बंगलौर।

(ख) कोई नहीं।

(ग) और (घ) जी, हां। दिसम्बर, 1984 में इण्डियन शेविंग प्रोडक्ट्स लि० को (यू० एस० ए० की) मे० गिल्लेट्ट ब्लेड मेन्यु० कंपनी के सहयोग से 3000 लाख की वार्षिक क्षमता से रेजर ब्लेडों के उत्पादन के लिए भिवाड़ी (राजस्थान) में नए उपक्रम की स्थापना के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त, यू० एस० ए० के मे० वार्नर लेम्बर्ट के सहयोग से (i) 2400 लाख की वार्षिक क्षमता से सेफ्टी रेजर ब्लेड, और (ii) 600 लाख की वार्षिक क्षमता

से ट्विन ट्रेक शेविंग सिस्टमों के उत्पादन के लिए मे० हैदराबाद एल्विन लि० के एक प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है ।

(ङ) जी, नहीं ।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सोवियत संघ के सहयोग से कोयले की खोज कार्य आरम्भ करना

318. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सोवियत संघ के सहयोग से कोयले की खोज का कार्य आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो भारत और सोवियत संघ के संयुक्त सहयोग से खोज के लिए पता लगाई गई कोयला खानों की संख्या और नाम क्या हैं; और

(ग) उपर्युक्त कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए सोवियत संघ और भारत के बीच किए गए करार की शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) कोयले के ड्रिलिंग-कार्य में सुधार की दृष्टि से केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि० को तकनीकी सहायता देने के लिए सोवियत रूस के टेक्नो-एक्सपोर्ट और के केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि०, रांची के बीच एक करार हुआ है । इस करार में यह प्रावधान है कि सोवियत रूस में भारतीय कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाए तथा ड्रिलिंग मैनुअल और अनुदेश तैयार करने के लिए भारत में सोवियत विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति की जाए ।

कोककर कोयले के परिष्करण सम्बन्धी प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण पर सोवियत रूस के साथ एक अन्य करार पर भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विचार कर रहा है ।

क्षय रोग और कुष्ठ रोग रोधी औषधियों का उत्पादन

319. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में क्षय रोग रोधी और कुष्ठ रोग रोधी औषधियों का उत्पादन करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में ऐसी औषधियों का उत्पादन करने वाली फर्मों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय फर्मों को उक्त औषधियों का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और पेट्रोरसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) आई० डी० पी० एल० और एच० ए० एल० कुष्ठ तपेदिक निरोधी और कुष्ठ निरोधी फार्मूलेशनों के उत्पादन में लगे हुए हैं । संगठित क्षेत्र में तपेदिक-निरोधी और कुष्ठ निरोधी बल्क औषधों का उत्पादन करने वाली अन्य गैर-फैरा कम्पनियों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं ?

(ग) कई तपेदिक-निरोधी और कुष्ठ निरोधी औषधों को गैर-फैरा और गैर-एम० आर० टी० पी० कम्पनियों के लिए लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है।

विवरण

क्रमांक	औषध का नाम/कम्पनी का नाम
1	2

(क) एण्टी टी० बी० औषधें

1. पी० ए० एस० और साल्ट्स
    1. बायोकेम और सिन्थ
    2. आई० डी० पी० एल०
    3. वान्डर
    4. बायो इवेन्स
2. आई० एन० एच०
    1. चेमो फार्मा
    2. सुनीता लेब्स
    3. बायो इवेन्स
3. थियासिटाजोन
    1. यूनिचेम लेब्स
    2. बायो इवेन्स
4. इथम्बुटोल
    1. थेमिस कैमिकल्स
    2. केडिला लेब्स
    3. लैफिन कैमिकल्स
    4. लुपिन लेब्स
    5. रेपटेक्स ब्रीट
    6. साराभाई कैमिकल्स
5. पाइराजिनामाइड
    1. स्टेन्डर्ड ओर्गेनिक्स
    2. इन्डो फार्मा०

1	2	
	3. मोरानी केमिकल्स	
(ख) एन्टी-लिप्रोसरी औषधें		
	1. डी॰ डी॰ एस॰ (डेप्सोन)	
	1. बुरोज वेलकम	
	2. बी॰ सी॰ पी॰ एल॰	
	3. ट्यूबलर फार्मा	
	2. क्लोफाजिमाइन	
	1. आस्ट्रा आई॰ डी॰ एल॰	
	2. एस॰ जी॰ केमिकल्स	

भोपाल गैस-पीड़ितों के मुआवजा दावों का निर्धारण

320. श्री सनत कुमार मांडल :
श्री महेन्द्र सिंह :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल गैस पीड़ितों के मुआवजा दावों के निर्धारण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इन मामलों पर अमरीका में अथवा भारत में मुकदमा चलाया जाएगा;

(ग) क्या यूनियन कार्बाइड द्वारा समझौता करने की बात पर गम्भीरता से विचार नहीं किया जा रहा है;

(घ) क्या दुर्घटना से उत्पन्न दावों का अमरीकी न्यायालयों द्वारा भी न्यायालय से बाहर कोई समझौता कराने के प्रयत्न किए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और पेट्रोरसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर॰ के॰ जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) अन्य बातों के साथ-साथ क्षतिपूर्ति और दण्डात्मक क्षतियों सहित दावों के लिए यूनाइटेड फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्क में एक शिकायत दायर की गई है। परीक्षण पूर्व प्रथम और द्वितीय सम्मेलन हो चुके हैं। यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन द्वारा रखे गए प्रस्ताव असुविधाजनक न्यायालय के सम्बन्ध में अदालत सुनवाई कर चुका है। प्रस्ताव पर न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा है।

(ग) से (ङ) न्यायालय के तत्वाधान और निदेशानुसार यूनियम कार्बाइड कार्पोरेशन (यूसीसी) के साथ बातचीत चल रही है जिनको समुचित सम्मान दिया जाना है।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में छूट

321. श्री सनत कुमार मंडल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में और छूट देने का निर्णय किया है जिसके परिणामस्वरूप इसकी वे सभी शक्तियां समाप्त गई हैं जिनका प्रावधान 1969 में इसके अधिनियम के समय मुख्य रूप से आर्थिक शक्तियों के केन्द्रीकरण को रोकने के लिए किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार को इस प्रकार का निर्णय लेने के लिए क्यों बाध्य होना पड़ा ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या

322. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के दिल्ली स्थित कार्यालयों में अतिरिक्त महाप्रबन्धक और इससे ऊपर के पदों पर कितने अधिकारी हैं और दिल्ली में उसके अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स के सारे कार्यालयों में अतिरिक्त महाप्रबन्धक और उससे ऊपर के पदों पर कुल कितने अधिकारी हैं और प्रत्येक श्रेणी में कितने अधिकारी हैं; और

(ग) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के प्रत्येक यूनिट में कुल कितने कर्मचारी हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के दिल्ली स्थित कार्यालयों में अतिरिक्त महाप्रबन्धक और इससे ऊपर के पदों पर 46 अधिकारी हैं और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या 2501 है।

(ख) समूचे बी० एच० ई० एल० में अतिरिक्त महाप्रबन्धक और इससे ऊपर के पदों पर 107 अधिकारी हैं। इस प्रकार के अधिकारियों का श्रेणी-वार ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	1
निदेशक	3
समूह महाप्रबन्धक/कार्यकारी निदेशक	12
महाप्रबन्धक	64
अतिरिक्त महाप्रबन्धक	27

(ग) 30-11-1985 को बी० एच० ई० एल० के प्रत्येक एकक में कर्मचारियों की कुल संख्या निम्नलिखित थी—

भोपाल	18433
झांसी	1565
भारी विद्युत उपकरण संयंत्र, हरिद्वार	10704
प्रदूषण नियन्त्रण अनुसन्धान संस्थान, हरिद्वार	24
सेन्ट्रल फाउण्डरी फोर्ज प्लांट, हरिद्वार	1455
हेवी पावर इक्विपमेंट प्लांट, हैदराबाद	10519
आर० एण्ड डी०/इनर्जी सिस्टम ग्रुप, हैदराबाद	1004
हाईप्रेशर बायलर प्लांट, तिरुचिरापल्ली	14347
सीमलेस स्टील ट्यूब प्लांट, तिरुचिरापल्ली	1117
मैग्नेटो हाइड्रो डायनामिक्स, तिरुचिरापल्ली	215
बायलर आग्जिलरी प्लांट, रानीपेट	2301
कन्ट्रोल इक्विपमेंट डिवीजन, बंगलौर	2703
इलेक्ट्रोपोर्सिलेन डिवीजन, बंगलौर	1697
इण्डस्ट्रियल सिस्टम्स ग्रुप, बंगलौर	409
जगदीशपुर	423
गोइन्दवाल	74
वाराणसी	62
रुद्रपुर	51
पावर ग्रुप	4566
उद्योग क्षेत्र	344
अन्तर्राष्ट्रीय कार्यसंचालन	49
क्षेत्रीय कार्यसंचालन प्रभाग	521
कारपोरेट कार्यालय, नई दिल्ली	699
प्रबन्ध विकास संस्थान, नई दिल्ली	14

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में उत्पादन तथा लाभ-हानि

323. श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) का कुल उत्पादन और लाभ क्या हैं तथा उसके प्रत्येक यूनिट के उत्पादन तथा लाभ/हानि के आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या 'भेल' को अधिकांश लाभ राज्य बिजली बोर्डों को उपकरणों की सप्लाई से होता है, जिन्हें इस क्षेत्र में भारत में (भेल) का एकाधिकार होने के कारण विद्युत उत्पादन उपकरणों और फालतू पुर्जों का अधिक मूल्य देना पड़ता है; और

(ग) कितने बिजली बोर्डों ने उन्हें सप्लाई किए गए उपकरणों के मूल्यों अथवा गुणवत्ता के बारे में शिकायत की है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा हस्ताक्षर किए गए सहयोग सम्बन्धी करार

324. **डा० एम० के० पटेल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में विदेशी/भारतीय कम्पनियों के साथ सहयोग सम्बन्धी कितने करारों पर हस्ताक्षर किए हैं, प्रत्येक मामले में सहयोगी का नाम व पता क्या है, यदि कोई भारतीय एजेन्ट है, उसका नाम क्या है, किस वर्ष सहयोग किया गया था, सहयोग में शामिल उत्पादों के नाम क्या हैं, एक मुश्त प्रभारों, रायल्टी, इन्जीनियरी और डिजाइन प्रभारों, उपस्करों और पुर्जों आदि की खरीद के रूप में अब तक कितनी धनराशि दी गई है और वर्ष 1985-86 और 1986-87 में कितनी धनराशि शुल्क दिए जाने की सम्भावना है;

(ख) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कुछ भारतीय प्रतियोगियों ने इसी तरह के बहुत आसान शर्तों और कम भुगतान पर विदेशी कम्पनियों के साथ सहयोग सम्बन्धी करार किए हैं; और

(ग) क्या उन सहयोगियों से करार करने से पहले विस्तृत तकनीकी-आर्थिक अध्ययन और सहयोगियों की तुलनात्मक क्षमताओं का अध्ययन किया गया था ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा हेलीकाप्टरों की खरीद

325. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में उपभोग के लिए 22 फ्रेंच डोफिन 365-एन हेलीकाप्टरों के खरीद की अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और और योजना आयोग ने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कन्टेनराइज्ड इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज का आयात

326. **प्रो० नारायण चन्द्र पाराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान जापान और फ्रांस से 1000 से कम क्षमता के कन्टेनराइज्ड इलेक्ट्रानिक एक्सचेन्ज आयात करने का आर्डर है;

(ख) यदि हां, तो उन स्टेशनों के सर्किल-वार नाम क्या हैं जिनके लिए एक्सचेंज आयात करने का आर्डर दिया गया है, आर्डर किस तारीख को दिया गया, यह किस तारीख को प्राप्त हुए तथा प्रत्येक का लागत मूल्य कितना है; और

(ग) यदि नहीं, तो किस तारीख तक यह एक्सचेंज प्राप्त किए जाने की सम्भावना है, विलम्ब के क्या कारण हैं और जिन स्टेशनों को यह आबंटित किए गए हैं उनमें प्रत्येक में इनके कहां तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 1000 लाइनों से कम कंटेनराइज्ड इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज के आयात के लिए कोई आर्डर नहीं दिया गया है। वैसे जापान से 400 लाइनों और 600 लाइनों के 67 गैर-कंटेनराइज्ड इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों के आयात के लिए आर्डर दे दिया गया है।

(ख) स्टेशनों के नाम, सर्किल, एक्सचेंजों का आकार तथा उनकी लागत की जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। आर्डर 28-8-85 को दिए गए थे। सभी एक्सचेंज जनवरी-फरवरी, 1986 में देश में प्राप्त कर लिए गए हैं।

(ग) इन एक्सचेंजों को आगामी वित्तीय वर्ष अर्थात् 1986-87 के दौरान लगाए जाने की योजना है।

विवरण

छोटे आकार के इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों के ब्यौरे

क्र० सं०	स्टेशन का नाम	एक्सचेंज की क्षमता	दूरसंचार सर्किल	एफ० ओ० बी० लागत (जापानी येन में)
1	2	3	4	5
1.	अरमूर	400	आंध्र प्रदेश	19,279,496
2.	कोठागुडेम	600	—वही—	21,574,564
3.	रामचन्द्रन पुरम	400	—वही—	20,972,288
4.	दुमका	400	बिहार	18,984,376
5.	हाजीपुर	400	—वही—	18,984,376
6.	मधुबनी	400	—वही—	18,984,376
7.	नवादा	400	—वही—	18,984,376
8.	पूर्णिया	600	—वही—	21,085,780

1 2	3	4	5
9. खैरा	400	गुजरात	20,752,376
10. कठुआ	400	जम्मू-कश्मीर	19,484,312
11. बाजपे	400	कर्नाटक	18,529,524
12. येलवाल	400	—वही—	18,529,524
13. कलपेट्टा	600	केरल	25,858,088
14. मन्नार	400	केरल	20,486,904
15. एस० एल० पुरम	400	केरल	20,482,688
16. बैतुल	400	मध्य प्रदेश	19,326,688
17. दतिया	400	—वही—	19,256,512
18. धार	400	—वही—	19,256,512
19. खारगोन	400	—वही—	19,256,512
20. मांडला	400	—वही—	19,256,512
21. शाजापुर	400	मध्य प्रदेश	19,256,512
22. अम्बिकापुर	600	—वही—	22,093,404
23. बालाघाट	600	—वही—	22,093,404
24. टीकमगढ़	400	—वही—	19,256,512
25. भिण्ड	600	—वही—	22,093,404
26. गुना	600	—वही—	22,093,404
27. शिवपुरी	600	—वही—	22,093,404
28. मनमाड	600	महाराष्ट्र	22,131,348
29. मनगांव	400	—वही—	19,433,720
30. रोहा	400	—वही—	19,362,728
31. हाफलांग	600	उत्तर-पूर्व	21,281,892
32. लुंगलेह	400	—वही—	18,976,760
33. नाहरलागोन	400	—वही—	19,508,316
34. बिलासपुर	400	उत्तर-पश्चिम	18,936,912
35. नाहन	400	उत्तर-पश्चिम	19,484,176
36. हमीरपुर	400	—वही—	20,590,400
37. ऊना	400	—वही—	19,516,408

1 2	3	4	5
38. चम्बा	600	—वही—	22,134,476
39. कुल्लू	600	—वही—	22,102,244
40. क्योंझर	600	उड़ीसा	20,828,740
41. कोरापुट	400	—वही—	18,766,096
42. फुलबनी	400	—वही—	18,910,392
43. सुरेन्द्रगढ़	400	—वही—	18,768,000
44. बारीपाड़ा	600	—वही—	21,076,260
45. घेंदानाल	600	—वही—	20,828,740
46. छतरपुर	400	—वही—	18,800,232
47. डूंगरपुर	400	राजस्थान	22,346,092
48. जालोर	400	—वही—	21,102,440
49. जैसलमेर	400	—वही—	19,012,800
50. झालवाड़	400	—वही—	19,229,992
51. सवाई माधोपुर	400	—वही—	19,167,432
52. सवाई माधोपुर (आरसस)	400	—वही—	20,436,992
53. सिरोही	400	—वही—	19,330,496
54. बूंदी	600	—वही—	21,258,500
55. टोंक	400	—वही—	19,330,496
56. झुनझुन	600	—वही—	22,347,724
57. फतेहपुर	400	उत्तर प्रदेश	18,912,296
58. गाजीपुर	400	—वही—	19,266,032
59. ललितपुर	400	—वही—	18,980,568
60. पौड़ी	400	—वही—	18,914,200
61. पिथौरागढ़	400	—वही—	18,914,200
62. उरई	400	—वही—	19,048,840
63. सुल्तानपुर	600	—वही—	21,294,540
64. बांदा	600	—वही—	21,294,540
65. रानी खेत	400	—वही—	19,330,496

1	2	3	4	5
66.	अलीपुरद्वार	600	पश्चिम बंगाल	22,529,556
67.	सैंथिया	400	—वही—	20,260,464

टिप्पणी : (100 रुपए=16.55 जापानी येन)

शाखा डाकघर खोलना

327. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक डाक मंडल में नए शाखा डाकघर खोलने के अनेक प्रस्ताव न्यायोचित पाए गए परन्तु सरकार द्वारा वर्तमान खाली पदों को भरने और नए पदों के सृजन पर लगाए गए प्रतिबन्ध के कारण शाखा डाकघर नहीं खोले जा सके;

(ख) यदि हां, तो छठी पंचवर्षीय योछना के अन्त में प्रत्येक मंडल के लिए (बहुराज्य मंडलों के मामले में प्रत्येक राज्य के लिए) वर्तमान मानदंडों के अनुसार न्यायोचित प्रस्तावों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कम से कम उक्त शाखा डाक घर सातवीं योजना के दौरान खोल दिए जाएं जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

(घ) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष का लक्ष्य क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) डाकघर खोलने के लिए विभिन्न माध्यमों से प्राप्त अनुरोधों पर विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार विचार किया जाता है तथा और सर्किल अधिकारियों द्वारा निश्चित की गई प्राथमिकताओं के आधार पर उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए डाकघर खोले जाते हैं। निर्धारित मानदंडों के आधार पर जिन प्रस्तावों का औचित्य सिद्ध होता है लेकिन संसाधनों की कमी अथवा पदों के सृजन पर लगी रोक जैसे अन्य कारणों की वजह से डाकघर खोल पाना सम्भव नहीं हो पाता तो ऐसे प्रस्तावों को समुचित समय पर विचार करने की दृष्टि से रोक लिया जाता है।

31 मार्च, 1985 की स्थिति के अनुसार सभी सर्किलों में 2370 ऐसे प्रस्ताव थे। इनकी राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) इन बातों अर्थात (एक) संसाधनों की कमी (दो) पदों के सृजन पर चल रही मौजूदा पाबन्दी तथा (तीन) कुल मिलाकर देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में डाक नेटवर्क का उचित विकास होने के कारण, सातवीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के दौरान नए डाकघर सीमित मात्रा में खोले जाएंगे। तथापि कुछ क्षेत्रों में लाइसेंसशुदा डाक एजेन्सियां खोली जा सकती है।

(घ) उपरोक्त भाग (ग) में बतलाई गई स्थिति के अनुसार सातवीं योजना अवधि के लिए वर्षवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ङ) उत्तर के भाग (क) में इसके कारणों का उल्लेख किया गया है।

विवरण

31-3-1985 की स्थिति के अनुसार ऐसे प्रस्तावों की संख्या जहां डाकघर खोलने की शर्तें पूरी होती हैं :

क्र० सं०	सर्किल/राज्य का नाम/संघ शासित क्षेत्र	प्रस्ताव जिनका औचित्य पाया गया
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	80
2.	बिहार	179
3.	दिल्ली	—
4.	(क) गुजरात	92
	(ख) दादर नागर हवेली	—
5.	जम्मू और कश्मीर	37
6.	कर्नाटक	93
7.	(क) केरल	197
	(ख) लक्षदीप	—
8.	मध्य प्रदेश	227
9.	(क) महाराष्ट्र	174
	(ख) गोवा	—
10.	उत्तर-पूर्व	
	(क) असम	48
	(ख) अरुणाचल प्रदेश	15
	(ग) मणिपुर	20
	(घ) मेघालय	26
	(ङ) मिजोरम	10
	(च) नागालैंड	17
	(छ) त्रिपुरा	8
11.	उत्तर-पश्चिम	
	(क) पंजाब	40
	(ख) हरियाणा	28

1	2	3
	(ग) हिमाचल प्रदेश	18
12.	उड़ीसा	118
13.	राजस्थान	52
14.	(क) तमिलनाडु	84
	(ख) पांडिचेरी	—
15.	उत्तर प्रदेश	555
16.	(क) पश्चिम बंगाल	227
	(ख) सिक्किम	13
	(ग) अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	2
	योग	2370

कोयला धोवनशालाओं का आधुनिकीकरण

328. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला क्षेत्रों में कोयले की किस्म में गिरावट आने के कारण कोककारी और अकोककारी दोनों किस्म के कोयले के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान कोयला धोवन-शालाओं का आधुनिकीकरण करके और उनकी क्षमता बढ़ाकर इसका हल निकालने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक उनका आधुनिकीकरण किए जाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) कुछ कोयला क्षेत्रों के अकोककर कोयले की किस्म में और वाशरियों को सप्लाई किए गए कच्चे कोककर कोयले की किस्म में भी क्रमश: गिरावट आई है। यह गिरावट कोयले के बढ़िया किस्म के भंडारों के समाप्त होते जाने के कारण आई है।

(ख) और (ग) वाशरियों के काम में सुधार लाने की दृष्टि से अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इन कदमों में यह बातें शामिल हैं—फाइन्स के परिष्करण के लिए संयंत्रों में संशोधन, संयंत्र को इष्टतम करने के लिए संतुलन-सुविधाएं मुहैया कराना, आदि। कुछ वाशंरियों में आधुनिकीकरण का काम पूरा हो गया है जबकि अन्य वाशंरियों में प्रारम्भिक कार्य शुरू कर दिया गया है। आधुनिकीकरण-योजना के दो से तीन वर्षों के अन्दर पूरा हो जाने की आशा है।

उड़ीसा को मिट्टी के तेल का आबंटन

329. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा को वर्ष 1985 में कुल कितना मिट्टी का तेल आबंटित किया गया और फरवरी, 1986 तक कितने तेल का आबंटन करने का विचार है।

(ख) क्या यह सच है कि उड़ीसा को केन्द्रीय पूल से आबंटित मिट्टी के तेल की मात्रा बहुत कम है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वर्ष 1986 में आबंटन में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी वृद्धि की जाएगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) उड़ीसा राज्य को जनवरी और फरवरी, 1986 के लिए 10,105 मी० टन प्रतिमाह के आबंटन के अतिरिक्त वर्ष 1985 के दौरान कुल 106,630 मी० टन केरोसीन आबंटित किया गया।

(ख) से (घ) वर्तमान नीति के अन्तर्गत उड़ीसा सहित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की केरोसीन की मांग का सामान्यतः पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान चार माह के ब्लाक के आधार पर किए गए आबंटन में 5% की वृद्धि करके अनुमान लगाया जाता है तथापि राज्य सरकार से प्राप्त निरन्तर प्राप्त निवेदनों को ध्यान रखते हुए उड़ीसा राज्य को वर्ष 1985 के दौरात 106,630 मी० टन का आबंटन किया जो कि वर्ष 1984 में किए गए 100,900 मी० टन आबंटन से लगभग 6 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 1986 के शेष भाग के दौरान उक्त नीति के अनुसार आबंटन किया जाएगा।

अखबारी कागज के मूल्यों में वृद्धि

330. **डा० टी० कल्पना देवी :**
श्री महेन्द्र सिंह :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखबारी कागज के मूल्यों में भारी वृद्धि, जिससे समाचार-पत्रों पर असहनीय बोझ पड़ गया है, के बारे में हाल ही में इण्डियन एण्ड इस्टर्न न्यूज पेपर्स सोसाइटी में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अखबारी कागज के मूल्यों में वृद्धि करने से पहले अखबारी कागज का निर्माण करने वाले सरकारी क्षेत्र के एककों की कार्य प्रणाली की पूरी जांच की गई थी;

(घ) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले; और

(ङ) समाचार-पत्रों को उचित मूल्यों पर पर्याप्त मात्रा में अखबारी कागज की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) इण्डियन एण्ड ईस्टर्न न्यूज पेपर सोसाइटी से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें बताया गया है कि स्वदेशी

अखबारी कागज के मूल्य में हाल ही में हुई वृद्धि से अखबार उद्योग की आर्थिक जीव्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और इस मूल्य वृद्धि को वापिस लिया जाना चाहिए।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि की अनुमति देने का निर्णय लिए जाने से पूर्व कच्चे माल और अन्य निविष्टियों की लागत में वृद्धि होने के कारण स्वदेशी अखबारी कागज के उत्पादकों के कारखाने से निकलते समय के मूल्यों में हुई वृद्धि के लिए उनके दावों की औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो से जांच कराई गई थी। उत्पादकों द्वारा बताई गई लागतों में हुई वृद्धि अधिकांशतः वनों पर आधारित कच्चे माल की कार्यशील लागतों और सम्बन्धित करों में वृद्धि होने, रायल्टियों में वृद्धि होने, बिजली की दरें बढ़ जाने तथा स्वयं बनाई जाने वाली बिजली पर लगने वाले करों में वृद्धि हो जाने के कारण हुई थी। देशी उत्पादकों को वृद्धि की अनुमति देने के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप देते समय औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो द्वारा देशी अखबारी कागज के मूल्यों के सम्बन्ध में मूल्यों की समीक्षा के बारे में आई० ई० एन० एस० के प्रतिनिधियों के विचार भी ध्यान में रखे गए थे।

(ङ) विगत समय में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप अखबारी कागज के उत्पादन हेतु अधिष्ठापित क्षमता, जो 1981 में 75,000 मी० टन थी, बढ़कर 1985 में 2.80 लाख मी० टन हो गई है। देशी उद्योग अपनी क्षमता का 90% से अधिक उपयोग कर रहा है। इसके अलावा 7.46 लाख मी० टन की अतिरिक्त क्षमता और अनुमोदित की जा चुकी है जो कार्यान्वियन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। देशी अखबारी कागज की आपूर्ति में कमी को पूरा करने के लिए काफी मात्रा में अखबारी कागज आयात किया जा रहा है। हालांकि आयातित अखबारी कागज के मूल्य का निर्धारण, तो अखबारी कागज मूल्य निर्धारण सलाहकार समिति की सिफारिशों पर किया जाता है किन्तु देशी अखबारी कागज निर्माताओं को सामान्य मानदण्डों और औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो की सिफारिशों के अनुसार कीमतें लेने की छूट है।

सरकारी उपक्रमों में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और कार्यकारी निदेशकों के रिक्त स्थान

331. प्रो० रामकृष्ण मोरे :
श्री नारायण चौबे :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा चयन कर लिए जाने के बावजूद भी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में 44 मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और कार्यकारी निदेशकों की सरकार द्वारा अभी नियुक्तियां की जानी हैं;

(ख) यदि हां, तो नियुक्तियां करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन नियुक्तियों में विलम्ब होने से इन एककों के समग्र कार्य-निष्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों (पूर्णकालिक अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक) तथा

कार्यकारी निदेशकों के स्तर की रिक्तियों की संख्या क्रमशः 21 एवं 24 है, जिनके लिए सरकारी उद्यम चयन मण्डल ने उम्मीदवारों के विषय में अपनी सिफारिशें भेज दी हैं; परन्तु सरकार द्वारा नियुक्तियां अभी की जानी हैं।

(ख) नियुक्तियां करने में विलम्ब के विभिन्न कारण हैं, जैसे सतर्कता विभाग द्वारा निर्दोषता सुनिश्चित करना, चरित्र सत्यापन करना और प्रत्येक व्यक्ति की नियुक्ति से पहले उसके चरित्र एवं पूर्णवृत का सत्यापन करना तथा उपयुक्त प्राधिकारियों आदि के समक्ष मामले रखने में लगा समय आदि।

(ग) वर्तमान रिक्तियों के बारे में स्थानापन्न व्यवस्थाएं की गई हैं; ताकि इन उद्यमों के काम कोई हानि न हो सके।

[हिन्दी]

चाय कम्पनियों द्वारा कम दरों पर गैस की मांग

332. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय कम्पनियों ने प्राकृतिक गैस के मूल्य कम करने की मांग की है;

(ख) क्या ये कम्पनियां पाइप लाइन बिछाने की लागत भी वहन करने को तैयार हैं;

(ग) क्या यह सच है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग पर्याप्त भण्डारण सुविधाओं के अभाव में प्रतिदिन करोड़ों रुपए की गैस नष्ट कर रहा है; और

(घ) चाय कम्पनियों को गैस सप्लाई न करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि पहले ही चाय कम्पनियों को गैस या तो उनकी अपनी पाइप लाइनों या गैस परिवहन एजेन्सी द्वारा बिछाई गई पाइप लाइनों के माध्यम से दी जाती हैं।

(ग) ओ० एन० जी० सी० द्वारा असम में निकाली जा रही एसोसिएटिड गैस का एक भाग के वचनबद्ध गैस को उठाने में उपभोक्ताओं द्वारा असफल होने के कारण, जला दिया जाता है।

(घ) जब भी अनुरोध प्राप्त होता है, चाय कम्पनियों को गैस दी जाती है।

[अनुवाद]

आटोमोबाइल निर्माण एककों की विद्यमान क्षमता और उनका विस्तार

333. **श्री सन्तोष मोहन देव :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न आटोमोबाइल्स निर्माता एककों की विद्यमान क्षमता क्या है;

(ख) क्या इन एककों ने अपनी क्षमता का विस्तार करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) तकनीकी विकास महानिदेशालय, उद्योग मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित "इण्डियन आटोमोटिव इण्डस्ट्रीज" की पुस्तिका में जानकारी उपलब्ध है। लोक सभा के पुस्तकालय में संदर्भ के लिए एक प्रति उपलब्ध है।

(ख) और (ग) क्षमता में विस्तार करने के लिए समय-समय पर मिलने वाले आवेदनों पर गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है।

[हिन्दी]

देश में सौर ऊर्जा केन्द्र

334. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कार्य कर रहे सौर ऊर्जा केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) इन केन्द्रों से कितने व्यक्तियों को लाभ हो रहा है;

(ग) क्या सौर ऊर्जा का औद्योगिक प्रयोजनों के लिए भी उपयोग किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सौर ऊर्जा संयंत्रों की लागत क्या है; और

(च) सौर ऊर्जा के अधिकतम उपयोग के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) ग्राम स्तर के 20 नवीकरणीय ऊर्जा केन्द्र देश के विभिन्न भागों में पहले से ही कार्य कर रहे हैं। इनमें विभिन्न नए और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के संयोग जैसे—सौर प्रकाशवोल्टीय चालित सड़क रोशनी, जल,पम्प, सामुदायिक टेलीविजन, रेडियो तथा प्रशीतन, वायु पम्प, बायोगैस संयंत्र, उन्नत प्रकार के चूल्हे, सौर कुकर, सौर गर्म जल प्रणालियां, सौर स्टिल्स, बायोमास गैसीकरण, ऊर्जा बागवानी आदि सम्मिलित हैं। ये प्रणालियां पहले ही 15-20 हजार ग्रामवासियों को लाभ पहुंचा रही हैं। इसके अतिरिक्त लगभग सौर ऊर्जा के द्वारा 200 ग्रामों को सड़क एवं सामुदायिक रोशनी उपलब्ध की गई है और इससे लगभग एक लाख ग्रामवासियों को लाभ पहुंच रहा है।

(ग) जी हां।

(घ) उद्योगों, डेरियों, होटलों, अस्पतालों और कैन्टीनों आदि में ऊष्णता के प्रयोगों के लिए देश के विभिन्न भागों में 640 सौर तापीय प्रणालियों की पहले ही स्थापना की जा चुकी है।

(ङ) सौर ऊर्जा प्रणालियों की लागत, उनकी किस्म, आकार, उपयोग एवं स्थान जहां उनकी स्थापना की जा रही है, पर निर्भर करती है।

(च) अनुसंधान और विकास कार्यों के सहित सौर ऊर्जा कार्यक्रम के लिए सातवीं योजना के लिए 59 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है।

मध्य प्रदेश में उद्योग विहीन जिले और केन्द्रीय सहायता से स्थापित किए गए उद्योग

335. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश के अठारह जिलों को उद्योग-विहीन जिले घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितने जिलों में सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक केन्द्रीय सहायता से औद्योगिक एकक स्थापित किए गए हैं;

(ग) उनमें से कितने औद्योगिक एककों में उत्पादन आरम्भ हो गया है; और

(घ) यदि इन एककों में उत्पादन नहीं हुआ है, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

मध्य प्रदेश को मिट्टी के तेल का आबंटन

336. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में जलाने की लकड़ी और खाना पकाने की गैस की कमी को देखते हुए राज्य के लिए मिट्टी के तेल का आबंटन 23,6000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 30,00 मीट्रिक टन करने का विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो आबंटन में यह वृद्धि कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सहित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की केरोसीन की मांग का अनुमान सामान्यतः पिछले वर्ष की तदनरूपी अवधि के दौरान चार माह के ब्लाक के आधार पर किए गए आबंटन पर 5 प्रतिशत की वृद्धि देकर के लगाया जाता है।

नवम्बर, 1985 से फरवरी, 1986 तक माह वर्तमान विन्टर ब्लाक के लिए $7\frac{1}{2}\%$ की बढ़ी हुई दर से राज्य सरकारों द्वारा बढ़ने वाली मांग की पूर्ति के लिए आबंटन किया है। ऊंची बढ़ी हुई दर से आबंटम करने के बाद और राज्य सरकार से निवेदन प्राप्त होने पर 1,175 मी० टन केरोसीन प्रतिमाह का आबंटन नवम्बर, 1985 से फरवरी, 1986 के लिए विशेष मामले के रूप में मध्य प्रदेश को किया गया है। जिससे उक्त चार माह के लिए कुल आबंटन बढ़कर 25,000 टन प्रतिमाह हो गया।

केरोसीन आबंटन को बढ़ाकर 3000 मी० टन प्रतिमाह करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में टेलीफोनों का कार्यकरण

338. **श्री राजकुमार राय :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में टेलीफोन हमेशा ही खराब रहते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि एक्सचेंज से भी जिले के किसी भी स्थान के लिए कोई टेलीफोन नहीं मिलता और टेलीफोन बार-बार रुक जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से इस टेलीफोन एक्सचेन्ज में सुधार करके उनको बेहतर सेवा उपलब्ध कराने का है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) आजमगढ़ में टेलीफोन सेवाएं संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही हैं। तथापि, आजमगढ़ जिले में दूरसंचार सेवाओं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है तथा सेवा में आगे और सुधार लाने के लिग प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

भुवनेश्वर में टेलीफोन डायल टोन में सुधार करने के लिए कदम

339. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात उनके ध्यान में आई है कि भुवनेश्वर (उड़ीसा) में टेलीफोन प्रयोक्ताओं को राज्य में स्थापित पुराने क्रास बार उपकरण के कारण अपने टेलीफोन में तुरन्त डायल टोन प्राप्त करने में काफी कठिनाई हो रही है;

(ख) क्या मंत्रालय को भुवनेश्वर में डायल टोन में सुधार के लिए अतिरिक्त यातायात राहत उपकरण लगाने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा आवश्यक उपकरण शीघ्र सप्लाई करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां। भारी परियात के कारण व्यस्त समय में डायल टोन में कुछ समय लग जाता है।

(ख) और (ग) जी हां। परियात रिलीफ उपस्कर के लिए प्राप्त एक अनुरोध की जांच की जा रही है।

कोयले के मूल्यों में वृद्धि का प्रभाव

340. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल** :
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :
श्री मोहम्मद महफूज अली खां :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में कोयले के मूल्यों में वृद्धि की घोषणा के क्या कारण हैं तथा कितनी वृद्धि की गई है;

(ख) क्या कोला उपभोक्ताओं ने यह चिन्ता व्यक्त की है कि कोयले के मूल्यों में वृद्धि के कारण कोयले पर आधारित उद्योगों द्वारा बनाए जाने वाले विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होगी;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) ऐसी उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) कोयले की जो कीमत "औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो" की सिफारिशों पर विचार करने के बाद दिनांक 8-1-1984 से निर्धारित की गई थी उसमें 1-4-1985 से संशोधन होना था। कीमतों में पिछले संशोधन के बाद से उत्पादन-लागत में काफी वृद्धि हुई है जिसके अनेक कारण हैं, जैसे—भंडार सामग्री, सिस्फोटक-पदार्थ, लकड़ी आदि उत्पादन-सामग्री की लागत में वृद्धि, परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरों में पूर्व प्रभाव से लागू वृद्धि के कारण मजदूरी में हुई बढ़ोतरी, कर्मचारियों को बोनस/अनुग्रह राशि के भुगतान की सीमा बढ़ाना, भूमिगत भत्ते आदि में वृद्धि, पेट्रोल, तेल और चिकनाई पदार्थों की कीमतों में वृद्धि, रेलवे भाड़ा/किराया में वृद्धि, मूल्य ह्रास और ब्याज का अधिक भार, आदि। उत्पादन की लागत में वृद्धि के कारण कोल इंडिया लि० ने सरकार से कोयले की कीमतों में वृद्धि करने का अनुरोध किया। उस अनुरोध पर विचार किया गया और कोयले की कीमतों में दिनांक 9-1-1986 से संशोधन किया गया है। इस संशोधन से कोयले की औसत खान-मुहाना कीमत, कोल इंडिया लि० द्वारा उत्पादित कोयले लिए रु० 183 प्रति टन से बढ़कर रु० 210 प्रति टन और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० द्वारा उत्पादित कोयले के लिए रु० 192.00 प्रति टन से बढ़कर रु० 219 प्रति टन हो गई है। घरेलू उपभोग के लिए साफ्ट कोक की कीमत फिर वही रु० 175 प्रति टन ही रखी गई है, जो 27-5-1982 से चल रही थी। परन्तु औद्योगिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग में आने वाले साफ्ट कोक की कीमत दिनांक 9-1-1986 से रु० 300 प्रति टन निर्धारित की गई है।

(ख) से (घ) हाल में किए गए मूल्य-संशोधन के खिलाफ विभिन्न उपभोक्ता ऐसोसिएशनों से कुछ अभिवेदन प्राप्त हुए हैं। कोयले की कीमतों में संशोधन पर विचार करते समय, विभिन्न उपभोक्ता क्षेत्र पर और साथ ही पूरे देश की अर्थ-व्यवस्था पर इसके भार को ध्यान में रखा गया था।

शीरे के मूल्य के बारे में अभ्यावेदन

341. श्री बाला साहेब विखे पाटिल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों से शीरे की कीमतों की वृद्धि के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और पैट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह): (क) और (ख) दि इंडियन सूगर मिल्ज ऐसोसियेशन ने दीर्घावधि गन्ना और चीनी नीति पर सरकार को प्रस्तुत किये गये अपने ज्ञापन में अनुरोध किया है कि चीनी कारखानों के शीरे पर नियंत्रित मूल्य 20 रु० प्रति क्विंटल तक बढ़ाया जाना चाहिये।

(ग) अल्कोहल पर आधारित उद्योगों पर पड़ने वाले प्रभाव सहित सभी संबंधित पहलुओं पर विचार करने के पश्चात शीरे की नीति के बारे में निर्णय लिया जायेगा।

टायरों का निर्माण तथा कीमतें कम करने के लिए सुझाव

342. श्री बाला साहेब विखे पाटिल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टायरों का निर्माण करने वाले औद्योगिक एकक अपनी पूरी अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग कर पर्याप्त संख्या में रबड़ के टायरों का उत्पादन नहीं कर रहे हैं जिसमें परिणामस्वरूप देश में टायरों की कमी है,

(ख) यदि हां, तो क्या टायर उद्योग ने सीमा तथा उत्पादन शुल्क में छूट देने का सुझाव दिया है जिनके परिणामस्वरूप कीमतों में वृद्धि हुई; और

(ग) यदि हां तो उद्योग द्वारा दिए गए सुझाव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) विभिन्न राजकोषीय रियायतों के लिए समय-समय पर टायर उद्योग से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं ताकि वे टायरों के मूल्य कम कर सकें। सरकार टायर के उत्पादन की लागत को, जहां तक सम्भव है, स्थिर करके आटोमोटिव टायरों के मूल्य स्थिर करने के लिए आवश्यक उपायों की निरन्तर समीक्षा करती है।

ट्रांसपोर्ट आपरेटरों के पास निधियों की कमी के कारण भारी वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में गिरावट

343. श्री बाला साहेब विखे पाटिल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि वित्तीय वर्ष 1984-85 में भारी वाणिज्यिक वाहनों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है परन्तु ट्रांसपोर्ट आपरेटरों द्वारा इन वाहनों को खरीदने के लिए अपर्याप्त निधियों और उचित शर्तों के कारण उनकी बिक्री में काफी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) ट्रांसपोर्ट आपरेटरों को बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराने के लि! सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी, नहीं। किन्तु मझोले और भारी वाणिज्यिक गाड़ियों के मामले में बिक्री रेलवे के कार्य-निष्पादन में सुधार होने के कारण प्रत्याशा से कुछ कम है।

(ग) मझौले और भारी वाणिज्यिक गाड़ियों की मांग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(एक) आई० डी० बी० आई० की बिल डिस्काउंटिंग प्रणाली के अधीन राज्य परिवहन उपक्रमों के लिए ऋण की उपलब्धता में वृद्धि की गई है।

(दो) राज्य परिवहन उपक्रमों के लिए 10% सीमान्त राशि की शर्त 31-3-1986 तक त्याग दी गई है।

(तीन) छोटे आपरेटरों के सामने में ऋण के पुनर्भुगतान की अवधि 30-6-1986 तक 4 से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है।

(चार) फ्रेट कैरियरों के लिए राष्ट्रीय परमिटों की संख्या पर सीमा हटा दी गई है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

344. **श्री हरीश रावत** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष ग्रामीण विद्युयीकरण योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिले के कुछ विकास खंडों से ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के अनुमोदनार्थ कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें किन-किन तारीखों को स्वीकृत किया गया और अब तक कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) चालू वर्ष के दौरान जनवरी, 1986 तक अल्मोड़ा जिले की ग्राम विद्युतीकरण निगम को दो ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें प्राप्त हुई थीं जिनको स्वीकृति दे दी गई हैं और ब्यौरा निम्नानुसार है :—

खण्ड	स्वीकृति की तारीख	स्वीकृत किया गया कुल ऋण (लाख रु० में)	इसमें शामिल किए गए गांवों की संख्या	पूरा होने की अवधि
(1) भीक्यासेन "न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम"	फरवरी, 86	72.38	40	5 वर्ष
(2) चकखुटीया "न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम"	फरवरी, 86	72.79	40	5 वर्ष

अल्मोड़ा जिले की सात और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की स्कीमें फरवरी, 1986 में प्राप्त हुई हैं। चालू वर्ष के दौरान पिथौरागढ़ जिले की कोई स्कीम प्राप्त नहीं हुई है।

उत्तर प्रदेश में गांवों का विद्युतीकरण

345. श्री हरीश रावत : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष के अंत तक उत्तर प्रदेश में देहरादून, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़ तथा नैनीताल जिलों में कितने प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इनमें से कुछ जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रतिशतता इस संबंध में अखिल भारतीय प्रतिशतता से कम है; और

(ग) यदि हां, तो इन जिलों में ग्रामीण विद्युकरण की प्रतिशतता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जाने की संभावना है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) उत्तर प्रदेश के उल्लिखित जिलों में इस वर्ष के अंत तक विद्युतीकरण किए जाने वाले गांवों की संभावित प्रतिशतता निम्नानुसार है :—

देहरादून	79.0%
चमोली	48.9%
उत्तरकाशी	67.7%
टेहरी	43.3%
अल्मोड़ा	56.0%
पौड़ी गढ़साल	36.8%
पिथौरागढ़	36.3%
नैनीताल	87.0%

(ख) देहरादून, उत्तरकाशी और नैनीताल के जिलों को छोड़कर इन सभी जिलों में ग्राम विद्युतीकरण की प्रतिशतता अखिल भारतीय प्रतिशतता से कम है।

(ग) समग्र पर्वतीय क्षेत्रों को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया है इसमें 1980 के अंत तक सभी राज्यों के 65 प्रतिशत गांवों को शामिल करने की परिकल्पना की गई है। इन क्षेत्रों को जल्दी से जल्दी बिजली की सुविधा का लाभ देने के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम बनाए गए हैं जिसमें ऋण सहायता देने के लिए मानदण्डों को उदार बनाना भी शामिल है। इसके अलावा ग्राम विद्युतीकरण निगम ने देहरादून में एक उप-कार्यालय भी खोला है जो कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों की नई स्कीमें बनाने और निर्माणाधीन स्कीमों की मानीटरिंग करने में राज्य बिजली बोर्ड की सहायता करेगा।

उत्तर प्रदेश में विभिन्न नदियों और जल प्रपातों की पन-विद्युत क्षमता

346. **श्री हरीश रावत** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में विभिन्न नदियों और जल प्रपातों की कुल पन विद्युत क्षमता कितनी है और इस समय इस क्षमता का कितना उपयोग किया जा रहा है; और

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्तमान पन-विद्युत क्षमता के उपयोग के लिए क्या विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं और योजना अवधि के अंत तक कुल कितनी पन-विद्युत क्षमता के उपयोग किए जाने की संभावना है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) उत्तर प्रदेश में विभिन्न नद्रियों की कुल जल विद्युत शक्यता 60% भार अनुपात पर अनन्तिम रूप से 9726 मेगावाट आंकी गई है जिनमें से 1422 मेगावाट का सदुपयोग किया जा रहा है।

(ख) 2396 मेगावाट की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता की छः जल विद्युत परियोजनाएं इस समय निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। इसमें से 304 मेगावाट को सातवीं योजनावधि के दौरान चालू किए जाने की आशा है। इस प्रकार 7वीं योजनावधि के अन्त तक 1726 मेगावाट की कुल शक्यता का समुपयोजना किए जाने की आशा है।

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट के अनुपात में उनके मूल्यों में कमी

347. **श्री हरीश रावत** :
श्री नरसिंह मकवाना :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों के कुछ मूल्यों में गिरावट के फलस्वरूप भारत को विदेशी मुद्रा की कितनी बचत होने की आशा है;

(ख) क्या सरकार का पेट्रोलियम उत्पादों के विक्रय मूल्यों में उनके क्रय मूल्यों में आई गिरावट के अनुपात में कमी करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) तेल का बाजार अब भी अस्थिर है। जनवरी से मार्च, 1986 के दौरान होने वाला आयात अप्रैल से दिसम्बर, 1985 के दौरान हुए आयात की औसत लागत के मुकाबले 135 करोड़ रुपए कम होने का अनुमान है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) हालांकि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय तेल बाजार की शर्तें नरम है। फिर भी अन्तर्राष्ट्रीय

विश्लेषकों का यह मत है कि आने वाले वर्षों में यह अवश्य ही टाइट होता जायेगा तथा तेल की सप्लाई/मांग सन्तुलन इस ढंग से बनाए रखना होगा ताकि लम्बी अवधि में राष्ट्रीय हित की रक्षा हो सके।

[अनुवाद]

बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र का प्रबन्ध

348. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र के स्वामित्व और प्रबंध के भावी ढांचे के प्रश्न की जांच करने के लिए दिसम्बर, 1984 में नियुक्त की गई समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के साथ समझौते की अवधि समाप्त होने पर बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र का प्रबंध किस अभिकरण को सौंपे जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या बदरपुर विद्युत केन्द्र के संचालन और रख-रखाव के लिए कोई पृथक संगठन बनाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब स्थापित किये जाने की संभावना है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र के भावी स्वामीत्व और प्रबन्ध के स्वरूप के संबंध में समिति की सिफारिशों पर सरकार ने विचार किया है और यह निर्णय लिया गया है कि फिलहाल इसके वर्तमान स्वरूप को ही बनाए रखा जाए।

(ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का वर्तमान प्रबंध अनुबंध मार्च, 1988 तक के लिए लागू है।

(घ) इस समल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

तेल की खोज में विदेशों की भागीदारी

349. **श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी** :
श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :
श्री लक्ष्मण मलिक :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में देश में अन्य देशों को तेल की खोज करने की अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जो तेल की खोज में भाग ले रहे अथवा जिन्हें ऐसा करने की पेशकश की गई है;

(ग) विदेशों के किन-किन स्थानों पर तेल की खोज करने की अनुमति दी गई है;

(घ) प्रत्येक मामले में खोज कार्य की शर्तें क्या हैं; और

(ङ) तेल उद्योग के अन्य किन क्षेत्रों में विदेशी भागीदारी और आधुनिकतम प्रौद्योगिकी के स्थानान्तरण के लिए विचार किया जा रहा है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) से (घ) आर्थिक, व्यापार और वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग पर 22 मई, 1985 को भारत और सोवियत संघ के बीच मास्को में हस्ताक्षरित करार के अनुसार सोवियत के संगठन निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उत्तर कैम्बे, कावेरी के तटवर्ती बेसिनों में गहन एकीकृत अन्वेषण कार्य करेंगे :—

	उत्तरी कैम्बे	कावेरी
भूकम्पीय सर्वेक्षण खनन	3100 लाइन के० मी०	4000 लाइन कि० मी०
(एक) कुओं की संख्या	38	37
(दो) मीटरेज	81500	122000
अवधि	1986-92	1986-1995

(ङ) अन्वेषण के अतिरिक्त, अन्य क्षेत्र जिनमें विदेशी भागीदारिता के संबंध में विचार किया जा रहा है वे हैं हारिजेंटल ड्रिलिंग-प्रौद्योगिकी का स्थानान्तरण, डीप वाटर प्रोडक्शन टेक्नोलाजी, हैवी आयल का उत्पादन, ऊंचे दबाव ऊंचे तापमान के क्षेत्रों में ड्रिलिंग, सीमान्तिक क्षेत्र विकास, गैस संसाधन और उपयोग।

घरेलू उपभोग तथा उर्वरक निर्माण एककों के लिए गैस की सप्लाई

350. **श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986 के दौरान घरेलू उपभोग के प्राकृतिक गैस का कितनी मात्रा में इस्तेमाल करने का विचार है और उसके परिणामस्वरूप वर्ष 1986 के किए जाने वाले घरेलू गैस कनेक्शनों में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है; और

(ख) वर्ष 1986 के दौरान कितने उर्वरक निर्माण एककों को कितनी मात्रा में गैस सप्लाई करने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) बड़ोदा में घरेलू प्रयोग के लिए लगभग 50,000 घन मीटर प्राकृतिक गैस प्रतिदिन दी जा रही है। गुजरात के बड़ौच तथा अंकलेश्वर शहरों के घरेलू उपभोक्ताओं को प्राकृतिक गैस की सप्लाई हाल ही में

अनुमोदित की गई है तथा राज्य सरकार से आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए कहा गया है।

(ख) वर्ष 1986 के दौरान देश के विभिन्न उर्वरक एककों का कुल 12.70 मिलियन घन मीटर गैस प्रति दिन देने के वचन दिए गए हैं।

पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के फलस्वरूप तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को लाभ

351. श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोलियम, डीजल तेल और खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों का मूल्य बढ़ाने के क्या कारण हैं;

(ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को उक्त मूल्य वृद्धि से अनुमानतः कितना मुनाफा होने की संभावना है;

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार और स्वदेशी बाजार में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वास्तव में कितना अन्तर है; और

(घ) वर्ष 1984 की तुलना में वर्ष 1985 के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) पेट्रोलियम उत्पादों के उपभोग में तेजी से हो रही वृद्धि को रोकने तथा योजना के लिए संसाधनों को बढ़ाने की आवश्यकता को देखते हुए पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि की गई थी।

(ख) इस वृद्धि से ओ० एन० जी० सी० को कोई लाभ नहीं होगा।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) 1984 के दौरान ओ० एन० जी० सी० के कच्चे तेल का उत्पादन 25.16 मि० मी० टन था तथा 1985 में 27.23 (अनन्तिम) मि० मी० टन था। वर्ष 1984 के दौरान एल० पी० जी० और प्राकृतिक गैस का उत्पादन क्रमशः 228 और 301 हजार मीट्रिक टन तथा 1985 के दौरान 5189 और 6328 मिलियन घन मीटर हुआ था।

विवरण

पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के कारण ओ० एन० जी० सी० को मिलने वाले लाभ

जनवरी, 1986 के दौरान विश्व के विकासशील/उद्योगकृत तथा विकसित देशों की राजधानियों में पेट्रोलियम उत्पादों की खुदरा कीमत

देश	मोटर सिप्रिट	मिट्टी का तेल	एच० एस० डी० ओ०	एल० डी० ओ०	एफ० ओ०	ए० टी० एफ०	एल० पी० जी० (घरेलू) (रु०/कि०)	लागू प्रयोगित विनिमय दर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
विकासशील देश								
रिपब्लिक आफ कोरिया	9.07	4.00	3.80	—	2.55	3.09	8.79	1 रु०=72.8 वोन
फिलिपाइन्स	5.25	3.96	4.01	4.01	2.91	5.35	6.53	1 रु०=पी० 6.60 डालर
मलेशिया	5.48	3.49	3.24	2.79	2.24	3.81	6.68	1 रु०=एम० 0.2006 डालर
तन्जानिया	14.56	5.51	3.36	5.55	4.41	5.47	9.30	1 रु०=टी० 1.36 डालर
अर्जेंटिना	5.54	2.66	2.72	2.40	1.77	2.05	4.91*	1 रु०=0.064 औस्टर्ल
अफगानिस्तान (काबुल)	3.32	2.32	2.32	2.32	—	—	6.63	1 रु०=6.03 अफ०
चाइना (बिजिंग)	—	3.50	2.40	3.40	—	—	—	1 रु०=0.2176

1	2	3	4	5	6	7	8	9
भारत (दिल्ली) (वर्तमान)	7.43	2.25	3.50	3.40	3.25	—	4.06	
श्रीलंका	6.16	3.00	3.71	4.23	2.30	—	5.09	
विकसित देश								
जापान	8.71	4.51	5.63	—	3.37	—	13.65	1 रु० = 17.22 येन
फ्रान्स	7.58	—	5.97	2.31	3.51	4.49	15.22	1 रु० = 0.68 एफ० एफ०
यू० एस० ए०	3.84	4.48	4.31	3.55	4.08	3.84	4.22	
योगोस्लावाकिया	5.40	4.75	3.60	—	1.79	4.70	6.10	1 रु० = 24.13 एन० दिनार

* प्रोपेन तथा बुटेन की कीमतों का औसत ।

तेल के कुओं में आग की दुर्घटनाओं के कारण तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को हुई हानि

352. श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी :
प्रो० राम कृष्ण मोरे :
श्री मूलचन्द डागा :
डा० बी० एल० शैलेश :
श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल :
श्री महेन्द्र सिंह :
श्री उत्तम राठोड़ :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल के कुओं में आग की दुर्घटनाओं, विशेषकर गुजरात में कादी स्थित तेल की खोज के कुएं में आग लगने के कारण तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को कितनी हानि हुई है;

(ख) इस प्रकार आग की दुर्घटनाओं से बचने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं;

(घ) कादी में आग से प्रभावित स्थानीय जनता को दी गई क्षतिपूर्ति की राशि क्या है;

(ङ) क्या ऐसी आग पर काबू पाने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के पास आग बुझाने के उपकरण हैं; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) वर्ष 1983-84 से 1985-86 तक के तीन वर्षों के दौरान अग्नि दुर्घटनाओं से हुई हानि निम्नलिखित है :—

(1) सनंद कुआं सं० 65	12 लाख रु०
(2) कादी कुआं (प्रारम्भिक अनुमान)	180.5 लाख रुप

(ख) अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने और उनसे निपटने के लिए उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं :

—चोक और किल मैनिफोल्ड, नियन्त्रण वाल्व, उपयुक्त ब्लो आऊट रोधक, बी० ओ० पी० स्टैके के लिए शियर रैम, आदि जैसे अधिक भरोसेमन्द हार्डवेयर और उपकरण उपलब्ध करवाना।

—सभी आवश्यक सुरक्षा के उपाय किये जा रहे हैं। अग्नि के स्रोत जैसे बायल पिटो आदि को नियमानुसार कुएं के शीर्ष से दूर हटाना।

—आवश्यक अग्नि शमन उपकरण प्राप्त किए जा रहे हैं।

—कई ओ० एन० जी० सी० के कार्मिकों को भारत में तथा कुछ को मैसर्स रेड एडेअर सहित विदेशों में किसी भी संभाव्य दुर्घटना से निपटने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। संगठन, सम्बन्धित कार्मिकों को सुरक्षा-नियमावली दे रहा है और नियतकालिक रूप से बी० ओ० पी० और अग्नि शमन अभ्यास करवा रहा है।

(ग) आग लगने के कारणों की जांच की गई है और रिपोर्ट में सुझाए गए सुरक्षा उपायों को कार्यान्वित किया गया है। कादी कुआं में आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए ओ० एन० जी० सी० ने विभागीय जांच का आदेश दिया है।

(घ) कादी कुआं सं० 53 में लगी आग से प्रभावित स्थानीय लोगों के दावे प्राप्त हुए हैं और राज्य सरकार के प्राधिकारियों के परामर्श से जांच की जा रही है। अभी तक किसी भी दावेदार को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।

(ङ) और (च) सामान्य आग का सामना करने के लिए ओ० एन० जी० सी० सक्षम है। अधिक अत्याधुनिक उपकरणों को प्राप्त करके यह अपनी क्षमता को और बढ़ा रही है। विदेशी विशेषज्ञों सहित अन्य एजेंसियों की सहायता की असाधारण परिस्थितियों में ली जाती है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई विद्युत परियोजनाओं की लागत

353. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में आरम्भ की जाने वाली विद्युत परियोजनाओं पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : सातवीं योजना के दौरान, निर्माणाधीन/स्वीकृत स्कीमों तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मंजूर स्कीमों से 22,245 मेगावाट की क्षमता का लाभ होने की परिकल्पना की गई है। उन परियोजनाओं, जिनसे सातवीं योजना के दौरान लाभ प्राप्त होगा, की कुल अनुमानित लागत 24,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है। इस लागत का कुछ हिस्सा सातवीं योजना शुरू होने से पहले ही खर्च कर दिया गया है ताकि लाभ का कुछ हिस्सा छठी योजना में प्राप्त हो सके और लागत का कुछ भाग आठवीं योजना में शामिल किया जा सकता है ताकि आठवीं योजनावधि के दौरान लाभ प्राप्त हो सके।

[हिन्दी]

बिहार मंडल में डाकघरों में गबन की शिकायतें

354. श्री काली प्रसाद पांडेय : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ लोगों ने शाखा डाकघर फैजुल्लादपुर जिला गोपालगंज (बिहार) में गबन के सम्बन्ध में शिकायतें की हैं;

(ख) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कारंवाई की गई है;

(ग) इस डाकघर में कितने व्यक्तियों के खातों में गड़बड़ी की गई है और इस प्रकार कितनी राशि की हेराफेरी हुई है और कितने जमाकर्ताओं की राशि वापस लौटा दी गई है; और

(घ) क्या इस प्रकार के घोटालों के मामले विशेषकर बिहार मण्डल के अन्य डाकघरों में भी प्रकाश में आए हैं; और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) बचत बैंक में धोखाधड़ी करने वाले मुख्य अभियुक्त अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्ट-मास्टर को ड्यूटी से हटा दिया गया है। यह मामला पुलिस में दर्ज है।

(ग) 11 बचत बैंक खातों में कुल 48,265 रुपए का गबन हुआ तथा अभी तक केवल एक जमाकर्ता को पैसा वापस किया गया है।

(घ) जी हां। बिहार सर्किल में भिन्न-भिन्न अवधियों में हुए ऐसे अनिर्णीत मामलों की संख्या 156 है।

[अनुवाद]

नवजात शिशुओं की मृत्यु रोकने के उपाय

355. डा० टी० कल्पना देवी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर० एच० इम्मुनोग्लोलिन्स रोधी टीके, जो हजारों नवजात शिशुओं को मृत्यु से बचाते हैं, अन्य जीवन रक्षक औषधियों की भांति सस्ती दरों पर उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) आर० एच० की कमी से नवजात शिशुओं की होने वाली मृत्यु को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग) रिह्म्मुनोग्लोब्यूलिन्स निरोधी टीकों का अभी देश में निर्माण नहीं किया जाता। तथापि, अनेक जीवन-रक्षक औषधों की नीति किसी आयात शुल्क का भुगतान किए बिना खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत उदार रूप से उन टीकों का आयात करने की अनुमति है।

आयल इण्डिया द्वारा तेल की खोज और कच्चे तेल के उत्पादन के लक्ष्य

356. डा० टी० कल्पना देवी :
डा० बी० एल० शैलेश :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा ड्रिलिंग और कच्चे तेल के उत्पादन के चालू वर्ष के लक्ष्य पूरे किए जाने की आशा है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है और उस पर कितनी पूंजी परिव्यय होगी;

(ग) यदि नहीं, तो उपलब्ध लक्ष्यों में कितनी कमी रहेगी और उसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 1986-87 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इन लक्ष्यों का पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) वर्ष 1985-86 के लिए ओ० आई० एल० के फिजिकल कार्यक्रम के लक्ष्यों की और संभावित प्राप्तियों की व्यापक रूपरेखा की तुलना नीचे दी गई है :—

	लक्ष्य	प्रत्याशित प्राप्ति	प्रतिशत कमी
(i) क्रूड उत्पादन (एम० एम० टी०)	3.03	2.73	90
(ii) खुदाई मीटरेज) (000 मीटर)	170.7	117.4	69

मोरान और नहरकरिया तेल क्षेत्रों के पुराना होने, रिगों की देरी से सुपुर्दगी होने से विकास खुदाई कम होना, जोराजन में अप्रत्याशित क्षेत्रीय समस्याओं आदि के कारण मुख्यतः क्रूड उत्पादन में कमी हुई। खुदाई में न्यूनता, देश में तैयार रिगों की देर से डिलीवरी और चालू होने, महानदी, राजस्थान और अंडमान अपतट के खुदाई कार्यक्रम में विलम्ब होने के कारण आई।

1985-86 के लिए ओ० आई० एल० के लिए योजना परिव्यय 280 करोड़ रुपए का था।

(घ) वर्ष 1986-87 के लिए (अनुमानित) लक्ष्य नीचे दिया गया है :—

(i) क्रूड उत्पादन (एम० एम० टी०)	2.99
(ii) खुदाई मीटरेज (000 मीटर)	180.9

लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रस्तावित किए जाने वाले उपाय इस प्रकार हैं :—

(1) विकासात्मक खनन/अन्वेष्णात्मक खनन की गति में वृद्धि।

(2) वर्क ओवर प्रयत्नों में तेजी लाना।

(3) पम्पों की स्थापना के साथ-साथ कंप्रेसरों की स्थापना करके गैस लिफ्ट पर अधिक कुंए लगाकर कृत्रिम लिफ्ट की अधिक मांग को पूरा करना।

(4) जल और गैस अंतक्षेपण द्वारा दबाव बनाए रखने के प्रयत्न में वृद्धि करना।

(5) उत्पादन अधिकतम करने के लिए नये विकासशील क्षेत्र (जोराजन) का अध्ययन करना।

(6) पे-जोन को तोड़कर और सैंड-प्रोडक्शन, जो नियमित उत्पादन में बाधक होते हैं, को ध्यान में रखकर कुएं की उत्पादकता को बढ़ाना।

पाइप लाइन के लिए फाइबर आप्टिक्स प्रौद्योगिकी का प्रयोग

357. **डा० टी० कल्पना देवी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा पाईपलाइनों के लिए फाइबर आप्टिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जैसा कि 4 फरवरी, 1986 के "द टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रौद्योगिकी में कच्चे माल का आयात करने और विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) बम्बई पुणे पाइपलाइन पर स्थापित प्रणाली में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

(i) ट्राम्बे मुख्य प्रेषण स्टेशन और लोनी में प्राप्ति टर्मिनल को जोड़ने वाली लगभग 175 कि० मी० की फाइबर आप्टिक्स केवल।

(ii) ट्राम्बे/वैंशी/खोपोली/तेलेगांव और लोनी में स्वर परिवर्तन और प्रेषण प्रणाली।

(iii) सिगनलों को सशक्त बनाने के लिए अपेक्षित शक्ति के अनुसार रूट के साथ-साथ छः रिपेयरिंग स्टेशन।

इस समय यह प्रणाली उपर्युक्त सभी बिन्दुओं के मध्य संतोषजनक रूप से स्वर संचार उपलब्ध करा रही है।

(ग) और (घ) जी, हां। केबल और परिवर्तन/प्रेषण उपकरणों सहित पूरी प्रणाली को मैसर्स एस० टी० सी०, यू० के० से आयात किया गया है।

विदेशी मुद्रा के रूप में कुल व्यय, जिसमें प्रणाली की लागत, स्पेयर्स, स्थापना/चालू करने और निरीक्षण शुल्क सम्मिलित हैं, लगभग 850,000 पौंड होने का अनुमान है।

कच्चे तेल का उत्पादन तथा आयात

358. श्री सी० माधव रेड्डी :
श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :
श्री वी० वी० देसाई :
श्री उत्तम राठोड़ :
श्री मदन पांडे :
श्री बनवारी लाल बेरवा :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान भारत में कच्चे तेल का कितना उत्पादन होने का अनुमान है;

(ख) कच्चे तेल की कुल कितनी अनुमानित मात्रा का आयात करने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या तेल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट के रुख को देखते हुए विभिन्न देशों के साथ सांवधि करारों के आधार पर कच्चे तेल का आयात करने की व्यवस्था को बदल कर तत्स्थानी खरीद करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) 1985-86 के दौरान देश में कच्चे तेल का प्रत्याशित उत्पादन 29.94 मि० मी० टन होगा।

(ख) कच्चे तेल का सकल आयात लगभग 15 मि० मी० टन होने का अनुमान है।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में गिरावट को देखते हुए कच्चे तेल का आयात बाजार की तुलनात्मक कीमतों पर करने का प्रस्ताव है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा गोबर गैस संयंत्रों की मौके पर जाकर गणना

359. श्री के० राममूर्ति :
प्रो० राम कृष्ण मोरे :
श्री मूल चन्द डागा :

या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग के तत्वावधान में स्थापित किए गए गोबर गैस संयंत्रों की मौके पर जाकर गणना करने से यह पता चला है कि बिहार, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में 13216 गोबर गैस संयंत्रों में से 826 गोबर गैस संयंत्र स्थापित नहीं किए गए हैं;

(ख) क्या गोबर गैस कार्यक्रम के लिए मध्य प्रदेश में जिन मामलों में आर्थिक सहायता दी गई थी उन सभी मामलों में अन्तिम पूर्ति प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं थे; और

(ग) यदि हां, तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार राज्यों के 14 चुने हुए जिलों में गैस संयंत्रों की गणना के दौरान, सर्वेक्षण किए गए 13,216 बायो-गैस संयंत्रों में से, 826 बायो-गैस संयंत्रों के अस्तित्व में न रहने की सूचना मिली है।

(ख) मध्य प्रदेश में ऐसे 588 संयंत्रों के लिए 60 प्रतिशत राजसहायता का भुगतान किया गया जो पूरी तरह पूरे और चालू नहीं हुए थे। अधूरे संयंत्रों को पूरा करने के लिए कार्रवाई की गई है ताकि लाभग्राहियों को, जो मुख्यत: आदिवासी लोग हैं, किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। इन संयंत्रों में से, अब तक 429 संयंत्र पूरे और चालू हो चुके हैं। शेष संयंत्रों को पूरा करने के लिए कार्य चल रहा है।

(ग) वर्ष 1984-85 के दौरान मध्य प्रदेश में कार्य कर रहे सम्बन्धित दोषी अधिकारियों अर्थात् विकास अधिकारी और सहायक निदेशक को आरोप-पत्र दे दिए गए हैं और विकास अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया है। अन्य सम्बन्धित तकनीकी कर्मचारियों से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है।

[हिन्दी]

न्यायिक सुधार

360. **श्री काली प्रसाद पांडेय :**
श्री टी० बशीर :
प्रो० पी० जे० कुरियन :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न्यायिक सुधारों के बारे में इस वर्ष कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) सरकार ने विधि आयोग को आवश्यक सुधार लाने के लिए न्याय पद्धति का अध्ययन करने का कार्य सौंपा है। विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

विधि आयोग द्वारा न्यायिक सुधार का अध्ययन करने के संदर्भ में विचारार्थ विषय

1. (i) ग्रामीण क्षेत्रों में विवादों के निपटारे के लिए न्याय पंचायत या अन्य तन्त्र की स्थापना करके, उसका विस्तार करने और उसे सुदृढ़ करके;

(ii) उपयुक्त क्षेत्रों और केन्द्रों में परिनिश्चित अधिकारिता और शक्तियों सहित भाग लेने वाली न्याय पद्धति स्थापित करके;

(iii) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कार्य की मात्रा को घटाने के लिए न्यायिक श्रेणी के भीतर अन्य पंक्ति या पद्धति स्थापित करके,

न्याय प्रशासन की पद्धति का विकेन्द्रीकरण करने की आवश्यकता।

2. ऐसे विषय जिनके लिए संविधान के भाग 14क में यथा परिकल्पित अधिकरणों (सेवा अधिकरणों को अपवर्णित करते हुए) को शीघ्र स्थापित करने की आवश्यकता है और उनके स्थापन और कार्यकरण से सम्बन्धित विभिन्न विषय;

3. प्रक्रिया सम्बन्धी विधियां साधारणतः मामलों के शीघ्र निपटाने, अनावश्यक मुकदमेबाजी को और मामलों की सुनवाई में विलम्ब को कम करने की दृष्टि से और प्रक्रिया तथा प्रक्रिया सम्बन्धी विधियों में सुधार और विशेष रूप से मद 1(i) और 1(ii) में परिकल्पित विषयों के अनुरूप प्रक्रियाओं के लिए उपाय करना।

4. अधीनस्थ न्यायालयों/अधीनस्थ न्यायपालिका में नियुक्ति का ढंग।

5. न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण।

6. न्याय प्रशासन की पद्धति को सुदृढ़ करने में विधि व्यवसाय की भूमिका।

7. ऐसे मानदण्डों को निश्चित करने की वांछनीयता जिनका सरकार और पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा विवादों के निपटारे में पालन किया जाना चाहिए। इसके अन्तर्गत सरकार और ऐसे उपक्रमों की ओर से मुकदमों के संचालन के लिए वर्तमान पद्धति का पुनर्विलोकन भी है।

8. मुकदमेबाजी का खर्च—मुकदमा लड़ने वालों पर भार कम करने की दृष्टि से।

9. अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन; और

10. ऐसे अन्य विषय जो आयोग उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए उपयुक्त या आवश्यक समझे या जो सरकार द्वारा उसे समय-समय पर निर्देशित किए जाएं।

[अनुवाद]

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० को हुआ घाटा

361. श्री मुरलीधर माने :
श्री गुरुदास कामत :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र का उद्यम इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड भारी घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इसे कितना घाटा हुआ;

(ग) क्या सरकार को हाल ही में इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड से पुनर्नवीकरण योजना प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या पुनर्नवीकरण योजना सरकार के विचाराधीन है?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) जी हां। गत 3 वर्षों के दौरान आई० डी० पी० एल० द्वारा उठाई गई शुद्ध हानि निम्न प्रकार है :

	(रु० करोड़ों में)
1982-83	24.01
1983-84	19.43
1984-85	26.25

(ग) और (घ) जी, हां। तथापि इस योजना में सभी सम्बन्धित पहलुओं को शामिल नहीं किया गया था, अतः आई० डी० पी० एल० ने निर्णय किया है कि इसमें पुनः संशोधन किया जाये।

हिमाचल प्रदेश में डाकघर स्थापित करना और दर्जा बढ़ाना

362. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में वर्ष 1986-87 के दौरान कितने डाकघर स्थापित करने और वर्तमान कितने डाकघरों का दर्जा बढ़ाने का विचार है;

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर इन डाकघरों को स्थापित करने अथवा उनका दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(ग) हिमाचल प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान वास्तव में ऐसे स्थानों की संख्या और नाम क्या हैं जहां डाकघर खोले गए अथवा उनका दर्जा बढ़ाया गया ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) हिमाचल प्रदेश में 1986-87 के दौरान नए डाकघर खोलने अथवा मौजूदा डाकघरों का दर्जा बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जानकारी संलग्न विवरण में दे दी गई है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में खोले गए डाकघरों अथवा जिन डाकघरों का दर्जा बढ़ाया गया, उनके नाम तथा संख्या दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	खोले गये डाकघर	डाकघर जिनका दर्जा बढ़ाया गया
1	2	3
1983-84	1. बियारा	1. रघुनाथपुरा
	2. अखार	2. सैदालू

1	2	3
	3. काठीबडोल	3. घंधुर
	4. परोड़ी	4. गुलरूर
	5. कोटला	5. सनेयर
	6. एंजीला	6. खोल
	7. बेल्ट	7. ढानढोल
	8. बालाग	8. रंगास
	9. उपेरली बाहेली	9. खनियारा
	10. शिरार	10. चानौर
	11. रानोल	11. ओल
	12. केवीकान	12. बालाथ
	13. सराहन	13. जंगलबेरी
	14. सुकेत	
	15. मुड्ड	
	16. जारदोहा	
	17. अमाव	
	18. समोरकलां	
	19. मसाई	
	20. भोली	
	21. दिगार	
	22. कबाली	
	23. घराजतुरल	
	24. कवारेग	
	25. खिगल	
	26. खेरी	
	27. अलवार	
	28. सोजा	
	29. अनाथ	
	30. न्याग्रम	
	31. रूपा	

1	2	3
1983-84	32. किकिन	
	33. मूरिंग	
	34. मूलींग	
1984-85	1. पोलेदाखाला	—शून्य—
	2. पालाशिकलां	
	3. कारेलपुन्टो	
	4. मिन्टाल	
	5. कोलोंग	
	6. कारपाट	
1985-86	—शून्य—	—शून्य—

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के निदेशक बोर्ड में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व

363. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और भारतीय निगम के निदेशक बोर्ड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई प्रतिनिधित्व है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन निदेशक बोर्डों में सदस्यों को मनोमीत करने के लिए क्या मानदण्ड हैं; और

(घ) क्या सरकार का इन दो संगठनों अर्थात तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और भारतीय तेल निगम के निदेशक बोर्ड में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कम से कम दो सदस्य शामिल करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षण बोर्ड स्तर की नियुक्तियों पर लागू नहीं होता।

(ग) आई० ओ० सी० के निदेशक ओ० एन० जी० सी० में सदस्यों की नियुक्ति आई० ओ० सी० के संगम अनुच्छेद तथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 के उपबन्धों के अनुसार उनकी कार्यालयीन स्थिति तथा उनकी इन संगठनों के सम्बन्धित क्षेत्रों में विशिष्ट योग्यताओं को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा की जाती है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) और (ग) में दिए गए उत्तरों को देखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

लघु उद्योग क्षेत्र के लिए औद्योगिक उत्पादों का अनारक्षण

364. **श्री शरद दिघे** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भौतिक से वित्तीय नियंत्रणों सम्बन्धी नरसिंह पैनल से लघु उद्योग क्षेत्र के लिए औद्योगिक उत्पादों के धीरे-धीरे अनारक्षण की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सिफारिश पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन हेतु वस्तुओं का आरक्षण/अनारक्षण एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। केवल लघ उद्योग क्षेत्र में उत्पादन हेतु आरक्षित की जाने वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में सिफारिशें करने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन भारत सरकार ने एक आरक्षण समिति की नियुक्ति की है। इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं।

औद्योगिक उत्पादन की विकास दर में गिरावट आना

365. **श्री शरद दिघे** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार विकास दर में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का उसे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) औद्योगिक उत्पादन के केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के सूचकांक के अनुसार अप्रैल-नवम्बर, 1985 के दौरान औद्योगिक विकास की दर 6.3% थी, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में यह 7.8% थी। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान औद्योगिक विकास की दर अधिक होती परन्तु विद्युत और खनन क्षेत्रों में विकास की कम दर के लिए अवस्थापन सम्बन्धी बाधाएं, क्षमताओं का कम उपयोग, विद्युत का अभाव आदि जैसे कुछेक उत्पादन उत्तरदायी हैं।

औद्योगिक लाइसेंस देने और आयात नीतियों में उपयुक्त परिवर्तन के माध्यम से तथा इसके साथ-साथ मुद्रा सम्बन्धी और राजकोषीय अभ्युपायों और अवस्थापना में सुधार करके अनेक औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार कदम उठा रही है।

सरकारी क्षेत्र में उद्योगों के विकास के लिए केरल में केन्द्रीय निवेश

366. **श्री टी० बशीर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र में उद्योगों के विकास के लिए केरल में केन्द्र ने कितनी राशि का निवेश किया; और

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल में उद्योग के विकास के लिए केन्द्रीय निवेश का कुल परिव्यय कितना रखा गया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय केरल में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में हुए पूंजीनिवेश से है। 31-3-1980 और 31-3-1985 को केरल में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में सकल परिसम्पत्ति आदि के रूप में किए गए पूंजीनिवेश का ब्यौरा इस प्रकार है—

31-3-1980 को	422.84 करोड़ रुपए
31-3-1985 को	831.22 करोड़ रुपए (अनन्तिम)

(ख) केन्द्रीय परिव्यय का निर्णय राज्यवार आधार पर नहीं किया जाता है। केन्द्रीय परिव्यय अनेक अवस्थापना सम्बन्धी एवं सामाजिक सेवाप्रदायी क्षेत्रों से सम्बद्ध है। औद्योगिक परियोजनाओं की अवस्थिति का निर्णय भी तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर किया जाता है तथा इसे राज्यवार आधार पर पूर्व निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा डाक लिफाफों और टिकटों की बिक्री

367. **श्री टी० बशीर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने डाक लिफाफों और टिकटों की बिक्री आदि जैसे कुछ कार्य गैर-सरकारी एजेंसियों को सौंप देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि इस प्रकार के निर्णय से अतिरिक्त विभागीय डाकियों और कुछ अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों, जो इस समय सेवा में हैं, पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) एक प्रणाली शुरू की गई है जिसके अन्तर्गत डाक-टिकट और स्टेशनरी की बिक्री बुक रजिस्टर्ड पत्र तथा डाकघर को डाक प्रेषण के लिए कमीशन आधार पर लाइसेंस शुदा डाक एजेंट नियुक्त किए जाते हैं।

(ख) इस प्रणाली का उद्देश्य है कि नए क्षेत्रों में जहां साधनों की कमी, पदों के सृजन पर रोक, उपयुक्त स्थान उपलब्ध न होने या निर्धारित मानदण्ड पूरे न होने के कारण नियमित डाकघर नहीं खोले जाते हैं, कुछ आधारभूत डाक सुविधायें प्रदान की जा सकें।

(ग) लाइसेंस शुदा डाक एजेंटों का डाक वितरण कार्य नहीं करना होता है। यह कार्य केवल विभागीय और अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों द्वारा ही किया जाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि लाइसेंसशुदा डाक एजेंसियों को कुछ सीमित डाक कार्य सौंपे जाते हैं तथा देश में डाकघरों की संख्या की तुलना में एजेंटों की संख्या 0.3 प्रतिशत है। अतः इस प्रणाली से सेवारत डाक कर्मचारियों के हितों पर बुरा प्रभाव पड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रश्न के भाग (क), (ख) और (ग) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में तेल की खोज

368. **श्री टी० बशीर :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने केरल में तट से दूर तेल निकालने का कार्य आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केरल में तेल खोज की भावी योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अभी तक 24,500 लाइन किलोमीटर को भूकम्पीय सर्वेक्षण कार्य किया गया तथा 3 खोजी कुएं खोदे गए।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 29 हजार लाइन किलोमीटर का भूकम्पीय सर्वेक्षण कार्य करने तथा 12 कुएं खोदने का प्रस्ताव है।

खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों की प्रतीक्षा-सूची

369. **श्री पी० एम० सईद :**

श्री अमर सिंह राठवा :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खाना पकाने की गैस के नए कनेक्शनों के लिए कितने आवेदक प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) वर्ष 1985 के दौरान कितने कनेक्शन दिए गए;

(ग) प्रतीक्षा सूची को समाप्त करने में कितना समय लगने की सम्भावना है; और

(घ) कनेक्शन देने में सरकार के समक्ष क्या बाधायें हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) 31-12-85 के लगभग 37 लाख आवेदन एल० पी० जी० कनेक्शन देने के लिए बकाया थे।

(ख) जनवरी-दिसम्बर, 1985 के दौरान 16.13 लाख एल० पी० जी० कनेक्शन जारी किए गए।

(ग) और (घ) तेल कम्पनियों के वार्षिक उपभोक्ता नामांकन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों को चरणबद्ध रूप से कनेक्शन दिए जा रहे हैं जो कि इस समय लगभग 16 लाख प्रति वर्ष है। कनेक्शनों का जारी करना एल० पी० जी० की उपलब्धता, तथा बाटलिंग संयंत्रों, परिवहन सुविधाओं तथा वितरणशिप नेटवर्क जैसी आधारभूत सुविधाओं पर निर्भर करता है।

यात्री कार के निर्माण के लिए विदेशी सहयोग

370. **श्री पी० एम० सईद** : क्या उद्योग मंत्री कार उद्योग का आधुनिकीकरण और नई क्षमता का विकास के बारे में 17 दिसम्बर, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4325 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्री कार के निर्माण के लिए विदेशी सहयोग हेतु औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के सम्बन्ध में इस बीच निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कितने प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है तथा उनके नाम और क्षमता पूंजी लगाने आदि जैसे अन्य ब्यौरे क्या हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

महानगर टेलीफोन निगम का ढांचा

371. **श्रीमती किशोरी सिंह** :
श्री बनवारी लाल पुरोहित :
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :
श्री सनत कुमार मण्डल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित महानगर टेलीफोन निगम भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत एक कम्पनी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो उसके ढांचे का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली और बम्बई में दूर-संचार व्यवस्था के वर्तमान कर्मचारियों की सेवाएं उक्त नियम में अन्तरित की जाएगी; और

(घ) क्या यह निगम टेलीफोन व्यवस्था पूर्णतया वाणिज्यिक आधार पर चलाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) (एक) महानगरीय टेलीफोन निगम, लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय दिल्ली में स्थित होगा।

(दो) इसमें एक निदेशक बोर्ड होगा जिसमें कम से कम 8 और अधिक से अधिक 12 निदेशक होंगे। 5 निदेशक पूर्णकालिक होंगे तथा शेष अंशकालिक निदेशक होंगे जिनमें से कुछ निदेशक गैर-सरकारी हो सकते हैं। प्रारम्भ में दूर-संचार विभाग के सचिव को इस निगम के पदेन अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव है।

(तीन) इस निगम की 800 करोड़ रुपए की प्राधिकृत शेयर पूंजी होगी।

(चार) इस निगम को सावधि जमा स्वीकार करने तथा डिबेंचर आदि के माध्यम से बाजार से ऋण लेने का अधिकार प्राप्त होगा।

(ग) उपलब्ध पदों पर बम्बई और दिल्ली टेलीफोनों द्वारा भर्ती किए गए कर्मचारियों को इस निगम में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

(घ) वाणिज्यिक पहलुओं से सोचना इसका एक महत्वपूर्ण कार्य होगा।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में तेल निकालने के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का कार्यक्रम

372. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने हाल में सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान तेल निकालने के कार्यक्रम का विस्तार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम पर कुल कितना व्यय होने की सम्भावना है;

(ग) क्या सरकार का इस सम्बन्ध में अन्य देशों से कोई सहायता लेने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) अधिक तेल निकालने की तकनीकें अपनाने का तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का कार्यक्रम है। सातवीं योजना की अवधि के दौरान उनका ऐसे पाइलट प्रोजेक्ट लागू करने का कार्यक्रम है।

(ख) 52.30 करोड़ रुपये।

(ग) और (घ) दो पाइलट परियोजनाओं के लिए बैकअप परामर्श संयुक्त राज्य अमेरिका की मैसर्स कैपलिगर एसोसिऐट्स, तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसर्स साइटिफिक साफ्टवेयर इन्टरकाम्प, से लिया जा रहा है।

बिजली की कमी

373. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पड़ोसी राज्यों से अये प्रतिनिधियों ने बिजली की वर्तमान भारी कमी को पूरा करने हेतु सरकार से अभ्यावेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधियों के साथ हुई बातचीत के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) पड़ोसी राज्यों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) विद्युत की कमी को

पूरा करने के लिए पड़ोसी राज्यों से सहायता प्राप्त करने के लिए विभिन्न राज्यों से समय-समय पर अनुरोध तथा अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं। इन राज्यों को यथासम्भव सहायता दी जाती है जोकि पड़ोसी राज्यों में विद्युत सप्लाई की स्थिति और केन्द्रीय विद्युत केन्द्रों से विद्युत की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

ओषधियों पर मूल्य नियंत्रण

374. **डा० गौरी शंकर राजहंस :**
श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में संसद सदस्यों ने औषध उद्योग द्वारा उपभोक्ताओं को "जान बूझकर लूटने" के बारे में गहरी चिन्ता व्यक्त की है और सभी ओषधियों पर कड़ा मूल्य नियंत्रण करने का आह्वान किया है;

(ख) क्या सरकार ने संसद सदस्यों के अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) 34 सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें औषध नीति के सम्बन्ध में उनके विचार दिए गए हैं और सरकार से अनुरोध किया गया है कि दवाइयों पर सुदृढ़ मूल्य नियंत्रण रखा जाए।

(ख) और (ग) नई औषध नीति तैयार करते समय विभिन्न विचारों को ध्यान में रखा जाता है।

कैमिकल्स, ड्रग्स और फार्मास्युटिकल्स के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कार्य निष्पादन

375. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैमिकल्स, ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य-निष्पादन की पुनरीक्षा करने के लिए उनके साथ एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो चर्चा का ब्योरा क्या है; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और फार्मास्युटिकल्स उद्योग की कार्य-प्रणाली में कितना सुधार होगा ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों के निष्पादन की पुनरीक्षा के अलावा निम्नलिखित मुद्दों पर बल दिया गया था—

(1) सुरक्षा और समग्र पर्यावरणात्मक संरक्षण पर कोई ढील न देना।

( ) नई प्रबन्ध तकनीकी अपनाना।

(3) वस्तु सूची नियंत्रण और सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने की सम्भाव्यता बढ़ाना।

(4) प्रौद्योगिकी को उच्च बनाना और उत्पाद मिश्र का सुव्यवस्थीकरण।

(5) उपक्रमों के लिए अल्पावधि और दार्घावधि उद्देश्यों की शिनाख्त करना और विविधीकरण के उपयुक्त कार्यक्रम तैयार करना।

(6) विपणन व्यवहार में इस प्रकार सुधार करना ताकि महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त हो सके।

(7) उपक्रमों के विभिन्न प्रभागों में प्रबन्धकीय दक्षताओं में सुधार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम/लघु रिफ्रेशर पाठ्यक्रमों का आयोजन।

(ग) सातवीं योजना अवधि के दौरान रसायन क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम डाइस्टफ्स, रबड़ रसायनों, भेषजों तथा राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए मूल कीटनाशियों के लिए अपेक्षित रसायनों/रसायन मध्यवर्तियों के स्रोत बने रहेंगे।

सातवीं योजना में सरकारी क्षेत्र के औषध उपक्रमों का उद्देश्य अनिवार्य तथा जीवन रक्षक प्रपुंज औषधों तथा फार्मूलेशनों की उपलब्धता जारी रखना तथा निष्पादन में ब्रेक इवन स्तर प्राप्त करना है। सातवीं पंचवर्षीय योजना (1989-90) के अन्तिम वर्ष तक, यह प्रत्याशित है कि प्रपुंज औषधों को स्वदेशी उत्पादन ९08.4 करोड़ रुपए का तथा औषध फार्मूलेशनों का 3775 करोड़ रुपए का होगा।

राज्यों में "उद्योग रहित" क्षेत्र

376. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राज्य सरकारों से अपने-अपने राज्यों में "उद्योग रहित क्षेत्रों" का पता लगाने सौर इस सम्बन्ध में अपने विचार बताने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में उनके विचार से मांगे हुए हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में विचार मांगने का उद्देश्य क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

कोयला कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण

377. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किस तारीख को किया गया था, और उस समय कोयले के मूल्य क्या थे तथा इस समय मूल्य क्या है और उनमें अब तक कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ख) राष्ट्रीयकरण के समय खुले बाजार में उपभोक्ताओं को किन मूल्य पर कोयला उपलब्ध था और इस समय यह उपभोक्ताओं को किन मूल्यों पर उपलब्ध है; और

(ग) क्या यह सच है कि कोल इंडिया लिमिटेड तथा सरकारी क्षेत्र के अन्य कोयला उपक्रमों में कोयले के मूल्यों में वृद्धि करने के बावजूद घाटा हुआ है और यदि हां, तो राष्ट्रीयकरम से अब तक उनको कुल कितना घाटा हुआ है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) कोयला खानों का दो चरणों में राष्ट्रीयकरण किया गया था। कोककर कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण दिनांक 1-5-1972 से एवं अन्य कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण दिनांक 1-5-1973 से किया गया था। राष्ट्रीयकरण के समय कोयले की औसत खान-मुहाना कीमत रु० 37.50 प्रति टन थीं। राष्ट्रीयकरण से अब तक कोयले की खान-मुहाना कीमतों में सात बार संशोधन हो चुका है जिसका ब्यौर नीचे दिया गया है —

संशोधन की तारीख	कोयले की औसत खान मुहाना कीमत		पिछली कीमत से प्रतिशत वृद्धि		साफ्ट कोक की खान मुहाना कीमत/पिछली कीमत से प्रतिशत वृद्धि	
	को० ई० लि०	सिं० को० कं० लि०	को० ई० लि०	सिं० को० कं० लि०	रु० प्रति टन	प्रतिशत
1-4-1974	47.50	50.50	—	—	86.00	—
1-7-1975	64.92	67.65	36.67	33.96	86.00	शून्य
17-7-1979	101.18	99.92	55.85	47.70	110.00	27.90
14-2-1981	128.02	136.85	26.52	36.96	150.00	36.36
27-5-1981	145.90	154.75	13.96	13.08	175.00	16.67
8-1-1984	183.00	192.00	25.43	24.07	175.00	शून्य
9-1-1986	210.00	219.00	11.75	14.06	175.00	शून्य

साफ्ट कोक आम जनता के प्रयोग का ईंधन है और इसकी कीमत दिनांक 27-5-1982 के बाद नहीं बढ़ाई गई है। परन्तु औद्योगिक प्रयोग हेतु इसकी कीमत दिनांक 9-1-1986 से रु० 300.00 प्रति टन निश्चित की गई है।

साफ्ट कोक की फुटकर कीमतें राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा निश्चित की जाती हैं एवं अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग रहती हैं।

(ग) कोल इंडिया लि० एवं इसकी सहायक कम्पनियों को 1980-81 तक घाटा होता रहा था। वर्ष 1981-82 में पूरे कोल इंडिया लि० को समग्र रूप में रु० 34.20 करोड़ का मुनाफा हुआ

था। पूरे कोल इण्डिया लि० को समग्र रूप से वर्ष 1982-83, 1983-84 एवं 1984-85 के दौरान क्रमशः रु० 5 34 करोड़, रु० 342.68 करोड़ एवं 78.03 करोड़ रु० का घाटा हुआ था। दिनांक 31-3-1985 तक को० ई० लि० एवं उसकी सहायक कम्पनियों का संचित घाटा/मुनाफा नीचे दिया गया है—

(—)=घाटा
(+)=मुनाफा

(रु० करोड़ में)

कम्पनी/प्रभाग का नाम	31-3-1985 तक संचित घाटा/मुनाफा	
को० ई० लि०/नार्थ ई० को	(—)	105.81
ई० को० लि०	(—)	649.61
भा० को० को० लि०	(—)	628.79
से० को० लि०	(+)	272.38
वे० को० लि०	(—)	5.49
के० खा० आयो० एवं डिजा० सं० लि०	(+)	1.47
जोड़	(—)	1215.86

[अनुवाद]

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के आदेशों को टेप रिकार्ड करना आरम्भ करना

378. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों द्वारा दिए जाने वाले आदेशों की विशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें टेप रिकार्ड करना आरम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसी प्रकार की पद्धति विभिन्न उच्च न्यायालयों में भी विचार करने का विचार है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) जी, नहीं।

मारुति कार के फालतू पुर्जों की उपलब्धता

379. **श्री एम० रघुमा रेड्डी :**
श्री मानिक रेड्डी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति कार का निर्माण जापान के सहयोग से किया जा रहा है;

(ख) क्या मारुति कार के फालतू पुर्जे भारत में उपलब्ध नहीं है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) मारुति कार के फालतू पुर्जे उपलब्ध कराए जाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

हरियाणा के गांवों में टेलीफोन सुविधाएं

380. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान हरियाणा के किन-किन और कितने गांवों में टेलीफोन सुविधायें प्रदान किए जाने की सम्भावना है; और

(ख) इस पर कितना खर्च आएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) वर्ष 1986-87 के दौरान 72 ग्रामों में टेलीफोन सुविधायें प्रदान करने का प्रस्ताव है। इनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) इस कार्य पर 72 लाख रुपए व्यय होने का अनुमान है।

विवरण

क्र० सं०	ग्राम का नाम	क्र० सं०	ग्राम का नाम
1	2	1	2
अम्बाला जिला		**कुरुक्षेत्र जिला**	
1.	करनपुर	11.	अमरावली
2.	शैफिलपुर	**अम्बाला जिला**	
3.	अजीजपुर	12.	मन्दोली
4.	मरवाखुर्द	**भिवानी जिला**	
5.	फतेहगढ़	13.	गरिना
6.	फरुखपुर	14.	लिलास
7.	खानपुर	15.	फुराखुर्द
8.	सराह	16.	मनसानी
9.	जैधर्न	17.	मनघोली
10.	दुधार	18.	विधवान

1	2
19.	केरी
20.	करुनपुरा
21.	ईश्वराल
22.	सराल
23.	लेघाबानान
24.	बागेना
25.	शेंरहा
करनाल जिला	
26.	कलकिहो
महेन्द्रगढ़ जिला	
27.	झंगरोली
सिराला जिला	
28.	चाहरवाला
29.	नाथु सेरी कलां
30.	उत्तु
31.	सूरतिया
32.	कलुना
33.	लोहगढ़
34.	शकेता खेरी
35.	खुयान मालखाना
36.	मशितन
सोनीपत जिला	
37.	कोहली
38.	मोई
39.	जशराना
40.	भोगीपुर
41.	घुलकना
42.	नहराई
गुड़गांव जिला	
43.	धनकोट
44.	नत्थुपुर
45.	मलहेरा
46.	मोहम्मदपुर अहीर
47.	जौरासी
48.	इंदरी
महेन्द्रगढ़ जिला	
49.	पतिकाना
50.	गोद
51.	नांगल कलिया
52.	जैनाबाद
53.	लिसन
54.	कुतुबपुरमोला
फरीदाबाद जिला	
55.	सिहोल
56.	जनौली
57.	पिगोर
58.	मानपुर
59.	उतवार
60.	अलीमात
जिन्द जिला	
61.	खेरा खेमवाटीं
62.	खरावाल
63.	खेरा करमजी
64.	रूपगढ़
करनाल जिला	
65.	गरही जत्तन
66.	करनपुर
67.	खेरा
68.	कबरी
रोहतक जिला	
69.	बुआना
70.	मोरखेरी
हिसार जिला	
71.	रावत खेरा
72.	मुषना

हरियाणा में उप डाकघरों का दर्जा बढ़ाया जाना

381. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान हरियाणा में कौन-कौन से और कितने उप डाकघरों का दर्जा बढ़ाए जाने की सम्भावना है; और

(ख) इनका दर्जा कब तक बढ़ाया जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) हरियाणा में 1985-86 के दौरान किसी उप-डाकघर को दर्जा बढ़ाए जाने की सम्भावना नहीं है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के मूल्यों में गिरावट के कारण विदेशी मुद्रा की बचत

382. **प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के मूल्यों में अत्यधिक गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ने बाजार में जाकर इन घटे हुए मूल्यों पर तेल की खरीद की है; और

(घ) यदि हां, तो इन सौदों में कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हुई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जनवरी, 1985 के दौरान कुछ ग्रेडों के कच्चे तेल की स्पाट मार्किट कीमतें 19 अमरीकी डालर से 22 अमरीकी डालर बी० बी० एल० थी।

(ग) और (घ) अप्रैल-दिसम्बर, 1985 की औसत लागत के मुकाबले जनवरी-मार्च, 1986 के दौरान उस आयात पर लगभग 135 करोड़ रुपये कम खर्च होने का अनुमान है।

पेट्रोलियम उत्पादों की खपत कम करने के उपाय

383. **प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1985 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकारी क्षेत्र में पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में कमी के लिए क्या विशेष उपाय किए गए हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1985 में लगभग 40.1 मिलियन मी० टन पेट्रोलियम उत्पादों की खपत हुई जबकि 1984 में यह 37.8 मि० मी० टन थी।

(ग) और (घ) आयोजना भिन्न व्यय में किफायत के लिए सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अतिरिक्त पी० सी० आर० ए० पेट्रोलियम उत्पादों की बचत के लिए कदम उठा रहा है। ये हैं :

(1) विभिन्न राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों में माडल डिपो परियोजनाएं चलाकर इससे डीजल की खपत में 6 से 11 प्रतिशत तक की बचत होने का अनुमान है।

(2) प्रति लीटर डीजल में किलोमीटर में सुधार के लिए राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के लिए ट्राफियां देना।

(3) राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों, आई० ओ० सी०, इण्डियन एअर लाइन्स, आयल इंडिया लिमिटेड आदि में क्रायकिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना।

ऊर्जा संकट के बारे में ऊर्जा सलाहकार बोर्ड द्वारा किया गया अध्ययन

384. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश को गम्भीर ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऊर्जा सलाहकार बोर्ड ने एक अध्ययन किया था, जिसमें बताया गया था कि भारत में ऊर्जा का अभाव कुछ वर्षों तक बना रहेगा;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उन्होंने मुख्य कारण क्या बताए हैं; और

(घ) गम्भीर ऊर्जा संकट का सामना करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) ऊर्जा सलाहकार बोर्ड की प्रत्याशाओं को मद्देनजर रखते हुए वर्ष 2004-05 में ऊर्जा की मांग-पूर्ति की स्थिति में यह दर्शाया गया है कि बढ़ते हुए वाणिज्यिक ऊर्जा उपभोग और समय बीतने के साथ-साथ ऊर्जा की गम्भीर कमी हो सकती है।

(ग) रिपोर्ट में यह बताया गया है कि वर्तमान मांग-पूर्ति की स्थिति को देखते हुए तेल की घरेलू मांग को पूरा करने के लिये इसकी उपलब्धता में कमी होने की सम्भावना है।

(घ) इस समय उद्देश्य यह है कि उपलब्ध स्वदेशी ऊर्जा स्रोतों का अधिकतर इस्तेमाल किया जाए और विभिन्न ऊर्जा स्रोतों का कुशलतापूर्वक समुपयोजन करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए ताकि जिस सीमा तक सम्भव हो सके तेल की निर्भरता को कम किया जा सके।

निर्वाचनों के लिए सरकार द्वारा धन दिया जाना

385. श्री बी० बी० देसाई :
श्री अमर राय प्रधान :
श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री एन० डेनिस :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्वाचनों के लिए धन देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को इस सम्बन्ध में विभिन्न राजनैतिक दलों से सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (घ) निर्वाचनों के लिए राज्य द्वारा धन देने के सम्बन्ध में इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इस सम्बन्ध में तारीख 2-4-1985 के तारांकित प्रश्न सं० 295 के लिए दिए गए उत्तर की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। निर्वाचन आयोग ने केवल यह सुझाव दिया है कि निर्वाचन व्यय को वस्तु के रूप में, जैसे कि नामावलियों की प्रतियों का निःशुल्क प्रदाय, निर्वाचन साहित्य आदि का निःशुल्क डाक द्वारा भेज कर, भागतः बांटा जा सकता है। निर्वाचन आयोग ने इस दृष्टिकोण को हाल ही में पुनः दोहराया है और सुझाव दिया है कि विद्यमान परिस्थितियों में निर्वाचनों का लोक वित्त-पोषण केवल वस्तु के रूप में ही होना चाहिए। यह सुझाव देने में निर्वाचन आयोग ने विभिन्न राजनैतिक दलों के दृष्टिकोणों को ध्यान में रखा है।

भारतीय कम्पनी अधिनियम में संशोधन

386. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :
डा० बी० एल० शैलेश :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रबन्धकों के वेतन की अधिकतम सीमा को बढ़ाने अथवा समाप्त करने हेतु भारतीय कम्पनी अधिनियम में संशोधन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने हेतु अधिनियम में कोई संशोधन किया जा रहा है कि शेयरों की बेनामी खरीद पंजीकृत न की जाए ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) कम्पनी अधिनियम में कुछ संशोधन करने पर सरकार विचार कर रही है। इस सम्बन्ध में प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) शेयरों में लाभप्रदहित की जानकारी देने के सम्बन्ध में उपबन्धों की कम्पनी अधिनियम में पहले से ही व्यवस्था है। इस सम्बन्ध में संशोधन करने के लिए कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है।

पूर्वी क्षेत्र में विद्युत पूर्ति में कमी

387. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष गर्मियों में पूर्वी क्षेत्र में विद्युत पूर्ति में लगातार कमी रहेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मांग की तुलना में विद्युत पूर्ति में कमी किस सीमा तक वर्तमान संयंत्रों द्वारा कम विद्युत उत्पादन करने के कारण और किस सीमा तक नियोजित विद्युत केन्द्रों के पूरा होने में विलम्ब के कारण हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) मार्च, 1986 के दौरान पूर्वी क्षेत्र में लगभग 13% विद्युत की कमी होने का अनुमान है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि आने वाले गर्मी के महीनों के दौरान पूर्वी क्षेत्र को विद्युत की कमी का सामना करना पड़ेगा। तथापि, मार्च, 1986 के बाद की अवधि के दौरान विद्युत सप्लाई की स्थिति का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

(ग) पूर्वी क्षेत्र में विद्युत की कमी के मुख्य कारण हैं : (1) विद्युत उत्पादन की अपर्याप्त प्रतिष्ठापित क्षमता; (2) ताप-विद्युत केन्द्रों का तुलनात्मक रूप से असन्तोषजनक कार्य-निष्पादन और (3) अनिश्चित तथा अपर्याप्त वर्षा की परिस्थितियां होने के कारण जल-विद्युत जलाशयों का कम जल-स्तर। तथापि, प्रत्येक कारण के फलस्वरूप होने वाली विद्युत की कमी का अलग-अलग निर्धारण करना व्यवहार्य नहीं है।

हरियाणा में डाक-घरों का दर्जा बढ़ाना

388. **श्री चिरन्जी लाल शर्मा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष हरियाणा में कितने डाकघरों का दर्जा बढ़ाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि दर्जा बढ़ाए जाने के बावजूद इनमें से अनेक डाकघरों में तार करने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं; और

(ग) यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) वर्ष 1985 के दौरान हरियाणा में किसी डाकघर का दर्जा नहीं बढ़ाया गया।

(ख) और (ग) "दर्जा बढ़ाए जाने" से आशय किसी अतिरिक्त विभागीय डाकघर का विभागीय डाकघर के बतौर या विभागीय उप डाकघर का प्रधान डाकघर के बतौर दर्जा बढ़ाना है। दर्जा बढ़ाने की मंजूरी कार्यभार अनुमानित घाटा और अन्य पहलुओं को ध्यान में रखकर दी जाती है।

यह जरूरी नहीं है कि दर्जा बढ़ाने के समय तार सुविधाएं भी जरूर प्रदान की जाएं। डाकघरों में तार सुविधाएं प्रदान करने के लिए अलग मानदण्ड हैं जो दर्जा बढ़ाने के मानकों में शामिल नहीं है।

हरियाणा में दूरसंचार प्रणाली का विकास

389. **श्री चिरन्जी लाल शर्मा :** क्यासंचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में दूर-संचार प्रणाली के विकास हेतु आगामी वर्ष एवं सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान क्या प्रस्ताव है; और

(ख) उपर्युक्त के लिए कुल कितना परिव्यय निर्धारित किया गया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) (एक) 1986-86 के लिए 8.2 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है।

(दो) सातवीं योजना के परिव्यय को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

विवरण

1986-87 के दौरान हरियाणा में संचार प्रणाली के विकास के लिए प्रस्ताव

निम्नलिखित प्रणालियां चालू करने की योजना है बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हो सके :

1. (क) सिरसा—1000 लाइनों का विस्तार—कंटेनराइज्ड इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज।

(ख) गुडगांव—1000 लाइनों का विस्तार —वही—

(ग) रोहतक—300 लाइनों का विस्तार-एम० ए० एक्स-1 एक्सचेंज।

(घ) हिसार —वही—

(ङ) यमुनानगर —वही—

(च) कैथल—100 लाइनों का विस्तार-एम० ए० एक्स-II एक्सचेंज।

(छ) सोनीपत —वही—

(ज) भिवानी —वही—

(झ) रिवाड़ी —वही—

(ञ) जींद —वही—

(ट) पलवल—120 लाइनों का विस्तार—सी० वी० एम० एक्सचेंज।

(ठ) गोहाना —वही—

(ड) नारनौल —वही—

2. 8 नये एम० ए० एक्स-III एक्सचेंज खोलने का भी प्रस्ताव है।

3. 72 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन खोलने का प्रस्ताव है।

4. इन स्थानों पर एम० ए० आर० आर० प्रणाली का प्रस्ताव है :

(दो) कैथल —23 स्टेशन

(दो) कुरुक्षेत्र — 6 स्टेशन

5. (1) पानीपत में 20 लाइनों वाले केबिनेट किस्म के टैलेक्स एक्सचेंज के बदले 50 लाइनों वाले मेन एक्सचेंज की स्थापना।

(2) यमुनानगर टैलेक्स एक्सचेंज का 20 लाइनों में विस्तार।

(3) अम्बाला टैलेक्स एक्सचेंज का 20 लाइनों में विस्तार।

6. निम्नलिखित कैरियर प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(1) रोहतक-हांसी एच-1 प्रणाली।

(2) जाखल-टोहाना जी-1

(3) कैथल-निरवाना जी-1

(4) जींद-कैथल जी-1

(5) हिसार-बारवाला-जी-1

(6) अम्बाला-कैथल एच-II

(7) करनाल-इन्द्री जी-1

(8) जींद-उचाना जी-1

(9) कालांवाली-सिरसा जी-1

7. अम्बाला चण्डीगढ़-शिमला वाइड बैंड माइक्रोवेव प्रणाली चालू करना।

8. सातवीं योजना के लिए विकास प्रस्ताव।

हरियाणा में दूरसंचार प्रणाली के विकास के लिए विस्तृत योजनाएं तैयार की जा रही हैं। फिर भी कुछ प्रस्तावित योजनाएं इस प्रकार हैं :

(क) गुड़गांव में 6000 लाइनों वाले ई०-10 बी की स्थापना।

(ख) जींद, कुरुक्षेत्र और नारनौल के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग का प्रस्ताव है।

(ग) (एक) हिसार, रोहतक एक्सचेंजों का 1500 लाइनों में विस्तार।

(दो) यमुनानगर एक्सचेंज का 2100 लाइनों में विस्तार।

(घ) 930 कि० मी० कोएक्सिअल प्रणाली का विकास।

(ङ) (एक) दिल्ली-सोनीपत, दिल्ली-गुड़गांव और दिल्ली-रिवाड़ी के बीच मौजूदा माइक्रोवेव प्रणाली के बदले डिजिटल माइक्रोवेव स्थापित करना।

(दो) अम्बाला को वाइड बैंड माइक्रोवेव प्रणाली द्वारा लुधियाना के साथ जोड़ना।

नए सीमेंट संयंत्रों का स्थान और क्षमता

390. **श्री चिरन्जी लाल शर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 के दौरान नए सीमेंट कारखाने कहां-कहां खोले गए और उनकी क्षमता कितनी है; और

(ख) वर्ष 1986 के दौरान सीमेंट संयंत्र कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे और उनकी क्षमता कितनी होगी ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) नए सीमेंट के कारखाने बड़े और मिनी सीमेंट दोनों संयंत्रों, जो 1985 में स्थापित किए गए थे, से संबंधित ब्यौरे संलग्न विवरण 1 में दिए गए हैं। जिन एककों में 1986 में उत्पादन के शुरू होने की सम्भावना है, उनके ब्यौरे संलग्न विवरण 2 में दिए गए हैं।

विवरण 1

1895 के दौराम स्थापित किए गए नए सीमेंट के कारखानों की सूची

क्र०सं०	एकक का नाम	कारखाने का स्थापना स्थल	क्षमता मी० टन
1	2	3	4
1.	मैसर्स श्रीराम सीमेंट लि०	जिला बनासकंठा गुजरात	66,000
2.	मैसर्स कालिगा लि०	जिला सुन्दगढ़ उड़ीसा	29,700
3.	हेमादरी सीमेंट लि०	जिला कृष्णा, आन्ध्र प्रदेश	66,000
4.	मै० कल्याण सुन्दरम सीमेंट इण्डस्ट्रीज	जिला बंसवाड़ा, राजस्थान	66,000
5.	मै० स्वदेशी लि०	जिला जयपुर राजस्थान	66,000

1	2	3	4
6.	मै० पंचमहल सीमेंट कं० लि०	जिला ऊंचामहल गुजरात	66,000
7.	मै० श्री सीमेंट लि०	ब्यावर राजस्थान	6,00,000
8.	मै० सागर सीमेंट लि०	जिला नालगोंडा (आन्ध्र प्रदेश)	66,000
9.	मै० विक्रम सीमेंट	जिला मंदसौर (म० प०)	5,00,000
10.	मै० टैक्समैको कं०	जिला कुड्डपाह (आ० प्र०)	5,00,000
11.	मै० धार सीमेंट लि०	जिला धार (म० प्र०)	66,000
12.	मै० कर्नाटक सीमेंट लि०	जिला गुलबर्गा (कर्नाटक)	66,000
13.	मै० राधाकिशन सीमेंट्स	जिला बनासकंठा गुजरात	66,000
14.	मै० अलगप्पा सीमेंट	जिला त्रिची (तमिलनाडु)	36,000
15.	मै० वीनस सीमेंट्स लि०	जिला देहरादून (उ० प्र०)	14,400
16.	मै० वासवदत्ता सीमेंट्स	जिला गुलबर्गा (कर्नाटक)	5,00,000
17.	मै० जानलघु सीमेंट उद्योग लि०	जिला सीकर (राजस्थान)	33,000
18.	मै० कामदार सीमेंट लि०	जिला जूनागढ़ (गुजरात)	66,000
19.	मै० गुजरात हिमालय सीमेंट्स लि०	जिला जूनागढ़ (गुजरात)	50,000
20.	मै० तान-इण्डिया बाटले सीमेंट्स लि०	जिला सेलम (तमिलनाडु)	33,000
21.	मै० सुविधा सीमेन्ट्स	जिला धार (म० प्र०)	33,000
22.	मै० कर्नाटक मिनरल्स एण्ड मैन्यू० कम्पनी लिमिटेड	जिला चित्रदुर्गा (कर्नाटक)	66,000
23.	मै० पटेल एण्ड लक्का सीमेंट	जिला कच्छ (गुजरात)	10,800
24.	मै० अजमेर सीमेंट्स (प्रा०) लि०	जिला जूनागढ़ (गुजरात)	30,000

विवरण 2

वर्ष 1986 के दौरान फलीभूत होने वाली अतिरिक्त सीमेंट क्षमता

क्र०सं०	एकक का नाम	कारखाने का स्थापना स्थल	क्षमता (मी० टन)
1.	रेमण्ड सीमेंट	जिला बिलासपुर (म० प्र०)	5,00,000
2.	बिरला सीमेंट वर्क्स	जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)	5,00,000
3.	गुजरात अंबूजा सीमेंट	जिला अमरेली (गुजरात)	7,00,000
4.	माणिकगढ़ सीमेंट	जिला चन्द्रपुर (महाराष्ट्र)	10,00,000
5.	प्रियदर्शिनी सीमेंन्ट्स	जिला नालगोंडा (आन्ध्र प्रदेश)	4,00,000
6.	विक्रम सीमेंट	जिला मन्दसौर (मध्य प्रदेश)	5,00,000
7.	सी० सी० आई०	जिला रंगारेड्डी (आंध्र प्रदेश)	10,00,000
8.	मोदी सीमेंट	जिला बिलासपुर (म० प्र०)	9,00,000
9.	रासी सीमेंट	जिला नालगोंडा (आन्ध्र प्रदेश)	8,00,000
10.	हरी गंगा सीमेंट	जिला चन्द्रपुर (महाराष्ट्र)	66,000
11.	अभिषेक सीमेंट	जिला दमोह (मध्य प्रदेश)	66,000
12.	भारत फूड इंडिया लि०	जिला सिद्धी (मध्य प्रदेश)	66,000

हरियाणा के जिला मुख्यालय को सीधी डायल सेवा प्रणाली द्वारा जोड़ना

391. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा के कितने जिला मुख्यालय इस समय राष्ट्रीय नेट वर्क में सीधी डायल सेवा प्रणाली द्वारा नहीं जुड़े हुये हैं ;

(ख) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान हरियाणा के सभी जिला मुख्यालयों को सीधी डायल सेवा प्रणाली द्वारा जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जिंद, कुरुक्षेत्र और नारनौल (महेन्द्रगढ़) हरियाणा के 12 में से इन तीन जिला मुख्तालयों को फिलहाल राष्ट्रीय नेटवर्क में एस० टी० डी० के साथ नहीं जोड़ा गया है।

(ख) जी हां।

(ग) जिंद में एम० ए० एक्स-II किस्म का एक आटोमेटिक एक्सचेंज है जबकि कुरुक्षेत्र और नारनौल में मेनुअल किस्म के एक्सचेंज है। मैनुअल एक्सचेंजों को आटोमेटिक बनाने तथा विश्वसनीय संचारण माध्यम प्रदान करने के बाद जिंद और कुरुक्षेत्र को अम्बारा ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज के साथ और नारनौल को दिल्ली ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज के साथ जोड़कर एस० टी० डी० प्रदान किए जाने की योजना है।

[हिन्दी]

बिहार में बड़े उद्योग स्थापित करना

392. **प्रो० चन्द्र भानु देवी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में कोई बड़ा उद्योग स्थापित नहीं किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वहां पर गैर सरकारी क्षेत्र में भी कोई बड़ा उद्योग स्थापति नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) जी नहीं। (विकास और विनियमन) अधिनियम के अधीन वर्ष 1983 से 1985 के दौरान बिहार के लिए कुल 75 औद्योगिक लाइसेंस मंजूर किये गये थे। औद्योगिक लाइसेंसों का क्षेत्रवार ब्योरा निम्नलिखित है :—

क्षेत्र		जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंस
1. केन्द्र सरकार के उपक्रम		3 (काम जारी रखने के 2 लाइसेंसों सहित)
2. राज्य सरकार के उपक्रम (एस० आई० डी० सी० सहित)		3
3. निजी उपक्रम		69 (काम जारी रखने के 53 लाइसेंसों सहित)
	कुल	75 (काम जारी रखने के 55 लाइसेंसों सहित)

आरंभ में औद्योगिक लाइसेंस 2 वर्ष की वैधता अवधि के लिए जारी किया जाता है और आशा की जाती है कि इस अवधि के भीतर उद्यमी उत्पादन आरंभ कर लेगा। किन्तु पर्याप्त रूप से न्यायसंगत होने पर संबंधी प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा 2 वर्ष की आरंभिक वैधता अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है। किसी औद्योगिक परियोजना को फलीभूत होने में सामान्यतया लगभग 3 से 4

वर्ष तक समय लगता है किन्तु पनपने की वास्तविक अवधि विभिन्न परियोजनाओं में भिन्न-भिन्न होती है।

[अनुवाद]

इम्फाल में गौहाटी उच्च न्यायालय की न्यायपीठ के लिए भवन का निर्माण

393. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्फाल में गौहाटी उच्च न्यायालय की न्यायपीठ के लिए भवन विर्माण में कोई प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) गौहाटी उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार से प्राप्त जानकारी में कहा गया है कि इम्फाल न्यायपीठ के लिए उच्च न्यायालय भवन के सन्निर्माण के संबंध में मणिपुर सरकार ने भूमि-अर्जन अधिनियम के अधीन आवश्यक सूचना जारी कर दी है और इस विषय में कार्रवाई की जा रही है। आशा है कि भूमि-अर्जन कार्य शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा।

स्वदेशी अखबारी कागज के मूल्यों में वृद्धि

394. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वदेशी अखबारी कागज के मूल्य 31 दिसंबर 1985 से लगभग 1000 रुपये से 1600 रुपये प्रति टन तक बढ़ा दिए गए हैं;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस बारे में अखबार उद्योग से सलाह नहीं ली गयी थी; और

(घ) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो द्वारा किए गए अध्ययन के आधार पर, केन्द्र सरकार ने 31-12-1985 से नीचे दर्शायी गई सीमा तक स्वदेशी अखबारी कागज उत्पादकों को अपने बिक्री मूल्य बढ़ाने की अनुमति दे दी है :—

उत्पादक का नाम	वृद्धि की अनुमति
(1) नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स	1860 रु० प्रति मी० टन
(2) मैसूर पेपर मिल्स	960 रु० प्रति मी० टन
(3) हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड	960 रु० प्रति मी० टन
(4) तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर लिमिटेड	960 रु० प्रति मी० टन

(ग) और (घ) औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप देते समय स्वदेशी अखबारी कागज के मूल्य के सम्बन्ध में आई० ई० एन० एस० के विचारों को ध्यान में रखा गया है।

आवासीय क्षेत्रों के निकट एल० पी० जी० सिलेण्डर भरने के संयत्रों की स्थापना के विरुद्ध की गई कार्यवाही

395. **श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो वर्ष पूर्व जोधपुर में आवासीय कालोनियों के निकट एल० पी० जी० सिलेण्डर भरने के एक संयत्र की स्थापना की गई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसके निर्माण के समय आवासीय क्षेत्र के निकट संयंत्र की स्थापना करने के विरुद्ध सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) निवासियों द्वारा विरोध करने और इस वचनबद्धता की आवासीय क्षेत्रों के निकट एल० पी० जी० संयंत्र स्थापित नहीं किए जाने चाहिए, के संदर्भ में क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (घ) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन ने अक्तूबर, 1984 में जोधपुर में एक एल० पी० जी० बाटलिंग प्लांट आरम्भ किया है। यह संयंत्र एक औद्योगिक क्षेत्र में था जो स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा एल० पी० जी० सहित पेट्रोलियम प्रतिष्ठापनों के लिए निर्धारित किया गया था। संयंत्र को चालू करने से पहले कारपोरेशन ने संबंधित नियमों और विनियमों के अन्तर्गत आवश्यक अनुमति ले ली थी जिसमें मुख्य विस्फोटक नियंत्रक से लाइसेंस प्राप्त करना भी शामिल था। यथा पूर्व स्थिति बनाए रखने के लिए जोधपुर के मुनसिफ मजिस्ट्रेट के 31-7-85 के आदेश से संयंत्र में बाकी सुविधाओं को लगाने का काम रोक दिया गया।

कोयले के मूल्यों में वृद्धि के कारण उद्योगों में कम लागत की अर्थ व्यवस्था का संभव न होना

396. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयले के मूल्य में वृद्धि के कारण उद्योग में कम लागत की अर्थ व्यवस्था प्राप्त नहीं कर सकते;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादों की लागत बढ़ेगी; और

(ग) क्या उसके परिणाणस्वरूप होने वाली मुद्रास्फीति का देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) कोयले की कीमतों में संशोधन करते समय

विभिन्न उपभोक्ता क्षेत्रों पर एवं देश की अर्थ-व्यवस्था पर समग्र रूप से इसके प्रभाव को भी ध्यान में रखा गया था।

कोयले की कीमतों में संशोधन के फलस्वरूप तीन मुख्य उपभोक्ता क्षेत्रों अर्थात विद्युत, इस्पात एवं रेलवे की एक पूरे वर्ष में उत्पादन/कार्य संचालन लागत पर प्रभाव का अनुमान क्रमशः लगभग 3 प्रतिशत, 2.83 प्रतिशत एवं 0.9 प्रतिशत लगाया है। समस्त रूप में पूरी अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव का अनुमान लगभग 0.6 प्रतिशत है।

सातवीं योजनावधि के दौरान दूरसंचार योजनाएं

397. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग की सातवीं योजना अवधि के दौरान लगभग 11 लाख सीधी टेलीफोन एक्सचेंज लाइनें और लगभग 9000 कि० मी० लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन जोड़ने की योजना है;

(ख) आन्ध्र प्रदेश को कितना कोटा आबंटित किया गया है; और

(ग) सातवीं योजना के दौरान आन्ध्र प्रदेश में कितनी टेलीफोन एक्सचेंज लाइनें और कितने किलोमीटर लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन जोड़े जायेंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां। सातवीं योजना में दूरसंचार विभाग ने लगभग 11 लाख सीधी टेलीफोन लाइनें और लगभग 9000 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन जोड़ने की योजना बनाई है।

(ख) और (ग) सातवीं योजना में आंध्र प्रदेश में लगभग 0.783 लाख सीधी एक्सचेंज लाइनें तथा लगभग 200 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने की योजना है।

एम० आर० टी० पी० और फेरा अधिनियमों के अंतर्गत आने वाली कंपनियों को दी गई छूट

398. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** :
श्री सुरेश कुरूप :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक लाइसेंस नीति को उदार बनाये जाने के बाद सरकार ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कंपनियों को अनेक छूट प्रदान की हैं,

(ख) यदि हां तो वे छूट क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि लाइसेंस नीति को व्यथित रूप में युक्तियुक्त बनाकर कम से कम 22 उद्योगों को लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है और उनके द्वारा अनिवार्य रूप से निर्यात की जाने वाली उत्पादन की मात्रा काफी कम कर दी गई है; और

(घ) क्या इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) उत्पादन बढ़ाने और आधुनिक तकनीलोजी को अंगीकार करने की आवश्यकता के संदर्भ में, जिसमें, काफी निवेश करना और क्षमता उपयोग को बढ़ाना निहित है, सरकार ने औद्योगिक लाइसेंसीकरण नीति तथा प्रक्रिया का हाल ही में उदारीकरण किया है। एम० आर० टी० पी०/"फैरा" कंपनियों के संदर्भ में दी गई रियायतों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

(I) एम० आर० टी० पी० कंपनी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए स्थिर परि-सम्पत्तियों की सीमा 20 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दी गई है।

(II) कुछ शर्तें पूरी होने पर एम० आर० टी० पी० कंपनियों द्वारा 27 विनिर्दिष्ट उद्योगों की स्थापना करने के प्रस्तावों को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 21 और 22 से मुक्त कर दिया गया है।

(III) अन्यों के साथ एम० आर० टी० पी०/फैरा कम्पनियों द्वारा भागीदारी के लिए अनुमत उद्योगों की सूची जिसे परिशिष्ट-1 उद्योगों के नाम से जाना जाता है, में संशोधन किया गया है।

(IV) केन्द्रीय रूप से घोषित श्रेणी "क" तथा "ग" जिलों और श्रेणी "क" जिलों में एम० आर० टी० पी०/फैरा कंपनियों द्वारा परिशिष्ट-1 से भिन्न उद्योगों की स्थापना के लिए 50% और 30% निर्यात सम्बन्धी शर्तों को घटाकर क्रमशः 25% तथा शून्य कर दिया गया है।

(V) उपर्युक्त (II) में उल्लिखित 27 उद्योगों में से 23 उद्योगों को उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1951 के अधीन औद्योगिक लाइसेंसीकरण से मुक्त कर दिया गया है, भले ही इसके प्रस्ताव एम० आर० टी० पी० कंपनियों से प्राप्त हों किन्तु औद्योगिक उपक्रम केन्द्र सरकार द्वारा घोषित किसी पिछड़े क्षेत्र में स्थित होना चाहिए। फिर भी विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन अनुमति प्राप्त करने की विद्यमान प्रक्रिया फैरा कम्पनियों के लिए जारी रहेगी।

इस संदर्भ में जारी किए गए प्रैस नोट सं० 32 और 35 (1985 क्रम) तथा सं० 6 (1986 क्रम) की प्रतियां संसद पुस्तकालय को भेजी जा चुकी हैं।

(घ) जी, नहीं।

विद्युत संबंधी भारत-सोवियत कार्यकारी दल की बैठक

400. **श्री यशवन्तराव गड़ाख पाटिल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत संबंधी भारत-सोवियत कार्यकारी दल की एक बैठक दिसम्बर, 1985 में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो चर्चा के क्या परिणाम हैं;

(ग) क्या सातवीं योजना के दौरान सोवियत सहायता से विद्युत क्षमता स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां ।

(ख) बैठक में कार्यकारी दल ने विद्युत के क्षेत्र में दोनों देशों में बीच सहयोग के कार्यक्रम के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की थी जिसमें मोटे तौर पर निम्नलिखित बातें शामिल थीं :—

(1) विन्ध्याचल ताप विद्युत केन्द्र तथा सम्बद्ध पारेषण लाइनों का निर्माण;

(2) कहलगांव ताप विद्युत केन्द्र का निर्माण ;

(3) भारत के विद्युत केन्द्रों में प्रतिष्ठापित सोवियत डिजाइन के विद्युत उपस्करों का अनुरक्षण और मरम्मत; तथा

(4) जल विद्युत तथा विद्युत प्रणालियों के क्षेत्र में भारतीय विशेषज्ञों को यू० एस० एस० आर० में प्रशिक्षण ।

नई ताप विद्युत तथा जल परियोजनाओं के लिए सोवियत सहयोग की संभाव्यताओं पर भी बैठक में विचार किया गया था ।

(ग) और (घ) सोवियत सहायता से क्रियान्वित किए जा रहे विन्ध्याचल ताप विद्युत केन्द्र (6 × 210 मेगावट) को सातवीं योजनावधि में चालू किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । कहलगांव ताप विद्युत परियोजना भी सातवीं योजना के दौरान सोवियत सहायता से शुरू की जाएगी ।

कनाडा की सहायता से राजमहल कोल माइन्स का विकास

401. **श्री बलवन्तराव चड़ाक पाटिल :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दौरे पर आए कनाडा के दल ने अभी हाल ही में फरक्का और कहलगांव उच्च तापीय बिजली घरों से जुड़ी राजमहल कोल माइन्स क विकास में सहायता देने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय किया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां। मेसर्स मेट केम, कनाड़ा से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जो राजमहल ओपेनकास्ट परियोजना का विकास करके उसकी क्षमता को कार्य-निष्पादन गारन्टी आधार पर वर्ष 1991 तक 10 मिलियन टन प्रतिवर्ष तक बढ़ा देने के संबंध में है ।

(ख) यह एक पैकेज प्रस्ताव है जिसमें निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं :—

(I) परामर्शी सेवाएं

(II) तकनीकी सेवाएं

(III) कनाडा के ऋण से उपकरणों की खरीद। कनाड़ा से वित्तीय सहायता का एक औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त हो गया है।

(IV) सामग्री प्रबंध, निबारक अनुरक्षण एवं स्वचालित ट्रक प्रेषण के क्षेत्र में चुनींदा साफ्टवेयर कम्प्यूटरों की सप्लाई और स्थापना।

(V) इलेक्ट्रानिकीकरण द्वारा सम्पूर्ण खान प्रबंध।

(ग) प्रस्ताव की जांच हो रही है।

त्रिपुरा में तेल तथा गैस के भंडार

402. **श्री आनंद सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में तेल तथा गैस के पाये गये नवीनतम भण्डारों से इस बात का पता चलता है कि इस क्षेत्र में तेल तथा गैस के भण्डारों की अच्छी संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो त्रिपुरा में तेल तथा गैस के अब तक पाये गये भण्डारों का ब्यौरा क्या है और इन भण्डारों के बारे में सरकार का अनुमान क्या है; और

(ग) इन स्रोतों के उपयोग के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) (क) और (ख) त्रिपुरा में बारामुरा, गोजलिया तथा रोखिया में गैस मिली है। 1.1.85 को त्रिपुरा में प्राप्त कुल गैस का भूमिगत भण्डार लगभग 5738 मिलियन घन मीटर का था। इस क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन मिलने की भी पूरी सम्भावना है।

(ग) गोजलिया तथा रोखिया से निकलने वाली गैस का अभी मूल्यांकन किया जा रहा है। बारामुरा से निकलने वाली गैस को त्रिपुरा राज्य बिजली बोर्ड को सप्लाई करने का प्रस्ताव है।

राजनीतिक दलों, सामाजिक और धार्मिक संगठनों द्वारा प्राप्त संदान

403. **श्री आनंद सिंह** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई निर्णय लिया है कि सभी राजनीतिक दलों तथा सामाजिक और धार्मिक संगठनों को देश में और विदेश के स्रोतों से संदान के रूप में या अन्यथा उन्हें प्राप्त धन के लिए जवाबदार ठहराया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके अनुसरण में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) राजनैतिक दलों, विदेशों के सामाजिक और धार्मिक संगठनों से प्राप्त धन विदेशी मुद्रा (विनियमन) अधिनियम, 1976 के उपबंधों द्वारा शासित होता है। इस अधिनियम को गृह मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है।

ऐसा कोई अकेला अभिकरण या विनियमनकारी अध्युपाय नहीं है जो देश के भीतरी स्रोतों से सभी संदानों को स्वीकार करने या उन्हे उपयोग में लाने को शासित करता है।

बकाया राशि वसूल करने में सरकारी क्षेत्र को सहायता

404. **श्री एस० एम० गुरड्डी :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के अनेक पेट्रोलियम एककों के केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों, औषधालयों तथा राज्य सरकारों को सप्लाई किये गये पेट्रोलियम उत्पादों के बिलों की बहुत बड़ी राशि बकाया पड़ी है;

(ख) सरकारी क्षेत्र के एक एकक और राज्य सरकारों द्वारा सरकारी क्षेत्र के एक अन्य एकक को देय बकाया राशि का नियमित रूप से भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उनके मंत्रालय का बकाया राशि वसूल करने में सरकारी क्षेत्र के इन एककों की सहायता करने के लिये कोई कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) इस मन्त्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कोई भी बिल केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों तथा औषधालयों में बकाया नहीं है। राज्य सरकारों से बकाया के सम्बन्ध में कुछ वे बिल बकाया हैं जो मुख्यत: राज्य सड़क परिवहन निगमों तथा राज्य बिजली बोर्डों के पास हैं। बकाया अदायगी का कारण मुख्यत: विवादग्रस्त दावे या धन की कमी है। मन्त्रालय बकाया रकमों के शीघ्र निपटान के लिए पहले से ही कार्यवाही कर रहा है तथा शीघ्र ही इस मामले को राज्य सरकारों के साथ उच्चतम स्तर पर उठाया जाएगा।

कर्नाटक में सुपर तापीय परियोजना को नियन्त्रण में लेने का प्रस्ताव

405. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की गम्भीर कमी पर काबू पाने के लिये कर्नाटक में 2000 मेगावाट की सुपर तापीय परियोजना को अपने नियन्त्रण में लेने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का यह देखने का विचार है कि इसे तत्काल अपने नियन्त्रण में ले लिया जाये क्योंकि केन्द्रीय सरकार ने कर्नाटक में अब तक किसी तापीय परियोजना के लिये धनराशि नहीं दी है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) कर्नाटक में इस समय क्रियान्वित की जा रही विद्युत परियोजनाओं से मिलने वाले लाभों के अलावा, मांग को पूरा करने के लिये कर्नाटक राज्य को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के रामगुण्डम सुपर ताप विद्युत केन्द्र, नेवेली दूसरा माइन-कट ताप विद्युत केन्द्र और कलपक्कम परमाणु विद्युत केन्द्र से हिस्सा आबंटित किया गया है।

माधवनगर और हाइ-ग्राउन्ड्स डाकघरों को पुन: खोला जाना

406. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान डाकघर, बंगलौर के अस्थाई रूप से हाइ ग्राउन्ड्स में स्थित होने के कारण माधवनगर और हाइ ग्राउन्ड्स डाकघरों को बन्द कर दिया गया था;

(ख) क्या प्रधान डाकघर अब अपने नए भवन में स्थानान्तरित हो गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार माधवनगर और हाई ग्राउन्ड्स के डाकघरों को पुनः खोलना है क्योंकि इन बड़े आवासीय और व्यापारिक क्षेत्रों में कोई भी डाकघर नहीं है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) माधवनगर डाकघर एक निजी इमारत में कार्य कर रहा था जिसे महाप्रबन्धक टेलीफोन ने किराए पर ले रखा था। इस इमारत को खाली करके उसके मालिक को लौटाया जाना था। इसलिए 1-3-1984 से इसे बन्द कर दिया गया तथा क्रिसेंट रोड पर स्थित पूर्ण प्रसाद भवन में डाकघर ले जाए जाने की बजाय जी० पी० ओ० में उसके काउण्टर शामिल कर दिए गए। जहां तक हाईग्राउण्ड डाकघर का सम्बन्ध है, जिस इमारत में यह डाकघर कार्य कर रहा था वह सुरक्षित नहीं थी तथा किराये पर दूसरी उपयुक्त इमारत उपलब्ध नहीं थी। अतः इस डाकघर को 1-10-1983 से बन्द कर दिया गया। इन दोनों डाकघरों के बारे में निर्णय लेते समय इस बात पर ध्यान दिया गया था कि इन दोनों स्थानों पर चार अन्य डाकघरों (गांधीनगर, शेशादिपुरम, लेजिसलेचर होम तथा कुमारापार्क वेस्ट एक्सटेंशन डाकघर) से डाक सुविधाएं प्राप्त होती हैं जो एक-दूसरे से कम दूरी पर ही स्थित हैं।

(ख) जी० पी० ओ० अब राजभवन रोड पर स्थित अपने नये भवन में कार्य कर रहा है। तथापि, क्रिसेंट रोड (पूर्ण प्रसाद भवन) पर एक डाकघर अभी भी कार्य कर रहा है।

(ग) और (घ) जी नहीं। जैसा कि उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर में बताया गया है, समूचे क्षेत्र में अनेक डाकघरों द्वारा पर्याप्त सेवा प्रदान की जा रही है। अतः बन्द डाकघरों के पुनः खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में आन्तरिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति

407. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पूर्णकालिक आन्तरिक लेखा-परीक्षक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन्हें पूर्णकालिक आन्तरिक लेखा-परीक्षक नियुक्त करने का आदेश देने का है; और

(ग) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि केन्द्र के अन्तर्गत आने वाले सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों ने ऐसे आन्तरिक लेखा-परीक्षक नियुक्त किये हैं जो कम्पनी के कर्मचारी नहीं हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी हां।

(ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु, सरकार ने प्रशासनिक मंत्रालयों को सलाह

दी है कि वे अपने प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन उद्यमों में, यदि आन्तरिक लेखा-परीक्षण की ऐसी उचित प्रणाली विद्यमान नहीं है, तो वे उसे लागू करें।

(ग) जी हां।

बंगलौर टेलीफोन निर्देशिका का कन्नड़ भाषा में मुद्रण

408. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर शहर में कुल कितने टेलीफोन कनेक्शन हैं;

(ख) कर्नाटक सरकार और इसके उपक्रमों के पास अपने कार्यालयों और अधिकारियों के उपयोग के लिए कितने टेलीफोन कनेक्शन हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार टेलीफोन निर्देशिका को कन्नड़ भाषा में मुदित कराने हेतु बंगलौर टेलीफोन्स को निदेश देने और इसे राज्य सरकार के सभी कार्यालयों और उपक्रमों को उपलब्ध कराने का है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) बेंगलूर सिटी में (19-2-1986 को) टेलीफोन कनेक्शनों की कुल सं० 76,058 है।

(ख) कर्नाटक सरकार तथा उसके उद्यमों को प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या लगभग 4000 है।

(ग) टेलीफोन डाइरेक्टरी क्षेत्रीय भाषा में छापी जा सकतो है बशर्ते कि उसकी मांग टेलीफोन डाइरेक्टरियों की कुल आवश्यकता का 15 प्रतिशत हो। 1984 में किये गये अध्ययन के अनुसार बेंगलूर सिटी के लिए कन्नड़ भाषा की डाइरेक्टरी की मांग पर्याप्त नहीं है।

[हिन्दी]

विदेश संचार सेवा में सुधार

409. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विदेश संचार सेवा में सुधार करने हेतु कुछ कदम उठाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इसमें कब तक सुधार किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) इस योजना पर कुल कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है और इससे कित ने व्यक्तियों को लाभ होने की आशा है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) विदेश के लिए संचार सेवा सुधार बराबर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। इसके अनुसार उपलब्ध सुविधाओं को अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्ड और आवश्यकताओं के बराबर बनाये रखना होता है। फिर भी ऐसे कार्यक्रमों को योजना अवधि में उपलब्ध संसाधनों की सीमा और तकनीकी बाध्यताओं को ध्यान में रखना पड़ता है।

(ख) सातवीं योजना अवधि में विदेश संचार सेवा, अपनी सेवाओं में सुधार हेतु कई नई योजनाओं पर विचार कर रही है जैसे :

(1) बम्बई, मद्रास और नई दिल्ली स्थित पारेषण अभिग्रहण टेलीफोन स्विचिंग प्रणाली और भू-केन्द्रों के लिए सूक्ष्म तरंग लिंक का विस्तार;

(2) अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री उपग्रह प्रणाली के साथ कार्य करने के लिए तटवर्ती भू-केन्द्र का निर्माण;

(3) पश्चिम दिशा में खाड़ी तक एक अन्तःसागरीय केबल प्रणाली तैयार करना;

(4) कई देशों के साथ सम्भव होने पर और उन देशों की तैयारी के अनुसार, अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोक्ता डायल सेवा का विस्तार। विदेश संचार सेवा के रोजमर्रा के कामों में ज्यादा सहूलियत देने के उद्देश्य से संगठन को दिनांक 1-4-1986 से एक सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी बनाने का निर्णय किया गया है।

(ग) विदेश संचार सेवा के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना का अनुमोदित परिव्यय 146.55 करोड़ रुपए है। इस सेवा का लाभ अन्तर्राष्ट्रीय दूर-संचार के सभी प्रयोक्ताओं को प्राप्त होगा।

वितरकों द्वारा मूल्य वृद्धि से पूर्व खाना पकाने की गैस की सप्लाई को रोका जाना

410. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और देश के विभिन्न भागों में खाना पकाने की गैस के वितरकों ने मूल्य वृद्धि की सम्भावना को देखते हुए वास्तविक मूल्य वृद्धि से कुछ दिन पूर्व गैस के सिलण्डरों की सप्लाई रोक दी थी;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार उनके विरुद्ध कोई कारंवाही करने का है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कोई जांच कराने का है कि मूल्य वृद्धि से पांच दिन पहले बुकिंग कराने पर भी गैस सिलेण्डर क्यों सप्लाई नहीं किए गए; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) कुछ ऐसी प्रचालन सम्बन्धी समस्याओं के कारण दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के रिफिलों की सप्लाई में बैकलाग रही जिनमें आटोमेटिक कोरोसल फिलिंग मशीनों और कुछ बाटलिंग संयंत्रों में तोलने की प्रणाली को सही ढंग से काम करना शामिल है। स्थिति में सुधार लाने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

[अनुवाद]

भारतीय तेल निगम के बिजवासन, दिल्ली स्थित टर्मिनल में सुरक्षा व्यवस्था

411. **श्री नारायण चौबे** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम के बिजवासन रोड़, दिल्ली में स्थित टर्मिनल में दो रात्रि चौकीदारों पर 14 जनवरी, 1986 को डाकुओं ने हमला किया और लेखा विभाग की तिजोरी को खोलने का प्रयास किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 1983 में इस टर्मिनल की स्थापना के बाद से ही इसकी सुरक्षा का मामला सरकार और भारतीय तेल निगम के बीच विवादास्पद बना हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी सुरक्षा की दृष्टि से इस मामले में शीघ्र निर्णय लेने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) 14-1-1986 को लगभग 2 बज कर 15 मिनट पर 10 सशस्त्र व्यक्ति बिजवासन टर्मिनल में दाखिल हुए और ड्यूटी पर तैनात 2 चौकीदारों से सेफ की चाबी मांगी । चूंकि चौकीदारों से चाबियां नहीं मिल सकीं उन्हें लोहे की छड़ों आदि से पीटा गया और कमरे में बन्द कर दिया गया । उसके बाद घुसपैठियों ने टर्मिनल की कैंटीन/मरम्मत वर्कशाप से एल० पी० जी०/आक्सीजन गैस के सिलेण्डरों की सहायता से सेफ को तोड़कर खोलने का असफल प्रयत्न किया । वे प्रातः लगभग 5 बजे पाकेट केलकुलेटर, एअर ब्लोअर आदि वस्तुएं तथा चौकीदारों की जेब से 450 रुपये नकद लेकर भाग गए ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

औद्योगिक नीतियों की समीक्षा और संशोधन

412. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऐसी औद्योगिक नीतियां, जिनमें जानकारी और पुर्जों के आयात पर अधिक विदेशी मुद्रा खर्च होती है तथा अधिक लागत से आयात प्रतिस्थापन का उत्पादन होता है, की समीक्षा करने और संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां तो उन मुख्य बातों का ब्योरा क्या है जिसके आधार पर नीतियों में संशोधन करने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) औद्योगिक नीति संकल्प (1956) सरकार की औद्योगिक नीति का मूलभूत ढांचा है और इसमें संशोधन

करने का कोई विचार नहीं है। जहां तक जानकारी, पुर्जों के आयात और आयात प्रतिस्थापन का सम्बन्ध है, ऐसे प्रस्तावों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है और ऐसे क्षेत्रों में स्वदेशी क्षमताएं उपलब्ध न होने पर आयात की अनुमति दी जाती है।

पश्चिम जर्मनी की फर्म द्वारा हाजिरा-बीजापुरा-जगदीशपुर परियोजना के लिए इस्पात पाइपों की सप्लाई का बन्द किया जाना

413. **श्री रामभूति भट्टम** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाजिरा-बीजापुर-जगदीशपुर पाइप लाइन परियोजना के लिए इस्पात पाइप लाइन सप्लाई करने वाली पश्चिम जर्मनी की फर्म "वरग्रेर" ने भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड के साथ गम्भीर मतभेदों के फलस्वरूप सप्लाई बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो मतभेदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे उक्त परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब होगा; और

(घ) परियोजना को शीघ्र पूरा करने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) एच० बी० जे० पाइप लाइन परियोजना के निर्माण के लिए गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा विज्ञापित किए गए टेण्डरों के उत्तर में प्राप्त निविदाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु

414. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का संशोधन विधेयक कब तक संसद के समक्ष लाने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या 1 जनवरी, 1985 के पश्चात् सेवानिवृत्त व्यक्तियों को फायदा देने के लिए इसे भूतलक्षी प्रभाव देने का सरकार का प्रस्ताव है।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) न्यायाधीशों की सेवा शर्तों में जिनमें उनके वेतन और न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि करना भी सम्मिलित है, सुधार करने के प्रश्न पर सरकार ध्यान दे रही है।

सरकार की गलत नीतियों के कारण कार उद्योग और उपभोक्ताओं पर दबाव

415. **डा० जी० विजय रामाराव : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आठवीं लोक सभा की प्राक्कलन समिति के 18वें प्रतिवेदन में दिए अनुसार सरकार की गलत नीतियों के कारण कार उद्योग और उपभोक्ताओं पर दबाव जारी है;

(ख) क्या कार की बौडी के लिए इस्पात का देश में ही उत्पादन करने की कोई योजना है; और

(ग) क्या 1970 के कार मूल्य में समय-समय पर की गई बहुत अधिक वृद्धि सरकार द्वारा किसी मानदण्ड के अनुसार सामान्य समझी जाती है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) बोकारो सन्यन्त्र ने पहले ही कार की बाडी के लिए इस्पात का विकास कर लिया है तथा उत्पादन की क्षमता में वृद्धि नहीं कर रहा है ।

(ग) औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो के अध्ययन ने यह व्यक्त किया है कि कार की कीमतों में वृद्धि उत्पादन तथा निवेशों की लागत के अनुरूप थी ।

दूरसंचार परिव्यय में वृद्धि

416. **श्री वी० तुलसी राम : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दूर-संचार परिव्यय में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हैदराबाद-सिकन्दराबाद को भी महानगर टेलीफोन निगम में शामिल किया जायेगा; यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस नई प्रणाली से देश में टेलीफोन प्रणाली के कार्यकरण में किस सीमा तक सुधार होगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वाणिज्यिक बाजार आदि से ऋण लेकर अतिरिक्त संसाधनों को बढ़ने की सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है ।

(ग) जी नहीं । महानगरीय टेलीफोन निगम के चार्टर के अनुसार केवल संघ शासित क्षेत्र दिल्ली ओर बम्बई की टेलीफोन प्रणाली को नियन्त्रण में लिया जाना है ।

(घ) प्रबन्ध को लचीला बनाने तथा अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने की दृष्टि से इस नई प्रणाली का प्रस्ताव रखा गया है। इन दोनों पहलुओं से टेलीफोन प्रणालियों के कार्यकरण में सुधार लाने में मदद मिलने की सम्भावना है ।

चुने हुए उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस नियमों में छूट

417. **श्री वी० तुलसीराम :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले बड़े व्यापार गृहों को केन्द्र द्वारा घोषित पिछड़े क्षेत्रों में चुने हुए 23 उद्योगों में से कोई उद्योग स्थापित करने के सम्बन्ध में औद्योगिक लाइसेंस नियमों में छूट देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उन बड़े व्यापार गृहों का ब्यौरा क्या है जिसका आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने का विचार है; और

(ग) अपेक्षित मंजूरी कब तक दी जाएगी तथा कौन-कौन से उद्योग कहां-कहां पर स्थापित किए जाएंगे ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) सरकार ने एकाधिकार व अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम की धारा 21 और 22 को लागू करने से कुछेक उद्योगों को पहले ही छूट दे दी है। औद्योगिक लाइसेंस देने से सम्बन्धित नीति और कार्यविधियों के उदारीकरण के एक भाग के रूप में सरकार ने इस सुविधा को और विस्तार किया है तथा एम० आर० टी० पी०/फेरा कम्पनियों के मामले में 5 उद्योगों को छोड़कर इन उद्योगों को लाइसेंसमुक्त कर दिया है बशर्ते कि पार्टियां केन्द्रीय रूप से घोषित पिछड़े क्षेत्रों में क्षमताएं स्थापित करें।

(ख) चूंकि इस निर्णय की जनवरी, 1986 के मध्य में ही घोषणा की गई थी, इसलिए एम० आर० टी० पी०/फेरा कम्पनियों जिनका आंध्र प्रदेश सहित ऐसे क्षेत्रों में उद्योगों को स्थापित करने का प्रस्ताव है, सम्बन्धित ब्यौरा बताना समय पूर्व होगा।

(ग) चूंकि सम्बद्ध उद्योगों को लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है, सरकार से अनुमति लेना आवश्यक नहीं है बशर्ते कि ऐसे प्रस्ताव सरकार द्वारा घोषित लाइसेंसमुक्त करने की योजना के अनुरूप हों।

[हिन्दी]

पार्सलों के माध्यम से कर अपवंचना और तस्करी

418. **श्री काली प्रसाद पांडेय :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बीमाकृत पार्सलों के माध्यम से निषिद्ध माल की तस्करी की जाती है जिसके परिणामस्वरूप तस्करी और अपवंचना होती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा वर्ष 1984-85 और 1985-86 के 31 जनवरी, 1986 तक इस प्रकार कर अपवंचन और तस्करी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) दोषी पाए गए डाक-तार विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रकार की अनियमितताओं और कदाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए अथवा प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री(श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली और बलिया के बीच टेलीफोन सेवा के सम्बन्ध में शिकायतें

419. **श्री जगन्नाथ चौधरी : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि दिल्ली से बलिया के लिए बुक की गई ट्रंक कालें नहीं मिलती हैं; क्योंकि वाराणसी-बलिया टेलीफोन सेवा आमतौर पर खराब रहती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी शिकायतों को दूर करने के लिए गम्भीरता से विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

प्राइवेट एजेंट नियुक्त करके रेल डाक सेवा का बन्द किया जाना

420. **डा० सुधीर राय : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे डाक सेवा को बन्द करने और लैटर बाक्स से डाक ले जाने के लिए प्राइवेट एजेंट नियुक्त करने के क्या कारण हैं; और

(ख) उक्त परिवर्तन का डाक लाने और ले जाने सम्बन्धी कार्य-कुशलता और विभाग की रोजगार क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ा है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) रेल डाक सेवा समाप्त नहीं की गई है लैटर बाक्स चपरासी तथा इस प्रकार के अन्य विभागीय तथा अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी पत्र पेटियों से डाक नियमित रूप से निकालते हैं। तथापि, जिन स्थानों पर डाक टिकटों तथा डाक सामग्री की बिक्री तथा रजिस्टर्ड पत्र बुक करने के लिए लाइसेंसशुदा डाक एजेंट नियुक्त किए गए हैं उन स्थानों पर लगी पत्र पेटियों से डाक की निकासी का कार्य उन्हें ही सौंपा गया है। यह सुविधा आवश्यक है ताकि ऐसे उपभोक्ता जो लाइसेंस एजेंटों से डाक टिकट तथा डाक सामग्री खरीदते हैं, यदि चाहें तो उसी स्थान पर अपने पत्र आदि प्रेषित कर सकते हैं।

(ख) लाइसेंसशुदा डाक एजेंट से यह अपेक्षित है कि वह अपने अहाते में लगी पत्र-पेटी से डाक-मदों को निकाले और उन्हें प्रेषित करें। ईससे डाक-प्रेषण की प्रक्रिया में तेजी आती है। इस

पद्धति का विभाग की रोजगार क्षमता न के बराबर प्रमाणित हुई है क्योंकि लाइसेंसशुदा डाक एजेंसियों का प्रतिशत डाकघरों के नियमित नेटवर्क की तुलना में लगभग केवल 0.3 प्रतिशत ही है।

पश्चिम बंगाल को सीमेंट का आबंटन

421. **श्री अजय विश्वास** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में वर्ष 1984 और 1985 में सीमेंट की आवश्यकता कितनी थी;

(ख) उक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार को कितना कोटा आबंटित किया गया; और

(ग) पश्चिम बंगाल को उक्त अवधि के दौरान वास्तव में सीमेंट की कितनी मात्रा भेजी गई थी?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) राज्य सरकारों की सीमेंट की आवश्यकताओं को नियमित आधार पर प्राप्त नहीं किया जाता, न ही पश्चिम बंगाल सरकार ने 1984 और 1985 में अपनी आवश्यकताएं सूचित की थीं।

(ख) और (ग) 1984 और 1985 में पश्चिम बंगाल को (राज्य वर्ग के अन्तर्गत) आबंटित लेवी सीमेंट और वास्तविक प्रेषित लेवी सीमेंट की मात्रा सम्बन्धी ब्यौरे नीचे दिए गए हैं—

(आंकड़े हजार मी० टनों में)

वर्ष	आबंटन (सिंचाई और बिजली परियोजनाओं सहित)	प्रेषण (सिंचाई और बिजली परियोजनाओं सहित)
1984	948	634
1985	945	524 (अनंतिम)

सिंधुदुर्ग और रत्नागिरि जिलों का औद्योगिक विकास

422. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्र कोंकण के सिंधु दुर्ग और रत्नागिरि जिलों में मुख्यतः रेल जैसी मूलभूत सुविधा की कमी के कारण वहां पर असंतोषजनक औद्योगिक विकास हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या विशेष प्रोत्साहनों द्वारा इस पिछड़े क्षेत्र का औद्योगीकरण किया जाएगा; और

(ग) क्या इसके विकास के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया जाएगा?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) रेल विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार, मंगलौर-माड्गांव रेल लाइन के लिए स्थापना स्थल सम्बन्धी अन्तिम सर्वेक्षण और रत्नागिरि से गुजरने वाली माडगांव-रोहा का पहले किए गए सर्वेक्षण को अद्यतन बनाए जाने का कार्य चल रहा है । परियोजना की वित्तीय लाभ देयता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर सर्वेक्षण पूरा हो जाने के पश्चात् ही और आगे कार्रवाई की जाएगी । महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग और रत्नागिरि जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों के वर्ग "ख" में शामिल किया गया है और इन जिलों में उद्योगों की स्थापना करने वाले उद्यमी रियायती वित्त और आयकर में रियायतें आदि पाने के अलावा भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनों पर किए निवेश पर 15% की दर से अधिकतम 15 लाख रुपये की राजसहायता पाने के पात्र हैं । किन्तु, विशेष जिले/जिलों में औद्योगिक विकास के लिए अवस्थापना का विकास करना मुख्यतः सम्बन्धित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है ।

वर्ष 1983 से 1985 के दौरान रत्नागिरि और सिंधुदुर्ग जिलों में उद्योगों की स्थापना के लिए निम्नलिखित संख्या में आशय-पत्र, औद्योगिक लाइसेंस तथा तकनीकी विकास के महानिदेशालय के पंजीकरण जारी किए गए—

वर्ष	रत्नागिरि			सिंधुदुर्ग		
	आशयपत्र	औद्योगिक लाइसेंस	डी० जी० टी० डी०	आशयपत्र	औद्योगिक लाइसेंस	डी० जी० टी० डी०
1983	4	—	2	1	1	—
1984	6	3	7	2	1	2
1985	4	3	9	1	1	1

आशयपत्रों, औद्योगिक लाइसेंसों और डी० जी० टी० डी० के पंजीकरणों का ब्यौरा जैसे एकक का नाम, विनिर्माण की वस्तु, स्थापना-स्थल आदि भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने मंथली न्यूज लैटर में प्रकाशित किया जाता है, जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

वर्ष 1983-84 से 1985-86 (31-1-86 तक) महाराष्ट्र सरकार को केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना के अन्तर्गत 8.99 करोड़ रुपए राशि की प्रतिपूर्ति की गई थी । इसका वर्षवार ब्यौरा निम्नलिखित है—

वर्ष	राशि
1983-84	2.61 करोड़
1984-85	3.65 करोड़
1985-86 (जनवरी 86 तक)	2.73 करोड़

राशि वितरण के जिलेवार ब्यौरे नहीं रखे जाते ।

दोपहिया और तिपहिया गाड़ियों का वर्गीकरण

4_3. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी प्रकार की दोपहिया और तिपहिया गाड़ियों का वर्गीकरण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या पहले अन्य किसी वाहन का वर्गीकरण किया क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) लाइसेंस देने के उद्देश्य से तथा क्षमता उपयोग से सुधार करने और अत्यधिक उत्पादन प्राप्त करने की दृष्टि से समस्त मोटरवाहनों को निम्नलिखित दो श्रेणियों में सूचीबद्ध किया गया है—

(1) 350 सी० मी० इन्जन क्षमता तक दुपहिए और तिपहिए;

(2) चार तथा इससे अधिक पहियों वाले सड़क पर चलने वाले मोटरवाहन।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को हुआ घाटा/लाभ

424. **श्री श्रीराम मूर्ति भट्टम** :
प्रो० चन्द्र भानु देवी :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों को कितना घाटा/लाभ हुआ है;

(ख) प्रत्येक उपक्रम में कुल कितना निवेश किया गया और वर्ष 1985-86 तक उनका संचित घाटा कितना है;

(ग) व्यबहारिकता प्रतिवेदन के अनुसार भी इनके कब तक लाभ-अलाभ स्थिति पर पहुंचने की सम्भावना थी और उनके कब तक उस स्थिति में पहुंचने की सम्भावना है; और

(घ) इन परियोजनाओं को पूरा करने में हुए विलम्ब के कारण लागत में प्रत्येक पृथक-पृथक कितनी वास्तविक वृद्धि हुई है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) 1983-84 को समाप्त तीन वर्ष का विवरण लोक उद्यम सर्वेक्षण के खण्ड 31, भाग 1 में उपलब्ध है जिसे 15 मार्च, 1985 को सभापटल पर रखा गया था।

(ख) 1985-86 के दौरान अधिकांश उपक्रमों का लेखा वर्ष 31-3-1986 को ही समाप्त हो रहा होगा और इसीलिए उसका विवरण उपलब्ध नहीं है। किन्तु, 31-3-1984 के आंकड़े लोक उद्यम सर्वेक्षण 1983-84 के खंड-1 के पृष्ठ संख्या 189 के अनुसार विवरण संख्या 16.1 में उपलब्ध है। लोक उद्यम सर्वेक्षण 1984-85 को भी संसद के वर्तमान सत्र में निर्धारित समयानुसार सभापटल पर रखा जाएगा।

(ग) चूंकि किसी उद्यम के भीतर कई बार अलग-अलग परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार की जाती हैं; न कि आवश्यक रूप से सम्पूर्ण उद्यम के लिए, अतः वांछित ब्यौरा प्रस्तुत करना व्यवहारिक नहीं जान पड़ता है।

(घ) कार्यान्वित की जा रही प्रमुख परियोजनाओं के समापन की मूल निर्धारित तारीख एवं समापन की प्रत्याशित तारीख के ब्यौरे सहित तत्सम्बन्धी जानकारी के साथ-साथ उसकी मूलतः स्वीकृत लागत एवं प्रत्याशित समापन लागत का विवरण लोक उद्यम सर्वेक्षण 1983-84 के खंड-1 में पृष्ठ संख्या 147 से 152 पर सारणी 12.5 में दिया गया है।

विद्युत संयंत्रों में प्लांट लोड फैक्टर में वृद्धि करना

425. **श्री श्रीराम मूर्ति भट्टम** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत संयंत्रों में प्लांट लोड फैक्टर को 50% से बढ़ाकर 60% या इसके लगभग करने हेतु विद्युत संयंत्रों के लिए कोई योजना तैयार की है या उन्हें कोई उपयुक्त अनुदेश परिचालित किए हैं;

(ख) उपर्युक्त लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और क्या इससे लगभग 11,000 करोड़ रुपए के निवेश की बचत होगी;

(ग) क्या विद्युत क्षेत्र में निगमित क्षेत्र को शामिल करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या उपरोक्त प्रयोजन हेतु केन्द्रीय बिजली अधिनियम में संशोधन करने का विचार है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) ताप विद्युत केन्द्रों के संयंत्र भार अनुपातों में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। इन उपायों में ये शामिल हैं—

(1) संयंत्र सुधार कार्यक्रमों के लिए राज्य बिजली बोर्डों को सहायता देना; (2) अपेक्षित मात्रा में तथा गुणवत्ता वाला कोयला प्राप्त करने के लिए राज्य बिजली बोर्डों को सहायता देना; (3) इंजीनियरों और प्रचालन तथा अनुरक्षण कार्मिकों को प्रशिक्षण देना; इत्यादि। इसके अलावा ताप विद्युत केन्द्रों के नवीकरण तसा आधुनिकीकरण के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम भी क्रियान्वित की जा रही है। संयंत्र भार अनुपात में सुधार लाने के लिए सतत रूप से उपाय किए जा रहे हैं तथा अब तक किए गए उपायों के परिणामस्वरूप संयंत्र भार अनुपात 1983-84 में 47.9% से बढ़कर अप्रैल, 1985 से जनवरी, 1986 तक की अवधि के दौरान 51.3% हो गया।

(ग) और (घ) विद्युत के उत्पादन और वितरण से सम्बन्धित नीति औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 के द्वारा विनियमित की जाती है। इस संकल्प के अनुसार विद्युत का उत्पादन और वितरण उद्योगों की अनुसूची "क" की श्रेणी में आता है, इसके भावी विकास का दायित्व केवल राज्य का है। यह संकल्प नए यूनिट स्थापित करने में निजी क्षेत्र के उद्यमियों का सहयोग प्राप्त करने की संभाव्यता के बारे में राज्य पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाता है, जबकि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना

अपेक्षित हो। इस नीति के अनुसार सरकार ने विद्यमान निजी स्वामित्व वाली विद्युत यूटिलिटियों में यूनिटों के प्रतिस्थापन और विस्तार की अनुमति दी है। जहां बड़ी मात्रा में विद्युत की आवश्यकता होती है और सतत और विश्वसनीय सप्लाई आवश्यक होती है वहां कैप्टिव विद्युत यूनिटों के लिए अनुमति दी जाती है।

(ङ) जी, नहीं।

भारत हेवी प्लेट्स और वेसल्स लिमिटेड द्वारा क्षमता का इस्तेमाल

426. **श्री श्रीराम मूर्ति भट्टम** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहयोगियों के व्यावहारिक प्रतिवेदन के अनुसार भारत हेवी प्लेट्स एण्ड वेसल्स लिमिटेड के कब तक सुचारु रूप से चालू होने की आशा है और क्या इससे वर्ष 1978-79 तक घाटा होता रहा है;

(ख) भारत हेवी प्लेट्स और वेसल्स लिमिटेड की निर्धारित क्षमता क्या है और वर्ष 1979-80 से 1984-85 तक कितना वार्षिक उत्पादन हुआ तथा कम उत्पादन के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या संयंत्र की समूची निर्धारित क्षमता को 23000 टन वार्षिक से घटाकर 18000 टन वार्षिक कर दिया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) भारत हेवी प्लेट एण्ड वेसल्स लिमिटेड जो 1978-79 तक घाटे में चल रहा था अब 1979-80 से लाभ कमा रहा है।

(ख) और (ग) भारत हेवी प्लेट एण्ड वेसल्स लिमिटेड की अधिष्ठापित क्षमता और 1979-80 से 1984-85 का वार्षिक उत्पादन निम्न प्रकार है :—

वर्ष	अधिष्ठापित क्षमता (मी० टन)	वास्तविक उत्पादन (मी० टन)
1979-80	33210	6929
1980-81	23210	13949
1981-82	23210	13298
1982-83	23210	8222
1983-84	23210	7568
1984-85	23210	11430

जाबिंग वाला एकक होने के कारण इसके उत्पाद अधिकांश रूप में एक ही किस्म के और पारम्परिक हैं। पक्के क्रयादेशों पर उत्पादन योजना तैयार की जाती है और बहुत से मामलों में डिजाइन डाकूमेंटेशन को या तो ग्राहकों अथवा उनके परामर्शदाताओं द्वारा मन्जूर किया जाता है।

कुछ उत्पादों के सम्बन्ध में जिनकी मूल क्षतता निर्धारित की गई थी, को सुविधाओं के बेहतर उपयोग के लिए चलाई गई विविधीकरण योजना के फलस्वरूप प्रतिस्थापित करना पड़ा था। अपर्याप्त क्रयादेशों के अलावा संयंत्र की स्थापना के समय अधिष्ठापित क्षमता से वास्तविक रूप में उत्पादन में कमी उत्पाद-मिश्र में परिवर्तन के कारण भी आई है।

डाक और तार विभाग का विभाजन

427. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन कारणों से सरकार को डाक विभाग से तार विभाग को अलग करना पड़ा है;

(ख) क्या यह सच है कि इस विभाजन से ग्रामीण क्षेत्रों में डाक विभाग के कार्यकरण पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जब पहले उप-डाकघर स्वीकृत किए गए थे तब डाक और तार दोनों विभाग एक ही स्थान पर सौहार्दपूर्ण और समन्वय के साथ कार्य करते थे; और

(घ) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि तार विभाग को डाक विभाग के विभाजन के कारण डाक विभाग का सम्पूर्ण कार्य बहुत अधिक संकट में पड़ गया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) दूरसंचार के बारे में भारत सरकार द्वारा 27-5-1981 को गठित सरीन समिति ने यह पाया कि डाक और दूरसंचार जैसी दो पूर्ण रूपेण पृथक सेवाओं को जिनमें एक श्रम प्रधान है तथा दूसरी पूंजी और टेक्नालॉजी-प्रेरक, चलाने वाले एक संयुक्त डाक तार बोर्ड ने वर्तमान पनिस्थितियों में भी संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं किया। आधुनिकतम टेक्नालॉजी के अनुरूप दूरसंचार सेवा में अभूतपूर्व विकास होता जा रहा है। यही कारण है कि विश्व में विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देशों में दूरसंचार, प्रशासनों ने दूरसंचार को डाक सेवाओं से अलग कर दिया है। मुख्यालय को छोड़कर भारत में ये दोनों सेवाएं पहले से ही अलग-अलग हैं। अब समय आ गया था कि बोर्ड स्तर पर भी इसका विभाजन कर दिया जाए।

इस समिति ने डाक-तार विभाग का दूरसंचार विभाग और डाक विभाग में विभाजन करने की भी सिफारिश की। भारत सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया।

(ख) जी नहीं। ग्रामीण डाकघरों में विभाजन से पूर्व जो तार सुविधाएं सुलभ कराई गई थीं, वे विभाजन के बाद भी जनता को बराबर सुलभ की जा रही हैं।

(ग) जी हां।

(घ) जी, नहीं।

दिल्ली में "टेलीफोन अलार्म काल" तथा "बैक अप काल" सुविधाएं

429. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में 173 संख्या डायल करके टेलीफोन अलार्म काल तथा जगाने की सुविधा समाप्त कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। तथापि, यह सेवा प्रधान कर्मचारियों की कमी के कारण 3-1-1986 से 26-1-1986 तक अस्थाई तौर पर बन्द कर दी गई थी।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

गुजरात में हाजिरा और अंकलेश्वर में उर्वरक कारखाने को प्राकृतिक गैस की सप्लाई

430. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई और इसके सैटेलाईट क्षेत्रों से प्राप्त होने वाली प्राकृतिक गैस को जलाकर नष्ट करने की बजाए गुजरात में हाजिरा और अंकलेश्वर के निकट तेजी से उभरने वाले उर्वरक कारखानों को इसकी सप्लाई की जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) बम्बई हाई से निकलने वाली एसोसिएटिड प्राकृतिक गैस जिनको दी जा रही है, वे इस प्रकार हैं :—

(i) आर० सी० एफ० ट्राम्बे।

(ii) आर० सी० एफ० थाल-वैशेट।

(iii) दीपक फर्टिलाइजर एण्ड पेट्रो-कैमिकल्स लि० तलोजा तथा

(iv) कृषकों के दो उर्वरक संयंत्र, हाजीरा।

अप्रैल, 1986 के बाद जब बम्बई हाई में अतिरिक्त कम्प्रेशन सुविधाएं चालू की जाएंगी तो गैस की फ्लेरिंग न्यूनतम हो जाएगी।

बल्क औषधियों का उत्पादन

431. **श्री रामकृष्ण मोरे** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बल्क औषधियों और फार्म्यूलेशन्स का उत्पादन छठी पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित संशोधित लक्ष्यों की तुलना में किस सीमा तक कम रहा और उसके क्या कारण हैं;

(ख) इसके परिणामस्वरूप औषधियों और फार्म्यूलेशन की मांग और पूर्ति के बीच अन्तर में किस सीमा तक वृद्धि हुई है;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बल्क औषधियों और फार्म्यूलेशन के उत्पादन के लिए अनुमानित लक्ष्य क्या है; और

(घ) मांग और पूर्ति के बीच अन्तर को कम करने के लिए सरकार का लक्ष्यों को किस प्रकार प्राप्त करने का विचार है ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) वर्ष 1984-85 में (छठी पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष) प्रपुंज औषधों का उत्पादन 377 करोड़ रुपए का हुआ जबकि संशोधित लक्ष्य 500 करोड़ रुपए का था। फार्मूलेशनों के सम्बन्ध में तत्संबंधी आंकड़े क्रमशः 1827 करोड़ रुपए है।

लक्ष्यों को पूरा न करने के कारणों में से मुख्य कारण विभिन्न औषधों की मांग में प्रत्याशित तेजी न आना है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) 1989-90 के दौरान (सातवीं पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष) क्रमशः 1033.4 करोड़ रुपए और 3755 करोड़ रुपए की प्रपुंज औषधों तथा फार्मूलेशनों की आवश्यकता का अनुमान लगायां गया है।

(घ) सरकार ने औद्योगिक अनुमोदनों तथा विदेशों सहयोग के क्षेत्र में नीति को उदार बना दिया है।

मारुति उद्योग लिमिटेड की क्षमता का उपयोग

432. **श्री वी० एम० विजय राघवन :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारुति उद्योग लिमिटेड की कुल क्षमता कितनी है और वास्तविक उत्पादन कितना है;

(ख) विभिन्न प्रकार के वाहनों की कुल मांग कितनी है; और

(ग) मांग पूरी करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) मारुति उद्योग लिमिटेड की अधिष्ठापित क्षमता चालीस हजार वाहनों की है। वर्ष 1985-86 में लगभग 52 हजार वाहनों के उत्पादन होने का अनुमान है।

(ख) लगभग दो लाख ग्राहक प्रतीक्षा सूची में हैं।

(ग) कम्पनी, परियोजना रिपोर्ट के 60 हजार के आंकड़े के मुकाबले में 1986-87 में 85 हजार वाहनों का निर्माण करने का प्रयास कर रही है। दूसरे चरण का विस्तार कार्य हो रहा है और यह क्षमता बढ़कर 1,00,000 वाहन प्रतिवर्ष हो जाएगी।

[हिन्दी]

गुजरात में टेलीफोन सेवा का आधुनिकीकरण

433. **श्री पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के विभिन्न सर्किलों में कितने स्थानों में टेलीफोन व्यवस्था का आधुनिकीकरण करने का विचार है;

(ख) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा; और

(ग) तत्सम्बन्धी योजना का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

सातवीं योजना अवधि के दौरान निम्नलिखित स्थानों में प्रत्येक के सामने दर्शाए अनुसार इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की योजना हैं

क्रमांक	स्थान का नाम	क्षमता	चालू करने का कार्यक्रम अस्थाई
1	2	3	4
1.	अहमदाबाद	43,000 लाइनें	10,000 लाइनें पहले ही चालू कर दी गई हैं।
	(i) स्थानीय एक्सचेंज		1986-87 के दौरान 8,000 लाइनें
			1987-88 के दौरान 8,000 लाइनें
			1988-89 के दौरान 10,000 लाइनें
			1989-90 के दौरान 7,000 लाइनें
	(ii) ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेंज	3,000 लाइनें	1989-90 के दौरान
2.	बड़ोदा		
	(i) स्थानीय एक्सचेंज	1,000 लाइनें	1989-90 के दौरान
	(ii) ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेंज	2,000 लाइनें	1989-90 के दौरान
3.	सूरत		
	(i) स्थानीय एक्सचेंज	6,000 लाइनें	1988-89 के दौरान 4,000 लाइनें
			1989-90 के दौरान 2,000 लाइनें
	(ii) ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेंज	2,500 लाइनें	1987-88 के दौरान 1,000 लाइनें
			1988-89 के दौरान 1,500 लाइनें

1	2	3	4
4. राजकोट			
	(i) स्थानीय एक्सचेंज	2,000 लाइनें	1988-89 के दौरान
	(ii) ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेंज	3,500 लाइनें	1988-89 के दौरान 1,000 लाइनें 1989-90 के दौरान 1,500 लाइनें
5. गांधीधाम		4,000 लाइनें	2,000 पहले ही चालू कर दी गई हैं। सातवीं योजना के दौरान 2,000 लाइनें
6. गांधीनगर		3,000 लाइनें	1986-87 के दौरान
7. वेरावल		3,000 लाइनें	2,000 लाइनें पहले ही चालू कर दी गई है। सातवीं योजना के दौरान 1,000 लाइनें।
8. पोरबन्दर		4,000 लाइनें	3,000 लाइनें पहले ही चालू कर दी गई है। सातवीं योजना के दौरान 10,000 लाइनें।
9. मेहसाना		4,000 लाइने	3,000 लाइनें पहले ही चालू कर दी गई ह। सातवी योजना के दौरान 100 लाइनें
10. कांडीनार		400 लाइनें	1986-87 के दौरान।

लोक अदालतों की स्थापना

434. श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1985 से 14 फरवरी, 1986 तक की अवधि के दौरान गुजरात में और देश के विभिन्न भागों में कितनी लोक अदालतें आयोजित की गई हैं;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) उनमें कितने और किस तरह के मामले निपटाए गए हैं;

(घ) किन-किन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लोक अदालतें आयोजित नहीं की गई हैं; और

(ङ) वर्ष 1986 के दौरान किन-किन राज्यों और जिलों में लोक अदालतें आयोजित की जाएंगी ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (घ) विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 1 जनवरी, 1985 से 14 फरवरी, 1986 तक की अवधि के दौरान, देश में आयोजित लोक अदालतों का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

गुजरात	17
आंध्र प्रदेश	6
बिहार	5
हरियाणा	2
महाराष्ट्र	6
उड़ीसा	3
राजस्थान	3
तमिलनाडु	2
उत्तर प्रदेश	30
दिल्ली	2

शेष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अभी लोक अदालतें आयोजित की जानी हैं।

(ख) और (ग) लोक अदालतों में हर प्रकार के मामले लिए जाते हैं जिनके अन्तर्गत सिविल, दांडिक, वैवाहिक, राजस्व, मोटरयान दुर्घटना दावे और प्रकीर्ण प्रकृति के विवाद भी हैं।

मोटरयान अधिनियम के अधीन पुराने मामलों को निपटाने के लिए राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड द्वारा विशेष लोक अदालतें आयोजित की जाती हैं।

जिन मामलों पर कार्यवाही की गई और उन्हें अन्तिम रूप से निपटाया गया उनकी राज्यवार कुल संख्या निम्नलिखित हैं :—

आंध्र प्रदेश	200 (जनवरी और फरवरी 1986 के दौरान)
बिहार	2595
गुजरात	3724
हरियाणा	5000 (लगभग)
महाराष्ट्र	1610
उड़ीसा	490
राजस्थान	27180
उत्तर प्रदेश	56,728
दिल्ली	326

(ङ) प्रत्येक राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड को 1986 में लोक अदालतें आयोजित करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है ।

[अनुवाद]

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में घातक दुर्घटनाएं

435. **श्री बसुदेव आचार्य** : या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की खानों में गत चार वर्षों में कितनी घातक दुर्घटनाएं हुई हैं, और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दुर्घटनाओं की दर में अचानक वृद्धि हुई है यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि सुरक्षा प्रबन्धों पर निगरानी रखने के लिए खदानों में श्रमिकों के साथ कोई भी अधिकारी ता पर्यवेक्षक नहीं होता है जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटनाएं होती हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) पिछले चार महीनों में भारत कोकिंग कोल लि० की खानों में 13 घातक दुर्घटनाएं हुईं जिनमें 15 व्यक्तियों की जानें गईं। इन दुर्घटनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

दुर्घटना की तारीख	स्थान	दुर्घटना का कारण	मृतकों की संख्या
8-10-1985	निचितपुर	डोजर से चोट लगी	1
9-10-1985	सेन्द्रा	साइड गिरने से	3
10-10-1985	अंगारपथरा	खाली टबों से कुचले गए	1
10-10-1985	नुडखुड़की	विस्फोट से	1
17-10-1985	लोड़ना	शैफ्ट में गिरे	1
31-10-1985	मुदीडीह	सांइड गिरने से	1
9-11-1985	गोंदूडीह	चलते हुए हालेज से कुचले गए	1
21-11-1985	मुदीडीह	केबल से चोट लगी	1
23-11-1985	मुराइडीह	डोजर ब्लेड गिरने से	1
26-11-1985	भौरा साउथ	पोन्टून से गिरे	1
6-12-1985	गोपालीचक	जमीन गिरने से	1
12-12-1985	कूया	साइड गिरने से	1
20-12-1985	अलकुसा	छत गिरने से	1

जनवरी, 1986 माह में कोई घातक दुर्घटना नहीं हुई ।

(ख) वर्ष 1985 के उत्तरार्द्ध में दुर्घटनाओं की दर बढ़ी है, फिर भी इन दुर्घटनाओं के बढ़ने का कोई निश्चित कारण निर्धारित नहीं किया जा सकता।

(ग) जी, नहीं।

[हिन्दी]

बिहार के मधुबनी जिले में दुल्ली पट्टी गांव में तेल भण्डार

436. श्री अब्दुल हन्नान अंसारी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के मधुबनी जिले में हल्ली खजोली ब्लाक के दुल्ली पट्टी गांव में विशेषज्ञों द्वारा तेल के भण्डारों का पता लगाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि बलिया से हटाया गया संयंत्र वहां पर लगाया जा रहा है तथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने इस सम्बन्ध में कार्य आरम्भ कर दिया है;

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस दिशा में ठोस कदम उठाने का है ताकि धन की बर्बादी को रोका जा सके तथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग सफलता प्राप्त कर सकें ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) बिहार के जिला मधुबनी में अभी तक तेल प्राप्त नहीं हुआ है। जिला बेतिया में जिस रिग का गंडक कुएं की खुदाई में प्रयोग किया गया था उसी की सहायता से यहां सब-सरफेस जियोलाजिकल सूचना प्राप्त करने के लिए एक पैरामीट्रिक कुआं खोदने का प्रस्ताव किया है।

(ग) और (घ) ओ० एन० जी० सी० के रिग को जिला बेतियां से हटाने के विरोध में तथा इस क्षेत्र में और रिग लगाने के लिए अभिवेदन प्राप्त हुए हैं। जबकि गंडक क्षेत्र में और खुदाई अब तक एकत्रित आंकड़ों के विश्लेषण के पश्चात् ही आरम्भ की जा सकती है जिसमें कुछ समय लगेगा और रिग को निष्क्रिय नहीं रखा जा सकता है। अतः इसे पैरामीट्रिक कुएं की खुदाई के लिए मधुबनी लें जाने का प्रस्ताव है। ओ० एन० जी० सी० द्वारा इस बेसिन में सुनियोजित योजना के अनुसार अन्वेषण किया जा रहा है।

[अनुवाद]

अधिक धनराशि के बिल बनाने और खराब टेलीफोनों सम्बन्धी मामले

437. डा० जी० विजयरामा राव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में अधिक धनराशि के बिल बनाने और खराब टेलीफोनों के सम्बन्ध में कोई उपचारात्मक प्रशासनिक योजना है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान अधिक धनराशि के बिल बनाने और खराब टेलीफोनों के राज्यवार कितने मामले निपटाए गए;

(ग) उक्त भाग (ख) में उल्लिखित कितने मामलों का निपटारा प्रयोक्ताओं के हक में हुआ; और

(घ) यदि हां, तो क्या भारतीय तार अधिनियम की धारा 7(ख) के अन्तर्गत अब तक कोई मामले प्राप्त हुए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) यूनिटों से जानकारी एकत्र की जा रही है तथा यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ?

(घ) जी हां ।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा कोटा में गैस पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र

438. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा कोटा जिले में अंटा के निकट 500 मेगावाट क्षमता के गैस पर आधारित एक ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस विद्युत संयंत्र पर कार्य कब तक प्रारम्भ होगा और यह कब तक पूरा हो जायेगा ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) कोटा जिले में अंटा के समीप 430 मेगावाट की क्षमता का गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है । परियोजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा किया जाएगा । अंटा में प्रथम गैस टर्बाइन यूनिट को, मुख्य संयंत्र और उपस्कर के लिए आर्डर देने के पश्चात् 24 महीने में चालू किए जाने का कार्यक्रम है ।

[अनुवाद]

गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों का विकास

439. **श्री के० कुन्जम्बू** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के विकास में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई संदर्शी योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के विभिन्न क्षेत्रों में प्रारम्भ किए गए गहन अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों तथा प्रदर्शन कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप कई प्रौद्योगिकियों का विकास किया जा चुका है जिन्हें विद्युत उत्पादन सहित विभिन्न प्रयोगों के लिए

तकनीकी रूप से सम्भावनायुक्त पाया गया है। बायो-गैस विकास के राष्ट्रीय कार्यक्रम, उन्नत प्रकार के चूल्हों के राष्ट्रीय कार्यक्रम, सौर तापीय विस्तार कार्यक्रमों जैसे बड़े पैमानें के विस्तार कार्यक्रमों को देश भर में प्रारम्भ किया गया है तथा इनका वित्तीय प्रतिबन्धों के साथ अनुकूल रूप से विस्तार किया जा रहा है। ये पहले ही देश भर में लाखों लोगों को ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं तथा ऊर्जा की बचत कर रहे हैं। सौर प्रकाश वोल्टीय प्रणालियों का विकास किया जा चुका है तथा इन्हें दूरवर्ती गांवों और अन्य छोटी विद्युत आवश्यकताओं को विद्युत प्रदान करने के लिए अधिक तेजी से लगाया जा रहा है। बड़े पैमाने पर विद्युत उत्पादन के लिए दो पवन फार्म स्थापित किए जा चुके हैं तथा इस क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। बायोमास के उत्पादन, रूपांतरण और प्रयोग से सम्बन्धित परियोजनाएं विस्तार के स्तर पर पहुंच गई हैं तथा बायोमास, गैसीफायरों का वाणिज्यीकरण किया जा चुका है। विभिन्न प्रौद्योगिकियों के लिए अवसंरचना के उत्पादन को स्थापित किया जा चुका है तथा इसका धीरे-धीरे विस्तार हो रहा है। ऊर्जा में आत्म-निर्भर कई गांवों की स्थापना की जा चुकी है तथा इस प्रकार के हजारों गांवों के लिए एक कार्यक्रम आरम्भ किया गया जहां पूरे गांव की विद्युत, खाना बनाने और रोशनी की आवश्यकताओं को स्थानीय रूप से उपलब्ध अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों द्वारा पूरा किया जाएगा।

नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों की लागत को कम करने तथा कुशलता को सुधारने के लिए अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों को पुनः तीव्र किया जा चुका है।

(ख) और (ग) एक विस्तृत परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की जा चुकी है जो विद्युत के 15,000 मेगावाट के प्रतिष्ठापन पर और शताब्दी के अन्त तक कुल ऊर्जा आवश्यकताओं के 20 प्रतिशत को अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करने पर विचार करती है।

तेल खान विनियमन के अन्तर्गत तेल कुओं में सुरक्षात्मक उपाय

444. डा० गौरी शंकर राजहंस :
श्री आनन्द सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 जनवरी, 1986 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "मेनी आयल वेल्स" थ्रीट "टू लाइफ" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि देश में तेल के अनेक कुएं आवासीय बस्तियों के समीप स्थित हैं और तेल खान विनियमन, 1984 के अन्तर्गत सांविधिक उपाय नहीं किए हैं;

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इन तेल कुओं में पर्याप्त सुरक्षात्मक उपायों की व्यवस्था करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) ग्रामों/कस्बों के पास तेल कुओं का खनन करते समय खान अधिनियम और

विनियमों के अन्तर्गत हमेशा ही सांविधिक कार्यवाही तथा सुरक्षा के उपाय अपनाये जाते हैं। इनमें क्रिसमस ट्री लगाने, कुएं के चारों तरफ पर्याप्त ऊंचाई के तार लगाने तथा लीकेज के लिए आवधिक जांच तथा उसे "धूम्रपान निषिद्ध" क्षेत्र घोषित करना आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

विधि आयोग के प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही

441. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विधि आयोग द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये तथा उनके विषय क्या थे और उनमें से कितने प्रतिवेदनों को संसद् के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखा गया है तथा कितनों को अभी तक सभा पटल पर नहीं रखा गया है;

(ख) दोनों सदनों के सभा पटल पर रखे गये प्रतिवेदनों को विचार के लिए जिन मंत्रालयों को भेजा गया है उनका ब्यौरा क्या है तथा इन प्रतिवेदनों में क्या सिफारिशें की गईं और उन्हें मंत्रालयों को कौन-कौन-सी तारीख को भेजा गया है; और

(ग) जिन प्रतिवेदनों पर मंत्रालयों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं उन पर उनके मंत्रालय द्वारा आज तक क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) विधि आयोग ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल मिलाकर 26 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। उनमें से 25 रिपोर्टें संसद् के दोनों सदनों के पटलों पर रख दी गई हैं और एक रिपोर्ट पटल पर नहीं रखी गई है। इन रिपोर्टों के विषयों, उन मंत्रालयों के नाम, जिन्हें वे भेजी गई हैं, और वे तारीखें जिनको वे भेजी गई हैं, के सम्बन्ध में जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) सरकार ने पचानवेवीं रिपोर्ट में की गई सिफारिश पर कार्रवाई न करने का विनिश्चय किया है। एक सौ चारवीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, 1985 को अधिनियमित करके कार्यान्वित कर दिया है। अन्य रिपोर्टों पर मंत्रालयों/विभागों के दृष्टिकोण/राय की प्रतीक्षा की जा रही है।

विवरण

क्रम सं०	रिपोर्ट का संख्यांक	रिपोर्ट की विषय-वस्तु	मंत्रालय/विभाग जिसे भेजी गई	तारीख जिसको भेजी गई
1	2	3	4	5
1.	88	साक्ष्य में सरकार के विशेषाधिकार, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123-124 और 162	गृह मंत्रालय विधि कार्य/ विधायी	4-5-84

1	2	3	4	5
		तथा संविधान का अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 163	विभाग	
2.	89	परिसीमा अधिनियम, 1963	विधायी	24-8-84
3.	90	भारत में क्रिश्चियनों के विवाह-विच्छेद के आधार—धारा 10, भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869	विधायी	26-4-84
4.	91	दहेज के कारण होने वाली मृत्यु और विधि सुधार के लिए (i) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (ii) भारतीय दंड संहिता, 1860 (iii) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का संशोधन करना।	विधायी	26-4-84
5.	9–	न्यायिक पुर्नविलोकन के लिए आवेदनों में नुकसानी-विधान बनाने के लिए सिफारिशें	विधायी/न्याय/ विधि कार्य गृह मंत्रालय	4-5-84
6.	93	जन संचार माध्यमों द्वारा जानकारी के स्रोत का प्रकटन	सूचना और प्रसारण विधायी विभाग	16-5-84
7.	94	अवैध और अनुचित रूप से प्राप्त किया गया साक्ष्य-प्रस्तावित धारा 166-क भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872	विधायी	11-5-84
8.	95	उच्चतम न्यायालय में एक सांविधानिक खंड का प्रस्ताव	न्याय	5-2-85
9.	96	कुछ अप्रचलित केंद्रीय अधिनियमों का निरसन	न्याय/विधायी, श्रम/पेट्रोलियम/ वित्त मंत्रालय	1-9-84
10.	97	भारतीय संविदा अधिनियम, संविदाओं में अवरोधक खंड	विधायी	10-9-84
11.	98	हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 से 26, विवाह विषयक कार्यवाहियों में अन्तरिम भरणपोषण	विधि कार्य विभाग	25-8-84

1	2	3	4	5
		के लिए आदेश और अपत्यों के भरण-पोषण के लिए आदेश		
12.	99	उच्च न्यायालयों में मौखिक और लिखित बहस	न्याय विभाग	25-8-84
13.	100	सरकार द्वारा और उसके विरुद्ध मुकदमे-सुधारों के लिए कुछ सिफारिशें	न्याय विभाग/ विधायी विभाग और कर्मचारि-वृन्द तथा प्रशिक्षण	7-11-84
14.	101	संविधान के अनुच्छेद 19 के अधीन वाक् और अभिव्यक्ति स्वातन्त्र्य भारतीय निगमों को इसके विस्तारित किए जाने के लिए सिफारिश	गृह मंत्रालय/ उद्योग	6-2-84
15.	102	दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 122(1) शान्ति बनाए रखने के बंध पत्र का भंग करने पर, प्रतिभुओं सहित, कारावास	गृह मंत्रालय	6-2-85
16.	103	संविदा में अऋजु निबन्धन	विधायी विभाग	5-2-85
17.	104	न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम	न्याय विभाग	6-2-85
18.	105	उपभोक्ता वस्तुओं का क्वालिटी नियन्त्रण और निरीक्षण	खाद्य और नागरिक आपूर्ति/ उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा 14 अन्य	4-3-85
19.	106	मोटर यान अधिनियम, 1939 की धारा 103क, मोटर यान का अन्तरण किए जाने पर बीमा पर प्रभाव	परिवहन मंत्रालय	1-3-85
20.	107	नागरिकता विधि	गृह मंत्रालय	29-5-85
21.	108	वचन विबंध	विधायी विभाग	29-5-85

1	2	3	4	5
22.	109	भद्दे और अशिष्ट विज्ञापन और प्रदर्शन—भारतीय दंड संहिता की धारा 292-293	सूचना और प्रसारण/ गृह मंत्रालय	29-5-85
23.	110	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925	संसद् के पटल पर नहीं रखी गई है।	
24.	111	घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855	उद्योग/परिवहन/ श्रम/वित्त मंत्रालय	9-1-86
25.	112	बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45	वित्त	9-1-86
26.	113	पुलिस अभिरक्षा में क्षति	गृह मंत्रालय	15-1-86

[अनुवाद]

तेल तथा गैस के सम्बन्ध में अमरीकी व्यापारिक मिशन की भारत यात्रा

442. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के उप सहायक वाणिज्य सचिव के नेतृत्व में एक उच्च-स्तरीय अमरीकी व्यापारिक मिशन ने भारत में तेल तथा गैस के क्षेत्र में व्यापार तथा निवेश की संभावनाओं का पता लगाने के लिए जनवरी, 1986 में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दोनों पक्षों ने टेण्डरों के प्रोसेस में तेजी लाने, अन्वेषण की संविधाओं के लिए अगली बोली देने के लिए शर्तों, तेल क्षेत्र सम्बन्धी उपस्करों तथा सेवाओं में संयुक्त उद्यमों की सम्भावनाओं आदि के बारे में विचार-विमर्श किया।

(ग) यह मिशन अन्वेषण किस्म का था।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : भारी संख्या में महिलाएं ही प्रतीक्षा कर रही हैं······

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : संविधान के अनुच्छेद 75 (3) में लिखा है···(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : वे संसद भवन के समीप प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे मुस्लिम महिला विधेयक को प्रस्तुत करने का विरोध कर रही है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : वह आप से भेंट करना चाहती हैं किंतु उन्हें अन्दर आने की अनुमति नहीं दी जा रही है······(**व्यवधान**) एक प्रतिनिधि मण्डल है। वह यहां आया है। उन्हें अनुमति नही दी जा रही है

अध्यक्ष महोदय : तीन-चार लोगों को आने और मेरे साथ भेंट करने की हमेशा अनुमति दी जाती है। यह कोई सदस्य नहीं है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह कभी भी समस्या नहीं रही है और अब भी यह कोई समस्या नहीं है। वे हर समय आ सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सुरक्षा कर्मचारी समस्या खड़ी कर रहे हैं। कृपया उन्हें बता दीजिए ······(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इसमें चिन्ता की कोई बात नहीं है।

(**व्यवधान**)

———

12.02 म० प०

श्री जी० एम० बनातवाला के दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1985 पर विरोधी विचार व्यक्त करने के कारण राज्य मंत्री श्री आरिफ मोहम्मद खां और श्री जियाउर्रहमान अंसारी के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैं विशेषाधिकार का एक प्रश्न उठा रहा हूं। संविधान के अनुच्छेद 75 (3) के अनुसार मंत्रिपरिषद् को लोक सभा की मिली-जुली जिम्मेवारी होगी। श्री

बनातवाला ने गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक प्रस्तुत किया। श्री आरिफ मोहम्मद खां और श्री जियाउर्रहमान अंसारी ने विधेयक पर चर्चा की और वे दोनों मंत्रि परिषद् के सदस्य हैं। उनमें से एक ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया······(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, मैं आपकी बात समझ गया।

प्रो० मधु दंडवते : यह सामूहिक जिम्मेदारी की असफलता है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। यदि आपकी इच्छा है तो मैं आप को अपना विनिर्णय दूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : जल्दी मत कीजिए जैसा कि सरकार इस विधेयक को लाने में जल्दी कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : नही, नहीं। मैंने बहुत सावधानी से काम किया है। आप जानते हैं मैं ने विधेयक की अनुमति नहीं दी है।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय मुझे मालूम नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आपको नहीं मालूम ?

प्रो० मधु दंडवते : जी नहीं। मुझे केवल यह सन्देह था कि आप इसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर, कभी कभी आपको अनुमान सही होते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : जो भी विनिर्णय आप देंगे इससे संसद को आने वाली पीढ़ियों तक मार्गदर्शन प्राप्त होगा।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई समस्या नहीं है। मैंने पूरी तरह से इस विषय का अध्ययन किया है और इसके सभी पहलुओं को देखा है।

प्रो० मधु दंडवते : इस सदन में क्या कोई ऐसी एक भी मिसाल है जहां मंत्रि-परिषद् के दो सदस्यों ने परस्पर विरोधी दृष्टिकोण अपनाया हो।

अध्यक्ष महोदय : 30 जनवरी, 1986 को प्रो० मधु दंडवते ने विद्युत विभाग में राज्य मंत्री श्री आरिफ मोहम्मद खां और पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जियाउर्रहमान अंसारी के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचनाएं इस आधार पर दी थीं कि उन्होंने श्री जी० एम० बनातवाला द्वारा प्रस्तुत गैर सरकारी सदस्य के विधेयक अर्थात दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक 1985 के संबंध में बिल्कुल विपरीत विचार व्यक्त करके संविधान के अनुच्छेद 75 (3) को उल्लघन किया है। प्रो० दंडवते का दावा है कि उपर्युक्त विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए श्री आरिफ मोहम्मद खां और श्री जियाउर्रहमान अंसारी ने, जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, जोरदार शब्दों में "शाह बानो मामले" में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बारे में एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत

विचार व्यक्य किये थे। पहले ने निर्णय का समर्थन किया था और दूसरे ने स्पष्ट शब्दों में इसका विरोध किया था। अत: दोनों मंत्रियों ने सामूहिक जिम्मेवारी के सिद्धांत का उल्लंघन किया और इस प्रकार विशेषाधिकार का हनन किया है और सभा की अवमानना की है।

सभा को ज्ञात है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, जो संहिता की धारा 125 और 127 में संशोधन करने के लिए है जो पत्नियों, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण भत्ते से संबंधित हैं यह एक गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक है और इस पर सामान्य चर्चा हो रही है। सम्बद्ध मंत्री जो इस मामले में सरकार के विचार/निर्णय को व्यक्त करेंगे, उन्हें अभी चर्चा का उत्तर देना है।* अतः इस विधेयक पर सरकार का नीति संबंधित निर्णय सभा के समक्ष नहीं रखा गया है।

सभा की अवमानता सामान्यत: उस स्थिति में होती है जब कोई ऐसा काम किया गया है जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष में सभा, सदस्यों, अधिकारियों अथवा समितियों के कामकाज में व्यवधान डाले या इसका कारण बने। मुझे श्री आरिफ मोहम्मद खां और श्री जियाउर्रहमान अंसारी द्वारा दिए गए भाषणों में ऐसी कोई बात दिखाई नहीं दी है। फिर भी किसी संवैधानिक अथवा सांविधिक उपबन्ध का कथित उल्लंघन न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में आता है और ऐसे मामलों में संसदीय विशेषाधिकार का कोई मामला नहीं बनता।

तदनुसार नियम 222 के अन्तर्गत मैं मामले को विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में सभा में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, आप अपना गुस्सा व्यक्त कीजिए।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, आप किस संहिता को सिफारिश करेंगे ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : यह लोकतन्त्र है।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : महोदय, हमने रामस्वरूप मामले के संबंध में प्रधान मंत्री और गृह मंत्री के विरुद्ध सदस्यों और विपक्ष दलों की निष्ठा पर सन्देह करने के प्रयास करने के लिए विशेषाधिकार प्रस्ताव दिया है......(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। यह अभी निर्णयाधीन है। मैं उन सदस्यों को ही अनुमति दूंगा जिनका इससे संबंध है।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : मेरी सूचना का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है।

(**व्यवधान**)**

* 30 जनवरी, 1986 को यह स्थिति थी, उसके पश्चात् विधेयक वापस ले लिया गया।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने अभी कहा है कि यदि सभा के किसी सदस्य के नाम का उल्लेख किया गया है तो मैं उसको अनुमति दूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : इस पर चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं।

(व्यवधान)**

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय, हम पंजाब की बिगड़ती हुई स्थिति पर आपको सूचना देते रहे हैं और आपसे भेंट करते रहे हैं······(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप एक सूचना दीजिए, मैं इस पर विचार करूंगा। इसमें कोई समस्या नहीं है।

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : मैं यह कहने जा रहा हूं कि मुल्क के अन्दर पूरा एक हंगामा मचा हुआ है, बाबरी मस्जिद के बारे में हकूमत क्या इंतज़ाम कर रही है। जगह-जगह फायरिंग हो रही है······(व्यवधान)

[अनुवाद] '

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। हम इस प्रश्न 'साम्प्रदायिक स्थिति' पर उस समय चर्चा करेंगे जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे बताया गया है कि कार्य मंत्रणा समिति में जासूसी के इस मामले के बारे में कुछ फैसला हुआ था। हमें यह नहीं कहा गया है कि आपने हमारे स्थगन प्रस्ताव पर अनुमति न देने का निश्चय किया है।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। इस पर चर्चा नहीं होगी। मैंने केवल निजी स्पष्टीकरण की अनुमति दी है चाहे यह किसी सदस्य द्वारा हो। यह मामला न्यायनिणर्याधीन है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जाती है।

12.07 म० प०

सभा पटल पर रखें गये पत्र

[अनुवाद]

आर्थिक सर्वेक्षण, 1985-86

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं "आर्थिक सर्वेक्षण" 1985-86 की एक प्रति

**कार्यवाही वृ[illegible] लित नहीं किया गया।

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1971/86]

आई० बी० पी० कम्पनी लिमिटेड तथा इसकी समनुषंगी मैसर्स बामर लारी एण्ड कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 1984-85 के, तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के, और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) आई० बी० पी० कम्पनी लिमिटेड तथा इसकी समनुषंगी मैसर्स बामर लारी एण्ड कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आई० बी० पी० कम्पनी लिमिटेड तथा इसकी समनुषंगी मैसर्स बामर लारी एण्ड कम्पनी लिमिटेड का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1972/86]

(2) (एक) तेल उद्योग विकास अधिनियम, 1974 की धारा 20 की उपधारा (4) के अन्तर्गत तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखें।

(दो) तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1973/86]

(4) (एक) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 की धारा 22 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 23 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के वर्ष 1984-85 तथा इसकी समनुषंगी कम्पनी, हाइड्रोकार्बन्स इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के वर्ष 1984-85 तथा इसकी समनुषंगी कम्पनी, हाइड्रोकार्बन्स इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1974/86]

डाक-तार विभाग की दूर-संचार शाखा का वर्ष 1983-84 का लाभ तथा हानि लेखा

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं डाक-तार विभाग की दूर-संचार शाखा के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी लाभ तथा हानि लेखा और तुलन-पत्र (प्रोद्भवन के आधार पर) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1975/86]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मेरा विनिर्णय है। इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना, दिल्ली नागरी कला आयोग, नई दिल्ली, का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण (मंडलन) विनियम, 1983 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 18 जनवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 161 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1976/86]

(2) (एक) दिल्ली नागरी कला आयोग अधिनियम, 1973 की धारा 19 के अन्तर्गत दिल्ली नागरी कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली नागरी कला आयोग अधिनियम, 1973 की धारा 20 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली नागरी कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) दिल्ली नागरी कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 19:4-85 के लेखापरीक्षित

लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1977/86]

तेल दाब स्टोव (क्वालिटी नियन्त्रण) आदेश, 1985, माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर की वर्ष 1984-85 और नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता की वर्ष 1984-85 की समीक्षा के बारे में विवरण

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत तेल दाब स्टोव (क्वालिटी नियन्त्रण) आदेश, 1985 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 25 सितम्बर, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 757(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1978/86]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर का वर्ष 1984-35 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1979/86]

(ख) (एक) नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1980/86]

(ग) (एक) लगन जूट मशीनरी कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) लगन जूट मशीनरी कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1984-85 का

वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1981/86]

(घ) (एक) मारुति उद्योग लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) मारुति उद्योग लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1982/86]

(ङ) (एक) भारत प्रोसेस एण्ड मैकेनीकल इन्जीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता और इसकी सहायक, अर्थात् वेबर्ड (इण्डिया) लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) भारत प्रोसेस एण्ड मैकेनीकल इन्जीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता और इसकी सहायक, अर्थात्, वेबर्ड (इण्डिया) लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1983/86]

(च) (एक) भारत वैगन एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, पटना के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) भारत वैगन एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, पटना का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1984/86]

(छ) (एक) एच० एम० टी० लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) एच० एम० टी० लि०, बंगलौर का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1985/86]

(ज) (एक) हिन्दुस्तान केबल्स लि० के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान केबल्स लि० का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1986/86]

(झ) (एक) भारत के ब्रेक्स एण्ड वाल्वूज लि०, कलकत्ता के 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वूज लि०, कलकत्ता का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1987/86]

(ञ) (एक) जैसप एण्ड कम्पनी लि०, कलकत्ता के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) जैसप एण्ड कम्पनी लि०, कलकत्ता का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त मद (2) के भाग (ज) से (ञ) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1988/86]

(4) व्यापार और पण्य वस्तु चिन्ह अधिनियम, 1958 की धारा 126 के अन्तर्गत पेटेन्ट, डिजाइन और पण्य वस्तु महानियन्त्रक के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1989/86]

(5) (एक) आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन आफ इण्डिया, पुणे के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन आफ इण्डिया, पुणे के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1990/86]

(6) (एक) सेन्ट्रल मशीन टूल इंस्टीट्यूट, बंगलौर के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल मशीन टूल इंस्टीट्यूट, बंगलौर के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1991/86]

(7) (एक) इण्डियन प्लाईवुड इण्डस्ट्रीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलौर के वर्ष 1984-85 के

वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) इण्डियन प्लाईवुड इण्डस्ट्रीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलौर के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1992/86]

स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कलकत्ता की वर्ष 1984-85 की समीक्षा एवं वार्षिक प्रतिवेदन

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि०, कलकत्ता के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि०, कलकत्ता का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1993/86]

12.08 म० प०

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

छठा प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश

[अनुवाद]

श्री के० राममूर्ति (कृष्णगिरी) : मैं भारतीय साधारण बीमा निगम के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा इस समिति की तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मेरा विनिर्णय है। मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है।

(व्यवधान)

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

[अनुवाद]

भारत में हाल ही में हुए उपद्रवों के बारे में पड़ोसी देश के शासकीय प्रवक्ताओं द्वारा दिए गए कथित वक्तव्य

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : मैं विदेश मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं तथा उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :—

"भारत में हाल ही में हुए उपद्रवों के बारे में पड़ोसी देश के शासकीय प्रवक्ताओं द्वारा दिए गए कथित वक्तव्य तथा इस मामले में सरकार की प्रतिक्रिया ।"

अध्यक्ष महोदय : मेरा विनिर्णय, विनिर्णय ही है । आप इसे चुनौती नहीं दे सकते । इसकी अनुमति नहीं है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : क्या आप उन दो मन्त्रियों को, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, वक्तव्य देने के लिए कहेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यदि वे चाहें तो वक्तव्य दे सकते हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : फिर विलम्ब क्यों किया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता । गुप्त जी, मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता ।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, इस सभा की एक परम्परा है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता हूं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मन्त्रियों ने त्यागपत्र दे दिया है और उन्होंने स्वयं ही··· ···(व्यवधान) मन्त्रियों ने त्यागपत्र दे दिया है । कैसे ? इसकी जानकारी सभा को नहीं है ।

श्री बसुदेव आचार्य : सभा को यह पता होना चाहिए कि उन्होंने त्यागपत्र क्यों दिया ।

अध्यक्ष महोदय : मैं यहां अभी उन्हें इसकी अनुमति देता हूं । इसमें कोई कठिनाई/समस्या नहीं है । उन्हें ऐसा करने दीजिए । मैं उन्हें इस विशेषाधिकार से वंचित नहीं कर सकता हूं । उनका स्वागत है । सबका स्वागत है । और यदि आप ऐसा करना चाहें तो आपका भी स्वागत है । इसमें कोई मुश्किल नहीं है ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : **(व्यवधान)**

**कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डी ने जो कुछ कहा उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाए।

[हिन्दी]

जयपाल जी कोई फायदा नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। उसके आने से भी कोई बात नहीं बनती, गरम होने से भी कोई बात नहीं बनती···

(व्यवधान)

बैठ जाइए, ब्लड प्रैशर हो गया तो मैं क्या करूंगा, आपको कोई तकलीफ हो गई तो मैं क्या करूंगा···

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त (डायमण्ड हार्बर) : जब सरकार चाहेगी वे कुछ न कुछ ले आएंगे··· (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

विदेश मंत्री (श्री बी० आर० भगत) : भारत में हाल ही में हुई कुछ गड़बड़ी के बारे में 20 फरवरी, 1986 को अपनी सीनेट में दिए गए एक वक्तव्य में पाकिस्तान के विदेश राज्य मन्त्री ने यह कहा था कि पाकिस्तान की जनता "मानव जाति और विशेषकर उन लोगों की, जिनके साथ कि उनके धार्मिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक सम्बन्ध हैं, दुर्दशा की अनदेखी नहीं कर सकती।" पाकिस्तान की सरकार ने 12 जून, 1985 को अपनी राष्ट्रीय एसेंबली तथा 9 जुलाई, 1985 को अपनी सीनेट में भी इसी प्रकार के वक्तव्य दिए थे। इसके अतिरिक्त भी आपत्तिजनक वक्तव्य दिये गए हैं।

हाल ही के वर्षों में पाकिस्तान की सरकार ने भारत में रह रहे अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति जो अनुचित टिप्पणियां की हैं तथा उनके बारे में जिस प्रकार की अप्रिय रुचि दिखाई है, उसे देखकर हम कुछ चिन्तित हुए हैं। एक ओर अगर कहा जाये कि हम अहस्तक्षेप के सिद्धान्त पर चलते हैं और दूसरी ओर इस तरह बातें कही जाएं तो उन्हें अपने आन्तरिक मामलों में खुल्लमखुल्ला हस्तक्षेप के अतिरिक्त और क्या माना जा सकता है।

जैसा कि माननीय सदस्यों को याद होगा ऐतिहासिक शिमला समझौते में, भारत और पाकिस्तान दोनों में इस बात पर सहमति हुई थी कि दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण, अच्छे पड़ोसी सम्बन्ध और स्थायी शान्ति के लिए यह जरूरी है कि एक दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धान्त का अनुसरण किया जाए।

जुलाई, 1974 में दिल्ली के सदर बाजार में जो दंगे हुए थे, उस समय पाकिस्तान की तत्कालीन सरकार ने वहां की राष्ट्रीय असेम्बली में यह कहा था कि शिमला समझौते के अन्तर्गत इसे एक आन्तरिक मामले के रूप में ही देखा जायेगा। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने अब जो रुख अख्तियार किया है वह उनके पहले के रुख के विपरीत है।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कई मौकों पर भारत सरकार ने पाकिस्तान की सरकार से यह स्पष्ट रूप से कहा है कि इस प्रकार के बयान शिमला समझौते के विपरीत हैं और समरसतापूर्ण और अच्छे पड़ौसियों के से सम्बन्ध विकसित करने के लिए भी ये अनुकूल नहीं हैं। जहां तक हमारा सवाल है हमने पाकिस्तान में साम्प्रदायिक दंगों, लोकतान्त्रिक अधिकारों से जनता को वंचित करने और अल्पसंख्यक समुदायों जिनमें अहमदिया समुदाय भी शामिल है, की धार्मिक उपासना की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के बारे में मिलने वाली खबरों पर कभी कोई टिप्पणी नहीं की है, हालांकि भारत में और अन्यत्र भी इन घटनाओं पर सार्वजनिक तौर पर चिन्ता व्यक्त की गई। हम यह उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान सरकार इन तथ्यों पर समुचित ध्यान देगी और ऐसी कोई कार्यवाई नहीं करेगी जिनका पाकिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण और सहयोग के सम्बन्ध कायम करने की दिशा में हमारे प्रयासों पर बुरा असर पड़े।

प्रो० के० के० तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री जी ने एक सुस्पष्ट वक्तव्य दिया है, पिछले अवसरों पर आपने 40 मिनट, कभी-कभी एक घण्टे की अनुमति दी थी।

अध्यक्ष महोदय : आप इस निर्णय का अभिन्न अंग हैं। आप अपने ही घोषणापत्र का उल्लंघन नहीं कर सकते।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं अपने को उन्हीं बातों तक सीमित रखूंगा जो कि आज की बहस के संदर्भ में संगत हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री जी ने पाकिस्तान सैनिक जनता द्वारा हमारे देश के अन्दरूनी मामलों में भारी हस्तक्षेप के मामले में एक बहुत सुनिश्चित रुख अपनाया है। लेकिन शायद यह भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सुधारने के लिए हाल में किए गए प्रयत्नों से मेल नहीं खाता। पड़ोसियों से सम्बन्ध सुधारने के लिए लगातार बहुत अधिक मात्रा में कार्यवाहियां हुई हैं। लेकिन इस सबके बावजूद पाकिस्तान बहुत अड़ियल रुख अपनाता आ रहा है और एक देश के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में हम जिस किसी भी कल्पनीय समस्या का सामना आज कर रहे हैं, उसका वह नाजायज लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है।

12.16 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मैं इसलिए पाकिस्तान को दोष नहीं देता क्योंकि बहुत से बहुत, पाकिस्तान एक परावलम्बी राज्य है, एक अधीन राज्य है, एक ट्रोजन घोड़ा है, और निकृष्ट रूप में, एक बिल्ली का पंजा है, जो लोग हमारे देश में अस्थिरता फैलाने से इस खेल में पाकिस्तान को उकसा रहे हैं, वे अच्छी तरह से जाने-पहचाने लोग हैं, और मुझे अत्यन्त प्रसन्नता होती यदि माननीय मंत्री जी ने पाकिस्तानी सम्पर्कों का पर्दाफाश किया होता तथा पाकिस्तान से उन संरक्षकों का भी पर्दाफाश किया होता जो अपने विश्व-स्तर के, सामरिक महत्व के तथा आधिपत्य प्राप्त करने के हितों के लिए ऐसी सभी कार्यवाहियां करते रहे हैं।

हाल ही में, मैंने एक ऐसे लेखों की श्रृंखला को देखा जो किसी मामूली व्यक्ति नहीं वरन् एक ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखे गए हैं जो जिया-उल-हक से सलाहकार परिषद का एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं, और प्रसंगवश, वह पाकिस्तान में सामरिक अध्ययन संस्थान का महानिदेशक भी है; और वह सज्जन—यह जनरल अकराम खान—देखिए किस तरह वह इस उप-महाद्वीप के इतिहास को कुटिलता

पूर्वक तोड़-मरोड़ रहा है जिससे हमें इस मिलिट्री जनता से बुरे इरादों का पता चलता है तथा हमारे देश में अस्थिरता पैदा करने के लिये किये जा रहे उनके प्रयत्नों का पता चलता है, भले ही वह अल्पसंख्यकों का प्रश्न हो या पंजाब में आतंकवादियों का प्रश्न हो। यह सारे क्षेत्र में फैला है और इसको पढ़कर, इस वक्तव्य को, इस लेख को पढ़कर बड़ा भयंकर अनुभव होता है। मैं जनरल अकराम खान के लेखों की श्रृंखला में से कुछ उद्धरण उद्धृत कर रहा हूं, वह यह कहते हैं :

> "हम अपने को भारत में 'मुस्लिम शासकों' के उत्तराधिकारी मानते हैं जिन्होंने अल्पसंख्यक होते हुए भी इस उप-महाद्वीप में हिन्दुओं की बहुत बड़ी जनसंख्या के ऊपर शासन किया। हम भारत के मुस्लिम सुल्तानों और बादशाहों की धरोहर के लिए दावा करते हैं और हिन्दुओं की श्रेष्ठता के सामने घुटने टेकने वाले नहीं हैं। यदि एक छोटे देश के रूप में पाकिस्तान भारत की श्रेष्ठता को नहीं स्वीकारेगा तो बाकी दुनिया भी भारत को ऐसा स्वीकार नहीं करेगी।"

यह वह धारणा है, यह विषैली धारणा पाकिस्तान के शासकों द्वारा प्रतिपादित की गयी है जिनके साथ हम हाल के कुछ महीनों से सभी प्रकार के सम्बन्ध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिनमें हमारी मित्रता और सहयोग की संधि का प्रस्ताव भी शामिल है। वह फिर कहता है तथा भारत के टुकड़े करने के इरादे बिलकुल स्पष्ट हो जाते हैं। वह यह कहता है :

> "भारत एक देश नहीं है, इसमें कभी भी वह एकता नहीं रही जो एक राष्ट्र राज्य की पहचान होती है। जिन लोगों को सम्भावित पृथकतावादी माना जा सकता है वे हैं सिख, द्रविड़ियन (येनिनसुका के चार दक्षिणी राज्य) और उत्तर-पूर्व में रहने वाले लोग जिनमें नागा, मिजो, त्रिपुरा और असम शामिल हैं।"

आगे वह फिर कहता है :

> "यदि इस उप-महाद्वीप के लोगों से दो राष्ट्र बन सकते हैं तो तीन क्यों नहीं? चार, पांच या छ: क्यों नहीं?"

तो पाकिस्तान में शासन कर रही जनता (परिषद्) का वास्तविक इरादा यह है। और फिर, बहादुरी की भावना सहित तथा विजय की भावना सहित वह घोषित करता है। मैं पुनः उद्धृत करता हूं :

> "समय हमारे हित में है, क्योंकि जिन समस्याओं से भारत 1980 के दशक में घिरा है, उनका हल करना और भी कठिन होता जा रहा है, और मजबूत से मजबूत होने की बजाय भारत कमजोर से कमजोर होता जा रहा है।"

उसने हमारे अन्दरूनी मतभेदों पर अपनी आशा लगायी हुई है। इस सन्दर्भ में, मैं पाकिस्तान के संरक्षकों, साम्राज्यवादी शक्तियों की बात करूंगा। हमें भारत में एक विभाजित उप-महाद्वीप विरासत में मिला; विभाजन किए गए। विरासत के रूप में शत्रुता की भावना बाकी रही तथा पाकिस्तान से वाशिंगटन में बैठे संरक्षक इस दृश्य के विषय में जो कुछ कह रहे हैं, इस उप-महाद्वीप का कठिन तथा विचित्र दृश्य हमारे सामने स्पष्ट हो जाएगा। अमेरीकियों तथा पाकिस्तानियों के बीच सामरिक राय एक जैसी ही है, अतः निरन्तर हम इस बात पर जोर देते रहे हैं कि शक्तियां हमारे यहां अस्थिरता पैदा करने पर तुली हुई हैं और जो वेदनापूर्ण अनुभव पिछले दो वर्षों में हमें भुगतना पड़ा—इस राष्ट्र को भुगतना पड़ा—उसे हम नहीं भूल सकते।

श्री रिचर्ड निक्सन, अमरीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति को लें, और मुझे आशा है कि सदन इस स्थिति को पूर्ण गम्भीरता से लेगा, क्योंकि रिचर्ड निक्सन हमें जो बतलाना चाहते हैं वह अमरीकी लोगों का सामूहिक विचार है। ऐसा लगता है कि अमरीकी शासन तथा अमरीकी लोग सारे विश्व में अस्थिरता पैदा करने, राजनैतिक नेताओं की हत्या; राष्ट्रों की एकता को नष्ट करने जैसी गतिविधियों में लगे हुए हैं। अपनी किताब 'लीडर्स' में निक्सन जो कहते हैं उसे मैं उद्धृत करता हूं :

"क्योंकि जैसा कि शाह के कथनों से पता लगता है।"

वह ईरान के शाह की बात कर रहे थे :

"जिस तरह पूरे यूरोप के लिए एक राष्ट्र होना प्रकृति के नियम के अनुसार नहीं था उसी प्रकार भारत के लिए भी। भाषा, जाति तथा संस्कृति की दृष्टि से भारत यूरोप से भी अधिक विभिन्नताओं वाला देश है। लेकिन क्या इस उपलब्धि से भारत के लोगों को लाभ पहुंचा, यह एक दूसरा ही प्रश्न है। कभी-कभी एकता एकीकरण करने वालों के लिए ज्यादा लाभकर होती है बनिस्बत उनके जिनका कि एकीकरण किया गया है। यदि देश की अपकेन्द्रीय शक्तियों पर रोक लगाने में कम ऊर्जा इस्तेमाल की गई होती तो शायद लोगों के रहने के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और भी ज्यादा किया जा सकता था।"

जरा कल्पना कीजिए, यह है अमेरिका के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति की – मैं कहूंगा—शैतानी टिप्पणी भारत की एकता के विषय में।

इसलिए, इन बातों से, हर प्रकार से केवल एक ही निष्कर्ष निकलता है वह यह कि अराजकता की शक्तियां चारों ओर फैली हैं, अराजकता की शक्तियां बाहरी ताकतों, बाहरी शक्तियों द्वारा तैयार की गयी हैं और पाकिस्तान एक पराश्रयी देश है, अमरीकी साम्राज्यवाद का प्रतिनिधि है क्योंकि अमरीकियों तथा पाकिस्तानियों में पूर्ण सामरिक मतैक्य है।

मैं मन्त्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह सच नहीं है कि पंजाब के मुख्य मन्त्री श्री बरनाला पंजाब में पाकिस्तानी हस्तक्षेप के बारे में चिल्ला-चिल्ला कर कहते रहे हैं। अब पंजाब में निर्दोष व्यक्तियों की हत्याएं हुई हैं, शस्त्रागार को लूट लिया गया है, सिखों की सर्वोच्च गद्दी पर जबरन कब्जा किया गया है, ये सब केवल मुट्ठी भर लोगों द्वारा किया गया है और इन सब बातों के पीछे पाकिस्तान का स्पष्ट हाथ देखा जा सकता है।

मैं मन्त्री जी का ध्यान उसी मुख्य मन्त्री जी द्वारा हाल ही में दिए गए वक्तव्य की ओर दिलाना चाहूंगा, वे शिमला समझौते की बात कर रहे हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए कि शिमला समझौते के प्रतिपादक को वर्तमान शासकों द्वारा पहले तो सुरक्षात्मक हिरासत में ले लिया गया तथा फिर अन्ततः फांसी पर लटका दिया गया। हमें शिमला समझौते को इतना महत्व नहीं देना चाहिए। वह वह जो शिमला समझौते की बात करते रहे हैं, पाकिस्तान की संसद म लिस-ए-शोरा में उसी मन्त्री ने कहा : कि हम जम्मू और कश्मीर को आजाद करने के लिए अन्ततः शक्ति का प्रयोग करने की सम्भावना से इन्कार नहीं करते, यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर हम सौहार्दपूर्ण समझौते की सम्भावनाओं की खोज जारी रखे हुए हैं। और हम यही बात दोहराए जा रहे हैं कि शिमला समझौता इतना पवित्र है, लेकिन पाकिस्तानी अधिकारी अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों और समझौतों का पूर्ण उल्लंघन करते हुए प्रत्येक मुद्दे को अन्तर्राष्ट्रीय बना रहे हैं।

अभी तक पाकिस्तान सियाचिन मलेशिया में एक अघोषित युद्ध लड़ रहा था। आप हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में उपस्थित थे जहां मैं भी उपस्थित था……

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठा रहा हूं, आप मुझे बोलने की अनुमति दीजिए। कृपया मुझे सुनिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं लगातार आप ही को सुनते नहीं रह सकता।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या पाकिस्तानी सरकार ने इस समझौते या अनुबन्ध का सम्मान किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की असेम्बली के हाल ही के सत्र में पाकिस्तान के राष्ट्रपति और उसके विदेश मन्त्री दोनों ने काश्मीर का प्रश्न क्यों उठाया? और मैं नहीं जानता कि वे जोरदार कारण क्या हैं जिनके कारण हम अपने उत्तर देने के अधिकार का भी प्रयोग नहीं कर सके।

त्रिपुरा में कुछ आतंकवादियों के कब्जे से बरामद किए गए कुछ कागजों में पाकिस्तान का हाथ होने का पता चला है। देश में केवल धार्मिक आधार पर हुए दंगों के प्रश्न पर या अन्य आधारों पर ही पाकिस्तान अपने को उलझा नहीं रहा है वरन् वह 'खालिस्तानी' उग्रवादियों को सीधे-सीधे समर्थन दे रहा है।

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या यह सच नहीं है कि सी० आई० ए० के छिपे क्रियाकलापों की आड़ में 4000 लाख डालर अफगानिस्तानी मुजाहिदीनों को दिए जा रहे हैं तथा पाकिस्तान में प्रशिक्षण शिविर स्थापित किए गए हैं। वही प्रशिक्षण शिविर सिख उग्रवादियों तथा मुजाहिदीनों द्वारा संयुक्त रूप से उपयोग किये जा रहे हैं और खालिस्तानियों को उसी स्तर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्या यह सच नहीं है कि सैनिक और आर्थिक सहायता के रूप में पाकिस्तान को 3.2 बिलियन डालर मिल रहे हैं जिसे बढ़ाकर 6 बिलियन डालर कर दिया गया है।

कृपया जिया-उल-हक की हाल ही की श्रीलंका यात्रा के विषय में सदन को बताइए। क्या यह सच नहीं है कि जिया-उल-हक की श्रीलंका यात्रा के बाद तमिलों के नरसंहार की घटनाओं में तथा आतंक की घटनाओं में अत्यन्त वृद्धि हुई है? और पाकिस्तान में उनकी वापसी के बाद आतंक की लहर पाकिस्तान में भी प्रारम्भ हो गई है। अपने आकाओं—साम्राज्यवादी ताकतों—के साथ मिलकर पाकिस्तानी हमारे लिए समस्या पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम हमेशा ही इस बात को जानते रहे हैं। मुझे पता नहीं कि देश को विश्वास में क्यों नहीं लिया जा रहा है…

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या स्पष्टीकरण चाहते हैं?

प्रो० के० के० तिवारी : दो मिनट और। अतः, इस पृष्ठभूमि में, इस देश में जो गड़बड़ियां हो रही हैं वे औपनिवेशिक इरादों, औपनिवेशिक कारगुजारियों और षड़यन्त्रों की दुर्भाग्यपूर्ण विरासत हैं। दुर्भाग्य से अभी भी हम अपने लोगों के बीच निरन्तर बनी हुई फूट का शिकार हैं, मैं जानना चाहूंगा कि ऐसे पात्रों को, ऐसे व्यक्तियों को तथा ऐसी प्रवृत्तियों को तथा ऐसे विचारों को पृथक कर देने के लिए हमने क्या किया है। इसके लिए भारतीय लोगों की एकता महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में आज क्या हो रहा है? जम्मू और कश्मीर में क्या हो रहा है? यह एक स्पष्ट प्रयास है। पिछले एक

वर्ष से एक विशेष मन्दिर को मुक्त कराने के लिए तैयारियां चल रही थीं, अब इस सब घटनाचक्र में पाकिस्तानी अधिकारियों का हाथ, पाकिस्तानी सरकार का हमारे देश में अस्थिरता पैदा करने का प्रयास बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है···**(व्यवधान)**

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मुझे 'मन्दिर को मुक्त कराने' इन शब्दों पर आपत्ति है। वहां एक मस्जिद भी—बाबरी मस्जिद—जिस पर वे कब्जा कर रहे हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : क्या उसके बारे में मैंने कुछ कहा ? मैंने इसका उल्लेख नहीं किया। श्री बनातवाला आप बहुत संवेदनशील हैं और आप विरोध में ज्यादा ही बोल रहे हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : आप ध्यानाकर्षण···की सीमा से बाहर जा रहे हैं···**(व्यवधान)**

प्रो० के० के० तिवारी : मैंने जान-बूझकर उस बारे में कुछ नहीं कहा···**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री चिन्तामणि जेना को बुला रहा हूं···

(व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला : आप इतनी अधिक बातों के बारे में बोल रहे हैं बजाय इसके कि आप ध्यानाकर्षण के विषय तक ही अपने को सीमित रखें···**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री जेना को बोलने के लिए बुलाया है। श्री तिवारी, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता···

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : आप मुझे अनुमति क्यों नहीं दे सकते ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप काफी समय ले चुके हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : मैंने कितना समय लिया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप 20 मिनट ले चुके हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : आप इस प्रश्न के महत्व को नहीं समझते, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। मुझे खेद है कि आप पीठासीन हैं और यदि आप नहीं समझते···**(व्यवधान)**···यह आलू घंटा का भाव नहीं है—यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है···**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप सुस्पष्ट बात नहीं कह रहे हैं। आप अधिक समय ले रहे हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : कितना समय मैंने लिया है ?

प्रो० के० के० तिवारी : आपने 15 मिनट लिये हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : आपने सदस्यों को 50 मिनट तक बोलने दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमति नहीं दी। आप यह क्यों कह रहे हैं ? मैंने किसी को अनुमति नहीं दी है। यह निर्णय हमने हाल में ही लिया है। आप नियमों को पढ़ें।

प्रो० के० के० तिवारी : मुझे विदेशी मन्त्री के समक्ष सभी प्रश्न रखने हैं। मैंने स्पष्ट प्रश्न पूछे हैं—परन्तु आप जिस प्रकार बेसबरी दिखा रहे हैं··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं धैर्यपूर्वक आपकी बात सुनता रहा हूं...परन्तु आप संक्षेप में अपनी बात कहें। मेरा यही अभिप्राय है।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं अत्यन्त संक्षेप में कह रहा हूं। कुछ भूमिका, कुछ स्पष्टीकरण देने होते हैं। मेरे द्वारा पूछे गये सभी प्रश्नों के प्रकाश में मैं समझता हूं पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ समझौते में शीघ्रता नहीं की जानी चाहिए। हाल ही के एक करार में कहा गया है कि दोनों देश एक-दूसरे के आणविक प्रतिष्ठानों पर हमले नहीं करेंगे। जैसे कि भारत पाक के आणविक प्रतिष्ठानों पर हमला करने जा रहा था। यदि आप अधिक उत्सुकता दिखाएंगे तो हमें पाकिस्तान के काम करने के ढंग के बारे में जो अन्तर्राष्ट्रीय संकेत मिले हैं, उनका कोई लाभ नहीं होगा। सभी साक्ष्यों के बावजूद हम इसे न्यून नहीं कर सकते। यह मामले का विरोध करना पड़ा क्योंकि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता का है। बड़ी शक्तियां हमारे देश को अस्थिर बनाने में लगी हुई हैं। अतः जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तब हमें उन सब के बारे में भी बात करनी चाहिए जो कि पाकिस्तान को धन तथा मदद देती है, जो पाकिस्तान की सहायता करती रही है, जो हमारे देश की एकता भंग करने के लिए पाकिस्तान को हथियार देती रही हैं।

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने अपने भाषण में शिमला समझौते की चर्चा की है······(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब सभी सदस्य अपने-अपने प्रश्न पूछ चुकेंगे तो अन्त में मन्त्री महोदय उत्तर देंगे। वह सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, सभा की यह परम्परा रही है······(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप नियमों को पढ़ें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने अब नियम बदल दिये हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय, आपने सातवीं लोक सभा में देखा होगा कि मन्त्री महोदय हर प्रश्न का उत्तर देते थे।

उपाध्यक्ष महोदय : आप समाचार भाग-2 पढ़ें। अब हमने प्रक्रिया, नियम आदि सब बदल दिए हैं। अब सभी सदस्यों के बोलने के बाद मन्त्री महोदय उत्तर देंगे। आपके प्रश्न का भी।

प्रो० के० के० तिवारी : इससे महत्व कम हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : महत्व कम होने का कोई प्रश्न नहीं है। मन्त्री महोदय आपके प्रश्न नोट कर लेंगे तथा बाद में उत्तर देंगे।

प्रो० के० के० तिवारी : इससे उत्तरों का महत्व घटेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं क्या कर सकता हूं। यह निर्णय सबके द्वारा लिया गया है।

श्री जी० जी० स्वैल (शिलांग) : उपाध्यक्ष महोदय, यदि प्रक्रिया में कोई परिवर्तन किया

गया है तो हमें उसकी जानकारी नहीं है······(व्यवधान) एक मिनट धैर्य रखें। मेरा कहना यदि कोई परिवर्तन हुआ है······(व्यवधान) यदि परिवर्तन हुआ है तो हमें बताया जाना चाहिए था।

उपाध्यक्ष महोदय : सभी को पहले ही बताया जा चुका है।

श्री जी० जी० स्वैल : हमें नहीं पता। यदि परिवर्तन किया भी गया है तो यह गलत परिवर्तन है। प्रो० तिवारी ने कुछ प्रश्न पूछे हैं। हर व्यक्ति को अपने प्रश्न पूछने हैं। यदि मन्त्री महोदय ने उत्तर अन्त में देने हैं तो इसका अर्थ है उत्तर पूरे नहीं होंगे और कोई लाभ नहीं होगा। ध्यानाकर्षण का यह उद्देश्य नहीं है। मैं समझता हूं कि हमें प्रक्रिया को बदलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : पिछले सत्र में ही ऐसा किया गया था। यह कोई नई बात नहीं है। पिछले सत्र में ही इसे बदला गया था।

प्रो० के० के० तिवारी : आप भूल रहे हैं। पहले कभी हमने ऐसी बात नहीं की।

उपाध्यक्ष महोदय : नवम्बर से ऐसा चल रहा है। यह कोई नई बात नहीं है। पिछले सत्र में ही ऐसा किया गया था। हरेक ने उसे स्वीकार किया। गत सत्र में उस समय आप यहां थे, मुझे ज्ञात नहीं, श्री तिवारी।

प्रो० के० के० तिवारी : अनेक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखे गए थे। प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रश्न पूछे गए थे तथा प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पृथक से दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री जेना।

श्री चिंतामणि जेना : महोदय, मन्त्री जी ने ध्यानाकर्षण के उत्तर में शिमला समझौते का उल्लेख किया है। मैं उनका ध्यान 10-2-86 को हिन्दुस्तान टाइम्स में छपे समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चिंतामणि जेना जी, आप कृपया केवल 5 मिनट ही लें।

श्री चिन्तामणि जेना : मैं केवल 5 मिनट ही लूंगा। मैं केवल प्रश्न ही पूछूंगा।

पाकिस्तान के विरुद्ध राज्य मंत्री श्री जेन नूरानी ने कुछ इस तरह कहा है। मैं निम्न अंश उद्धृत करता हूं :

> "एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने बताया कि शिमला समझौते से पाकिस्तान के मामले को अन्तर्राष्ट्रीय मन्च पर उठाने का अधिकार छिन नहीं जाता।"

मेरे मित्र श्री तिवारी ने कहा है कि पाकिस्तान शिमला समझौते का सम्मान नहीं करता। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी ने पाकिस्तान के प्रति सहयोग और मैत्री का हाथ बढ़ाया है परन्तु बदले में पाकिस्तान क्या कर रहा है? उनका शिमला समझौते के प्रति कोई सम्मान नहीं है। इस बारे में उनकी सरकार का क्या रवैया है? मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने राजनयिक स्तर पर उनके अवांछनीय रवैये का विरोध किया है? यदि हां, तो कब तथा उस पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया थी?

साम्प्रदायिक दंगों के बारे में कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान सरकार इनको भड़का रही है। मैं केवल दिल्ली के राष्ट्रीय समाचार पत्रों में से उद्धृत कर रहा हूं। ऐसा लगता है हमारी सरकार

पाकिस्तान की कार्यवाहियों का विरोध कर रही है। मैं 2 फरवरी, 1986 के हिन्दुस्तान टाइम्स से उद्धृत करूंगा। यह दो सप्ताह पूर्व ही छपा है। शीर्षक है :

"पंजाब में अराजकता के लिए पाकिस्तान की योजना।"

इसमें लिखा है :

"पाक सेना के एक प्रमुख कर्नल ने पंजाब में अराजकता फैलाने की रूपरेखा तैयार की है जिसके बाद पाक द्वारा सीधा हस्तक्षेप किया जाना है।"

बहुत सी अन्य बातें भी हैं। उपाध्यक्ष महोदय मुझे अधिक बोलने का अवसर नहीं देंगे। परन्तु एक अन्य बात है। मैं 2 फरवरी, 1986 के हिन्दुस्तान टाइम्स से उद्धृत करता हूं :

"छः महीने पहले तैयार की गई रूपरेखा में चरणों का क्रियान्वित किया जा रहा है।"

मेरे मित्र प्रो० तिवारी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि कैसे पाकिस्तान उग्रवादियों को प्रशिक्षण दे रहा है। इस बारे में भी 11 फरवरी, 1986 के हिन्दुस्तान टाइम्स में समाचार छपा है। इसी प्रकार 'इण्डियन एक्सप्रेस' तथा अन्य राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में भी अन्य समाचार छपे हैं।

अतः में मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस स्थिति से अवगत है ? यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में पाक सरकार से विरोध प्रकट करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ? फिर वे उनका शिमला समझौते के प्रति कोई सम्मान नहीं रखते, तो विकल्प के रूप में सरकार क्या सोच रही है क्योंकि पाकिस्तान की सरकार तथा पाकिस्तान के लोगों की इस तरह की कार्यवाहियों से दोनों देशों के सम्बन्ध बिगड़ रहे हैं ? मैं साम्प्रदायिक दंगों के बारे में कहना चाहता हूं कि इसमें पाक सरकार तथा जनता का हाथ है। पाक सरकार उग्रवादियों को प्रशिक्षित करके भारत भेज रही है और वे लोग यहां साम्प्रदायिक दंगे भड़का रहे हैं। इस संदर्भ में मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस तरह की कार्यवाहियों का मुकाबला करने के लिए क्या करने जा रहे हैं ?

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत-सी बातें कहनी हैं, चूंकि आप समय कम दे रहे हैं, इसलिए मैं दो-तीन बातें कहूंगा। अंग्रेजी में एक कहावत है—

[अनुवाद]

एक कदम आगे, दो कदम पीछे।

[हिन्दी]

एक और कहावत है :

[अनुवाद]

'पल में तोला, पल में माशा।'

[हिन्दी]

पाकिस्तान यही कर रहा है। पिछले एक साल से पाकिस्तान ...

प्रो० मधु दंडवते : यह कहावत रशियन कहावत है।

डा० गौरी शंकर राजहंस : जो भी हो। मुझे पता नहीं है, मैं तो अनपढ़ आदमी हूं। जो कहावत है मैंने कह दिया है।

विदेश मंत्री (श्री बी० आर० भगत) : डा० पी० एच० डी० हैं और अनपढ़ हैं।

डा० गौरी शंकर राजहंस : पिछले एक साल से सम्बन्ध सुधारने के प्रयास हो रहे हैं। विदेशों में पोलिटिकल लैवल पर और आफिशियल लैवल पर बहुत सारी बातें हुई। सबसे ज्यादा खुशी इस बात पर हुई, जब "सार्क" कान्फ्रेंस ढाका में पाकिस्तान के प्रैजीडेंट ने कहा कि हम हिन्दुस्तान के साथ और इस रीजन के दूसरे देशों के साथ सद्भावना से व्यवहार करेंगे। मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई, जब 17 दिसम्बर को पाकिस्तान के प्रैजीडेंट भारत आए और उन्होंने कहा कि हम बेहतर संबंध करना चाहते हैं। मैं हिन्दुस्तान टाइम्स के 18-12-85 के अखबार से कोट करे के बताना चाहता हूं, जिसमें प्रैजीडेंट जिया ने कहा है :

> "एक अन्य प्रश्न के उत्तर में जनरल जिया ने बताया, पंजाब में उग्रवाद पर चर्चा की गई और उन्होंने श्री गांधी को आश्वासन दिया कि पाकिस्तान किसी भी प्रकार के उग्रवाद के पूर्णतः विरुद्ध है तथा सामान्य स्थिति के पक्ष में है।"
>
> "काश्मीर के बारे में जनरल जिया ने कहा कि इस मामले का शिमला समझौते की भावना को ध्यान में रखकर उचित समय पर समाधान किया जाएगा।"

[हिन्दी]

एक कहावत हिन्दी में और है—

तेरे वादे पर जिए हम।
तो यह जान छूट जाए।।
खुशी से मर न जाते।
अगर ऐतबार न होता।।

जनरल जिया ने एक ऐसी पिक्चर पेंट की, जिससे लगा कि इतने सारे दिनों की दुश्मनी, वैमनस्य, झगड़ा अब समाप्त हो जाएगा। हमारे वित्त मन्त्री पाकिस्तान गए और एक ट्रेड एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ हुआ।

[अनुवाद]

प्रो० के० के० तिवारी : परन्तु आर्थिक मामलों के मन्त्री को पदच्युत किया गया, क्योंकि वह भारत के पक्ष में थे।

डा० गौरी शंकर राजहंस : हां, मन्त्री महोदय को बर्खास्त किया गया था।

[हिन्दी]

तो मैं यह कहूंगा कि पाकिस्तान की करनी और कथनी में बहुत फर्क हो रहा है। हम जो सोचते थे कि पाकिस्तान के हमारे सम्बन्ध अच्छे होंगे, तो ऐसा लगता नहीं है। अभी पाकिस्तान के मिनिस्टर आफ स्टेट ने वहां की नेशनल असेम्बली में भाषण दिया है। श्री जैन नूरानी 17 दिसम्बर को दिल्ली में थे जबकि प्रेसीडेंट जिया ने कहा था कि हम शिमला समझौते के अनुरूप काश्मीर एवं दूसरी समस्याओं पर विचार करेंगे। उन्होंने कहा था कि हमारे सम्बन्ध बहुत अच्छे हो रहे हैं और नूरानी साहब कहते हैं कि अब हम काश्मीर की समस्या को इन्टरनेशनल फोरम पर उठाएंगे और सारी दुनिया को बताएंगे कि हिन्दुस्तान पाकिस्तान के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। कहने का मतलब है कि एक बहुत बड़ा धक्का लगा। हम तो सोच रहे थे कि हमारे सम्बन्ध सुधर रहे हैं लकिन वे सम्बन्ध अब सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं। इस सिलसिले में मुझे दो बातें कहनी हैं। मैं माननीय फोरेन मिनिस्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि जब वे अमेरिका गए थे, तो अमेरिका जो पाकिस्तान को आर्म्स रेड दे रहा है, उसके बारे में उन्होंने प्रेसीडेंट रेगन से और वहां के सैक्रेटरी आफ स्टेट श्री शुल्ज और दूसरे लोगों से जो बात की, तो उन्होंने क्या कहा और हिन्दुस्तान को क्या एस्योरेंस मिला।

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जब पाकिस्तान अपना रवैया बदल रहा है, कहता कुछ है और करता कुछ और है और अब तो कहने भी लगा है, तो क्या भारत के प्रधान मन्त्री 1986 में पाकिस्तान की सद्भाव यात्रा पर जाएंगे, यह एक अहम प्रश्न है क्योंकि जब 17 दिसम्बर को राष्ट्रपति भारत आए थे, तो उन्होंने कहा था कि भारत के प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी 1986 के फर्स्ट हाफ में पाकिस्तान की सद्भाव यात्रा पर जाएंगे।

तीसरी बात मैं यह जानना चाहूंगा और यह एक बहुत जरूरी बात है कि इन्टरनेशनल पालिटिक्स में यह एक जाना-माना सिद्धांत है कि सरकार और जनता को अलग-अलग किया जाता है। फिलीपीन्स में मारकोस ने जो किया, उसके खिलाफ अमेरिका के मीडिया और अमेरिका की जनता को एक्सप्लेन किया कि मारकोस कितना बड़ा निरकुंश है और राष्ट्रपति रेगन को बाध्य किया कि वह मारकोस की मदद न करे और अब वह फिलीपीन्स से भाग रहा है। क्या भारत सरकार ने यह कोशिश की है अमेरिका की जनता को बताने के लिए या पाकिस्तान की जनता को बताने के लिए कि आपके शासक क्या कर रहे हैं। क्या डिप्लोमेटिक लेवल पर ऐसा एफर्ट हुआ है कि अमेरिका की जनता को एजूकेट किया जाए मीडिया के द्वारा, उनकी यूनिवर्सिटीज के द्वारा कि अमेरिका जो मिलिट्री ऐड पाकिस्तान को दे रहा है, वह अमेरिका की जनता के हितों के खिलाफ है जो कि डैमोक्रेसी में बिश्वास करती है। क्या पाकिस्तान की जनता को यह एजूकेट करने का प्रयास किया जा रहा है कि भई हम और तुम तो एक ही हैं और तुम्हारी सरकार तुम्हें बेवकूफ बना रही है। यह जो प्रश्न कम्युनल रायट्स का उठाया गया, यह सचमुच में दुर्भाग्य की बात है। हमने उसको कन्ट्रोल कर लिया है और यह कोई समस्या है ही नहीं। श्रीमन्, कहना यह है कि जब से हम आजाद हुए हैं पाकिस्तान हमारी टेरीटरी में एक कांटा बनकर खड़ा है। हमने बहुत प्रयास किया कि पाकिस्तान क साथ हमारे सम्बन्ध सुधरें। 1947 में जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई, तब भी पं० नेहरू ने कहा था कि तुम एक ट्रीटी कर लो, जिससे ये रोज-रोज के झगड़े न हों क्योंकि पहले यह एक ही देश था और हमारे और आपके शरीर में एक ही खून बह रहा है। 1965 में जब पाकिस्तान ने लड़ाई की, तब भी

ताशकंद समझौते में यही कहा गया था कि ऐसा मत करो। 1971 में जब पाकिस्तान ने चढ़ाई की, तो शिमले समझौते में भी यही कहा गया लेकिन पाकिस्तान बार-बार कहता है और मुकर जाता है। अब यह तर्क भी है कि उसके पीछे अमेरिका है। ऐसी साम्राज्यवादी ताकत है जो हमारी बढ़ोतरी नहीं चाहती है। आवश्यकता इस बात की है कि पाकिस्तान की जनता को बताया जाए कि ये साम्राज्यवादी ताकतें तुम्हें भी गरीब रखना चाहती हैं और हमें भी गरीब रखना चाहती हैं। अगर हम लाचार होकर अपने-अपने डिफेंस पर इतना अधिक पैसा खर्च न करें तो हम उस पैसे को अपनी-अपनी इकोनोमिक डवलपमेंट पर लगा सकते हैं, तुम भी लगा सकते हो।

श्रीमान् एक बहुत ही भयानक परिस्थिति हो रही है। हमारे यहां जो दंगे-फिसाद हो रहे हैं, यदि हम कहें कि इनमें विदेशी ताकतों का हाथ है तो बहुत गलत नहीं होगा। पास्ट में भी यह अक्सर देखा गया है कि इन दंगे-फिसादों में विदेशी ताकतों का हाथ रहा है। हम अत्यन्त विनम्रता से विदेश मन्त्री जी से कहना चाहेंगे कि हमारे जो डिप्लोमेटिक मिशंज हैं, हमने बहुत से देशों में अपने डिप्लोमेटिक मिशंज को देखा है, अमेरिका में भी देखा है कि वे लोगों को शिक्षित करने का प्रयास नहीं करते। उनमें टोटल्ली ब्योरोक्रेसी है। उन्हें पता ही नहीं है, वे यह चाहते हीं नहीं हैं कि वे वहां के लोगों को यह बतावें कि भारत क्या करने जा रहा है।

अत: आवश्यकता इस बात की है कि पाकिस्तान की नेशनल असेम्बली में जो कुछ कहा जाता है या पाकिस्तान के मिनिस्टर जो कहते हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम वहां की जनता को एजूकेट करें और उसे यह बताएं कि तुम्हारा हित भारत के साथ दोस्ती करने में है।

इस दिशा में भारत की सरकार क्या प्रयास कर रही है यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर माननीय विदेश मंत्री जी का जो उत्तर आया है वह सही, स्पष्ट और सार्थक है जिसमें कि हम लोगों को इस बात की जानकारी हो गई कि भारत सरकार की इस सम्बन्ध में क्या राय है।

परन्तु मान्यवर, मैं अपने साथियों, खासतौर से तिवारी जी और राजहंस जी की भावनाओं से अपने को सम्बद्ध करते हुए एक दूसरी तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। अभी हाल में उन्होंने कहा था कि मैं मार्च में पाकिस्तान जाने वाला था लेकिन बजट सेशन होने के कारण नहीं जा रहा हूं। इनका जाना तो निश्चित है और हमारे प्रधानमन्त्री जी का भी जाना निश्चित है। लेकिन परिस्थितियां ऐसी विकट हो गई हैं कि जबकि हमारी सरकार और हमारे प्रधानमन्त्री जी देश में साम्प्रदायिक सद्भाव जुटाने में लगे हुए हैं और उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं तब पाकिस्तान की सिनेट ने वहां के राज्य मंत्री द्वारा ऐसा वक्तव्य देना जिससे कि न केवल हमारे पड़ोसी सम्बन्ध खराब होने का डर हो बल्कि एक ऐसे तथ्य को उभारा जाए जो कि बहुत खेदजनक और हास्यास्पद भी है।

मान्यवर, अभी शुलत्ज साहब की बात कही गई। दो-तीन रोज पहले शुलत्ज महोदय का स्टेटमेंट आया था कि हम पाकिस्तान को कह रहे हैं कि जो उसकी सेनाएं भारत की सीमा पर हैं, उसको वह वहां से हटा ले और उन्हें जितना भी कम हो, कम करे। हम लोगों की समझ में यह नहीं आता कि एक तरफ तो पाकिस्तान को उनकी मदद मिलती है और दूसरी तरफ पाकिस्तान को इस

तरह की डायरेक्शन की बात की जाए। अभी नहीं, बल्कि आए दिन, पाकिस्तान की तरफ से ऐसी मिसालें पेश की जाती रही हैं जिनसे निश्चित तौर पर सहयोग, बंधुत्व और पड़ोसी के सम्बन्ध खराब होने में मदद मिलती रही है।

अभी हाल में जब जिया-उल-हक साहब आये थे तो उन्होंने कहा था कि हम शिमला समझौते को अक्षरशः पालन करना चाहते हैं। लेकिन मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि वे कहते कुछ है और करते कुछ और हैं। और यह सारे का सारा माननीय मंत्री जी ने उत्तर में दे दिया है कि समय-समय पर इस तरह से भड़काने से संबंध बिगाड़ने की स्थिति पैदा करना चाहते हैं और भारत सरकार ने और हमने यहां भारत वर्ष की जनता ने तो कभी उनके इन्टरनल अफेयर्स में बाधा या दखल-अंदाजी नहीं की। अगर हम उनके इतिहास को ही देखें, जब पाकिस्तान बना, उनका क्या हुआ है, इन 38 सालों में उनके पाकिस्तान के ही दो टुकड़े हो गए। जो स्थिति बंगलादेश की थी, पूर्वी पाकिस्तान की उस समय की तत्कालीन, क्या दुनिया को मालूम नही है कि किस तरह से भेद-भावपूर्ण नीति पाकिस्तान सरकार उस हिस्से के साथ बरतती थी, उस पूर्वांचल में। नतीजा क्या हुआ कि पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए।

आज इन सारी बातों के परिप्रेक्ष्य में मैं बड़ी गंभीरता-पूर्वक माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी स्थिति में जब कि उसकी करनी और कथनी में बहुत अन्तर है, अब तक आप पुनः पाकिस्तान सरकार से क्लीयर न करा लें कि जो शिमला समझौता है, उसका आप आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, यही नहीं जो अभी हमने भारतवर्ष की धरती पर कुछ समझौते किए हैं, व्यापारिक समझौते किए हैं, हमने यह भी तय किया है कि हम एक दूसरे के सामरिक महत्व के स्थानों पर आक्रमण नहीं करेंगे, इन सब चीजों का तक आप पुनः एक बार नए सिरे से पाकिस्तान सरकार से आश्वासन प्राप्त नहीं कर लेते तब तक मैं प्रधानमंत्री का तो क्या कहूं माननीय विदेश मंत्री से भी मैं यह कहना चाहता हूं कि वे किसी भी प्रकार पाकिस्तान की यात्रा न करें तो उचित होगा। आज समस्त देश के, भारतवर्ष के लोग आंदोलित हैं उनके व्यवहार से। जहां हमारी सरकार बराबर प्रयास कर रही है कि पड़ोसियों से संबंध सुधरें और संबंधों में सुधार भी हुआ है, लेकिन जैसे ही कोई एक अच्छा सा वातावरण बनने का अवस होता है सरकार के प्रयासों से, उसी समय इनका कोई न कोई कार्यक्रम वहां पर चल पड़ता है भड़काने वाला। आप देखें मान्यवर दुनिया को मालूम है कि आज ट्रेनिंग केम्प पाकिस्तान में चल रहे हैं। क्या यह अच्छे संबधों के लिए है। एक्स्ट्रीमिस्ट्स से आज हमें पाकिस्तानी हथियार प्राप्त होते हैं, जब हाईजेकिंग हुआ उस समय भी जो पिस्टल था वह पाकिस्तान मेड था। इस तरह से हम देखते हैं कि एक के बाद एक, एक के बाद एक गंभीर कार्य-वाहियां पाकिस्तान के माध्यम से होती रहती हैं। इसलिए हम दो-तीन आश्वासन चाहते हैं।

एक तो यह कि पाकिस्तान सरकार ये केटैगरीकली, निश्चयात्मक ढंग से उत्तर मांगा जाए कि भारतवर्ष के साथ शिमला समझौते के माध्यम से कार्यवाही होगी, दूसरा यह कि हाल ही में जो भी भारतवर्ष में समझौता किया गया है, इनका भी अक्षरशः पालन होगा और नम्बर तीन यह कि पाकिस्तान सरकार निश्चित तौर से हमारे देश को आश्वासन दे, हमारी सरकार को आश्वासन दे कि हिन्दुस्तान में जो भी आतंकवादी कार्यवाहियां हो रहो हैं, उसके संबंध मे कोई भी वहां ट्रेनिंग केम्प नहीं चलाया जाएगा। यहां हर दंगे-फसाद की कोशिश नहीं की जाएगी। आज श्रीनगर घाटी में क्या हो रहा है, जगह-जगह पर क्या हो रहा है, वहां पर भी कई जगह कैंप चलाए जा रहे हैं, इन सबके बारे में जब तक निश्चित आश्वासन न प्राप्त हो तब तक देश की जनता जनना चाहेगी कि इस

सदन के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कि क्या प्रधान मंत्री महोदय पाकिस्तान की यात्रा पर जाएंगे। तब तक ऐसा न हो तब तक प्रधान मंत्री ही नही, बल्कि मंत्री महोदय का भी जाना उचित नहीं होगा, जब तक इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल न आ जाए। मैं इतना ही चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री बी० आर० भगत : मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों के बारे कुछ बहुत ही नाजुक प्रश्न पूछे हैं।

श्री के० के० तिवारी ने पांच प्रश्न पूछे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा काश्मीर का मसला क्यों उठाया गया, (2) खालिस्तानी आतंकवादियों में पाकिस्तान का काफी हद तक अंतर्ग्रस्त है तथा पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों को लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है और देश को अस्थिर करने के लिए खालिस्तान की विचारधारा का प्रचार किया जा रहा है, (3) संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 6 बिलियन डॉलर से भी अधिक की सहायता दिये जाने के बारे में और (4) राष्ट्रपति जिया की श्रीलंका यात्रा के बारे में।

1.00 म० प०

माननीय सदस्य श्री जेना ने भी ऐसे कुछ प्रश्नों का जिक्र किया तथा उन्होंने पूछा कि हमने पाकिस्तान कोई औपचारिक विरोध किया है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान पंजाब में अराजकता को प्रोत्साहन देने का प्रयत्न कर रहा है : उन्होंने 'हिन्दुस्तान टाइम्स' से उद्धृत किया; यह प्रो० तिवारी द्वारा उठाए गए मामले जैसा ही है। उन्होंने पंजाब के कुछ भागों में, जहां पाकिस्तान द्वारा सहायता दी जा रही है, उग्रवादियों की गतिविधियों का भी जिक्र किया। उन्होंने भारत में सांप्रदायिक दंगों को भड़काने में पाकिस्तान का हाथ होने का भी जिक्र किया। उन्होंने कुछ आरोप उद्धृत किए कि पाकिस्तान भारत में सांप्रदायिक दंगों को प्रोत्साहन दे रहा था।

अंत में बोलने वाले दो सदस्यों ने अपना भाषण हिन्दी में दिया और मेरा विचार है कि मैं उन्हें उत्तर हिन्दी में ही दूं। उनका विषय भी न्यूनाधिक वही था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कभी मैत्री भाव दिखा रहा है तो कभी दुश्मनी। कभी एक कदम पीछे हटता है तो कभी दो कदम आगे···

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : वह हॉकी मैच का जिक्र कर रहे हैं······

श्री बी० आर० भगत : उसमें हम समान हैं; उसमें हम बराबर हैं।

श्री जी० जी० स्वैल : दो कदम पीछे और एक कदम आगे।

श्री बी० आर० भगत : मैं उनकी बात उद्धृत कर रहा हूं। उन्होंने कहा एक कदम पीछे और दो कदम आगे।

फिर उन्होंने पूछा कि मेरी संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति तथा अन्य नेताओं के साथ हुई वार्ता में अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रों की सहायता दिए जाने के संबंध में मुझे क्या आश्वासन दिए गए। उन्होंने तथा श्री पनिका ने कहा कि न तो मुझे पाकिस्तान जाना चाहिए और न ही प्रधानमंत्री को जाना चाहिए···

डा० गौरी शंकर राजहंस : मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री वहां जाएंगे। मैंने यह सुझाव नहीं दिया कि उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए।

श्री बी० आर० भगत : अन्य मुद्दा यप उठाया गया कि क्या हमने अमेरिका और पाकिस्तान की जनता को यह बताने के लिए राजनयिक स्तर पर कोई प्रयास किया है कि पाकिस्तान में किस प्रकार का शासन है।

मैं समझता हूं कि ये प्रश्न पूछे गए थे और मैं इन प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं......

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, आपको याद होगा कि मैंने एक बहुत ही गंभीर मामले का जिक्र किया था। श्री रिचार्ड निक्सन की किताब में भारत की एकता की धारणा, भारत एक राष्ट्र है इस धारणा पर संदेह किया गया है। पाकिस्तान सरकार के एक अधिकारी, श्री अकरम खां ने भी यही बात कही है। ये बातें भी महत्त्वपूर्ण हैं और उन्हें इस बारे में भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

श्री बी० आर० भगत : वह पाकिस्तान द्वारा भारत में अस्थिरता पैदा करने और अन्य समस्याएं पैदा करने का प्रयास है।

इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं भारत-पाकिस्तान संबंध प्रश्न को उचित परिप्रेक्ष्य में रखकर पाकिस्तान के साथ मैत्री सम्बन्धों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में की गई पहल के बारे में जो एक-दो गलत फहमियां है, उन्हें स्पष्ट करना चाहता हूं।

यह सच नहीं है कि मैंने मई में वहां जाने का निर्णय लिया है। मैंने यह कहा था कि पाकिस्तान के विदेश मन्त्री, श्री साहबजादा याकूब खां ने मुझे विदेश मन्त्री स्तर की संयुक्त आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए मार्च के पहले सप्ताह में पाकिस्तान की यात्रा पर आने के लिए लिखा। पिछली बार यह बैठक दिल्ली में हुई थी और अब उनकी बारी है, यह बैठक इस्लामाबाद में होगी और उन्होंने मुझे मार्च में वहां आने के लिए लिखा। मैंने उन्हें लिखा कि दो कारणों से मेरे लिए मार्च में वहां आने का अनुरोध स्वीकार करना सम्भव नहीं है। पहला, विदेश मन्त्री स्तर की उस महत्त्वपूर्ण बैठक के लिए तैयारी नहीं की गई है; तकनीकी स्तर की कुछ उप-आयोग की बैठकें होनी हैं और पहले वह बैठकें होनी चाहिए तथा उनकी रिपोर्ट संयुक्त आयोग की बैठक में उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि उस स्तर पर निर्णय लिए जा सकें।

दूसरे मैंने कहा कि संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है अथवा सत्र शुरू होने वाला था (क्योंकि उन्होंने संसद शुरू होने से कुछ दिन पहले लिखा था) और मैं केवल संसद का सत्र समाप्त होने अर्थात 7 मई के बाद ही वहां जाने के बारे में सोच सकता हूं। मैंने कोई वचन नहीं दिया लेकिन यह इस बात पर निर्भर है कि संयुक्त आयोग की बैठक दो देशों के बीच एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और यदि परिस्थितियां अच्छी हुई तो मैं निश्चय ही वहां जाना चाहूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : यह घाटे की अर्थ-व्यवस्था होगी।

श्री बी० आर० भगत : घाटा किसे होगा ?

प्रो० मधु दंडवते : उनका घाटा।

श्री बी० आर० भगत : इस समय प्रधान मन्त्री के जाने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि बहुत से काम करने हैं। यह यात्रा की समूची प्रक्रिया के अन्त में पराकाष्ठा के रूप में कल्पना की गई थी ताकि उन्होंने शान्ति और मैत्री संधि तथा हमला न करने के समझौता का जो प्रस्ताव रखा है, उसको अन्तिम रूप दिए जाने के बाद अन्त में प्रधान मंत्री की यात्रा हो जिसे दोनों देशों के बीच नए संबंधों के सूत्रपात की एक प्रमुख ऐतिहासिक घटना माना जा सके। लेकिन अभी भी हम इस बारे में बिलकुल निश्चित नहीं हैं और हम इस उद्देश्य के लिए प्रधान मंत्री द्वारा इस्लामाबाद की जल्दी यात्रा करने की अपेक्षा नहीं करते हैं।

भारत और पाकिस्तान प्रारम्भ से ही आपसी विश्वास एवं सहयोग पर आधारित मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का एक ढांचा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा आपसी हित में कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कई बार हमारी बात को नकार दिया गया है। पहली उपलब्धि शिमला समझौते के रूप में थी और शिमला समझौते में इस सिद्धान्त को दोनों देशों ने स्वीकार किया कि दो देशों के बीच के सारे प्रश्नों को शान्तिपूर्ण तरीके से तथा द्विपक्षीय वार्ता द्वारा सुलझाया जाना चाहिये। काश्मीर सहित सारे प्रश्न थे। वह एक बड़ी उपलब्धि थी। सभी मामलों पर पाकिस्तान ने इस सिद्धान्त को स्वीकार किया क्योंकि उन्होंने इस पर अपने हस्ताक्षर किये थे और वह सिद्धान्त था दोनों देशों के बीच के सम्बन्धों में द्विपक्षीयवाद। लेकिन उन्होंने कहा है कि काश्मीर के प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र संघ में या किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मंच में उठाने के अपने अधिकार को बनाये हुए हैं। हम इससे सहमत नहीं हुए हैं। हमारा कहना है कि कश्मीर समस्या को भी सुलझाया जाना चाहिये तथा इसे बातचीत द्वारा उसी भावना से द्विपक्षीय आधार पर सुलझाया जा सकता है।

आज भी, इस रुख के कारण, आज शायद अपनी अन्दरूनी विवशताओं के कारण, वे ऐसा कह रहे हैं। लेकिन प्रारम्भ से ही वे ऐसा कह रहे हैं। आज भी राष्ट्रपति जिया, जब कभी भी काश्मीर के प्रश्न पर बोलते हैं तो कहते हैं कि इसे शिमला समझौते की भावना से हल किया जायेगा, विदेश मंत्री श्री याकूब खान भी जब इस बारे में कहते हैं तो कहते हैं कि कश्मीर प्रश्न को शिमला समझौते की भावना से तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों को दृष्टिगत रखते हुए हल किया जायेगा, वह एक कदम और आगे जाते हैं। प्रधान मंत्री श्री जुनेजो जब भी बोलते हैं, शिमला समझौते का बिल्कुल ही उल्लेख नहीं करते। वे कहते हैं कि काश्मीर का प्रश्न केवल संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों के सन्दर्भ में ही हल किया जा सकता है।

(व्यवधान)

मैं ऐसा कहा रहा हूं क्योंकि न केवल वे अलग-अलग बातें कह रहे हैं बल्कि अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके की बातें करते हैं। यह उनकी अपनी समस्या है।

जहां तक भारत का प्रश्न है हम यह मानते हैं कि द्विपक्षीयवाद केवल द्विपक्षीयवाद और द्विपक्षीयवाद ही भारत और पाकिस्तान के बीच की सारी समस्याओं पर बातचीत और उनके समाधान का आधार हो सकता है। (व्यवधान) उसी भावना से समझौते पर 17 दिसम्बर को हस्ताक्षर किये गये थे। सभी बातों में उसी भावना से 6-सूची समझौते पर हस्ताक्षर किये। पहली बार दोनों रक्षा सचिव इस्लामाबाद में मिले।

उन्होंने इस प्रश्न पर बातचीत की। वे दो बातों पर सहमत हुए हैं। प्रथम यह कि सायचिन ग्लेशियर समस्या को हल करने में ताकत का प्रयोग नहीं किया जायेगा। यह एक महत्वपूर्ण समझौता

था कि रक्षा के मामलों में भी शक्ति का सहारा नहीं लिया जायेगा। दूसरे इस प्रश्न को वार्तालाप तथा आपसी बातचीत द्वारा सुलझाया जायेगा।

इसी प्रकार व्यापार के मामलों में वित्त मन्त्री वहां गये। पहली बार पाकिस्तान गैर-सरकारी स्तर पर व्यापार खोलने पर सहमत हुआ। वे अब तक गैर-सरकारी व्यापार के लिये सहमत नहीं थे। भारत से व्यापार पूरी तरह बन्द था तथा वे इस सिद्धान्त पर सहमत हुए कि यह पक्षपात-रहित ढांचे के ही अन्तर्गत होगा, अर्थात सर्वाधिक प्राथमिकता के आधार पर, ये कुछ द्विपक्षीय उपलब्धियां हैं जिन्हें प्राप्त किया गया है लेकिन आपसी सहयोग के एक ढांचे का विकास करने के लिये अभी हमें बहुत कुछ करना है। हम पाकिस्तान पर इस बात के लिए जोर दे रहे हैं कि हमें लोगों के मध्य विश्वास पैदा करने तथा दोनों देशों की सरकारों के मध्य विश्वास पैदा करने पर जोर दिया जाये। विश्वास पैदा करने वाले कदमों की बहुत महत्व है। क्योंकि ये इन सभी प्रश्नों में आ जाते हैं कि पाकिस्तान भिन्न इरादे को लेकर चल रहा है; कुछ विदेशी शक्तियों द्वारा एक दूसरी ही दिशा में पाकिस्तान को चलाया जा रहा है। पाकिस्तान के कुछ और भी बुरे इरादे हैं। पाकिस्तान भारत का भला नहीं चाहता और यह कि यह भी अस्थिरता पैदा करने की प्रक्रिया में शामिल है और है और यह जब चाहता है गड़बड़ी पैदा करने से भी नहीं चूकता। इसलिये हमारा जोर विश्वास पैदा करने वाली बातों पर है।

ध्यानाकर्षण का विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य मंत्री, श्री नूरानी, जो एक कनिष्ठ मन्त्री हैं, एक महत्वपूर्ण वक्तव्य दे रहे हैं जो कि किसी वरिष्ठ मन्त्री या राष्ट्रपति द्वारा दिये गये वक्तव्य के विपरीत है।

प्रो० के० के० तिवारी : यह सदन में दिया गया है। यह सरकार का वक्तव्य है।

श्री बी० आर० भगत : मैं इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, मैं एक कनिष्ठ मन्त्री द्वारा वक्तव्य दिये जाने के औचित्य की बात कह रहा हूं क्योंकि ये मामला......

प्रो० के०. के० तिवारी : बाहर दिये गये वक्तव्यों का कोई मूल नहीं है।

श्री बी० आर० भगत : यह मैंने अपने उत्तर में कह दिया है, मैंने कहा कि जुलाई, 1974 में वरिष्ठ मन्त्री द्वारा, बल्कि राष्ट्रपति द्वारा भी जो वक्तव्य दिया गया यह उसके विपरीत है। दिल्ली में सदर बाजार में हुए दंगों के दौरान पाकिस्तान की राष्ट्रीय विधान सभा में वक्तव्त देते समय तत्कालीन पाकिस्तानी सरकार ने कहा था कि शिमला समझौते के अन्तर्गत इसे अन्दरूनी मामला समझा जायेगा। यह पाकिस्तान सरकार का स्वयं अपना वक्तव्य था। वह एक चुनी हुई विधान सभा थी। यह एक आंशिक रूप से चुनी हुई विधान सभा है। आप कल्पना कर सकते हैं। वह एक चुनी हुई विधान सभा थी और वक्तव्य राष्ट्रपति द्वारा दिया गया था। (**व्यवधान**)

मैं एक नाजुक मामले पर बात कर रहा हूं। कृपया मेरा ध्यान भंग मत कीजिये क्योंकि विचार-शृंखला टूट जाती है। मैं कह रहा हूं कि आप विचित्र स्थिति देखते हैं। अन्दरूनी दबावों के कारण अर्ध-निर्वाचित असेम्बली में एक कनिष्ठ मन्त्री एक वक्तव्य देता है कि वैसा ही मामला अन्दरूनी मामला नहीं है।

प्रो०के०के० तिवारी : तब इस तर्क से तो जिया उल हक एक तानाशाह हैं, वह अर्द्ध-निर्वाचित भी नहीं हैं।

श्री बी० आर० भगत : मुझे जो बात मैं कह रहा हूं, उसे पूरा करने दीजिये। मैं यह कह रहा हूं कि यह एक नकारात्मक कारण है……

प्रो० मधु दंडवते : श्री तिवारी उन पर शारीरिक रूप से दबाव डाल रहे हैं।

श्री जी० जी० स्वेल : आप क्या कह रहे हैं अर्द्ध-निर्वाचित या अर्द्ध-शिक्षित ?

श्री बी० आर० भगत : मैं बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता हूं।

श्री जी० एस० स्वेल : मैंने आपको गलत सुना।

श्री बी०आर० भगत : मैं जो बात कहना चाहता हूं, वह यह है कि यह वक्तव्य एक नकारात्मक कारक है और यह विश्वास पैदा करने की सारी प्रक्रिया के विपरीत है और यह एक वचनबद्धता है। अब राष्ट्रपति जिया यहां आये तथा उन्होंने इस समझौते पर, छः सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर किये। उन्होंने यहां एक वक्तव्य दिया। उन्होंने उन्हें सम्बोधित किया। उन्होंने पाकिस्तान में एक वक्तव्य दिया कि वह मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सहयोग और दृढ़ सम्बन्ध चाहते हैं। वह विश्वास पैदा करने हेतु प्रयत्न करने में विश्वास रखते हैं, इस देश से सम्बन्ध बनाने में विश्वास रखते हैं और आखिर ये दो पड़ोसी देश अच्छी और ऊंची भावनाओं से भरे हैं। लेकिन यह वक्तव्य तथा अन्य वक्तव्य भी इस दृष्टिकोण के विपरीत हैं, वे पाकिस्तान से अच्छे पड़ोसी सम्बन्धों का निर्माण करने की प्रक्रिया के लिये गलत वातावरण तैयार कर देते हैं।

इस मामले में ही एक और मुद्दा, जिसके विषय में एक से ज्यादा सदस्यों ने प्रश्न पूछा, वह यह है पाकिस्तान का आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित होना और आतंकवादियों को प्रोत्साहित करना। हमारा उनसे कहना है कि प्रोत्साहन पैदा करने, उचित विश्वास तथा भरोसा पैदा करने के लिये यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है। (व्यवधान) मैं जानता हूं हमारे पास ठोस प्रमाण हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपने कहा कि आपके पास ठोस प्रमाण हैं, आप उनसे क्यों नहीं कहते कि उन लोगों को हमारे हवाले कर दें ? आप उनसे क्यों नहीं मांग करते कि उन्हें वापस हमारे हवाले कर दें ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : क्या आपने मांग की है ?

श्री बी०आर० भगत : वे उन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं। उन्होंने उन्हें हथियार तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की हैं तथा सभी स्तरों पर हमने इसको बार-बार जतला दिया है। वे इससे इंकार कर रहे हैं तथा वे कुछ नहीं कर रहे हैं। वे इससे इंकार कर रहे हैं लेकिन हमने उन्हें बता दिया है कि हमारे पास प्रमाण हैं तथा हम इस बारे में जानते हैं। लेकिन उनकी स्थिति यह है कि वे इससे इन्कार कर रहे हैं। मैंने कहा है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है और हम जानते हैं कि आप कहां तक इसमें शामिल हैं और यदि आप कहते हैं कि आप शामिल नहीं हैं, तो हमारे साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के सबूत के रूप में, अच्छे पड़ोसी के सम्बन्ध में सबूत के रूप में, हम यह जान जाएंगे और जब तक आप आतंकवादियों के साथ शामिल हैं, हम उन पर चौकसी रखेंगे। यह एक महत्वपूर्ण मामला है और मैत्री की यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण बात है। आप खुले रूप में भले ही कितनी ही अच्छी बातें कह दें, लेकिन वास्तव में आधारभूत स्तर पर इस महत्वपूर्ण विषय में आप क्या करते हैं, यह भी बड़ा

महत्वपूर्ण है और यह मामला ऐसा है जिसके बारे में हम बहुत चौकस हैं और पंजाब के मुख्यमन्त्री श्री बरनाला के वक्तव्य की हमें जानकारी है। हाल ही की घटनाओं में भी वह पाकिस्तानी हाथ देखते हैं। यह एक महत्वपूर्ण मामला है और इससे मित्रता की बिलकुल ही उल्टी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

श्री के० के० तिवारी : आपने इस विषय में क्या किया है ?

श्री बी० आर० भगत . हम उसे प्रसारित नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते। कुछ भी सम्भव है। आज सुबह ही पाकिस्तान के राजदूत श्री नूरानी को इस मामले में दिए गए वक्तव्य के सम्बन्ध में बुलाया गया ? हमने एक वक्तव्य दे दिया है, उनसे विरोध प्रकट किया है कि यह गलत बात है और जो किया गया है वह आपत्तिजनक है। हमने यह कहकर विरोध किया कि इससे हमारे सम्बन्धों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इससे जोरदार विरोध हम नहीं कर सकते थे। **(व्यवधान)** हमने पाकिस्तान से वहां रह रहे ऐसे उग्रवादियों को लौटाने को कहा गया है। उनके नाम तथा विवरण पाकिस्तान सरकार को दे दिए गए हैं। ऐसे व्यक्तियों की संख्या 7 है।

श्री अमल दत्त (डायमण्ड हार्बर) : वहां और भी बहुत से होने चाहिए। लेकिन आपके पास केवल सात के लिए ही पक्के सबूत हैं।

श्री बी० आर० भगत : हमारे पास सात के ब्यौरे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इन नामों को आपने कब दिया है ?

श्री बी० आर० भगत : लेकिन वे इन्कार कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इन सात लोगों के बारे में आपने कब सबूत दिए।

श्री बी० आर० भगत : मैं आपको बता नहीं सकता हूं परन्तु स्पष्ट रूप से कुछ महीने पहले दिए गए थे। लेकिन वे इन सब बातों से इन्कार कर रहे हैं। लेकिन मैं जो बात बता रहा हूं वह यह है कि हमें उनके शामिल होने की जानकारी है। हमने उनको बताया है कि हम इससे अवगत हैं तथा हम इस प्रश्न पर उनके व्यवहार द्वारा उनको देखेंगे। यदि वे उनमें शामिल नहीं हैं तो हम उन पर विश्वास करेंगे अन्यथा नहीं। इसमें कोई धोखेबाजी नहीं है। जहां तक हमारे मूल्यांकन का सम्बन्ध है पाकिस्तान पंजाब में आतंकवाद गतिविधियों में सलग्न है और जिससे वे इन्कार करते हैं, हम अपने मूल्यांकन के आधार पर चलेंगे। पाकिस्तान के साथ शांति और मित्रता मे कोई प्रगति नहीं हो सकती है।

अब पाकिस्तान को अमरीकी सहायता के बारे में। पाकिस्तान ने आर्थिक और सैनिक सहायता 6.5 अरब डालर तक बढ़ाने के लिए कहा है। अक्तूबर 1987 के बाद आरम्भ हुई यह दूसरी किश्त है। यह कांग्रेस के सामने है। सभी स्तरों पर की गई चर्चा में मैंने यह प्रश्न उठाया और मैंने जो बात कही वह यह है कि हम जानते हैं कि वे पाकिस्तान को किन कारणों से सहायता दे रहे हैं। अमरीका की यह स्थिति है कि वे महसूस करते हैं कि अफगानिस्तान और अन्य स्थानों की घटनाओं से पाकिस्तान को गम्भीर खतरा है और उनकी युद्ध नीति की दृष्टि से उनकी यह धारणा है कि इस क्षेत्र में सुरक्षा का प्रश्न भी सम्मिलित है और इस क्षेत्र में पाकिस्तान अग्रिम देश होने के कारण वे यह सहायता दे रहे हैं। परन्तु हमने कहा है कि पाकिस्तान के साथ हमारा यह अनुभव है उसने हमारे ऊपर तीन बार आक्रमण किया है और उसमें अमरीकी हथियारों का उपयोग किया है और हम जानते

हैं कि जब कभी संघर्ष होगा उसे इन हथियारों को हमारे विरुद्ध उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। और इसलिए, हम तब तक अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपनी चौकसी को कम नहीं कर सकते जब तक कि पाकिस्तान को बराबर हथियार और अत्याधुनिक हथियार मिलते हैं। यह हमें बुरी तरह से चोट पहुंचाता है क्योंकि हमें अपने थोड़े से विकास के संसाधनों को रक्षा पर खर्च करना होगा। इसलिए हम गम्भीर रूप से चिंतित हैं, पहला यह हमारी विकासात्मक प्रयासों पर विपरीत प्रभाव डालता है और दूसरा हमें हथियारों की होड़ में सम्मिलित होने के लिए बाध्य किया जाता है जिसके लिए हमें अपने साधनों, विकास कार्यों से हटाकर इन पर लगाना पड़ता है।

प्रो० के० के० तिवारी : सिख आतंकवादियों और मुजाहिदीनों के प्रशिक्षण के लिए 4000 लाख डालर की सहायता के बारे में सी० आई० ए० की गुप्त कार्रवाई के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

श्री बी० आर० भगत : ठीक है, हम इन सबसे चिन्तित हैं। मैंने आपको अमरीका की धारणा के बारे में बताया। खालिस्तान प्रशिक्षणार्थियों के लिए किस सीमा तक इस राशि का उपयोग किया जाता है, उन्हें चाहे इस धनराशि से प्रशिक्षित किया जाए या किसी और धन से, ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि खालिस्तानियों को प्रशिक्षित किया जाता है और हमें उस पर ध्यान देना होगा तथा हमें उस बारे में सचेत रहना होगा।

1.25 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 25 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.25 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बजकर 25 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

कार्य मंत्रणा समिति

18वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 21 फरवरी, 1986 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के 18वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 21 फरवरी, 1986 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के 18वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) विधेयक*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ए० के० सेन।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पहले उन्हें विधेयक प्रस्तुत करने दीजिए। उसके बाद आप आपत्ति उठा सकते हैं।

विधि और न्याय मंत्री (श्री ए० के० सेन) : नियम 372 के अन्तर्गत सबसे पहले मुझे प्रस्ताव करना है। इसके बाद यदि आप इसका विरोध करते हैं तो उपाध्यक्ष महोदय आपको वक्तव्य देने के लिए कहेंगे और तब मैं इसका उत्तर दूंगा।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : यह बहुत 'विवेकी' रवैया है।

श्री ए० के० सेन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुस्लिम स्त्रियों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए जिनका उनके पति द्वारा विवाह-विच्छेद हो गया है या जिन्होंने अपने पति से विवाह-विच्छेद कर लिया है और उससे सम्बद्ध उसके अनुषंगी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : मैं जो बात उठाना चाहता हूं वह यह है···**(व्यवधान)** मैं विधेयक को पुरःस्थापित किए जाने का विरोध नहीं कर रहा हूं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन सदस्यों का, जो विरोध कर रहे हैं, एक-एक करके बुलाऊंगा और वे अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। श्री मूलचन्द डागा······वह अनुपस्थित हैं। श्री सैफुद्दीन चौधरी। कृपया संक्षिप्त भाषण दें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित किए जाने का विरोध करता हूं। यह काला विधेयक है। इस विधेयक का शीर्षक गुमराह करने वाला है। इससे ऐसा लगता है कि विधेयक मुस्लिम महिलाओं के अधिकार का संरक्षण करने वाला है जबकि वास्तविकता यह है कि विधेयक उनके अधिकारों को हनन करने वाला है। शीर्षक ही गलत है। यह किसी भी तरह से कुरान की शिक्षा के अनुसार नहीं है। उस बारे में मैं विस्तृत में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि पहले एक अवसर पर जब सदन में गैर-सरकारी विधेयक पर चर्चा हो रही थी तो उस समय मैंने अपने विचार स्पष्ट किए थे और मैं अब भी उन पर अडिग हूं।

यह विधेयक हमारे संविधान की प्रस्तावना का उल्लंघन करता है जिसमें हमने धर्मनिरपेक्ष भारत की स्थापना के लिए प्रयास करने का संकल्प किया है।

अब, यह विधेयक उस घटना का परिणाम है जिसमें देश के उच्चतम न्यायालय ने एक बहुत अच्छा निर्णय दिया है जिस पर मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्गों ने कुछ चीजों की मांग की जिन्हें मैं धम-

*दिनांक 25-2-86 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खंड-2 में प्रकाशित।

निरपेक्ष नहीं कह सकता हूं। मैं उन्हें रूढ़िवादी कहूंगा परन्तु अब मुझे विश्वास है कि वे रूढ़िवादी कहलवाकर खुश हैं। वे सोचते हैं कि इनके पास कुछ बुनियादी बातें हैं।

पूरा विचार गलत है। यह हमारे देश के लिए अहितकर है और यह महिला समुदाय का अपमान है। (व्यवधान)

यह मुस्लिमों का अपमान और उनके लिए अहितकर है और हमने अब तक अपने देश में जो प्राप्त किया है, यह उससे वापिस जाना है। मैं विश्वास करता हूं कि यदि हमारे के वो महान लोग जो महिलाओं के अधिकारों तथा सामाजिक सुधार के लिए लड़े थे, यहां होते तो वे भी मिलकर इस विधेयक का विरोध करते। राम मोहन राय और और मौलाना आजाद जैसे महान नेताओं ने जो कुछ प्राप्त किया था उनको अब पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा।

अब, मैं जोर देकर यह कह सकता हूं कि वे लोग, जो इस विधेयक का समर्थन करते है, पूरे मुस्लिम समुदाय का पूरा प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। श्री अंसारी, श्री बनातवाला और श्री सेट का मैं सम्मान करता हूं। परन्तु यहां मेरे पास एक ऐसा ज्ञापन है जिस पर एक सौ से अधिक प्रमुख मुस्लिम पुरुषों और महिलाओं ने हस्ताक्षर किए हैं।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (मजेरी) : अभिनेता और नर्तक।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हो सकता है वे नर्तक हों लेकिन नृत्य धर्म-निरपेक्ष है। परन्तु आप किसी और के इशारे पर नृत्य कर रहे हैं जिनको मैं अपने देश का दुश्मन मानता हूं। मैं कुछ नाम भी पढ़ना चाहता हूं······ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नही, यह आवश्यक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मै इन नामों को पढ़ना चाहता हूं क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है।

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं। आप इसे परिचालित कर सकते हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : लेकिन किसी भी तरह से प्रत्येक के पास एक प्रति होनी चाहिए। सलीम अली, क्या मुस्लिम नही हैं ? ख्वाजा अहमद अब्बास, क्या मुस्लिम नहीं है ? तब आपने किस प्रकार से निर्णय किया ? मैं कहता हूं कि वे धर्म-निरपेक्ष हैं। आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। हो सकता है दूसरा दृष्टिकोण इस समय बहुमत में हो परन्तु एक धर्म-निरपेक्ष सरकार को उनके आगे समर्पण नहीं करना चाहिए। यह विधेयक सविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। यह बताता है :

> "भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान सरंक्षण स राज्य द्वारा वंचित नही किया जाएगा।"

लेकिन यह विधेयक स्पष्ट रूप से मुस्लिम महिलाओं से, जो इस देश की नागरिक हैं, कानूनी संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार छीनना है। यह सविधान क अनुच्छेद 15(i) का उल्लंघन करता है। इसमें लिखा है :

"राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।"

यह विधेयक स्पष्ट रूप से यही कर रहा है। यह एक वर्ग विशेष में भेदभाव करता है। वे इसे किस प्रकार कर रहे हैं? क्योंकि वे मुस्लिम हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चौधरी, कृपया संक्षेप में बोलें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : अतः यह स्पष्ट रूप से भेदभाव करने वाला है। मैं सांविधानिक आधार पर बोल रहा हूं······**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : नियमों के अनुसार, आपको संक्षिप्त भाषण देना है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : अब महोदय, यह मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुच्छेद 44 का भी उल्लंघन करता है। बहुत वर्ष पहले हमने कहा था कि हम एक समान सिविल संहिता बनाने की कोशिश करेंगे। परन्तु, यह सरकार उस सबको नष्ट कर रही है जिसे हमने पहले प्राप्त किया है। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। इस तरह बहुत सी अच्छी बातें स्पष्टतः दिखाई देती हैं। परिवार देखभाल करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वक्फ बोर्ड उनकी देखभाल करेगा। जब उनके पति उन्हें छोड़ देते हैं तो यह स्वाभाविक है कि वे अपने परिवार में वापिस जाएगी और परिवार उनकी देखभाल करेगा। लेकिन उस पति के लिए क्या प्रावधान किया गया है जो निरंकुश रूप से और विकृताचारी अशिष्ट तरीके से इस प्रकार आसानी से अपनी पत्नियों को छोड़ देते हैं। क्या हम अपने देश की उन महिला के बारे में विचार कर रहे हैं जिनको आप सिर्फ "तलाक" कहकर तलाक दे सकते हैं और वे तलाकशुदा हो जाती हैं। क्या यह सिविल कानून है। मैं इसका समर्थन नहीं करता। आप 21वीं शताब्दी में जाने की बात करते हैं तो आप कहां तक पहुंचेंगे?

आपका कहना है कि पिता उनकी देखभाल करेगा। यदि तलाक को बढ़ावा देने वाला कानून बनाया गया तो महिलाएं बेघर हो जाएंगी और उनके दुःख बढ़ जाएंगे।

महोदय, वे अपने मां-बाप के पास लौट जाएंगी। निःसंदेह मां-बाप उन्हें मारेंगे नहीं। आप नहीं जानते कि एक बेटी को ब्याहने के लिए कितने पैसों की जरूरत होती है। दहेज के लिए मां-बाप अपनी सम्पत्ति बेच देते हैं। आपका कहना है कि दहेज नहीं होगा। लेकिन हर शादी में पिता अपनी सम्पत्ति बेचकर दहेज न देता है। उसका क्या होगा? मैं जानना चाहता हूं कि वे कितना खर्च कर सकते हैं? मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कैसी मानसिकता हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। लेकिन सातवीं शताब्दी में अरब में लोग अपनी लड़कियों को जिन्दा दफना देते थे। वे नहीं चाहते थे कि लड़कियों का जन्म हो। इस विधेयक के कारण हमारे देश में महिलाओं को जरा भी कष्ट और मिला तो क्या होगा। अगर और तलाक हुए तो मैं आपको दोष दूंगा, सारा देश आपको इस सरकार को दोष देगा।

अगर इन क्रूरतापूर्ण तलाकों की संख्या बढ़ी तो मैं इस सरकार को दोष दूंगा।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का पूरी तरह से विरोध करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि कुछ सद्‌बुद्धि आए ताकि आप विधेयक को वापस ले लें या कुछ ऐसा करें कि देश की मुस्लिम महिलाओं के अधिकार न छीने जाएं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : यह एक ऐसा नाजुक मसला है जिसका सम्बन्ध न केवल इस देश के विशालतम अल्पसंख्यक समुदाय से ही नहीं बल्कि इस देश के सभी नागरिकों से है चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाले हों।

हमारा सदैव से यह मत रहा है कि सरकार को किसी भी धार्मिक समुदाय पर ऐसा कुछ नहीं थोपना चाहिए जो उस समुदाय के अनुसार उसके वैयक्तिक कानूनों का उल्लंघन करता हो। इस विषय पर मेरे निजी विचार चाहें जो कुछ हो पर हम कुछ भी ऐसा जबर्दस्ती थोपने के खिलाफ हैं, जो उस समुदाय के सदस्य के अनुसार उनके वैयक्तिक कानून या दैवी कानून इत्यादि का उल्लंघन करता हो।

सुधार या संशोधन के लिए पहले सर्वप्रथम उस समुदाय द्वारा ही की जानी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक उस समुदाय की इच्छा के विरुद्ध उस पर कुछ थोपने का प्रयास करना सभी तरह की कठिनाइयों को जन्म देगा जिनसे बचने का हमें प्रयास करना चाहिए।

यह सारा शोर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के साथ शुरू हुआ है। लेकिन मैं पूछता हूं कि क्या धारा 125 मुस्लिम समुदाय की या किसी और समुदाय की महिला को इस धारा में किसी समुदाय विशेष का उल्लेख नहीं है, जबरदस्ती अदालत में जाने के लिए बाध्य करता है ? तो चाहे वह अदालत में नहीं जाना चाहती हो। धारा 125 उसे जाने के लिए बाध्य नहीं करती। कोई महिला कह सकती है : मैं शरीयत के अनुसार चलना पसन्द करूंगी। मैं अदालत में नहीं जाऊंगी। मैं काजी की अदालत में या उच्चतम न्यायालय में जाना पसन्द करूंगी। आप उसे अदालत में जाने के लिए कैसे बाध्य कर सकते हैं। इसलिए श्री बनातवाला चाहते हैं कि यह धारा मुसलमानों पर लागू नहीं हो। क्यों ? बहरहाल, सरकार ऐसा करने का, अर्थात् धारा 125 मुसलमानों पर लागू न हो, कोई विशेष प्रयास नहीं कर रही हैं क्योंकि कानूनी चुनौती के समक्ष यह बात ठहर नहीं पाएगी इसलिए उन्होंने इस नए विधेयक को लाकर दूसरा रास्ता अपनाया है। मुझे जिन दो-तीन कारणों से इस विधेयक पर आपत्ति है, उनका मैं संक्षेप में उल्लेख करूंगा। इस समय मैं इस विधेयक के गुण अवगुणों की विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा।

मेरा तर्क यह है कि भारतीय संसद को ऐसे विधेयक का समर्थन करने के लिए नहीं कहना चाहिए जो संविधान के अनुच्छेद 14, (15(i) और 44 के विरुद्ध है। इन अनुच्छेदों को ध्यान में रखकर हम देश में बहुत से काम नहीं कर सकते। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें हम पूरा नहीं कर सकते या जिनके बारे में हम सोचना भी भूल गए हैं। लेकिन यह अलग बात है। यहां एक ऐसा विधेयक लाया जा रहा है जो भारतीय संसद से ऐसी बात को समर्थन देने के लिए कहता है, जो संविधान के इन उपबन्धों के विरुद्ध है।

हम तत्काल एक सामान्य संहिता तैयार नहीं कर सकते। मैं जानता हूं कि उसमें कठिनाइयां हैं। लेकिन संविधान का कहना है कि देश को इस दिशा में बढ़ना चाहिए न कि विपरीत दिशा में। सामान्य संहिता बनाने में हो सकता है बहुत समय लगे। बहुत-सी कठिनाइयां और रुकावटें होंगी। लेकिन यह विधेयक तो आपको विपरीत दिशा में चलने को, यानि सामान्य सिविल संहिता की ओर नहीं बल्कि उससे उल्टा चलने को कहता है और हमसे इस संसद में इस विधेयक पर मत देने के लिए कहा गया है।

इस देश के हर नागरिक को अनुच्छेद 14 और 15(i) के अन्तर्गत मूल अधिकार प्राप्त है। इसलिए हमसे ऐसा कुछ भी करने के लिए नहीं कहा जा सकता जो कानून के अनुसार न हो। इसलिए

संविधान के बनने से बहुत पहले, देश के आजाद होने से बहुत पहले सन् 1937 में एक कानून बना था जिसको अभी तक श्री सेन ने रद्द नहीं किया है। उन्होंने शरीयत अधिनियम 1937 को रद्द करने के लिए संसद के समक्ष प्रस्ताव नहीं रखा है।

ब्रिटिश शासन काल में, अंग्रेजों द्वारा पारित यह कानून अभी भी कानून की किताब में है। शरीयत अधिनियम, 1937 में क्या कहा गया है? यह बनातवाला और हर किसी के सोचने के ढंग को सन्तुष्ट करेगा। मैं उक्त अधिनियम की धारा 2 को पढ़ता हूं। इसके अनुसार मुस्लिमों पर लागू होने वाला वैयक्तिक कानून इस प्रकार है:—

> "किसी प्रथा या रिवाज के बावजूद, बिना वसीयत किए मरने पर मिलने वाले उत्तराधिकार, वैयक्तिक कानून के किसी उपबन्ध या करार या उपहार में विरासत या वैसे मिली निजी सम्पत्ति सहित महिलाओं की विशेष सम्पत्ति, विवाह, विवाह-विच्छेद, तलाक सहित, इल्ला, जिहार, लियान-खुल्ला और मुबारत, रखरखाव, दहेज संरक्षकता, उपहार, न्यास तथा न्यास सम्पत्ति और वक्फ (धर्मार्थ संस्थानों और धर्मार्थ तथा धार्मिक संस्थानों के अलावा) सम्बन्धी मामलों में (कृषि सम्बन्धी मामलों को छोड़कर) पक्षकारों के मुसलमान होने पर मुस्लिम वैयक्तिक कानून (शरीयत) के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।"

यह करीबन 50 साल पहले, करीबन अर्ध शती पूर्व पारित हुआ था जब देश विदेशियों का गुलाम था—जब देश में कोई संविधान नहीं था और इसे आज तक रद्द नहीं किया गया है। यह अधिनियम अभी भी लागू है। तो इसके लागू होने या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के कारण यह जबरदस्ती किसी महिला को अदालत में जाने के लिए बाध्य नहीं करता। आप याद करिए कि शुरू में शाहबानो को भी उसके पति ने तलाक नहीं दिया था। उसने उसे केवल घर से निकाला था। जब वह गुजारा भत्ता और राहत के लिए अदालत में गई तभी उसने उन्हें तलाक दिया। इससे पता चलता है कि वास्तविक स्थिति क्या है? इसलिए इस समय मैं इस सवाल पर विचार नहीं करूंगा कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए यह क्या अर्थ रखता है क्योंकि हम सभी यह जानते हैं और मैं भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। जो नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरी पत्नी मुस्लिम है। काश मैं उन्हें यहां ला सकता और वह आपको चन्द एक बातें बता सकतीं ....
(व्यवधान)

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : आप इस कानून के अन्तर्गत नहीं आएंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जी नहीं, उस कानून के अन्तर्गत यह नहीं आएगा। हम दैवी कानून की व्याख्या की बात कर रहे हैं। आप व्याख्या कीजिए। वह भी इसकी व्याख्या करेगी। बहरहाल इसे भूल जाइए।

प्रो० मधु दण्डवते : वह तो उन्हें संरक्षण देने के पक्ष में हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जो वह कर रहे हैं, उस पर मुझे सख्त आपत्ति है। यदि आप, जो जिस स्थिति में है उसे उसी पर छोड़ देते हैं तो वह एक अलग बात है। यथा स्थिति को बने रहने दीजिए। शरीयत है इसे अभी परिवर्तित नहीं किया जा सकता। दैवी कानून है। धारा 125 है जो किसी

महिला को अदालत में जाने के लिए बाध्य नहीं करती। अगर कोई उसे अदालत में जाने से रोकना चाहे तो वह रोक नहीं सकता। यह एक बात है। लेकिन यहां सरकार क्या कर रही है? वह शरीयत के एक अंश को लेकर एक ऐसे विधेयक में शामिल कर रही है जिसे संसद द्वारा पारित किया जाना है। यह वास्तव में बहुत ज्यादती है। हम वैयक्तिक कानून के उपबन्धों के पक्ष में मत नहीं देंगे? हम क्यों दें? उन मुसलमानों में से कोई क्यों दे जिन्होंने आज एक वक्तव्य जारी किया है? क्या वे मुसलमान नहीं हैं? मुस्लिम लीग के अध्यक्ष श्री फलां-फलां का मैं बहुत आदर करता हूं। उनका कहना है कि वे लोग नर्तक और अभिनेता हैं। इस्लाम सबसे पहले यह वक्तव्य दे कि अभिनेता और नर्तक मुस्लिम कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। इस देश में मुस्लिम समुदाय में अधिकतर लोग गरीब हैं। इस देश में मुस्लिम समुदाय में कितने लोग बड़े पूंजीपति, जमींदार और लखपति हैं? मुश्किल से थोड़े से लोग। अधिसंख्यक लोग गरीब हैं। धारा 125 विशेष रूप से उन गरीब महिलाओं के लिए हैं उन्हें गरीबी और अभाव से बचाने के लिए हैं जिनके पास गुजारे का कोई साधन है। लेकिन यहां क्या किया जा रहा है? दैवी कानून, वैयक्तिक कानून के इन अनुच्छेदों को अधिनियम में सम्मिलित किया जा रहा है। वैयक्तिक कानून में जिस तरह इद्दत की अवधि तक तथा बच्चों के मामले में दो साल तक पति का दायित्व है उसी तरह इस विधेयक में दायित्व का उल्लेख है। इसके बाद वह स्वतन्त्र है; उसका कोई दायित्व शेष नहीं रहता। उसके बाद महिला का परिवार कौन होगा—वही गरीब लोग। आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे देश के उन गरीब इलाकों में कौन लोग रहते हैं? उन लोगों को उस महिला को सहारा देने या उसकी देखभाल करने की जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी। और अगर ऐसा नहीं किया जा सकता तो अब किस उपाय का प्रस्ताव है? शायद अदालत राज्य वक्फ बोर्ड को उसकी देखभाल करने को कहे। मुझे मालूम है कि अधिकांश वक्फ बोर्ड दिवालिया या आधे दिवालिये हैं। उनके पास पैसा नहीं है। और मैं नहीं चाहता कि कोई महिला राज्य वक्फ बोर्डों के पीछे भागती फिरे। वह क्यों ऐसा करे? यहां तक कि यह बात भी नहीं है कि राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा दिया गया कोई आदेश न्यायालय द्वारा लागू किया जाए ताकि वह पूरे आदर और मान से न्यायालय में जा सके। वह उन वक्फ बोर्डों के पीछे भागती नहीं रह सकती है जो उसे कुछ नहीं दे सकते हैं और दे भी सकते हैं तथा उसको बार-बार चक्कर कटवाते रहते हैं।

एक माननीय सदस्य : न्यायालय आदेश देगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि न्यायालय आदेश दे दे तो क्यों न धारा 125 के अन्तर्गत ऐसा करे? जब यह धारा 125 के अन्तर्गत आता है तो आप न्यायालय को पसन्द नहीं करते हैं। आप न्यायालय को केवल उस समय पसन्द करते हैं जब यह श्री अशोक सेन के नए विधेयक के अन्तर्गत आता है। ऐसा क्यों?

मैं उदार मन वाला था, क्योंकि उन कारणों से जिनका उल्लेख मैंने पहले किया है मुझे इस बात से सहानुभूति है कि अल्पसंख्यक समुदाय को किसी प्रकार का अपमान अथवा शिकायत महसूस न होने दिया जाए। किन्तु जब मैं अन्य सभी लोगों में से श्री बनातवाला को जो इतने कट्टर थे कि मुसलमानों को 125 से मुक्त रखा जाए अब इस विधेयक का स्वागत करते हुए देखता हूं, यह तो स्वाभाविक बात है कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में आशंका उत्पन्न होती है कि आखिर इसमें ऐसी क्या बात है? इसमें क्या है? केवल इतना कि पति की जिम्मेवारी सीमित की जा रही है, क्योंकि यह स्वीय विधि में नहीं है, और जिस न्यायालय में वह जाएगी, तो उस न्यायालय की इस कानून के उपबन्धों के द्वारा सारी शक्तियां सीमित की गई हैं, इसे स्पष्ट किया जाता है, आप इद्दत की अवधि

के लिए जिम्मेवारी देने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकते हैं; यह कोई नई बात नहीं है, यह स्वीय विधि में है।

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम : तीन महीने।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप तीन महीने तक दे सकते हैं, और यदि दो वर्ष में बच्चे अथवा बच्चा हुआ—यह भी आपकी स्वीय विधि में है। नई बात क्या है? मेहर और दहेज की बात कोई नई नहीं है। हम जानते हैं कि यह भी कभी-कभी झूठी होती है। वह विवाह के समय बहुत से पत्रों पर हस्ताक्षर करती है। तो बाकी क्या रहता है? परिवार को ही देखिए? उसमें भी अनबन रहती है। मुझे नहीं मालूम कि क्या स्वीय विधि में है। मैं नहीं जानता कि मुस्लिम समुदाय की वर्तमान परिस्थितियों में परिवार यथार्थवादी क्यों नहीं है। और इसे वक्फ बोर्डों को सौंपने से राज्य सरकारों पर बहुत बोझ-सा पड़ेगा। और यदि यह कार्य करेंगे भी फिर भी राज्य वक्फ बोर्डों की राशि राज्य सरकारों द्वारा पूरी की जाती है और निस्सन्देह उन्हें और भी वित्तीय जिम्मेवारियां हैं। उन पर इस प्रकार से भार नहीं डाला जा सकता है। इसका सार सारांश यह है कि वे चिन्तित और आतंकित हुए हैं क्योंकि मुस्लिम समुदाय के अधिक रूढ़िवादी पुरातनपंथी और धार्मिक कट्टरपंथी देश में शोर मचा रहे हैं। (**व्यवधान**) मैं सरकार पर यह आरोप लगाता हूं कि उसने मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि समूह से भी बातचीत नहीं की है। प्रधान मन्त्री ने, जिससे उन्होंने सलाह ली है, हमें बताया है कि उनके पास मुट्ठी-भर लोग एक विशेष दृष्टिकोण लेकर आए। और उसके पश्चात् यह परामर्श आया। ऐसा क्यों? आप मुस्लिम समुदाय में उन लोगों से परामर्श क्यों करते हैं, जिनका कोई अलग दृष्टिकोण है। यदि उनका दृष्टिकोण अलग है तो क्या वह मुसलमान नहीं कहलाएंगे? अतः मैं कहता हूं कि मुस्लिम समुदाय से उचित परामर्श नहीं किया गया है। और इस बात को अब इस प्रकार रखा जाता है जैसे कि यह समस्त मुस्लिम समुदाय के विचार प्रस्तुत करती है।

महोदय, इस बात में इस प्रकार जल्दबाजी में नहीं रखा जाना चाहिए। केवल इसलिए कि बाहर आन्दोलन हो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस दल किसी उप-चुनावों में हार गया है जिसमें उन्हें मुसलमानों के मत प्राप्त नहीं हुए हैं, तो अब वे पैर पीट रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : कुछ भी हो वे इसे पारित नहीं करा पाएंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : एक मन्त्री को बोलने का साहस था और दूसरे मन्त्री ने शीघ्र उसके विरुद्ध बोला। किन्तु सरकारी तौर से सरकार को कुछ नहीं कहना है। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। सरकार का दृष्टिकोण क्या है, हम नहीं जानते हैं। अब वे यह विधेयक लेकर आए हैं तो इससे यह पूरी तरह स्पष्ट होता है।

और फिर श्री आरिफ मोहम्मद खां को इस कठिन स्थिति में क्यों डाला गया? क्या वह एक मुसलमान नहीं हैं? (**व्यवधान**) मैं यह पूछता हूं, क्या वह मुसलमान नहीं हैं?

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : क्या वह नर्तक हैं?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वह नर्तक हैं या कलाबाज हैं अथवा क्या हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गुप्त जी, अब समाप्त कीजिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं कहता हूं कि उचित परामर्श नहीं लिया गया है।

यदि सरकार इस विधेयक को पारित करने पर दृढ़-संकल्प है तो इसके लिए यही उचित रहेगा कि इसे चयन समिति को भेज दें, वहां से उचित साक्ष्य लेकर देश के सभी दलों से साक्ष्य लिया जाए। नाजुक विषयों को इस प्रकार छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि इससे प्रतिक्षेप भी हो सकता है। मैं श्री सेन को चेतावनी देता हूं। (व्यवधान) मेरे विचार से उन्हें मेरे से अधिक धर्म-निर्पेक्ष नहीं होना चाहिए।

आप किसी वर्ग अथवा अल्पसंख्यक समुदाय को सन्तुष्ट कर सकते हैं किन्तु कहीं और से भी जुगुप्सा का भय है। अतः देश में प्रतिदिन क्या हो रहा है ? देश के टुकड़े-टुकड़े किए जा रहे हैं। इस प्रकार की संघर्षों से देश के टुकड़े-टुकड़े हो रहे हैं। ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे साम्प्रदायिक जुगुप्सा उत्पन्न हो—ऐसा साम्प्रदायिक प्रतिक्षेप जिसको आप रोक भी नहीं पाएंगे। कृपया सावधान रहिए। सबों का विश्वास प्राप्त कीजिए और सभी सम्बद्ध व्यक्तियों की सलाह लीजिए। जल्दबाजी और भगदड़ मत कीजिए; क्योंकि आपका भारी बहुमत प्राप्त है और आप जो चाहें पारित कर सकते हैं।

अतः मैं इस चरण पर इस विधेयक को प्रस्तुत करने का विरोध करता हूं।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : बहुत-सी बातें जो कहनी थीं वे पहले ही कही जा चुकी हैं। यह विचित्र बात है कि जो सरकार धर्म-निर्पेक्ष शक्तियों का समर्थन कर रही थी यही अब एक ऐसा विधेयक लाना उचित समझ रही है जिससे प्रगति 100 वर्ष पीछे चली जाएगी। यह बहुत ही विचित्र बात है कि वे देश जहां मुसलमानों की संख्या अधिक है वे इस शरीयत कानून की अनुमति नहीं दे रहे हैं। अब यदि शरीयत कानून संविधि संग्रह में पहले से ही है तो इसे रहने दीजिए। परन्तु इसका एक भाग देश के सामान्य कानून के साथ क्यों जोड़ा जाए इसका कोई कारण नहीं हैं और वह भी जल्दबाजी में क्यों पारित किया जाए। यह उनके प्रति भेदभावपूर्ण होगा, जिनको वे जोर जबरदस्ती सुरक्षा प्रदान करने जा रहे हैं, किन्तु वास्तव में उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर बहुत हल्लागुल्ला मचाया गया है। हमारा ध्यान इस बात की ओर नहीं गया है कि यह पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि न्यायालय से ऐसा निर्णय मिला है। किन्तु, गत 10 वर्षों से या उससे अधिक समय से इस प्रकार के निर्णय लिए जाते रहे हैं। मेरे पास इस समय न्यायमूर्ति बहरूल इस्लाम द्वारा दिया गया एक निर्णय है जो उन्हें तब दिया था जब वह असम उच्च न्यायालय के अवर न्यायाधीश थे। उन्होंने कुरान का उद्धरण दिया था। कुरान से उद्धरण देकर उन्होंने यह दिखा दिया है कि कुरान में इस बात की अनुमति है कि तलाक शुदा पत्नी को भरण-पोषण देने की इजाजत है। कुरान की आयतों का यहां उद्धरण दिया गया है। तत्पश्चात् यह विद्वान् न्यायाधीश पदोन्नति द्वारा उच्चतम न्यायालय में पहुंच गए। उन्होंने उच्चतम न्यायालय से एक न्यायाधीश के रूप में त्यागपत्र दे दिया। वह इस दल के द्वारा राज्य सभा को सुशोभित करने के लिए लाए गए हैं। उन्होंने यह निर्णय दिया है। उन्होंने कुरान से ही अधिकार और निष्कर्ष लिया था। अतः इससे स्पष्ट होता है कि मुसलमानों में भी बहुत मतभेद है। यहां कुछ लोग कहते हैं कि जिनका विरुद्ध मत है वह मुसलमान नहीं हैं। किन्तु क्या वह कह सकते हैं श्री बहरुल इसलाम भी मुसलमान नहीं हैं क्योंकि उन्होंने यह विचार व्यक्त किया है ? उच्चतम न्यायालय के सामने ऐसा मामला पहली बार आया होगा अतः उच्चतम न्यायालय का निर्णय जो सभी उच्च न्यायालय के लिए अनिवार्य है, वह कानून बन जाएगा।

अब सत्तारूढ़ दल द्वारा अपने बहुमत का लाभ उठाने के लिए और उस प्रगति को वापस मोड़ने के लिए जो यह देश धीरे-धीरे कर रहा है। अतः यह विधेयक न केवल भेदमूलक और असंवैधानिक है बल्कि यह उस कानून के विरुद्ध भी है जो हमारे देश में बहुत समय से था। विचारों की भिन्नता के कारण सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि इस मामले में सभी से सलाह ली जाए। प्रधान मन्त्री ने आश्वासन दिया कि कोई भी विधेयक तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक सभी सम्बद्ध दलों से विचार-विमर्श नहीं कर लिया जाता है। परन्तु ऐसा नहीं हुआ है। यहां तक कि अन्य मुस्लिम देशों द्वारा प्राप्त स्थिति भी हमारे सामने नहीं लाई गई है। ऐसा किए बिना ही यह विधेयक सामने लाया गया है।

मैं इसका विरोध करता हूं और दृढ़ता से इस विधेयक को पुरःस्थापित करने का विरोध करता हूं।

श्री मानिक सान्याल (जलपाईगुड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक को लाने का विरोध करता हूं। यह प्रस्तावित विधेयक हमारे देश की लाखों मुसलमान महिलाओं के मूल अधिकारों का लज्जाजनक विश्वासघात है। यदि सदन द्वारा इस विधेयक को स्वीकार किया जाएगा तो इससे मुस्लिम महिलाएं दासी बन जाएंगी और हमारे समाज की सामाजिक प्रगति शताब्दियों पीछे चली जाएगी। इस विधेयक के खंड तलाक प्राप्त महिला के पति को भरण-पोषण की जिम्मेवारी से बचने की अनुमति देते हैं जो तीन महीने की अवधि तक सीमित है। इस विधेयक को लाकर सरकार ने प्रधान मन्त्री महोदय द्वारा महिला संस्थानों से और जनमत के अन्य प्रतिनिधियों से की गई इस प्रतिज्ञा से मुंह मोड़ लिया है कि सरकार द्वारा कुछ कदम उठाए जाने से पूर्व उनके साथ उचित चर्चा की जाएगी। जिस प्रकार से यह विधेयक जल्दी से पिछले द्वार से पुरःस्थापित किया गया है, उससे मुस्लिम महिलाओं की भारी संख्या को इस प्रश्न पर अपने वैध विचार व्यक्त करने से वंचित कर दिया गया है। इस प्रकार, इस विधेयक के पुरःस्थापन से अत्यन्त पिछड़े कट्टर विचारों की तुष्टि होती है और घोर अन्याय होता है। मैं सत्तारूढ़ दल से अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर पुनः विचार करें और इस समस्या से प्रभावित सभी वर्गों का मत प्राप्त करें तथा संकीर्ण चुनाव सम्बन्धी तथा पक्षपातीय सोच-विचार के बहाव में न आएं। अतः मैं इस विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के गुणावगुणों में नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं इसके पुरःस्थापित किए जाने के समय पर ही एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं···**(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : आप शहाबुद्दीन को क्यों नहीं बोलने देते ?

प्रो० मधु दण्डवते : आप चिन्ता न करें। हम अपनी पार्टी का स्वयं ध्यान करेंगे। आप अपनी का प्रबन्ध करें।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : आप विश्वास रखें कि इसका पूर्णतया प्रबन्ध है।

प्रो० मधु दण्डवते : श्री अन्सारी मैंने देखा है कि किस प्रकार दो मन्त्री भिन्न-भिन्न बातें कहते हैं। हम वैसा नहीं करेंगे···**(व्यवधान)**। विधेयक का इसके पुरःस्थापित करने के समय ही विरोध करते हुए मैं कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूं और एक प्रस्ताव देना चाहता हूं जिसे सत्ता-

रूढ़ पार्टी के सदस्यों को भी स्वीकार्य होना चाहिए। आज जो मुख्य मुद्दा छोड़ दिया गया है, वह यह है कि प्रधानमंत्री की विरोधी दलों के नेताओं से दो बार बातचीत हुई है और अन्तिम दौर में प्रधान-मन्त्री ने हमें आश्वासन दिया है कि सरकार इस स्थिति पर दस्तावेज तैयार करायेगी जिसमें वह हमें संविधान सभा में हुए वाद-विवाद भिन्न-भिन्न इस्लामी देशों की स्थिति, स्वीय विधि की की गई भिन्न-भिन्न व्याख्याएं और शाहबानो के मामले में लाई गई अन्य बातों की जानकारी हमें देगी और उनको हमारे सामने रखेगी। उन्होंने यह कहा है जब एक बार हम आपको यह सामग्री दे देंगे तो उसके दस या पन्द्रह दिनों के बाद हम फिर मिलेंगे और चर्चा करेंगे।" कई प्रकार के शिष्टमंडलों के या तो शाहबानो के मामले के समर्थक या विरोधी थे, को एक आश्वासन दिया गया था। सभी प्रकार के शिष्टमंडल प्रधानमन्त्री से मिले और उन सबको प्रधानमन्त्री ने आश्वासन दिया था कि विरोधी दलों के नेताओं से सलाह किए बिना सरकार विधेयक का प्रारूप तैयार नहीं करेंगे। यहां तक कि महिला शिष्टमंडलों को, जो वहां गईं, विरोधी दलों के सदस्यों को, जो वहां गये, उन लोगों को जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के हक में थे और जो सर्वोच्च न्यायालय के हक में नहीं थे, वहां गये प्रधानमंत्री ने यही कहा था और जिस दिन हमें ये कागज प्राप्त हो जाएंगे उस दिन हमें यह प्रारूप विधेयक भी प्राप्त हो जायेगा। मन्त्री द्वारा भी यह बिलकुल स्पष्ट कर दिया गया है कि विधेयक का प्रारूप विरोधी दलों की सलाह के आधार पर नहीं बनाया है, उन्होंने कुछ विद्वानों के साथ परामर्श किया है। मैं एक मुद्दा बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं। हम इस विवाद के उपरान्त मामलों को हल करना चाहते हैं लेकिन उनको हल करते हुए मैं नहीं चाहूंगा कि सारे समाज को इसका सामना करना पड़े जिसमें एक ओर कोई धार्मिक समुदाय यह महसूस करे कि वास्तव में उसका तिरस्कार किया जा रहा है और दूसरी ओर किसी महिला को यह महसूस नहीं करना चाहिए कि जो भी विधेयक तैयार किया जा रहा है वह उनके साथ अन्याय करेगा। वहां विद्वान होंगे वहां "शरियत" की भिन्न-भिन्न व्याख्या होगी, इस्लामी कानून की व्याख्या होगी और विरोधी नेताओं के साथ चर्चा करने के बाद अगर विधेयक बनाया गया, तो उस स्थिति में कुछ सहमति हो सकती है। देश के विभाजन के उपरान्त मौलाना आजाद ने बम्बई में एक सभा में कहा था :

[हिन्दी]

"डर इस बात का है कि पहले तो मुल्क का बंटवारा हुआ और बाद में दिलों का।"

[अनुवाद]

देश का विभाजन दो भागों में हुआ है लेकिन मैं विद्वानों के मस्तिष्क और दिलों को दो टुकड़ों में नहीं बांटना चाहता और इसलिए हम अपना सबसे ज्यादा योगदान इस दृष्टि से देंगे कि कोई हल निकाल लिया जाए जिसमें न तो कोई धार्मिक समुदाय अपने को अलग समझे और इसके साथ ही कोई भी महिला इस बात को महसूस नहीं करेगी, किसी भी तलाकशुदा को कोई शिकायत महसूस नहीं होगी। इस ढंग से हम इकट्ठे बैठ सकते हैं? और कोई रास्ता निकाल सकते हैं और उस हालत में एक अधिक स्वीकार्य विधेयक लाया जा सकता है और वही आधार है गुणावगुण का आधार नहीं।

3.00 म०प०

लेकिन प्रक्रिया का आधार है। अगर यह विशेष सलाह को सुन लिया जाये तो मुझे यकीन है कि दोनों पक्ष सहमत हो सकते हैं, जैसा कि प्रधान मन्त्री ने वायदा किया है, विरोधी दलों के नेता और विभिन्न व्यक्ति चर्चा कर सकते हैं और हम समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं और एक विधेयक

ला सकते हैं जो समाज को संगठित करेगा और समाज का विभाजन नहीं करेगा। इसलिए इस समय हम नहीं चाहते कि इस विधेयक को पुरःस्थापित करने में शीघ्रता दिखाई जाए। धन्यवाद !

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : क्या मैं स्थिति को स्पष्ट कर सकता हूं ? मैं इस विषय पर बात नहीं करना चाहता लेकिन मैं इसको इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं, क्योंकि प्रो० मधु दण्डवते ने कहा है कि मैंने कुछ काम करने के वायदे किये थे। मैंने केवल बाद की बातें सुनी हैं। इसलिए मुझे खेद है कि मैं पहले की बातों के बारे में कुछ नहीं कह सकता।

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमान् बाद की बातों का बहुत गलत प्रभाव पड़ता है।

श्री राजीव गांधी : मैं आप को पहला भाग दोहराने के लिए कहूंगा। मूल पहलू पर टिप्पणी किये बिना, जो कि मैं बाद में कर सकता हूं, मैं केवल यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैंने विरोधी दलों के साथ दूसरी बातों के अतिरिक्त जो मैंने व्यक्तिगत लोगों के साथ की थी, दो बार चर्चा की और अन्तिम सत्र के बाद हमने यह निर्णय किया था कि हम कुछ जानकारी एकत्र करेंगे जो हम वहां उपस्थित विरोधी दलों के नेताओं को देंगे। दुर्भाग्य से हमें वह जानकारी देने में कुछ देरी हो गई है। मैं उस गलती को अपनी तरफ से स्वीकारता हूं। इसके विपरीत विरोधी दलों के साथ हुई पिछली बैठक में जो निर्णय हुआ था—अगर मुझे स्मरण है—वह यह है कि मुझे विरोधी दलों ने जब कि सभी उपस्थित थे जिसमें कुछ हमारे दल के सदस्य भी उपस्थित थे, बताया था कि मैं कुछ मुस्लिम ग्रुपों के साथ बात करूं और यह जानने का प्रयास करूं कि उनके मस्तिष्क में क्या है ? उसी आधार पर मैंने कुछ मुस्लिम नेताओं के साथ बात की और वे दकियानूसी नेता नहीं थे; वे व्यक्ति उनके दल के थे, अन्य विरोधी दलों के थे। इन चर्चाओं के आधार पर उन चर्चाओं के अनुसार हम यह प्रस्तावित विधेयक लाए हैं। अब मैंने यह भी कहा कि इस विधेयक को लाने से पहले मैं विरोधी दलों से परामर्श करूंगा। मैंने इस विधेयक के लिए विपक्ष को 19 तारीख को मुझसे मिलने के लिए आमन्त्रित किया था। मेरी तरफ से यह गलती हो सकती है कि मैंने यह विशेष रूप से नहीं कहा कि आप मुझसे इस विधेयक के लिए मिलेंगे। लेकिन पिछली बार जब हम मिले थे तो हमने यह स्पष्ट कर दिया था कि हम इस विधेयक पर अगले सत्र से पूर्व चर्चा करेंगे। अब अगला सत्र आरम्भ होने में 10 दिन भी नहीं रह गये थे। अगला सत्र आरम्भ होने में 2 या तीन दिन रह गये थे।

प्रो० मधु दण्डवते : प्रधानमन्त्री ने पिछले दिन 19 तारीख को जब हमें आमन्त्रित किया था—उस दिन भी आपके विधेयक का प्रारूप पहले ही छप चुका था और यह तैयार था। इसलिए कृपया ऐसा मत कहिए कि विधेयक तैयार नहीं था।

श्री राजीव गांधी : दण्डवते जी, कृपया मुझे समाप्त करने दीजिए। (व्यवधान)

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : शान्त-शान्त। उन्हें समाप्त करने दीजिए। तब आप कह सकते हैं ?

श्री राजीव गांधी : वे बहुत उत्तेजित हो रहे हैं। विधेयक का प्रारूप 19 तारीख को तैयार नहीं था और मैं दूसरे मुद्दे पर भी आ रहा हूं हमने यह महसूस किया है कि बहुत से कारणों से जो मैं आपके ध्यान में ला चुका हूं पिछले शुक्रवार को यह विधेयक पुरःस्थापित करना आवश्यक था। हम एक और विधेयक लाये थे। मैं यह नहीं कहूंगा कि ठीक इसी तरह, परन्तु इतनी ही शीघ्रता से—और

यह था दल बदल विरोधी विधेयक। यह मोटे तौर पर ठीक इसी तरह से इतने ही समय में लाया गया था। आपने उस समय सहयोग दिया था और हमने खण्डों में परिवर्तन किया था जो आपने पसन्द नहीं किया। मैं इस विधेयक में खण्डों में परिवर्तन करना चाहता था जो आपने पसन्द नहीं किया। लेकिन आप मूल पहलू के बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं और हमने कभी भी उससे इनकार नहीं किया। इसलिए इसके लिए अवसर है।

3.03 म० प०

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

विपक्ष के बुलाये जाने की कार्यवाही दिखावटी नहीं थी। यह कोई नाटक नहीं था। हम आपकी राय चाहते हैं। विशेष तौर पर ऐसे मामले में जिससे सभी का सम्बन्ध है हम आपको सम्बद्ध करना चाहते हैं।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : इस बारे में प्रवर समिति है।

श्री राजीव गांधी : मैंने प्रवर समिति की बात नहीं की है। मैं आपके विशिष्ट प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। धन्यवाद।

डा० ए० के० पटेल (मेहसाना) : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के पुरःस्थापित करने का मैं दृढ़ता से विरोध करता हूं। वास्तव में यह इस सभा के महिला सदस्यों का कर्त्तव्य था कि वे इस विधेयक का विरोध करतीं। दुर्भाग्य से उन्होंने ऐसा नहीं किया।

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी : मैं इसका विरोध करती हूं। **(व्यवधान)**

डा० ए० के० पटेल : मैं अपने मित्रों द्वारा बताई गई बातों को दोहराऊंगा नहीं। मैं केवल यही कहूंगा कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 44 और 37 का उल्लेख करता है। वास्तव में समान सिविल संहिता का निदेश दिया गया है। परन्तु समान सिविल संहिता बनाने के स्थान पर हम उलटे चल रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि ऐसी शीघ्रता न करें। इस विधेयक पर पुनः विचार करते हुए इसे प्रवर समिति को सौंपे। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने मुख्तलिफ लोग इन्ट्रोडक्शन स्टेज पर इस बिल के खिलाफ बोले हैं। हमारे पटेल साहब, गुप्ता जी और चौधरी साहब ने बताया कि यह संविधान के बिल्कुल खिलाफ है, हम आउट आफ कांस्टीट्यूशन इस बिल को ला रहे हैं।

आर्टिकल 44 में साफ तौर से कहा गया है कि कामन सिविल कोड लाया जाएगा।

[अनुवाद]

> "भारत के समस्त राज्य-क्षेत्र में नागरिकों के लिए राज्य एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा।"

[हिन्दी]

35 साल की स्वतन्त्रता के बाद भी सिविल कोड लाने में असमर्थ है, बल्कि हम पीछे जा रहे

हैं। एक सिविल कोड लाने के बजाय हम क्रिमिनल कोड का भी बंटवारा कर रहे हैं। यह बिल्कुल संविधान के खिलाफ है, इसके विरुद्ध है ।

फंडामैंटल्स को कायम रखने के लिए आर्टिकल 37 में भी साफ तौर से बताया गया है, वह भी इसमें नहीं है ।

जैसा गुप्त जी ने बताया कि कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा 125 के मुताबिक अगर कोई तलाक के माफिक कोर्ट में जाना चाहती है तो शरीयत उसे रोक सकती है। जिस वक्त उसको कहीं भी न्याय नहीं मिलता है तो उसे अदालत के डोर को खटखटाना पड़ता है। उस अदालत के डोर को खटखटाने से भी इस बिल के द्वारा रोका जा रहा है ।

आज मैंने हिन्दुस्तान टाइम्स में पढ़ा है कि यह ऐक्ट आ रहा है तो लोग नई-नई बीबी से रोजाना शादी करते जा रहे हैं, एक को तलाक देते हैं और दूसरी से शादी करते जा रहे हैं। इस बिल के द्वारा आप तलाक को एनकरेज कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसके बाद शादी बन्द तो नहीं कर रहे हैं ।

श्री सी० जंगा रेड्डी : इसके कारण पिता जी पर और भाई पर बोझ बढ़ जायेगा ।

श्री मधु दण्डवते : यही है, कोई शादी ज्यादा नहीं करता ।

श्री सी० जंगा रेड्डी : आप हैदराबाद में जाकर देखिए, वहां से कितने लोग अरबिस्तान आ रहे हैं अपनी मजबूरी और गरीबी के कारण। यह बाहर नहीं है, हैदराबाद से भारत देश के लोग बाहर जा रहे हैं, इसके लिए हमको शर्म आनी चाहिए। इस ऐक्ट को लाने के लिए जो माफिक हैं, उनको भी शर्म आनी चाहिए कि इससे कितने लोग अरबिस्तान में बिक रहे हैं। 50 साल की उम्र वाला 25 साल की उम्र वाली लड़की से शादी करके ले जा रहा है और हम बैठे हुए देख रहे हैं, क्योंकि वह गरीबी की हालत में है ।

अध्यक्ष महोदय : आपकी नियत तो साफ है ?

श्री सी० जंगा रेड्डी : हमको समझना चाहिए कि वक्फ पर जो बोझ हम डालने जा रहे हैं, उससे सरकार और समाज पर बोझ बढ़ जाएगा। अगर कोई औरत अपने मर्द को तलाक के कारण छोड़कर बाजार मे फिरती है तो समाज पर उसका प्रभाव पड़ता है। अगर पिता पर उसका भार पड़ता है तो पिता को अपनी बीबी को छोड़ना पड़ेगा, उसको पालने के लिए। अगर पिता की जगह भाई के पास जाती है तो भाभी उनको छोड़ती है कि तुम अपनी बहन को पालो, मुझे कहां पालोगे, मैं तुमको तलाक देकर जाऊंगी। इस प्रकार आप उनको इनक्रेज कर रहे हैं। हिन्दुस्तान में बजाय एक सिविल कोड बनाने के, आप उसको अलग-अलग बना रहे हैं ।

मुसलमान औरत तलाक के बाद अपने गुजारे के लिए पैसा आदि मांगने के लिए अदालत का दरवाजा अवश्य खटखटायेगी। एक साल से श्री बनातवाला साहब का बिल चल रहा था। इस बारे में बाहर भी काफी हंगामा हुआ। अगर आप यह बिल लाना ही चाहते थे तो एक साल से पहले ही ले आते। मन्त्रिमण्डल के दो मन्त्री भी इस बारे में काफी बोले हैं। एक मंत्री कहता है कि यह शरीयत के खिलाफ है और दूसरा कहता है कि यह शरीयत के अनुकूल है। सुप्रीम-कोर्ट का जजमेंट काफी अच्छा है। इसको आपको लागू करना चाहिए ।

मैं तो यह ही कहना चाहूंगा कि आपको इस प्रकार का बिल नहीं लाना चाहिए। यह संविधान के खिलाफ है और मौलिक अधिकारों का हनन करता है। एक ही समाज में रहने वाली हिन्दू और मुसलमान स्त्री में कोई अन्तर नहीं होना चाहिए। इस बिल को लाने से देश में फिर अशान्ति फैल जायेगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि देश में बंटवारा करने की तैयारियां चल रही हैं। मेरा तो प्रधान मंत्री जी से यही निवेदन है कि वह इस बिल को वापिस ले लें।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज यह दु:खद दिवस है कि यह संसद इस तरह के प्रस्तावित कानून का एक पक्ष बन रही है जिसका उद्देश्य उच्चतम न्यायालय के प्रगतिशील निर्णय को रद्द करना है।

कुछ माननीय सदस्य : श्री मूल चन्द डागा विराजमान हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जब उनका नाम पुकारा गया था, तब उन्हें सभा से बाहर रखा गया।

महोदय, इसके पुर:स्थापन के कार्य में अनावश्यक शीघ्रता बरती जा रही है। यदि आप कृपापूर्वक निर्णय न लेते तो इसे पिछले गुरुवार को ही बिना कार्य सूची में शामिल किए बिना इसे लाया जाना था। माननीय प्रधान मन्त्री ने एक वैसे ही विधेयक का उल्लेख किया जिसे शीघ्रता से पारित किया गया था। क्या इस तरह के विवादास्पद विधेयक को कानून बनाने की यह सामान्य प्रक्रिया है, जबकि इस बारे में बहुत से विवादास्पद मत हैं।

अब तक संविधान में अनुच्छेद 14 और 15 हैं। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से जीवन के अधिकार तथा आजीविका के अधिकार का उल्लेख किया है, जो कि मौलिक अधिकार का एक भाग हैं। ये समानता के अधिकार में निहित हैं। स्वयं के लिए कौन दावा करेगा। ये गरीब तलाकशुदा औरतें हैं। उनकी रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय सामने आया। परन्तु इस तरह के विधेयक में ऐसी उत्सुकता दिखाई जा रही है। यह मौलिक अधिकारों का मामला है और विधेयक इस तरह से पुर:स्थापित किया जा रहा है, जिसके लिए कोई औचित्य नहीं बताया गया है। यदि आप कृपया उद्देश्यों तथा कारणों सम्बन्धी विवरण को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह उच्चतम न्यायालय के निर्णय को रद्द करना है। आज मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मुस्लिम समुदाय के प्रसिद्ध व्यक्तियों की निन्दा कर सकते हैं···

प्रो० मधु दण्डवते : एक योजना आयोग के सदस्य हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : परन्तु लेखक, सम्मानीय व्ययित जैसे श्री सलीम अली, जो कि संसद सदस्य हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के उप-कुलपति, योजना आयोग के सदस्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के भूतपूर्व उपाध्यक्ष, फिलम अभिनेता, फिल्मो के कहानी लेखकों, कवियों, प्रोफैसरों तथा वक्ता हैं···(**व्यवधान**) उपहास करना बड़ा सरल है। मैं प्रधान मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या इस मामले को दलीय आधार पर तय किया जाएगा। इसमें इतनी जल्दी क्या है, उधर कोई भी नजर क्यों नहीं आते ? श्री आरिफ मोहम्मद खान को चुप करा दिया गया है। मुझे विश्वास है यदि स्वतन्त्रता दी जाए···

एक माननीय सदस्य : महिला सदस्यों को क्या हुआ है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस पर उचित विचार होने दें। इसमें हमारा कोई व्यक्तिगत हित नहीं है। हम समझते हैं कि यदि ऐसे मामले में जिस निर्णय का मुसलमानों, भारतीय महिलाओं भारतीय जनता द्वारा स्वागत किया गया था और जिसके द्वारा उन्हें न्यूनतम अधिकार दिए गए थे, उन्हें कोई बेगम नहीं बनाया जा रहा है—परन्तु उन्हें न्यूनतम खर्चा दिए जाने की बात थी—परन्तु आज यह शक्तिशाली भारत सरकार भारी बहुमत के साथ इस विधेयक को थोपना चाहती है। आज एक शिष्ट मण्डल अध्यक्ष महोदय को मिला। वे इस बारे में आन्दोलन तथा विरोध कर रहे हैं। यह न्यूनतम अधिकार है कि पति भरण-पोषण का खर्च दे। परन्तु यह शक्तिशाली सरकार, भारी बहुमत के साथ यह कानून थोपना चाहती है। सरकार द्वारा यह कार्यवाही असंवैधानिक अवैध अमानवीय है। मैं नहीं जानता कि इस बारे में किसका मत अन्तिम होगा। आज श्री अन्सारी हंस रहे हैं।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : मैं इसे अन्तिम रूप से संयंत्र करूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप ऐसा सोच सकते हैं क्योंकि आपको प्रधान मंत्री का आशीर्वाद प्राप्त है। जब आप इससे वंचित होंगे तब आपको वास्तविकता मालूम होगी। इस बारे में मैं अप्रिय बात नहीं करना चाहता। मैं समझता हूं कि महिलाओं के संबन्ध में इस मामले को गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। इस देश की महिलाएं स्वतंत्रता के बाद भी कष्ट सहन करनी आ रही हैं। देश में 36% साक्षरता होते हुए भी साक्षर महिलाओं का प्रतिशत केवल 24 है। वे अधिक कष्ट उठा रही हैं एक कल्याण मंत्रालय है महिलाओं की सुरक्षा तथा उत्थान के लिए यह मंत्रालय है। उनके कार्य का यही तो एक नमूना है। वे चाहते हैं कि इसे पाडित किया जाये। क्या महिलाओं के कल्याण के लिए यही उपबन्ध है। मैं विधि मंत्री से जानना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि वह प्रसन्न नहीं हैं। परन्तु वह क्या कर सकते हैं। मैं नहीं जानता कि क्या प्रधान मंत्री प्रसन्न हैं। हो सकता है कि अपने यौवन में वह लोगों के मन को न समझ पाये हों। आपने किससे परामर्श किया है। उनका कहना है कि उन्होंने जनता पार्टी मुस्लिम सदस्यों से परामर्श किया है। क्या उन्होंने इन लोगों से परामर्श किया है? मैं नाम बताऊंगा परन्तु मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री जानते हैं। यदि वह नहीं जानते तो हम उन्हें बता सकते हैं। क्या उन्होंने किसी से परामर्श किया है? अतः इस मामले में शीघ्रता नहीं की जानी चाहिए। इसमें कोई प्रतिष्ठा की बात नहीं है कि इसे आज ही पुरःस्थापित किया जाये। विपक्ष के नेता भी अनुभव करते हैं कि प्रधान मंत्री के साथ उनकी व्यापक चर्चा नहीं हुई।

विधेयक 19 तारीख को छपा था। उनके पास बड़ा तथा कुशल मुद्रणालय है······

प्रो० मधु दण्डवते : इसे भूतलक्षी प्रभाव से छापा गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसे 19 फरवरी को अर्थात परामर्श करने की नियत तारीख को मुद्रित किया गया। मैं नहीं जानता कि किस सीमा तक प्रधान मंत्री इस बारे में खुला दिमाग रखते हैं। इसलिए मैं प्रधान मंत्री तथा सरकार तथा पार्टी से अपील करता हूं, कि सदा अपनी आत्मा की आवाज को गिरवी मत रखें। मैं विधि मंत्री से निवेदन करता हूं कि आप इस विधेयक को आज ही पुरःस्थापित करने का आग्रह मत करें। कृपया इस पर अपनी आत्मा को न बेचें।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : क्या बात है, महोदय······**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या वह विधेयक को समर्थन करती हैं?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आज उन्हें संरक्षण अवश्य दिया जाना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : **

(व्यवधान)

श्री आशुतोष लाहा (दमदम) : यह शब्द······**······अशिष्ट है। मैं जानता हूं कि इसका क्या अर्थ है। बंगाली में इसका अर्थ हम जानते हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह असंसदीय है······

(व्यवधान)

श्री आशुतोष लाहा : इसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल देना चाहिए तथा उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। वे महिलाओं की ओर उनके अधिकारों की बात कर रहे हैं फिर वह महिलाओं के प्रति ऐसी अशिष्ट भाषा का प्रयोग कैसे कर सकते हैं ?

प्रो० के० के० तिवारी : वह सभा के वरिष्ठ सदस्य हैं। उन्हें अपने शब्द को अवश्य ही वापस लेना चाहिए। महिलाओं के सम्बन्ध में उन्होंने पटुता से कहा है······**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : शांत रहिये। व्यवस्था बनाये रखिये।

श्री के० के० तिवारी : वे सदन के काफी वरिष्ठ सदस्य हैं तथा अधिकारों के बारे में वे इतना ज्यादा बोलते हैं। यहाँ वह एक महिला के लिये वे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह बहुत ही घिनौना शब्द है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी असंसदीय होगा मैं कार्यवाही वृतान्त को देखूंगा तथा जो कुछ भी उसमें असंसदीय होगा उसे कार्यवाही वृतान्त से बाहर निकाल दिया जायेगा। आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे प्रिय मित्र, मैं कार्यवाही वृतांत को देखूंगा तथा असंसदीय शब्द अगर कोई हुआ तो उसे निकाल दिया जायेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कभी-कभी सुना दीजिये। क्या शोर मचाने के लिये आपको कोई लाइसेंस मिला हुआ है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर आप इसी तरह अड़े रहे तो मैं आपको सदन से बाहर जाने के लिये कहूंगा। मैंने कुछ नहीं सुना। मैं जानना चाहता हूं वो शब्द क्या था। मैं उस पर विचार करूंगा।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया गया।

अगर आप सभी चार या पांच सदस्य एक साथ बोलते हैं तो मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ता क्या आ रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। मैं कार्यवाही वृतान्त को पढ़ूंगा तथा फिर निर्णय लूंगा।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, उन्हें ऐसा बोलने की आदत है, वह अनादरपूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हैं। वह हमेशा ऐसी ही भाषा का प्रयोग करते हैं। पिछली दफा जादवपुर में उनको बुरी तरह फटकार मिली थी। (व्यवधान)

श्री रेणुपद दास (कृषनगर) : यह सिर्फ कहावत है। यह असंसदीय नहीं है। आपको भाषा से अवगत होना चाहिये। यह अनादरपूर्ण नहीं है। (व्यवधान)

श्री के० के० तिवारी : इस सदन के किसी सदस्य के लिये मैं ऐसी भाषा कभी भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। कृपया इस सदन के प्रति सम्मान प्रकट कीजिये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हम, विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रधान मंत्री जी को स्पष्ट रूप में कहा था इस विधेयक को लाने में जल्दी मत कीजिये, इस विधेयक को पुरःस्थापित मत करिये। इसके बावजूद भी उस दिन विधि मंत्री जी विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिये आये परन्तु हमने इसका विरोध किया। आपने विधि मंत्री जी को विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति नहीं दी। महोदय, मुस्लिम महिलाओं को संरक्षण देने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में जो बहुत कम अधिकार दिये हुये हैं, वे भी इस विधेयक को पारित करके छीने जा रहे हैं। शुक्रवार को मुस्लिम महिलाओं का एक शिष्ट मण्डल प्रधान मंत्री जी से मिला था। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस विधेयक को पुरःस्थापित करने से पहले वे उनसे सलाह-मशविरा करेंगे। उन्होंने उन लोगों से मशविरा नहीं किया। वे आज आप से भी मिलीं। वे अध्यक्ष महोदय से शनिवार या शुक्रवार को मिलीं और उन्हें बताया कि वे क्यों इसके विरोध में हैं। कुछ बुद्धिजीवी एवं अन्य व्यक्ति भी हैं जिन्होंने इस विधेयक का विरोध किया है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करता हूं कि इस विधेयक को लाने में किसी प्रकार की जल्दबाजी न करें। उन्हें इसे वापस ले लेना चाहिये। अगर वे ऐसा नहीं कर सकते तो वे इसे संयुक्त प्रवर समिति को भेज सकते हैं ताकि यह समिति विभिन्न समुदायों के व्यक्तियों तथा गांव में रहने वाली मुस्लिम महिलाओं की राय जान सकें। वे महिलाओं की राय तो जानकर एकत्र कर सकते थे। अतः मैं अपील करता हूं कि इस विधेयक को लाकर जल्दबाजी न की जाय।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : महोदय मैं उन बातों को नहीं दोहराना चाहता हूं जिन्हें पहले ही कहा जा चुका है। मैं सिर्फ एक ही मुद्दे को लूंगा और वह है, परामर्श के बारे में। हमनें अभी अभी सुना है कि प्रधान मंत्री जी ने इस मुद्दे पर विपक्षी नेताओं की सलाह नहीं ली थी। मैं ब्यौरे में नहीं जाना चाहूंगा परन्तु एक बात उन्हें महसूस करनी चाहिये। 21 तारीख को जब हम उनसे मिले थे, तो हमनें उनसे अनुरोध किया था कि हमें समय दिया जाये। क्योंकि उसी दिन बैठक में ही हमें कुछ सामग्री उपलब्ध करायी गई थी, हमें विधेयक भी दिया गया था। और इसके बाद हमने

उनसे अनुरोध किया कि इस सामग्री को पढ़ने के लिये हमें कुछ नियम दिया जाये तथा हमने सुझाव दिया कि इसके कुछ दिन बाद हम फिर से मिल सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा, "एक सप्ताह बाद।" वह कह सकते थे, "ठीक है; आप 3 दिन लीजिये।" किसी भी तरह से उन्होंने 5 दिन तक इन्तजार किया। कल हमसे सलाह करने के लिए उन्हें किसने रोका था ? जहां चाह वहां राह···

[हिन्दी]

अगर आप कंसल्ट करना चाहते थे तो कल भी कर सकते थे, आज भी कंसल्ट कर सकते हैं। आपको याद होगा जब आप एंटी डिफेक्शन बिल पर हम से कंसल्ट कर रहे थे तो यहां पर बिल डिसकस हो रहा था।

[अनुवाद]

विधेयक पर विचार किया जा रहा था तथा हम लोग आपके कमरे में थे तथा आप हमसे मशविरा कर रहे थे।

[हिन्दी]

अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो अब भी कर सकते हैं, मगर हमारी शिकायत यह है कि आपकी कंसल्ट करने की नीयत ही नहीं है।

[अनुवाद]

आप मशविरा करने का सिर्फ नाटक करते हैं।

[हिन्दी]

अभी हाल ही में एक नई स्ट्रेट जो आपने निकाली, मुझे बड़ा अफसोस है कि आप हमें 15 मिनट पहले, आधा घण्टा पहले कंसल्ट करते हैं जबकि हर चीज तैयार होती है। तब आप हमें बुलाते हैं।

[अनुवाद]

हम आपके कमरे की तरफ भागते हैं।

[हिन्दी]

आप कहते हैं कि ये चीजें हो गई हैं, ठीक है। जब हमने यह प्वाइन्ट रेज किया तो आपने फर्माया इस हाउस में···

[अनुवाद]

"नहीं, मैं परामर्श नहीं कर रहा था; मैं तो सिर्फ आपको जानकारी दे रहा था।"

[हिन्दी]

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : मैं दो शब्द बोलूं ?

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी : माननीय सदस्य एकदम ठीक कह रहे हैं कि आज मंगलवार है, अगर मुझे ठीक से याद है तो यह विधेयक सदस्यों को शुक्रवार को उपलब्ध हो गया था, तो। उनका यह कहना भी ठीक है कि शुक्रवार की उस बैठक के पश्चात् मैंने विधेयक पर चर्चा करने के लिये विरोधी पक्ष को नहीं बुलाया। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पहली बात तो यह है कि विषय अभी विचाराधीन है न सिर्फ दो या तीन दफे विरोधी पक्ष के साथ इस बारे में हमारी बैठकें हुई अपितु यह विषय लगभग 10 महीने से—सही तारीख तो मुझे याद नहीं है—देश में सभी लोगों के दिलो-दिमाग पर छाया हुआ है। यह मसला अचानक नहीं पैदा हुआ है। यह आजकल चर्चा का विषय है, सदन में इस पर चर्चा हुई है, काफी लम्बे समय से यह मामला चला आ रहा है। और अगर कोई ऐसी बात थी कि विरोधी पक्ष का कोई भी सदस्य विधेयक पर कुछ सुझाव देना चाहता था तो उसके लिए आपके पास पांच दिन का समय था। आप टेलीफोन उठाकर कह सकते थे, "मैं विधेयक के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं, क्या आप मुझे समय दे सकते हैं?" और मैं आपको समय दे देता। परन्तु आपने ऐसा करने की जरूरत नहीं समझी। आप सिर्फ यहां पर चर्चा का विषय बनाना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। अगर मेरे पास आपसे पूछने के लिए पांच दिन का समय था, मैंने आपको दस्तावेज वगैरह भी दे दिये थे। मैंने आपसे प्रतिक्रिया बताने को कहा था परन्तु आपने कोई जवाब नहीं दिया, आपके पास भी पांच दिन का समय था जवाब देने के लिए, आप इन दिनों में मेरे कार्यालय में फोन करके पूछ सकते थे, "कृपया हमें समय दीजिए, हम इस विधेयक को तुरन्त रोकना चाहते हैं, इसे रोकने के लिए हमारे पास वैध मुद्दे हैं।" किसी भी अवस्था पर आपने कोई ठोस तर्क नहीं दिया है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : प्रश्न मिलकर वार्त्ता करने का है, सर्वसम्मति पैदा करने का तथा मसले को हल करने का है।

श्री सी० माधव रेड्डी : मैं यह कहना चाहता था कि प्रधान मन्त्री जी बिल्कुल सही थे। अभी मुझे यह पता चला है कि वे चाहते हैं कि प्रत्येक नेता पृथक रूप में उनसे मिले तथा उनसे मशविरा करे......

श्री राजीव गांधी : चाहे अकेले मिले या समूह में, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपको सिर्फ मुझे टेलीफोन करना होगा और मेरे कार्यालय से समय देने के बारे में पूछिये हम आपको समय देंगे।

श्री सी० माधव रेड्डी : अब मैं पूछ रहा हूं, और अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया विधेयक पर अन्तिम रूप में विचार करने से पहले विपक्षी नेताओं से परामर्श करिये। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इसी समय आप इस पर अमल कर सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : पृथक रूप से हम रात्रि भोजन के लिए तो जा सकते हैं परन्तु सलाह-मशविरा इकट्ठे बैठकर ही होना चाहिए।

श्री सी० माधव रेड्डी : जैसा कि मैं बता रहा था कि जब हम दल-बदलू विधेयक पर चर्चा कर रहे थे, उस समय हम सभी से सलाह ली गई थी। आज या फिर कल आपको सलाह लेने से कौन रोकता है ? इसीलिए, इस आधार पर मुझे कुछ आपत्ति है। अन्यथा, इस विधेयक को पुरःस्थापित करने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय।

विधि और न्याय मंत्री (श्री ए० के० सेन) : अध्यक्ष महोदय······

कुछ माननीय सदस्य : श्री डागा भी बोलना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : उनका नाम मेरे पास नहीं है।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : अगर विपक्षी दल पृथक रूप से या इकट्ठे होकर कोई ठोस बात कहना चाहते हैं तो हम उस मुद्दे पर उनके साथ चर्चा करेंगे और अगर हमें वह बात संगत लगी तो हम उस पर विचार करेंगे।

श्री ए० के० सेन : अध्यक्ष महोदय, मैं यह अवश्य ही स्वीकार करूंगा कि मुझे प्रसन्नता है कि जो विधेयक हम ला रहे हैं उसने विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए एक प्लेटफार्म का काम किया है जो कि एक दुर्लभ बात है।

प्रो० मधु दंडवते : वह भड़का कर ज्यादा से ज्यादा एकता पैदा कर रहे हैं।

श्री ए० के० सेन : जैसा कि मैंने कहा, मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि आपकी एकता बनाए रखने के लिए मैं आपकी मदद कर सका। परन्तु प्रत्येक सदस्य द्वारा उठाये गये मुद्दे का अलग-अलग उत्तर देने की बजाए क्या मैं मुख्य मुद्दों को एक साथ सदन में संक्षिप्त रूप में ले सकता हूं ? पहली बात है अनावश्यक उतावली। मेरे विचार से श्री सोमनाथ चटर्जी ने अनुचित उतावली की बात कही है। नौ महीने इन्तजार किया गया जिसमें श्री बनातवाला के विधेयक पर सदन में चर्चा की गई थी।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : वह आपका विधेयक नहीं था। वह सरकारी विधेयक नहीं था।

श्री ए० के० सेन : अगर आप समझते हैं कि इन नौ महीनों में आपने अपनी आंखें और कान बन्द कर रखे थे। **(व्यवधान)** तो मैं यह कह सकता हूं कि सदन सतर्क था तथा हमने उस चर्चा को सुना जो कि काफी दिनों तक चली। तथा प्रधान मन्त्री जी ने अप्रत्यक्ष रूप में लगभग प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों के विचार पता लगाने की कोशिश की है।

यह सच है कि मुस्लिम नेताओं के साथ मशविरे को प्राथमिकता दी गई थी तथा इसे महत्व भी अधिक दिया गया था। और ऐसा होना भी चाहिए। अगर हम किसी समुदाय के व्यक्तिगत कानून को बना रहे हैं तो यह हमारा कर्तव्य हो जाता है कि उस समुदाय के विचारों को महत्व दिया जाए एवं प्राथमिकता दी जाए। **(व्यवधान)** पण्डित जवाहर लाल नेहरू के समय से यह सरकार

की घोषित नीति है कि व्यक्तिगत कानून के मामलों में सम्बन्धित समुदायों के विचारों को जरूर जानना चाहिए तथा सरकार को तब तक उसे पेश नहीं करना चाहिए जब तक कि उस समुदाय में सर्वसम्मति न हो जाए। वही नीति आज भी है तथा प्रधान मन्त्री जी ने इसे कई दफे कहा भी है तथा मैं आशा करता हूं कि इसमें कोई सन्देह नहीं रह जाता है। महोदय इस नीति का हमने वास्तविक एवं सच्चे रूप में अनुकरण किया है।

श्री नारायण चौबे : अगर आप समुदाय के भीतर सर्वसम्मति की बात करते हैं तो आपको सती प्रथा फिर से लानी होगी···

श्री ए० के० सेन : श्री चौबे हमेशा ही अधीर रहते हैं। चौबे का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो चारों वेदों का ज्ञाता हो। मैंने ये कभी नहीं सुना कि वे कुरान सम्बन्धी कानून के भी विद्वान हैं। मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि उन्होंने अपना ध्यान वेदों से हटाकर कुरान की तरफ लगाया है। अगली दफा मैं श्री चौबे से कुरान पढ़ूंगा।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (मंजरी) : आप उनसे कुरान नहीं पढ़ सकते। (**व्यवधान**)

श्री ए० के० सेन : एक जिम्मेदार सरकार को जो करना चाहिए उसी भांति प्रधान मन्त्री जी के तथा सरकार ने मुस्लिम समुदाय ने विचारों को जानने का ध्यान रखा। इस बारे में मैं प्रधान मन्त्री जी को बधाई दूंगा जिन्होंने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी इस विषय पर अत्यधिक धैर्य एवं परिश्रम से काम किया···

प्रो० मधु दण्डवते : नीति को ध्यान में रखे बिना हमेशा वे ऐसा ही करते हैं।

श्री ए० के० सेन : उन्होंने उस समुदाय के विचारों को जानने के लिए व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया, जिन पर कि यह अधिनियम लागू होगा।

अब, बात बिलकुल स्पष्ट है, हमें विधेयक के कार्यक्षेत्र का विस्तार नहीं करना चाहिए। हम एक बहुत ही सीमित समस्या पर विचार कर रहे हैं। गरीब तलाकशुदा महिलाओं को निर्वाह खर्च देने का प्रश्न है।

चूंकि मैंने सम्बन्धित कानून का मुस्लिम विद्वानों की मदद से अध्ययन किया है, इसलिए समझते हैं कि मुस्लिम कानून मात्र विधवाओं का तलाकशुदा महिलाओं के हित में ही कानून नहीं बनाता बल्कि सभी महिलाओं के हित में बनाता है। अब हम तलाकशुदा महिलाओं के मामले पर विचार कर रहे हैं। आदेश यह है कि उन्हें घरों से उठाकर सड़कों पर भटकने के लिए नहीं छोड़ा जाए। परन्तु फिर भी बहुत से ऐसे चरण होते हैं जिनमें समस्या को इस्लाम धर्म की व्यवस्था के आदेशानुसार सुलझाना होगा। पहली समस्या वह अवधि है जिसके दौरान महिला का अपने पूर्व पति के साथ तब तक सम्बन्ध होने का आभास मिलता है, वह इद्दत कहलाता है। इस अवधि के दौरान पति को उसका खर्च उठाना पड़ता है और इद्दत के बाद अगर स्त्री पति का बच्चा लिए हुए हैं तो जब तक गर्भावस्था रहती है पति पर वही दायित्व रहेगा। उस अवधि के बाद अगर वह पति के बच्चे को दूध पिलाकर पालती है तो पति को उसका खर्च वहन करना पड़ेगा जब तक कि बच्चा दो वर्ष का नहीं हो जाता। अब हमें क्या करना है? क्या हमें इस विषय पर मुस्लिम कानून के आदेश का अनुसरण नहीं करना है। हमें करना होगा। इसके बारे में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हमारे धर्म-निरपेक्षवाद का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक स्त्री व पुरुष को एक ही धर्म या मत का एक ही तरह

से अनुसरण करना होगा। इस देश की सांस्कृतिक समृद्धि का कारण यह है कि यहां पर प्रत्येक समुदाय ने, जो देश का एक अंग बन चुका है, देश को अपनी जीवनधारा का अंशदान किया है और उन्होंने बिना किसी हस्तक्षेप के अपने धर्म व मत का अपनी ही तरह से अनुसरण किया है। यही धर्मनिरपेक्षता है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है किसी धर्म न्यायाधिकरण का न होना, अपने धर्म को मानने के लिए लोगों पर कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अनुच्छेद 25 तथा 26 के अन्तर्गत अपने धर्म तथा मत को अपनी तरह से मानने का अधिकार रखता है। उसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति एक ही भाषा बोले। प्रत्येक व्यक्ति को इसी प्रकार से पूजा करनी होगी, जैसे कि शैवों और वैष्णवों को एक ही मार्ग अपनाना पड़ेगा अथवा शिया और सुन्नियों को एक ही प्रकार से पूजा करनी होगी। (व्यवधान) कृपया सुनिये। कृपया सुनिये। हमने आपको काफी देर सुना है। किसी समुदाय की नब्ज को समझने का यह तरीका नहीं है। ऐसे भावावेशों से सहनशक्ति या धैर्य की भावना का पता नहीं चलता। कृपया धैर्य रखिए। ऐसा नहीं लगता कि आपने विषय का अध्ययन किया है। जब हम विचार करते समय तथ्यों को सामने रखते हैं तो हमें सभी मामलों की तह में जाना पड़ेगा।

महोदय, हमने मामले को समझने के लिए काफी समय लिया है और हमारी समझ में यह आया है कि विधेयक में अधिकांश मुस्लिमों की अपने कानून के बारे में राय की झलक मिलती है। यह बिलकुल सत्य है कि लगभग सौ या पांच सौ विद्वान उस खास सूची के बाहर के काफी लोग भिन्न प्रकार से सोचते हैं। एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में ऐसा होता ही है जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म, जिसमें कुरान भी सम्मिलित है, की व्याख्या करने का हकदार है। परन्तु हमें समुदाय की आम राय मालूम करनी होगी और हमने इसे एक खास तरह से पता लगा लिया है। हम नहीं समझते कि हमने जो राय मालूम की है वह गलत है। अब कठिनाई सहनशीलता न होने के कारण पैदा हुई हैं जिसे उन व्यक्तियों द्वारा दर्शाया जा रहा है जो ये समझते हैं कि हमारा दृष्टिकोण गलत है। भगवत गीता में भी यही कहा गया है—

"जानामि धर्मम् न चमेव प्रवृत्ति,
जानामि अधर्मम् न चमेव निवृत्ति।"

मुझे नैतिकता का पता है परन्तु मैं उसका पालन नहीं करना चाहता; मैं जानता हूं कि 'अधर्म' क्या है परन्तु मैं इसे रोकना नहीं चाहता। असहनशीलता का यही मुख्य सार है।

प्रो० मधु दंडवते : क्या यह कांग्रेस की अधिकृत नीति है ?

श्री ए० के० सेन : कौन-सी ? कांग्रेस की अधिकृत नीति है हर प्रकार से विरोधी आवाज की अनुमति देना। हमारे संविधान का यही मुख्य आधार है। सहिष्णुता की भावना जिससे विरोधी विचारधारा का पता चलता है, हमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के सम्बन्ध में मुस्लिम समुदाय के विचारों को आदर से देखने के लिए बाध्य करती है कि इसको मुस्लिम समुदात पर कड़ाई के साथ अमल में नहीं लाया जाना चाहिए। मैं यह नहीं समझता कि उनकी मांग बिलकुल गलत है।

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तामलुक) : दलील क्या है ? कोई दलील नहीं है।

श्री ए० के० सेन : अगर माननीय सदस्य दलील को नहीं समझते तो यह मेरा दोष नहीं है।

दलील को समझना होगा तथा सुनना होगा। (व्यवधान) मेरे विचार से चौबे जी अपने ही बारे में बात कर रहे हैं। वह केवल अपने ही बारे में बात कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री चौबे जी कहते हैं कि आप और पाप क्यों करते जा रहे हैं ?

श्री ए० के० सेन : इसी को कानूनी भाषा में "इप्सी डिक्सिट" (तंदुक्तितः) कहते हैं। श्री चौबे जी सदैव अपनी ही बात कहते हैं। मुझे आशा नहीं कि जो हम कहते हैं उसमें वह विश्वास करेंगे। इस बात पर हम सब एक हैं। मैं स्वयं को कभी आश्वस्त नहीं कर पाया कि मैं जो कह रहा हूं इस पर वह विश्वास करेंगे।

हमने इस मामले पर काफी समय तक अध्ययन किया है और यह आरोप कि हम इस विधेयक को बहुत जल्दबाजी में लाए हैं सही नहीं है। अगला मुद्दा विरोध पक्ष के साथ परामर्श न करने का है। प्रधानमन्त्री ने पहले इस आरोप का उत्तर दे दिया है। मैं नहीं समझता कि यह आरोप सही है। उन्हें आमन्त्रित किया गया था और मुझे ज्ञात है कि मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले विपक्ष ने काफी अधिक विचार-विमर्श किया था। तुलना के रूप में यह हो सकता है कि प्रधानमन्त्री ने इस कानून से प्रभावित होने वाले समुदाय के विचारों को अन्यों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया हो।

अब, महिलाओं के बारे में हम काफी सुन चुके हैं।

एक माननीय सदस्य : इस देश में कोई भी मुस्लिम चुनाव क्षेत्र नही है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप ही केवल एक ऐसे व्यक्ति हों जो मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हों।

श्री ए० के० सेन : इस सभा के सामने इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय हमने कभी भी किसी चुनाव क्षेत्र अथवा किसी वोट के बारे में नहीं सोचा।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : तो आप यह दावा क्यों कर रहे हैं कि आप केवल मुसलमानों की तरफ से बोल रहे हैं।

श्री ए० के० सेन : ऐसा किसने कहा ? मेरे ख्याल से हमने ऐसा नहीं कहा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया टीका-टिप्पिणियों नहीं। आप एक गलत आदत डाल रहे हैं।

श्री ए० के० सेन : मैंने तो केवल यह कहा था कि इस कानून का प्रभाव एक खास समुदाय पर पड़ेगा और उस समुदाय के दृष्टिकोण का हमारे निर्णय पर प्रभाव पड़ना चाहिए तथा एक धर्म-निरपेक्ष लोकतन्त्र में इस समस्या के प्रति ऐसा ही दृष्टिकोण होना चाहिए।

अब महोदय, यह कहा गया है कि हमने महिलाओं के बारे में विचार नहीं किया है। हमने क्या सोचा है ? सम्पूर्ण विषय महिलाओं को तलाक देने के बारे में है। यह सत्य है कि हमने गैर-तलाकशुदा महिलाओं के सम्बन्ध में नहीं सोचा है और वह इस अधिनियम के दायरे से बाहर हैं। हम आम महिलाओं के बारे में नहीं सोचते हैं। निस्सन्देह हम सभी को महिला मां के रूप में या बहन के या स्त्री के रूप में तथा मित्रों के रूप में, प्रिय हैं परन्तु यह विधेयक की विषय-वस्तु नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं नहीं जानता था कि इस प्रकार के मामले में आप ऐसी टीका-टिप्पणियां करेंगे।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : यह ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि वे बैठक में बैठे हों। यह संसद है जो देश का सबसे बड़ा मंच है।

श्री ए० के० सेन : इसमें कुछ परिहास जैसी चीज है। अगर यह विषय किसी सदस्य की जानकारी में नहीं है तो मैं इसमें उनकी सहायता नहीं कर सकता। अब महोदय, आमतौर पर महिलाओं के प्रति सहानुभूति सम्बन्धी विषय इस विधेयक की विषय-वस्तु बिल्कुल नहीं है। हम महिलाओं के तलाक तथा उनके जीवन की विभिन्न अवधियों के दौरान उनके भरण-पोषण की व्यवस्था एवम् कतिपय आकस्मिकताओं, जो उत्पन्न हो सकती हैं, से सम्बन्धित विषयों तक सीमित हैं अर्थात् उन अवधियों में जिसमें, उनके भरण-पोषण की जिम्मेदारी जिनपर हैं वे भरण-पोषण नहीं करते हैं तो समाज को उनकी जिम्मेदारी उठानी होगी। यह मुस्लिम कानून को हमारे समझने के अनुसार है। यह सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टिकोण से भिन्न हो सकता है। हम गुण-दोषों पर विचार नहीं कर रहे हैं। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उद्धृत किया गया है, जैसा कि "सूरा बकर" की आयत 241 मात्र यह कहती है, गरीब तलाकशुदा महिला का भरण-पोषण करना नेक व्यक्ति का कर्त्तव्य है। अब मुस्लिम विद्वानों के अनुसार नेक व्यक्ति का मतलब समुदाय से है न कि तलाकशुदा महिला के पति से। उसके भरण-पोषण की जिम्मेदारी सम्पूर्ण समुदाय पर है। अतः हमने उपबंध किया है कि कतिपय हालातों में गरीब तलाकशुदा महिला का भरण-पोषण करने की जिम्मेदारी उसके परिवार के कतिपय सदस्यों और उनकी असमर्थता में समुदाय की है। मेरे विचार में मुस्लिम कानून महिलाओं के प्रति सहानुभूति की भावना को भी व्यक्त करता है। इन शब्दों के साथ मेरा नम्र निवेदन हैं कि प्रस्तावों को पारित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उन मुस्लिम स्त्रियों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए जिनका उनके पति द्वारा विवाह-विच्छेद हो गया है या जिन्होंने अपने पति से विवाह-विच्छेद कर लिया है और उससे सम्बद्ध और उसके अनुषंगी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : तो, मैं सभा भवन से बाहर जा रहा हूं।

(तत्पश्चात् श्री सी० जंगा रेड्डी सभा भवन से बाहर चले गए।)

श्री ए० के० सेन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.50 म० प०

रावी-ब्यास जल न्यायाधिकरण विधेयक

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मुझे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कृषकों द्वारा रावी-ब्यास प्रणाली से, जैसी वह 1 जुलाई, 1985 को थी, दावा किए गए जल के प्रयोग की और उपयोग के प्रयोजनों के लिए, उपयोग किए गए जल की मात्रा के सत्यापन के लिए और उनके शेष

जल में हिस्से की बाबत पंजाब और हरियाणा के दावे के न्याय निर्णयन के लिए अधिकरण के गठन का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कृषकों द्वारा रावी-व्यास प्रणाली से, जैसी वह 1 जुलाई, 1985 को थी, दावा किए गए जल के प्रयोग की और उपयोग के प्रयोजनों के लिए, उपयोग किए गए जल की मात्रा के सत्यापन के लिए और उनके शेष जल में हिस्से की बाबत पंजाब और हरियाणा के दावे के न्याय निर्णयन के लिए अधिकरण के गठन का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

———

3.51½ म० प०

रावी-व्यास जल न्यायाधिकरण अध्यादेश, 1986 के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं रावी-व्यास जल न्यायाधिकरण अध्यादेश, 1986 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं ।

———

3.52 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) सभी कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य में लगभग 25% की वृद्धि करने की मांग

श्री के० रामचन्द्रन रेड्डी (हिन्दूपुर) : श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, किसानों को अपने उत्पाद के लिए अलाभकारी मूल्य मिलने के कारण बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । किसानों की दशा अत्यन्त खराब है । जब उन्हें आवश्यक वस्तुएं खरीदनी होती हैं तो ऊंचे मूल्य चुकाने पड़ते हैं । जब वे अपनी उत्पादित वस्तुएं बेचते हैं तो उन्हें कम मूल्य मिलते हैं । मिट्टी के तेल, पेट्रोलियम पदार्थ और खाद के मूल्यों में वर्तमान वृद्धि ने खेती की निवेश सामग्री के मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि कर दी है । गेहूं और चावलों के मूल्यों म तुलनात्मक दृष्टि स वृद्धि बहुत कम है । अन्य कृषि उत्पादों के मूल्य वही रहे हैं । वर्तमान मूल्य वृद्धि ने किसानो को आर्थिक रूप से अपग कर दिया है । कृषि उत्पाद के लिए समर्थन मूल्य बहुत कम रखा गया है और इस मूल्य में जोखिम तथा किसानों, जो रात-दिन कार्य करते हैं, की कठिनाइयों को सम्मिलित नही किया गया है । अब तो केन्द्रीय सरकार को अविलम्ब

सभी कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य में 25 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की जानी चाहिए और किसानों को आर्थिक विपत्ति से बचाया जाए।

3.53 म० प०

(श्री एन० वेंकटरत्नम पीठासीन हुए)

(दो) पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए केरल के उत्तरी भाग का विकास करने की मांग

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानोर) : श्रीमान् केरल राज्य में पर्यटन में वृद्धि की बहुत अधिक सम्भावनाएं हैं जिसका अभी तक लाभ नहीं उठाया गया है। उत्तरी केरल के आधे भाग के बारे में, जो कि भारत के पर्यटक मानचित्र से बिल्कुल कटा हुआ है, यह बात बिल्कुल स्पष्ट होती है।

केरल अपनी बहुत लम्बी तटीय सीमा, अनेक नदियों, पश्चजल और उष्णकटिबंधीय वनों जैसे साइलेन्ट, वेली और वेनाड के हरे-भरे क्षेत्रों, दुर्लभ पशु-पक्षियों और अनेक ऐतिहासिक मंदिरों तथा स्थानों के कारण यह राज्य पर्यटन का मुख्य आकर्षण है। फिजासी राजा के जन्म-स्थान और कुन्हाली मशवकर, जो विदेशियों के विरुद्ध लड़ा, वह स्थान जहा पुर्तगाली नाविक वास्को-डी-गामा पहली बार भारत में आया, बहुत सारे किलों इत्यादि राज्य स्तर पर और केन्द्रीय स्तर पर पर्यटन विभाग द्वारा नजरअन्दाज किया गया है।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि मालाबार के मन्दिरों की कला जैसे थैय्याम और थइं और युद्ध कला जैसे कैलारीपेयाटू पर्यटकों का निश्चित रूप से मन मोह लेंगे।

उत्तरी केरल में सबसे अच्छा आयुर्वेदिक इलाज उपलब्ध है और आज की दुनिया में इसे ढंग उपचार की प्रसिद्धता, निःसंदेह बाहर से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करेगी।

उक्त सब बातों के बावजूद यह देखकर बहुत दुख होता है कि इस क्षेत्र में पर्यटन कार्य का कोई विकास नहीं हुआ है। यह बहुत उपयुक्त है जब मंत्रालय को केरल के इस भाग में पर्यटन को विकसित करने के लिए आगे आना चाहिए।

(तीन) स्थानीय लोगों को लाभकारी रोजगार प्रदान करने के लिए बिहार के मधुबनी जिले में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने की आवश्यकता

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : उत्तरी बिहार के मिथिला क्षेत्र का मधुबनी जिला औद्योगिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यद्यपि कच्चा माल जैसे आम, सब्जियों, गन्ना, पटसन, चावल, भूसी, चावल का छिलका और दूसरे कृषि उत्पाद वहां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं फिर भी अभी तक उस क्षेत्र में कोई कारखाना नहीं लगाया गया।

पहले वहां कुछ चीनी के कारखाने लगाए गए थे लेकिन वे बहुत वर्षों तक बन्द रहे हैं। परिणामस्वरूप बहुत से स्थानीय श्रमिक काम की तलाश में कहीं और चले जाते हैं।

बहुत कम मूल्यों पर स्वादिष्ट आम यहां उपलब्ध हैं। खाद्य एवं पूर्ति मन्त्रालय द्वारा आम पर आधारित उद्योग लगाए जा सकते हैं जो बहुत से लोगों को रोजगार दे सकते हैं।

उपर्युक्त कच्चे माल के आधार पर दूसरे कारखाने भी वहां लगाए जा सकते हैं। इसलिए मैं भारत सरकार से मधुबनी राज्य में जल्दी से जल्दी कारखाने लगाने का अनुरोध करूंगा जिससे स्थानीय लोगों को लाभप्रद रोजगार प्राप्त हो सके।

(चार) उड़ीसा में उद्योगों तथा लघु एककों को कोयले की पर्याप्त सप्लाई की व्यवस्था करने की आवश्यकता

श्री अनन्त प्रसाद सेठी (भद्रक) : उड़ीसा राज्य में उद्योगों को चलाने के लिए ग्रेड ए और बी किस्म के कोयले की बहुत कमी है इस कोयले की दैनिक आवश्यकता 562 वैगन है। इस प्रकार 2500 वैगन प्रति माह बनते हैं। इस आवश्यकता को तालचेर कोयला खानों से पूरा किया जाता है जबकि वहां का उत्पादन 45 वैगन अथवा लगभग 1500-1600 वैगन प्रति माह है। इसके परिणामस्वरूप राज्य में अधिकांश उद्योग अपनी क्षमता से कम उत्पादन करने पर मजबूर हो रहे हैं। कुछ बन्द हो गए हैं और विशेषरूप से दो बड़ी इकाइयां जैसे उड़ीसा टैक्सटाइल मिल, टीटागढ़ पेपर मिल, चौदवार बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इस रीति से कारखानों के उत्पादन में काफी कमी हुई है। यह एक बहुत ही उपर्युक्त समय है जबकि दशा को शांत करने के प्रबन्ध किए जायें।

अब उड़ीसा में लगाए गए लघु नए उद्योगों के सामने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड से, जो कोकिंग कोल इण्डिया लि० का सहायक उपक्रम है, से हार्ड कोक सम्बन्धी अपनी आवश्यकता पूरी करने हेतु कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड नई इकाइयों को नियमित रूप से हार्ड कोक देने का प्रबन्ध नहीं कर पाया है। लेकिन प्रतिमाह के हिसाब से व्यवस्था करना पसन्द करता है जिससे अनिश्चितता का वातावरण रहता है और प्रतिमाह के आधार पर सप्लाई नहीं हो पाती जिससे लघु उद्योगों के कार्य में रुकावट और समय-समय पर उन्हें हानि होती है। यह आवश्यक है कि नए उद्योगों को हार्ड कोक नियमित रूप से प्राप्त हो। इसलिए मैं भारत सरकार से लघु उद्योग को संकट से बचाने के लिए तुरन्त प्रभावी कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

(पांच) कालीकट/बेपोर पत्तन पर बेकार श्रमिकों को रोजगार देने के लिए कोचीन, मंगलौर और तूतीकोरिन पत्तनों से पोतों को कालीकट/बेपोर पत्तन में भेजने की मांग

डा० के० जी० अदियोडी (कालीकट) : कालीकट/बेपोर पत्तन देश के सबसे पुराने पत्तनों में से एक है। हाल ही में इस पत्तन में सुधार करने के लिए विशेष रूप से गाद आदि की सफाई के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं।

इस पत्तन में अब जहाजों से माल उतारा जा सकता है जबकि यह भी पता चला है कि कोचीन, मंगलौर और तूतीकोरिन पत्तनों पर जहाज प्रतीक्षा में खड़े हैं। मेरा अनुरोध है कि बेरोजगार मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए कुछ जहाजों को अविलम्ब कालीकट/बेपोर पत्तन पर भेजा जाए।

[हिन्दी]

(छः) राजस्थान सरकार को सूखे की गम्भीर स्थिति से निपटने के लिए पांच सौ करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की मांग

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, अपर्याप्त एवं अनिश्चित वर्षा के कारण सम्पूर्ण राजस्थान में इस वर्ष भयंकर अकाल की स्थिति का सामना करना है। पिछली सात शताब्दियों में ऐसा अकाल कभी नहीं पड़ा। पिछले पांच वर्षों में यह चौथा अकाल है।

राजस्थान प्रान्त के सभी जिलों में 33000 ग्रामों में 28000 ग्राम जिनकी आबादी 2 करोड़ और तीन करोड़ है, मवेशी.भयंकर अकाल से प्रभावित हैं ।

राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को प्रतिवेदन के द्वारा अकाल से निपटने के लिए 580 करोड़ रुपये की मांग की थी जिसमें 350 करोड़ रुपये राहत कार्य खोलने, 50 करोड़ रुपये पशु धन संरक्षण, 20 करोड़ रुपये पोषण कार्यक्रम तथा 10 करोड़ रुपये औजारों एवं अन्य पीने के पानी, रिग्स और टैंकरों के लिए मांग की थी जिसमें सिर्फ 71 करोड़ रुपये जिनमें से अधिकांश एडवांस प्लान के स्वीकृति किए, जो कि अपर्याप्त है ।

राज्य में राज्य के सीमित साधनों के कारण अपर्याप्त राहत कार्य खुले हैं जिसके कारण भुखमरी की स्थिति पैदा हो रही है । राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पीने के पानी का संकट छाया हुआ है ।

अभी संकट के दिन मार्च से 15 जुलाई तक होंगे जिनमें अधिक लोगों को रोजगार नहीं दिया तो वे कई बीमारियों से ग्रसित होकर मृत्यु के शिकार होंगे । यदि पशुओं के लिए पर्याप्त चारा एवं पशु आहार का प्रबन्ध नहीं किया तो वे भी हजारों की संख्या में मृत्यु के शिकार होंगे ।

सातवें एवं आठवें वित्त आयोग ने ऐसी विशेष परिस्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा शत-प्रतिशत अनुदान राज्यों को देने की सिफारिश की है । अत: केन्द्र सरकार से पुरजोर निवेदन है कि वे अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष सहायता के रूप में 500 करोड़ राज्य सरकार को प्रदान करें जिससे वह अकाल का मुस्तैदी से मुकाबला कर सकें ।

(सात) लागत में वृद्धि से बचने के लिए बड़ी परियोजनाओं का काम समय से पूरा करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, देश में सरकारी क्षेत्र की 23 बड़ी परियोजनाओं, बिजली, कोयला, इस्पात, सीमेंट, रेल और परमाणु ऊर्जा जैसी परियोजनाओं में देरी होने के कारण लागत दुगुनी और डेढ़ गुनी हो गई है । बिजली परियोजनाओं को पूरा किए जाने में औसतन 10-11 साल लग रहे हैं और सरकारी निवेश का बड़ा भाग बिजली योजनाओं में लगता है और सिंचाई योजनाओं में तो बीस साल तक ले लिए जाते हैं । मूल लागत दुगुनी हो जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं—रामागुंडम में दो सुपर थर्मल बिजली स्टेशन, फरक्का परियोजना, बोकारो थर्मल स्टेशन, सलाल परियोजना दुलहस्ती और विशाखापटनम रिफाइनरी विस्तार परियोजनाएं, मूंघी, बीना और राजमोलू कोयला परियोजनाएं और नेमवली द्वितीय बिजली उत्पादन परियोजना । इसका मूल कारण सरकारी फैसलों में केन्द्रीयकरण के बढ़ने का है । अधिकार देने के साथ प्रबन्धकों को जवाब देय बनाए बिना यह हालत सुधरने वाली नहीं है । मगर अफसरशाही अधिकार बांटना नहीं चाहती और राजनीतिक नेतृत्व भी इनका साथ देती है । इसलिए 23 सरकारी परियोजनाओं की लागत नियोजन से दुगुनी करने के लिए सरकारी कर्मचारी जिम्मेदार हैं । जैसे कि नाथपा झाखरी परियोजना 12 वर्षों से अधर में लटकी हुई है । इसकी अनुमानित लागत भी कई गुणा बढ़ चुकी है । 1974 में जब इसका खाका तैयार किया गया था तो अनुमानित लागत 2 अरब

54 करोड़ रुपए थी और 1986 में यह 14 अरब आंकी गई है तथा अभी तक यह परियोजना नक्शों और फाइलों तक ही सीमित है।

सरकार ने कार्यान्वियन मंत्रालय बना दिया है, मगर अभी वह मंत्रालय ठीक से गठित भी नहीं हो पाया है। प्रशासन में चुस्ती और मुस्तैदी अभी भी महज एक नारा है। इसलिए मैं कार्यान्वियन मन्त्री का ध्यान इस महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं।

[अनुवाद]

(आठ) चाय बागानों के वित्त पोषण के सम्बन्ध में यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया को अपनी नीति उदार बनाने के अनुदेश देने की आवश्यकता

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) : ऐसा कहा जाता है कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा 1986 के मौसम में चाय बागानों को वित्त देने के बारे में अचानक नियम कड़े कर देने से अपर आसाम, कछार, दोआर्स, तराई और दार्जिलिंग में बड़े चाय बागानों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है और इसके परिणामस्वरूप कुछ चाय बागानों, विशेष रूप से दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों में श्रमिकों को कई सप्ताहों से मजदूरी और वेतन और राशन नहीं मिल रहा है। चाय बागानों की खेती पर बहुत बुरा असर पड़ा है और खेती के काम आने वाली आवश्यक सामग्री की सप्लाई भी बन्द कर दी गई है। इस स्थिति से चाय बागान के श्रमिकों, नियोजकों और अन्य सम्बन्धित लोग बहुत चिंतित हैं। ऋण देने के मानदण्ड में किए गए परिवर्तन के अनुसार यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया ने यह व्यवस्था की है कि ऋण लेने वाले और पंजीकृत तथा मान्यता प्राप्त दलालों द्वारा रजिस्टर किए गए स्टॉक के मूल्यांकन को अस्वीकार करने वाले चाय बागान 25% अतिरिक्त राशि का निवेश करें जबकि अन्य बैंकों ने यह राशि 15% निर्धारित की है। बैंक ने दार्जिलिंग में भारत सरकार द्वारा रुग्ण चाय बागानों, जिनसे सभी विकास कार्यों में बाधा पहुंच रही है, के पुनः उद्धार के लिए स्वीकृत दीर्घकालीन विकास योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए राशि देने से इंकार कर दिया है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वह सम्बन्धित बैंक को अपनी नीति उदार बनाने के लिए कहे और यह सुनिश्चित करे कि चाय बागानों का कार्य ठीक चलाने के लिए उन्हें पर्याप्त धन दिया जाए।

मैं सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में सभा में वक्तव्य दें।

4.00 म० प०

(नौ) गुजरात में सूखे की गम्भीर स्थिति से निपटने के लिए उपचारात्मक उपाय करने की आवश्यकता

श्री एम० अहमद पटेल (भड़ौच) : गुजरात राज्य में कई जिलों में विशेष रूप से सौराष्ट्र और उत्तरी गुजरात में सूखे के कारण गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है। इससे राज्य की लगभग आधी जनसंख्या प्रभावित हुई है। नदियां और तालाब सूख गए हैं। बड़े टैंकों, बांधों और सरोवरों में पानी तेजी से सूख रहा है। वर्षा की अनिश्चितता के कारण स्थिति और खराब हो गई है। गांवों में रहने वाले किसान इससे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। वहां फसल और चारा उपलब्ध नहीं है। पशु मर रहे हैं। वहां से काफी संख्या में लोगों के दूसरे राज्यों में चले जाने की सम्भावना है।

राज्य सरकार वहां पानी और चारे की सप्लाई के लिए अपनी ओर से भरसक प्रयत्न कर रही है। वे तालाबों और परिवहन वाहनों की व्यवस्था कर रही है। इसने रेलवे मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वह विशेष टैंकर गाड़ियां चलाएं। इसने केन्द्रीय सरकार से भी अधिकतम वित्तीय सहायता देने और चारे आदि की सप्लाई करने की मांग की है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह तुरन्त निम्नलिखित मांगों पर विचार करे जिससे सूखे की स्थिति से निपटने में काफी सहायता मिलेगी :—

1. रेलवे मंत्रालय सूखा प्रभावित क्षेत्रों में यथासम्भव अधिक संख्या में टैंकर सप्लाई करे जैसा कि हाल ही में मद्रास में किया गया था।

2. पानी के वितरण की सुविधा के लिए रक्षा के कोटे से टैंकर उपलब्ध कराए जाएं।

3. भूमिगत पानी निकालने के लिए रिग सप्लाई किए जाएं।

4. भारतीय खाद्य निगम के पास पड़ी खाद्य सामग्री जो कि खराब हो रही है राज्य सरकार को रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाए ताकि चारे की कमी को पूरा किया जा सके।

5. वहां की समस्याओं का पता लगाने और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया जाए।

6. राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें 342 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की जाए। वर्तमान सूखे को गम्भीर प्राकृतिक आपदा मानकर राज्य सरकार को शत-प्रतिशत सहायता उपलब्ध कराई जाए।

———

4.05 म० प०

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब श्री एडुआर्डो फैलीरो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखेंगे।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये :—

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य, राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 20 फरवरी, 1986 को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके आभारी हैं"।"

अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय क्रियाकलापों के विभिन्न क्षेत्रों का व्यापक मूल्यांकन किया

है। उन्होंने वास्तव में राष्ट्र की स्थिति हमारे समक्ष रखी है और उन्होंने विशेष रूप से आर्थिक, राजनैतिक और विदेशी नीति के पहलुओं पर विचार किया है। अतः मैं अपना वक्तव्य राष्ट्रपति के अभिभाषण के उस अंश अर्थात आर्थिक पहलू से शुरू करूंगा, जिस पर उन्होंने सबसे अधिक देर तक बोला।

इस सभा में हुई अन्तिम चर्चा के सम्बन्ध में ही मैं आगे कह रहा हूं और वह उस चर्चा का एक पहलू यह भी था कि देश इस समय आर्थिक संकट से गुजर रहा है। पिछले एक वर्ष की इस सरकार की नीतियां, जिनकी वास्तव में राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में प्रशंसा की है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीतियों, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनेक संकल्पों में स्पष्ट की गई थी, की पुनरावृत्ति है और इन नीतियों को 1947 से विभिन्न कांग्रेसी सरकारें क्रियान्वित कर रही हैं। इन नीतियों के कारण यह देश 1947 के उन दिनों, जब देश में लोग भूख से मर रहे थे, की स्थिति से वर्तमान स्थिति तक पहुंचा है जबकि हम यह कहने में गर्व महसूस करते हैं कि इसका श्रेय इस सरकार को है कि हम गरीबी, भूख और यहां तक कि छठे दशक, जब कि हम आयात किए गए खाद्यान्न पर निर्भर करते थे, से अब एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जब कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध है। इस समय हम इन वस्तुओं का निर्यात करने में समर्थ है जिनके लिए 30 वर्ष पहले तक हमारे लोग तरसते थे।

इस सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीतियों को दोहराया है। इस सरकार की वही नीतियां हैं, जिन्हें वह बड़े उत्साह से चला रही है, जिनके प्रति वह वचनबद्ध है तथा इनके कार्यान्वयन के लिए उनमें समर्पण की भावना है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ही इस बात पर ध्यान दिया कि हमारी औद्योगिक स्थिति में, जो स्वतंन्त्रता के समय ऐसी थी कि हमें इंगलैंड और अन्य देशों से आलपीनों और सुइयों तक का आयात करना पड़ता था; आज इतना सुधार हुआ है कि विश्व में हमारा देश 10वां बड़ा औद्योगिक राष्ट्र है। हम वायुयान बना रहे हैं, हम अत्याधुनिक मशीनरी का निमाण कर रहे हैं। अतः वास्तव में हमारी स्थिति किसी भी विकासशील देश के सामने अद्वितीय है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और पिछले 30 वर्षों से अधिक समय तक, तीन वर्ष के शासनांतराल को छोड़कर जिसकी बात हम बाद में करेंगे, सत्ता में रही कांग्रेस सरकारों की यह उपलब्धि रही। कांग्रेस सरकार ने यह उपलब्धि जनता के हर वर्ग विशेष रूप से सर्वाधिक उपेक्षित वर्गों की समृद्धि और कल्याण के रास्ते पर चलकर और संसदीय लोकतन्त्र में आत्मनिर्भरता के कठिन और संकीर्ण राह पर चलकर प्राप्त की।

ये उपलब्धियां छोटी नहीं हैं। ये उपलब्धियां इन्हें अच्छे मानसून और मौसम के कारण प्राप्त नहीं हुई। हरित क्रांति की सफलता का कारण यह नहीं है कि भगवान ने कुछ वर्षों या कुछ मौसमों में हमारे ऊपर कृपा की है। हरित क्रांति से हमारे देश का नाम विश्व के कृषि मानचित्र में आ गया है, हरित क्रांति, जिसका अध्ययन विश्व के प्रत्येक कृषि विश्वविद्यालय में किया जाता है, कृषि क्षेत्र में एक चमत्कार है और विशेष रूप से सभी विकासशील देशों में इस नीति का अनुसरण किया गया है ताकि कृषि क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त की जा सके। हरित क्रांति हमारा आधारभूत ढांचा तैयार करने और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने के लिए किए गए सम्मिलित, गहन और सर्वांगी प्रयासों का ही परिणाम है।

इसके परिणामस्वरूप ही हमारे खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई है। 1950-51 में प्रथम योजना

के समय हमारा खाद्य उत्पादन 158 लाख टन था जो बढ़कर अब 1462 लाख टन हो गया है। यह 1984-85 के आंकड़े हैं। यह अभूतपूर्व सफलता उस आधारभूत ढांचे के कारण प्राप्त हुई जो इस देश में विभिन्न कांग्रेस सरकारों ने तैयार किया।

आप सिंचाई को लीजिए। 1950-51 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुरू में 226 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती थी जो कि 1984-85 में बढ़कर तीन गुना 605 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गयी। उर्वरक की खपत का अपना इतिहास है, जो कि असाधारण और अद्वितीय है। 1950-51 में इसकी खपत 70 लाख टन थी जो कि मात्र 20 वर्षों में 10 गुना से भी अधिक बढ़कर 820 लाख टन तक पहुंच गयी। जहां तक औद्योगिक उत्पादन का सम्बन्ध है, उसकी भी यही स्थिति है। 1950, 1947 की बात भूल जाइए। जैसा कि मैंने कहा हमारे देश में सुइयों और आलपिनों का भी उत्पादन नहीं हो रहा था। वर्ष 1960-61 में तीसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। 1970 को आधार वर्ष मानते हुए, 1960-61 में स्थिर कीमतों पर हमारे औद्योगिक उत्पादन की लागत 60 थी, 20 वर्ष पहले सूचकांक 60 था, 20 वर्षों में यह 183.4 तक पहुंच गया जो कि तीन गुना से भी अधिक है और पूरे विश्व में मन्दी के बावजूद ऐसा हुआ है। तेल के संकट, जिससे समूचे विश्व की अर्थ-व्यवस्था, विशेष रूप से विकासशील देशों की अर्थ-व्यवस्था पर बुरा असर पड़ा, के बावजूद यह उपलब्धि हुई। हमारे निर्यात के कोटे पर प्रतिबन्ध लगाने और विश्व के धनी देशों द्वारा विकासशील देशों पर प्रतिबन्ध लगाने के बावजूद हमें यह उपलब्धि हुई। ये सब उपलब्धियां अचानक या अपने आप नहीं मिली हैं। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नीति कितनी सफल रही इसका पता इससे चलता है कि यह सरकार उसी को कितने उत्साह से दोहरा रही है। इस रास्ते से हटना कितना खतरनाक है, यह 1977 से 80 के बीच हुए दुःखद और विनाशकारी अनुभव से स्पष्ट है। इन वर्षों के दौरान कृषि विकास दर क्या थी? 1979-80 में विपक्षी दल आपस में मिल गए और उनके शासन के कारण हमारी अर्थ-व्यवस्था का विनाश हुआ। उनके सत्ता से हटने के बाद कृषि विकास की क्या स्थिति थी? इसमें—4% तक कमी आई। औद्योगिक विकास में—2% कमी आई। अर्थ-व्यवस्था के कुल विकास में—5.3% कमी आई। हम सौभाग्य से तेजी से पुनः श्रीमती इन्दिरा गांधी के स्थिर, सक्रिय और महान नेतृत्व के अधीन कांग्रेस पार्टी की नीति को दोहरा रहे हैं, उनके नेतृत्व में हम इन्हें पूरा करने में समर्थ थे और अब हमारी विकास दर में 6.3% वृद्धि हुई है और इस तरह इस सरकार के उत्साह से जिसमें गतिशील युवक और पुरानी पीढ़ी के अनुभवी हैं, हमें सन्देह नहीं है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में अर्थ-व्यवस्था के विकास का लगभग 8% का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वह प्राप्त हो सकेगा।

पिछले एक साल में विशेष रूप से तथा उपलब्धि हुई है। मैं अधिक समय नहीं लूंगा पर कुछ प्रमुख क्षेत्रों के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए आर्थिक क्षेत्र में गत एक वर्ष के दौरान इस सरकार की उपलब्धि का उल्लेख करूंगा।

जहां तक विद्युत उत्पादन का सम्बन्ध है, यह 1984-85 में 15660 लाख यूनिट से बढ़कर 17000 लाख यूनिट हो गया है।

गैस का उत्पादन लाखों घन मीटर में उपभोगकर्त्ताओं द्वारा 1984-85 में—ऋण की तुलना में 1985-86 में बढ़कर 3,662 हो गया। इस अवधि के दौरान, कोयला उत्पादन 1474.40 लाख टन से बढ़कर 1545 लाख टन हो गया। ये कुछ संकेत हैं। इस सरकार के लिए इससे भी अधिक प्रभावशाली और कहीं अधिक महत्वपूर्ण गरीब और कमजोरों के लिए तथा गरीबी

हटाने के लिए किए गए उपाय हैं। इससे पता चलता है कि कांग्रेस की नीतियों पर न चलने पर इस देश के लोगों और अर्थ-व्यवस्था को कितना नुकसान होता है। 1977-78 में कांग्रेस पार्टी के सत्ता में न रहने के समय 48% जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे रह रही थी। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों में, बदलती कीमतों में अभी-अभी कहा गया कि मौजूदा कीमतों और आंकड़ों पर ग्रामीण क्षेत्रों में 6,400 रुपये सालाना आय तथा शहरी क्षेत्रों में सालाना 67,300 रुपये वाले परिवार आते हैं। जिस समय हम सत्ता से बाहर आए उस समय गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या 48% थी। दो-तीन सालों में—मेरे दाहिनी ओर बैठने वाले सज्जन गरीबों के बारे में जोर-शोर से बोलते हैं—उन्होंने गरीबों के लिए यह किया कि वे इस देश में गरीबों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि में सफल हो गए। और तीन सालों में ही, 1977 से 1979 तक या 1977-78 से 1979-80 तक जब वे गये—गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या अभूतपूर्व रूप में 48% से बढ़कर 52% हो गई। हमारी सरकार को तथा छठी पंचवर्षीय योजना में अपनाए गए गरीबी हटाओ उपायों को इसका श्रेय जाता है कि चार-पांच सालों में ही गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या अब चमत्कारिक रूप से घटकर 37% ही रह गई है। ये 1984-85 के आंकड़े हैं।

यह उपलब्धि किस प्रकार प्राप्त की? यह उपलब्धि सामान्यतया अर्थ-व्यवस्था के विकास के माध्यम से और विशेष रूप से इस देश में गरीबी का मुकाबला करने के लिए छठी पंच वर्षीय योजना में आरम्भ किये गये कार्यक्रमों और गरीबी हटाओ कार्यक्रमों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त की हैं। इसका श्रेय केवल कार्यक्रमों को ही नहीं जाता। इसका श्रेय तो कार्यक्रम के कार्यान्वियन को जाता है। हमें इस देश के शीर्षस्थ नेता प्रधान मन्त्री को बधाई देना चाहिए कि वह इन कार्यक्रमों के कार्यान्वियन को देखने के लिए देश के दूर-दराज स्थित क्षेत्रों में, मिट्टी और कीचड़ में चलकर गए। नेतृत्व अगर इस तरह का प्रेरणादायक, निष्ठापूर्ण और स्फूर्तिदायक रवैया अपनाता रहा तो हमारा भविष्य निश्चिय ही उज्ज्वल होगा। हमें लगता है कि इन कार्यक्रमों को निश्चिय ही सर्वाधिक सफलता मिलेगी।

गरीबी हटाओ कार्यक्रमों को किस तरह से और कितने कार्यकुशल ढंग से लागू किया जा रहा है, इसे बताने के लिए मैं योजना आयोग और भारत सरकार के केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा दिए गए आंकड़ों का उल्लेख करूंगा।

महोदय, छठी पंचवर्षीय योजना में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को ही लीजिये, 1984-85 के लिए 1,500 करोड़ रुपए निर्धारित किये गये थे लेकिन उपलब्धि लक्ष्य से कहीं अधिक हुई क्योंकि 1,76?.81 करोड़ रुपये अर्थात् 300 करोड़ रुपए अधिक व्यय किये गये। इसका परिणाम यह हुआ कि गरीबी की रेखा से ऊपर आने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। लक्ष्य एक सौ पचास लाख घरों का था। अर्थात् पांचवीं पंचवर्षीय योजना में न केवल 150 लाख को वास्तव में लाभ हुआ अपितु 15 या 15 से अधिक लाख और लोगों को भी लाभ हुआ। वास्तव में 805 अधिक या 165.62 लाख थे। यह कार्य निष्पादन वास्तव में बहुत बढ़िया है। सरकार के इस समय के कार्य-निष्पादन को देखते हुए, इसमें कोई सन्देह नहीं कि अगर इसी रास्ते को अपनाया गया तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जाएगा।

जहां तक मुझे ध्यान है—बहुत सालों में पहली बार राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के आरम्भ

में पंजाब का प्रश्न उठाया है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि पंजाब-असम समझौता करने के लिए सदन के सभी वर्ग इस देश की सरकार की प्रशंसा करने में मेरा साथ देंगे। यह महान राजनीतिज्ञों के कार्य हैं। प्रधान मन्त्री ने निजी अपार क्षति से ऊपर उठकर तथा देश की एकता और अखण्डता के प्रति आस्था दर्शाते हुए ऐसे समय में पंजाब का ऐतिहासिक समझौता किया जब विनाश के दूत कह रहे थे कि यह सफल नहीं होगा और पंजाब में स्थिति सामान्य नहीं होगी। हमने देखा कि एक प्रजातांत्रिक विकल्प अपनाया गया। हमने देखा कि विनाश दूतों के बावजूद असम और पंजाब में शान्तिपूर्वक चुनाव कार्य हुए।

यह सच है कि पंजाब की विधिवत् चुनी गई अकाली सरकार का बार-बार यही कहना है कि वह इस देश की एकता और अखण्डता मे आस्था रखती है। यह भी निसन्देह सच है कि उन्होंने खालिस्तान-समर्थक उग्रवादियों के नाम से जाने जाने वाले देश-द्रोहियों का विरोध किया है। लेकिन यह भी सच है कि पंजाब सरकार के कार्य उसके वायदों और वक्तव्यों को पूरा नहीं कर पाये। श्री बरनाला और अकाली सरकार के हाथ से समय निकला जा रहा है। उन सभी राजनैतिक ताकतों के हाथ से समय निकलता जा रहा है जो सोचते हैं कि हर परिस्थिति का एक राजनैतिक विकल्प है।

हम सभी के हाथ से समय निकला जा रहा है जो सोचते हैं कि 'बुलेट' (हथियार) पर 'बैलेट' की विजय के लिए हमेशा एक रास्ता होता है।

कहते हैं कि शान्ति अविभाजित होती है। देश के दूसरे हिस्सो में जो कुछ होगा उसका असर हम पर हमारे देश पर पड़ेगा। आज हम परमाणु विनाश के कगार पर बैठे जी रहे हैं। आर्थिक और राजनैतिक प्रगति से किसी को क्या मिलेगा, अगर विश्व का विनाश होने वाला है। परमाणु शीतकाल एक सम्भावना है। वस्तुतः वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे देश से चाहे कितनी भी दूरी पर परमाणु युद्ध हो, तो भी ऐसा होगा। अत इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। हम सबका कर्त्तव्य है कि हम सोवियत संघ के महासचिव श्री गोर्बाचोव द्वारा रखे गए शान्ति प्रस्तावों का स्वागत करें और आशा तथा कामना करें कि अमरीकी प्रशासन पर इन प्रस्तावों की सकारात्मक तथा रचनात्मक प्रक्रिया होगी।

विश्व तनाव को कम करने का जेनेवा सम्मेलन एक प्रमुख उपाय है। इससे बहुत प्रगति नहीं हुई है, लेकिन बहुत समय से रुकी पड़ी वार्ता का दौर पुनः शुरू हुआ है और यही एक प्रमुख उपलब्धि है। इस उपलब्धि का श्रेय वहां मौजूद दो पक्षों को ही नहीं जाता, बल्कि अमरीकी तथा सोवियत संघ नेतृत्व के अलावा वहां एक तीसरा पक्ष और भी था। वह तीसरा पक्ष अदृश्य था लेकिन इसके बावजूद इसने प्रमुख भूमिका निभाई। इस तीसरे पक्ष के बिना जेनेवा वार्ता नहीं हो सकती थी। और यह तीसरा पक्ष था विश्व जनमत—जो शांति चाहता है, जो तनाव में कमी चाहता है, जो अपने और अपनी भावी पीढ़ी के लिए एक सुरक्षित भविष्य चाहता है। इस विश्व जनमत को तैयार करने में, इस देश के प्रधान मन्त्री तथा विश्व भर की क्षेत्रीय ताकतों के पांच अन्य नेताओं ने इनमे से सैन्य कनाक के है—शान्ति और तनाव कम करने के ठोस प्रस्तावों के लिए यह पहल की। दक्षिण अफ्रीका के प्रश्न पर, खासकर नासाऊ सम्मेलन में प्रधान मन्त्री और भारत सरकार की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है, क्योंकि बहुत से ऐसे देश इस मामले में कठोर रवैया नहीं अपना रहे हैं जो दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद की नीति का विरोध करने के लिए तैयार नहीं है खासकर हमारे प्रधान मन्त्री की सद्भावना के कारण एक समझौते तक पहुंचा गया। हमारे पास महत्वपूर्ण लोगों का एक दल है जो दक्षिण अफ्रीका

के प्रश्न का शान्तिपूर्ण हल निकालने का प्रयास करेगा। हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि इसके विशिष्ट सदस्यों में एक भारतीय सरदार स्वर्ण सिंह भी हैं। बहरहाल मेरा विचार तथा विश्वास है कि पड़ोसी देशों के साथ हमारे सम्बन्धों तथा विदेश नीति के क्षेत्र में पिछले एक साल में इस सरकार का योगदान बहुत महत्वपूर्ण और अद्वितीय रहा है। स्वतन्त्रता के बाद कभी यह उपमहाद्वीप उतना तनावरहित नहीं रहा तथा यहां मित्रता का ऐसा माहौल नहीं बना या बनाने का प्रयास नहीं किया गया, जितना कि इस समय है। बहरहाल पाकिस्तान के साथ हमारी समस्याएं हैं। पाकिस्तान के साथ समझौता करने में कठिनाई है। कठिनाई है क्योंकि पाकिस्तान का अल्पतन्त्र भारत से खतरा महसूस करता है। वह भारत से खतरा, उसके आकार, उसकी सैन्य शक्ति—पाकिस्तान पूरी तरह शस्त्रों से लैस है—के कारण महसूस नहीं करता। भारत पाकिस्तान के लिए खतरा है क्योंकि यह धर्म-निरपेक्ष देश है, क्योंकि यह प्रजातांत्रिक देश है और इस धर्म-निरपेक्ष प्रजातांत्रिक देश की नजरें पाकिस्तान पर हैं जो अपनी जनता को यह उपदेश देता रहा है और समझाने की कोशिश करता रहा है कि उप-महाद्वीप के देशों में सम्प्रदायिकता का तत्व है, वहां धर्म का शासन है, वहां तानाशाही है। पाकिस्तान के नेताओं की स्थिति यह है कि उनके देश की सीमा के साथ एक ऐसा देश है जो धर्म-निरपेक्ष है, पाकिस्तान की सीमा के साथ एक ऐसा विशाल देश है जो लोकतांत्रिक और संसदीय लोक-तन्त्र के प्रति वचनबद्ध है और एक ऐसा विशाल देश है जिसका सारे विश्व में आदर किया जाता है। मैं यहां यह बात कह दूं कि पिछली जनवरी में संयुक्त राष्ट्र संघ में ऐसे देशों का एक सर्वेक्षण किया गया जो विश्व के मत को अधिक प्रभावित कर सकते हैं, और परिणाम था कि संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, और तीसरे स्थान पर भारत ऐसा देश है जिसका विश्व में आदर-मान है, एक ऐसा देश जिसका अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में आदर किया जाता है। यह सचमुच पाकिस्तान के शासक गुट को खतरा है। वह किस प्रकार अपनी जनता को यह विश्वास दिला सकते हैं कि एक धर्म तान्त्रिक शासन भी चल सकता है जबकि सीमा के पार धर्म-निरपेक्ष क्षेत्र है? वह अपनी जनता को कैसे विश्वास दिला सकते हैं कि तानाशाही और सेना की तानाशाही बहुत आवश्यक है, जब सीमापार भारी समस्याओं के होते हुए भी 30 वर्ष से भी अधिक समय से हमने संसदीय लोकतन्त्र चलाया है? उन्हें इसी की आशंका है। उन्हें विश्व के इस भाग से केवल इस बात का भय है। भारत-पाकिस्तान वार्ता के दौरान हमारी प्रतिक्रिया और हमारे उत्साह के अनुरूप उनकी भी प्रतिक्रिया होनी चाहिए—पाकिस्तान के नेताओं के वक्तव्य और कार्य भी उसी प्रकार के होने चाहिए। और जहां हमें इस प्रकार की पहल के कार्य में प्रतिक्रिया को जांचते हैं, वहां हमें पाकिस्तान के लोगों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने चाहिएं क्योंकि इस देश में एक विशाल चुनाव-क्षेत्र है और इतना ही बड़ा चुनाव-क्षेत्र पाकिस्तान में भी है—हमारे दो देशों के बीच शान्ति, सहयोग, मैत्री का क्षेत्र। हमारी बहुत सी बातें एक-जैसी हैं। हमारा इतिहास एक जैसा है, हमारी सांस्कृतिक परम्परा एक जैसी है और हमारी आपस में मैत्री होनी चाहिए, हमें दोनों देशों की खुशहाली के लिए जीना चाहिए जो वास्तव में कई मामलों में एक जैसे हैं। पिछले एक वर्ष में यह गतिशील सरकार राष्ट्र-निर्माण के कार्य में बहुत आगे बढ़ गई है। इस देश के इतिहास में बहुत सी चुनौतियां आई हैं, और चुनौतियां आने वाले पांच वर्षों, दस वर्षों, एक शताब्दी तक आती रहेंगी किन्तु आवश्यकता इस बात की है कि इस देश की जनता एक हो। इस बात का कोई महत्त्व नहीं है कि क्या कोई व्यक्ति किसी ऐसे वर्ग से सम्बद्ध हैं जो जनसंख्या का 80 प्रतिशत है अथवा ऐसे वर्ग से जो जनता का दस अथवा दो प्रतिशत है। प्रश्न लोगों की संख्या का नहीं है, प्रश्न तो राजनीतिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता और अखण्डता का है। हम एक दल से सम्बद्ध हो अथवा दूसरे दल से, हमें किसी भी धर्म पर विश्वास हो अथवा न हो, हम सभी देशभक्त हैं, हम सब भारत

माता के बच्चे हैं, और भारत माता हम सब को एक-जैसा प्यार देती है। किसी को भी इस बात पर सन्देह नहीं होना चाहिए कि कुछ ऐसी शक्तियां कार्य कर रही हैं जिनका उद्देश्य केवल हमारी एकता को भंग करना है। धार्मिक कट्टरता बढ़ती जा रही है। धार्मिक कट्टरता, स्पष्ट रूप में फासिज्म का एक क्रूर और घिनोना संस्करण है। धार्मिक कट्टरता फासिज्म है। वे समाज-विरोधी तत्त्व हैं और उनको ऐसी ही सजा भी मिलनी चाहिए। आने वाले कार्यों को पूरा करने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि इस देश के लोगों को इस देश के धर्म, भाषा, जाति अथवा क्षेत्र का विचार किए बिना मिलकर काम करना चाहिए। हमें एकीकृत राष्ट्रीय शक्ति को निश्चित रूप देना चाहिए। हमें ऐसे अनावश्यक टकरावों में नहीं पड़ना चाहिए जो राष्ट्रीय शक्ति को मिटा देंगे। यदि हम संगठित हैं तो निश्चित रूप से हम जीत जाएंगे और निस्सन्देह हम अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्धि, शान्ति और समन्वय का वातावरण स्थापित करेंगे। हम निस्सन्देह अपनी सारी कठिनाइयों पर विजय पाएंगे। धन्यवाद।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समवेदन प्रस्तुत किया जाये :—

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य, राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 20 फरवरी, 1986 को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके आभारी हैं"।"

—अब श्री जैनुल बशर प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगे।

[हिन्दी]

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : सभापति जी, मेरे मित्र श्री फैलीरो ने जो प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

सभापति जी, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में पिछले वर्षों में सरकार द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की है और आने वाले वर्ष में सरकार द्वारा किए जाने वाले कामों की रूपरेखा प्रस्तुत की है। राष्ट्रपति जी ने सबसे पहले अपने अभिभाषण में देश के सामने कुछ चुनौती भी रखी है। उन्होंने इशारा किया है उन राष्ट्र विरोधी ताकतों की तरफ जो फिर से संगठित होकर इस देश में विघटन की कार्यवाही करने जा रही हैं। हमें अच्छी तरह से मालूम है कि राष्ट्र विरोधी ताकतें हमेशा इस देश में सक्रिय रही हैं। ऐसी ताकतें, ऐसी शक्तियां चाहे वे किसी लिबास में हों, राजनीतिक लिबास में भी हों, उन्होंने भारत के हितों को नुकसान पहुंचाया है।

सभापति जी, सन् 1971 और 1977 के बीच का समय अच्छी तरह से हमें याद है जबकि आन्दोलनों से सरकार का तख्ता पलटने की कोशिश की गयी थी। उस समय यह प्रयास हिंसा का रूप तो नहीं ले पाया था, लेकिन सड़कों पर बड़े पैमाने पर विधि के अनुसार गठित सरकार को हटाने के लिए, विधि के अनुसार और संविधान के अनुसार चुने गये विधान सभा और संसद् के सदस्यों से त्यागपत्र लेने की कोशिश इस देश में हुई और यह कोशिश बराबर जारी रही। सन् 1980-85 के बीच इन प्रयासों ने हिंसा का रूप ले लिया। सन् 1980 के चुनाव जब हम लड़ रहे थे, तो उस समय तमाम जगहों पर चुनाव हो रहे थे, लेकिन आसाम में आग लगी हुई थी। वहां पर चुनाव

कराना असम्भव हो गया। वहां पर कुछ ताकतें राष्ट्र-विरोधी कार्यों में लगी हुई थीं, राष्ट्र विरोधी कार्य कर रही थीं। सन् 1980-85 के बीच में आसाम की आग को किसी तरह से बुझाने का प्रयास किया गया, तो उसी समय पंजाब में आग लग गई। पंजाब में साम्प्रदायिकता के आधार पर ऐसी ताकतों ने संगठन बनाया और वहां हिंसा का नंगा नाच शुरू हुआ। हिंसा का एक ऐसा नंगा नाच शुरू हुआ जो पंजाब को देश से अलग करने का प्रयास कर रहा था।

गोल्डन टेंपिल जैसे पवित्र स्थान के एक युद्ध-किले के रूप में बदला गया और वहीं से सारी अशांति और हिंसा फैलाने वाली कार्यवाहियां शुरू की गई। पंजाब में भले आदमी का जीवन सुरक्षित नहीं रह गया था। पंजाब की अर्थ-व्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा गई थी और ऐसा लगता था कि पंजाब में जो आग लगी है, वह कुछ करिश्मा करके दिखाएगी, लेकिन हमारी सरकार ने पंजाब की स्थिति का दृढ़ता से मुकाबला किया। सरकार ने पंजाब की स्थिति पर काबू पाने के लिए, न चाहते हुए भी मजबूती के साथ कदम उठाए और उसकी कीमत हमको बहुत भारी और महंगी अदा करनी पड़ी। हमारी लोकप्रिय प्रधानमन्त्री, हमारी पार्टी और देश की ही नहीं, दुनिया की एक महान नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी को देश की एकता और अखण्डता बनाए रखने के लिए, पंजाब में शांति स्थापित करने के प्रयास में अपना बलिदान देना पड़ा, अपनी कुर्बानी देनी पड़ी, शहादत देनी पड़ी।

उस वातावरण में एक नवयुवक कन्धे पर देश का भार सौंपा गया। दिसम्बर, 1984 में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, उस समय भी देश के दो प्रांतों—पंजाब और असम में लोकसभा के चुनाव नहीं हो रहे थे। यह सारी समस्यायें उन लोगों के लिए, जो जनतन्त्र में विश्वास करते हैं जो जनतन्त्र से प्रेम करते हैं, भारी चुनौती थीं कि इस देश की जनतांत्रिक व्यवस्था में सुदूर पूर्व और सुदूर पश्चिम के दो प्रांत भाग नहीं ले पा रहे हैं और उनके चुने हुए प्रतिनिधि लोकसभा में नहीं आयेंगे। इस चुनौती के बीच, पंजाब और असम में तनावपूर्ण वातावरण के बीच, देश की राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के खतरे के बीच दिसम्बर, 1984 में लोक सभा में चुनाव हुए और इस देश के लोगों ने चट्टान की तरह एक साथ खड़े होकर हमारे नवयुवक प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी को और कांग्रेस को अपार जन-समर्थन किया। यह अपार जन-समर्थन किया देश की एकता और अखण्डता के लिए, देश की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए और देश को आगे ले जाने के लिए।

प्रधानमन्त्री बनने के बाद सबसे पहले श्री राजीव गांधी ने कहा कि वह असम और पंजाब की समस्याओं को राष्ट्रीय हित के अनुसार सुलझाना चाहते हैं। प्रधानमन्त्री उस मां के बेटे थे, जिसके सीने को उग्रवादियों ने गोली से छेद दिया था। उनके दिल में कटुता होना स्वाभाविक है। कोई भी इंसान या आदमी जिसकी मां को कुछ लोगों ने मार डाला हो, वह कटु हो सकता है, लेकिन प्रधानमन्त्री ने जब राष्ट्र की बागडोर संभाली तो उनके दिल में ऐसी कोई बात नहीं थी। वह राष्ट्रीय एकता, देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने, सभी लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने देने के लिए कटिबद्ध थे और तैयार थे।

प्रधानमन्त्री बनने के बाद श्री राजीव गांधी के सामने केवल दो विकल्प थे। एक तो यह था कि पंजाब और असम में तनावपूर्ण वातावरण कायम न रहे, अनिश्चित काल तक पंजाब और असम तनावपूर्ण वातावरण में बने रहें, या इस वातावरण को दूर किया जाए और असम व पंजाब के लोगों को भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की परिधि में लाया जाए, उन्हें भी सम्मानजनक भारतीय नागरिक की

तरह सम्मानजनक जीवन बिताने का अवसर दिया जाए। यही पृष्ठभूमि है पंजाब और असम के आंदोलन की।

प्रधानमन्त्री ने जब पंजाब का समझौता किया तो यही दिमाग में था कि पंजाब की स्थिति को हमेशा अनिश्चित काल के लिए तनावपूर्ण नहीं रहना चाहिए। इस सम्बन्ध में अकाली दल के नेता संत लौंगोवाल की तारीफ करेंगे, जिनना भी सोचने का तरीका यही था। जब वह प्रधानमन्त्री से मिले तो पंजाब का एक सम्मानजनक समझौता हुआ, पंजाब में शांति स्थापित हुई, लेकिन वह शक्तियां जो पंजाब को विघटित करना चाहती थीं बाकी देश से, वह भी खामोश न थीं। उन्होंने इन्दिरा गांधी जी की तरह संत लोंगोवाल जी की हत्या कर दी। दो कुर्बानियां देश में पंजाब के लिए की गईं। देश की एकता और अखण्डता को कायम रखने के लिए दो खून बनाए गए जिसमें से एक खून श्रीमती गांधी और संत लोंगोवाल जी का था। पंजाब में इसके बाद चुनाव हुए और जनतांत्रिक व्यवस्था बहाल हुई। इस बारे में पंजाब के बहुत बड़े बहुमत की तारीफ करनी होगी कि उन्होने पंजाब समझौते का सम्मान किया। वह क्यों नहीं करते? इस समझौते ने पंजाब में रहने वाले बहुसंख्यक लोगों को सम्मान दिया था।

इस देश में एक वर्ग के लोगों ने जिनमें से कुछ का ताल्लुक आतंकवादियों से था और जिन्होंने प्रधानमन्त्री जी की हत्या की थी, उनके खिलाफ सारे देश में एक नफरत का वातावरण था। मैं खुलकर कहना चाहता हूं कि हमारे सिख भाई जो कि केवल पंजाब में ही नहीं रहते बल्कि देश के दूसरे भागों में भी रहते हैं, उन्होंने अपनी मेहनत ईमानदारी और कर्मठता की बदोलत चाहे वह व्यापार, उद्योग-धन्धे, खेती में, सेना में या कोई अफसर हों, वह जहां भी हैं, उन्होंने अपनी ख्याति अर्जित की है और समाज में सम्मान प्राप्त किया है। हमारे कुछ सिख भाई जो कि अपने आपको दबा-दबा महसूस कर रहे थे, पंजाब के समझौते ने ऐसे सभी लोगों को सम्मान और इज्जत दी।

आशा की गई थी कि पंजाब समझौता पंजाब की समस्या का समाधान कर देगा। हमारे सामने थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर थीं कि कौन-सा हिस्सा पंजाब में जाए, पंजाब का कौन-सा हिस्सा हरियाणा में आए। यह सारी दिक्कतें आपस में बैठकर समझौते की परिधि में आसानी से तय की जा सकती थीं, लेकिन हमें दुख और अफसोस हो रहा है कि जिस नीयत के साथ पंजाब का समझौता हुआ और जिसकी पंजाब के बहुसंख्यक लोगों ने सराहना की और उसको माना, आज वहां पर फिर अशांति के बादल मंडरा रहे हैं, आज उग्रवादी फिर अपना सिर उठा रहे हैं और पंजाब में फिर वही कुछ हो रहा है जो समझौते के पहले और चुनावों के पहले हो रहा था। आज भी वहां पर निर्दोष लोगों की हत्यायें हो रही हैं। गोल्डन टेम्पल पर उग्रवादियों का कब्जा है, बहुत से गुरुद्वारों पर उग्रवादियों का कब्जा हो गया है। ऐसा लगता है कि अकाली दल बहुत परेशानी में पड़ गया है। वह समझ नहीं पा रहा है कि वह क्या करे और क्या न करे। लेकिन राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में ठीक ही कहा है कि आज उन लोगों की जिम्मेदारी है जो कि पंजाब की सरकार चला रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि वह बाकी लोगों से उग्रवादियों को अलग-थलग करवा दें। पंजाब में विघटनकारी गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। प्रधानमन्त्री जी ने जो समझौता किया और पंजाब के लोगों को को जो इज्जत दी वह राष्ट्र हित में थी और जनतांत्रिक व्यवस्था के हित में थी, लेकिन कोई भी इस देश का प्रधानमन्त्री चाहे इन्दिरा जी हों या राजीव गांधी हों, कभी भी यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि पंजाब को देश से अलग कर दिया जाए या पंजाब में खालिस्तान बन जाए। इस देश का कोई भी

व्यक्ति जो कि इस देश से प्यार करता है, जो कि यहां की व्यवस्था से प्यार करता है, वह भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा।

हमारे प्रधानमन्त्री के ऊपर और भारत सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वह इस देश को एक रखें। प्रधानमन्त्री जी ने पंजाब समझौते के लिए राष्ट्रीय हित में जो काम किया, उसको उनकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। प्रधानमन्त्री अगर समझौता कर सकते हैं तो प्रधानमन्त्री जी देश की एकता को बहाल रखने की भी क्षमता रखते हैं।

सभापति जी, आज देश के अन्य भागों में साम्प्रदायिक शक्तियां सिर उठा रही हैं जो कि केवल एक वर्ग में नहीं है। देश के सभी वर्गों में ऐसी साम्प्रदायिक शक्तियां मौजूद है, जो अपने अलग-अलग तरीके से काम करती हैं, लेकिन उनका मकसद एक है देश की एकता और अखण्डता को खतरा पहुंचाना। अलग-अलग तरीके हमारे हिन्दू भाइयों में वह शक्तियां हैं, मुस्लिम भाइयों में भी ऐसी शक्तियां हैं, सिक्ख भाइयों मे भी ऐसी शक्तियां हैं, ईसाइ भाइयों में भी ऐसी शक्तियां हैं—ये सारी शक्तियां अपने अलग-अलग तरीके से काम करती हैं। इन सबका खास मकसद देश की एकता को खतरा पहुंचाना है। आज जम्मू-काश्मीर में जो साम्प्रदायिक तनाव फैला हुआ है, जो कभी-कभी साम्प्रदायिक दंगों की शक्ल ले लेता है, उसकी निन्दा करनी चाहिए। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, बिहार और दूसरी जगहों पर जो साम्प्रदायिक दंगे कराए जा रहे हैं, जो साम्प्रदायिक दंगे कराए जा रहे हैं, उनकी निंदा करनी चाहिए। यह नहीं देखना चाहिए कि कौन गलती पर है और कौन सही है।

भारत के आम नागरिक, भारत की आम जनता, गांव में रहने वाले लोग शांति पसन्द करते हैं। भारत के गांवों में रहने वाले, 75 से 85 फीसदी तक, बहुसंख्यक समुदाय के लोग हैं, वहां दंगे नहीं होते हैं। हमारे गांवों में दंगे नहीं होते हैं। दंगे शहरों में होते हैं और कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें इन दंगों के पीछे होती हैं। देश की एकता और अखण्डता को खतरा पहुंचाने के लिए कुछ शक्तियां अन्दर से काम कर रही हैं और कुछ शक्तियां बाहर से भी काम कर रही हैं। बाहरी शक्तियां इशारा पाकर अन्दर की शक्तियां अपने को मजबूत करने के लिए इकट्ठी हो रही हैं, राष्ट्र विरोधी कार्यों में देश की एकता और अखण्डता को समाप्त करने के लिए। सभापति जी, राष्ट्रपति जी ने सही कहा है कि देश के जो लोग भी जनतन्त्र को प्रेम करते हैं, जो लोग भी राष्ट्रीय एकता को प्रेम करते हैं, जो लोग राष्ट्रीय अखण्डता को चाहते हैं, उन सबको आपस में मिलकर कन्धे से कन्धा मिलाकर इन शक्तियों का मुकाबला करना चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जो राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी हैं, वे इस अपील पर कितना ध्यान देंगे और कितना ध्यान नहीं देंगे। मैं इस बात को कह सकता हूं कि अब तक का उनका जो रिकार्ड है, वह यह है कि उन्होंने हमेशा ऐसी शक्तियों को हौंसला दिया है। ऐसी शक्तियों को बढ़ावा दिया है।

हमारे देश में ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो साम्प्रदायिक दलों को बढ़ावा देती हैं, जो साम्प्रदायिक शक्तियों को बढ़ावा देती हैं। ऐसी हमारे देश में राजनीतिक पार्टियां हैं, वैसे नेता हैं, जो जनतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार, संविधान के अनुसार, विधि के अनुसार चुनी हुई सरकारों को आन्दोलनों के लिए बदलने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं। जनता पार्टी के एक नेता, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, वे इस सदन के सदस्य भी नहीं हैं, दंडवते साहब ऐतराज कर सकते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने अभी धमकी दी है……

प्रो० मधु दंडवते : लेना है, तो मेरा नाम ले दीजिए।

श्री जैनुल बशर : मैं आपका नाम इज्जत के साथ लूंगा, लेकिन जिन साहब की बात कर रहा हूं, मैं उनका नाम इज्जत से नहीं ले पाऊंगा। उन्होंने धमकी दी है कि इस सरकार को आंदोलन से पलट देंगे।

एक माननीय सदस्य : ट्रेन भी पलट देते हैं।

श्री जैनुल बशर : अब सरकार को पलट देंगे। इस प्रकार की धमकियां, इस प्रकार की बातें ऐसी शक्तियों को बढ़ावा देती हैं, जो राष्ट्र विरोधी कार्यों में लगे हैं। जो देश की एकता और अखण्डता के रास्ते में विघटन पहुंचा रहे हैं। 1971 से 1977 के बीच इन लोगों ने यह काम किया है। 1971 से 1977 के बीच पटना के गांधी मैदान में सरकार पलटने की बात होती थी। पटना के गांधी मैदान में सरकार का तख्ता पलटने की बात होती थी। ओट में नहीं, आंदोलन के जरिए, सत्याग्रह के जरिए, प्रदर्शन के जरिए, धरने के जरिए, घेराव के जरिए, इस तरह से क्या जनतन्त्र में मधु दंडवते साहब सरकारें बदलती हैं। सरकार को वोट से बदला जाता है।

प्रो० मधु दंडवते : अच्छा है, गांधी जी नहीं हैं, नहीं तो उनकी भी आलोचना करते।

श्री जैनुल बशर : गांधीजी ने यह नहीं कहा है कि संविधान के जरिए अपनी सरकार, जो चुनी हुई है, उसको सड़क पर डाल दिया जाए। गांधी जी ने तो सत्याग्रह किया था।

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : आपने अखबार में पढ़ा होगा कि उन नेता ने यह कहा है कि श्री मधु दंडवते को भी उलट देंगे। आपको पता नहीं।

श्री जैनुल बशर : कम से कम श्री मधुदंडवते के उलटने से मुझे बड़ा दुख होगा।

प्रो० मधु दंडवते : इस तरह से करेंगे, तो मैं खुद उलट जाऊंगा।

श्री जैनुल बशर : सभापति जी, इस प्रकार की बातें आज देश में चल रही हैं कि जनतांत्रिक तरीके के द्वारा चुनी हुई सरकार को वे आंदोलनों से, सत्याग्रहों से पलट देंगे। चुनाव बीत गया। एक अपार जन-समर्थन हमारी पार्टी को मिला, हमारे प्रधानमन्त्री जी को मिला। चार-सात बाद चुनाव आने वाला है। आप उस चुनाव में हमको हरा दीजिए और उस चुनाव में सत्ता छीन लीजिए अगर आपके पास ताकत है, अगर जनता आपकी बात मानती है हालांकि हम जानते हैं कि जिस प्रकार से ये लोग काम कर रहे हैं, बहुत दिनों तक वे लोग इधर नहीं आ पाएंगे। जनता इनकी बात नहीं मानती और ये अपनी टांग हर चीज में अड़ाते हैं। पंजाब के मामले में टांग अड़ाते हैं और कहते हैं कि सरकार ने हमसे बातचीत नहीं की। आखिर पंजाब में आपका है क्या। पंजाब में हम हैं और अकाली दल है। आसाम के मामले में कहते हैं कि हमसे बातचीत नहीं की। बात हम कर लेते हैं और करनी भी चाहिए लेकिन आसाम में आपका क्या है। आसाम में हम हैं या ए० जी० की की है तीसरी कोई रीजनल पार्टी होगी। ये जो रीजनल पार्टियां बढ़ रही हैं, यह राष्ट्रीय पार्टियों की कमजोरी की तरफ इशारा करता है।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : आपकी कमजोरी भी है।

श्री जैनुल बशर : यह आपकी कमजोरी है। हम आपको कैसे मजबूत कर दें। क्या इंजक्शन दे दें।

श्री नारायण चौबे : आसाम में तो आप थे, वे कैसे आ गए।······(व्यवधान)

श्री जैनुल बशर : सच पूछिए, तो रीजनल पार्टियों का बढ़ना राष्ट्रीय पार्टियों के दीवालियेपन के तरफ इशारा करता है।

[अनुवाद]

श्री नारायण चौबे : कांग्रेस के दल समेत।

श्री जैनुल बशर : नहीं। कांग्रेस दल एक राष्ट्रीय दल है।

[हिन्दी]

हमको खुशी होती अगर राष्ट्रीय पार्टी आसाम में चुनाव जीत जाती, कर्नाटक में जनता पार्टी चुनाव जीत गई, इसका हमें दुःख नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : आपके प्रधानमन्त्री जी ने तो यह कहा है कि हमें खुशी है कि रीजनल पार्टी चुनाव जीत गई।

श्री जैनुल बशर : प्रधानमन्त्री जी ने कहा होगा कि जनता ने जिसको चुन लिया, उसका हम स्वागत करते हैं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का विकल्प आप नहीं बन सके, तो रीजनल पार्टी बन गई।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : आपको दुःख है कि रीजनल पार्टी जीत गई।

श्री जैनुल बशर : मुझे दुःख है। मुझे खुशी होती अगर आंध्र प्रदेश में मधु दंडवते जी की पार्टी जीत जाती क्योंकि रीजनल पार्टी साम्प्रदायिकता को उभारकर, भाषण की बात को उभारकर और क्षेत्रीयता की बात को उभारकर उन शक्तियों को बढ़ावा देती है और उन शक्तियों के हौसले को बुलन्द करती है जो राष्ट्र विरोधी कार्य में लगी हुई है। उन शक्तियों को उनसे बल मिलता है। मैं यह नहीं कहता कि रीजनल पार्टियां राष्ट्र विरोधी हैं। ऐसा कहने की मैं हिम्मत नहीं कर सकता क्योंकि वे सरकारें चला रही हैं लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि उनके क्रियाकलापों से राष्ट्र विरोधी पार्टियों को बढ़ावा मिलता है और राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हौसले बुलन्द होते हैं।

सभापति जी, हमारे सामने आज ये चुनौतियां हैं, जिनकी तरफ राष्ट्रपति जी ने इशारा किया है। इन चुनौतियों का सामना करना होगा। हमें देश की एकता और अखण्डता सबसे अधिक प्यारी है और देश की एकता और अखण्डता को समाप्त करने की बात सोची नहीं जा सकती। देश की एकता और अखण्डता को कायम रखने के लिए भारत के सभी लोगों को अपनी कुर्बानी देनी पड़े और अपना खून बहाना पड़े, तो भी उससे पीछे हटने को कोई तैयार नहीं है। मैं अपील करना चाहता हूं अपने उधर बैठे हुए साथियों से, कि जैसा कि राष्ट्रपति जी ने कहा है कि उन सभी शक्तियों को जो जनतांत्रिक व्यवस्था में आस्था रहती हैं, एकजुट होकर और कन्धे से कन्धा मिलाकर राष्ट्र विरोधी ताकतों का मुकाबला करना चाहिए।

सभापति जी, इस अभिभाषण में जो आर्थिक उपलब्धियां सरकार ने की हैं उनका पूरा ब्यौरा हमारे मित्र श्री एडुआर्डो फैलीरो साहब ने दे दिया है। मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता।

लेकिन मैं एक चीज का बहुत स्वागत करता हूं जो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में दी गई है। विस्तृत कृषि नीति की घोषणा इस अभिभाषण में की गई है उसका मैं स्वागत करता हूं, उसकी मैं तारीफ करता हूं।

सभापति जी, यह देश किसानों का है। इस देश में 75 फीसदी लोग किसान हैं, वे खेती करते हैं। इनमें दो राय नहीं हैं कि खेती के मामले में इस देश के किसानों ने बड़ी तरक्की की है। आज सारे विश्व में भारत की प्रशंसा हो रही है कि भारत के किसानों ने कमाल कर दिया। जहां इस देश में यहां के लोगों के खाने भर को गल्ला पैदा नही होता था और अंग्रेज लोग अमेरिका के बाजारों में कटोरा लेकर अनाज मांगा करते थे जिससे कि भारत के लोगों को भोजन मिल सके आज इस देश में इतना गल्ला पैदा होता है कि न केवल भारत के लोगों को भरपेट खाना खिलाया जा सकता है बल्कि वह आज विदेशों को भी भेजा जाता है।

सभापति जी, मुझे सन् 1958, 59 और 60 की बात याद है। उस समय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था। मैं गाजीपुर के जिले के अपने गांव जाया करता था। रास्ते में एक सैदपुर बाजार पड़ता था। उस बाजार में चोटे, मोलायसिस के ड्रम फैले हुआ करते थे। हमारे खेत के 75 प्रतिशत लोग चोटा पीकर अपनी भूख मिटाया करते थे। मुझे यह चीज अच्छी तरह से याद है। आज कहीं वह चोटा नहीं मिलता। आज सारे लोग ठीक से भोजन करते हैं।

क्या कारण है कि आज देश में इतना अनाज पैदा होता है? वही खेती है, बल्कि खेती पर आबादी का बोझ बढ़ा है। खेती की जमीन का पहले से बंटवारा हुआ है। लेकिन उसी खेत में आज ज्यादा अनाज पैदा होता है। किसान ने इस देश में कमाल कर दिया है। भारत के किसान ने जो यह सारा कमाल किया इसके पीछे कौन खड़ा था? भारत की सरकार खड़ी थी। (व्यवधान) कांग्रेस की सरकार थी। भारत की सरकार ने किसान के लिए सिंचाई की व्यवस्था की, खाद की व्यवस्था की, बिजली की व्यवस्था की, आधुनिक ढंग से खेती करने के तरीके किसान को बताए गए, नए-नए किस्म के बीज ईजाद किए गए, अनेक प्रकार के, अलग-अलग किस्म के बीज किसानों को दिए। यही कारण है कि आज देश में इतना गल्ला पैदा होता है कि न केवल हमारे देश के लिए वह भरपूर है बल्कि उसे आज हम बाहर भी भेजने की कोशिश कर रहे हैं।

सभापति जी, हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है। हमारी सरकार कृषि नीति बनाकर और दीर्घकालीन कृषि नीति बनाकर हमारे देश के किसानों के लिए बहुत बड़ा काम कर सकती है। आज हमारे देश में 20 प्रतिशत भूमि में ही सिंचाई की व्यवस्था है। अगर शत प्रतिशत भूमि में या 75 प्रतिशत भूमि में सिंचाई की व्यवस्था हो जाए, बिजली किसानों को ठीक प्रकार से मिलने लगे, खाद भी उन्हें ठीक प्रकार से मिलने लगे तो इस देश का किसान दुनिया के किसानों से भी अधिक अनाज पैदा करेगा। इसके साथ यह भी जरूरी है कि उसको उसकी उपज का उचित दाम मिले।

महंगाई बढ़ रही है। महंगाई के बारे में मैं अभी बहुत कुछ नहीं कहना चाहूंगा। क्योंकि अभी रेल बजट आने वाला है, जनरल बजट आने वाला है। जब तक ये दोनों बजट नहीं आ जाते तब तक इस बारे में मैं चुप रहना ही ठीक समझूंगा। लेकिन मुझे इतना तो मालूम है कि यह जो महंगाई बढ़ाने का काम किया गया है यह जान-बूझकर दिया गया है, सरकार की नीति के अनुसार किया गया है और वित्त मंत्री ने उसके लिए कुछ तर्क भी रखे हैं।

आज हमारा ध्यान उन गांवों की तरफ भी जाना है जहां देश के 75 प्रतिशत लोग रहते हैं और 75 प्रतिशत बच्चे शिक्षा पाते हैं। आज गांवों के 50 प्रतिशत प्राइमरी स्कूलों में छतें नहीं हैं। वे बिना भवनों के चलते हैं। बच्चे पेड़ों के नीचे पढ़ते हैं। आज हमें यह भी सोचना है कि वहां 25 किलोमीटर के आसपास कोई अस्पताल नहीं है। जहां अस्पताल हैं वहां जाने के लिए सड़कें नहीं हैं। मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देता है, आज उनके बारे में भी हमको सोचना है। आज हमें

5.00 म० प०

सोचना है कि हमारी कृषि की पैदावार को मंडियों में ले जाना है, सड़कें नहीं हैं, यातायात नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, उन सुविधाओं को उपलब्ध कराना है। आज गांव की तरफ जाकर देखें सभापति जी, हम तो इक्कीसवीं शताब्दी में जाने की बात करते हैं लेकिन हमारे गांव तो बीसवीं शताब्दी में भी नहीं पहुंच पाए हैं। उनको तेजी के साथ आगे बढ़ाना है, उनको तेजी के साथ विकास के साधन उपलब्ध कराना है, तेजी के साथ वहां स्कूल बनाने हैं, तेजी के साथ वहां सड़कों का बनाना है, वहां तेजी के साथ लोगों को आगे बढ़ाना है, विकास करना है, इस मुद्दे को भी सोचना पड़ेगा। बहुत विकास हुआ है और बहुत दूर तक हम विकास के रास्ते पर गए हैं, लेकिन अभी हमें मीलों आगे जाना है। एक हिन्दी के कवि ने कहा है—

इस पथ का उद्देश्य नहीं है, श्रांति भवन में टिक जाना,
किन्तु पहुंचना उस सीमा पर, जिसके आगे राह नहीं।

विकास की कोई सीमा नहीं होती, अभी मीलों आगे हमको जाना है। इसके लिए पैसा चाहिए, इसके लिए रुपया चाहिए, इसके लिए साधन चाहिए, इसके लिए धन चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में हमें सारी चीजों को ठंडे दिमाग के साथ सोचना है और समझना है। वित्त मंत्री जी ने कहा है कि उनका दिमाग खुला हुआ है, अभी उनका आब्शन ओपन है। कांग्रेस कार्यकारिणी के कुछ हमारे मित्रों ने महंगाई का कुछ विरोध किया है और कुछ दाम कम हुए हैं। मुझे आशा है कि बजट आने के बाद सारी पिक्चर साफ होगी।

सभापति जी, इस तरह से इस वर्ष का राष्ट्रपति जी ने जो ब्यौरा दिया है, एक साल में जितने अच्छे काम हुए हैं, उतने शायद पहले कभी नहीं हुए थे। सार्वजनिक जीवन में सुधार लाने के लिए, सार्वजनिक जीवन को स्वच्छ बनाने के लिए दल-बदल पर रोक लगाने का बिल पेश किया गया। एक साल बीत गया, कोई दल-बदल नहीं हुआ। नहीं तो अब तक तो कितनी सरकारें उलट गई होतीं, कितने लोग इधर से उधर और उधर से इधर आ गए होते।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उधर से इधर आते हैं, इधर से उधर नहीं जाते।

श्री जैनुल बशर : हो सकता है, पता नहीं क्या हो सकता है। (व्यवधान) रेड्डी साहब, आपकी पार्टी तो यहां आई ही नहीं, आप भी पता नहीं कैसे आ गए गिरते-पड़ते। लगता है तेलगू-देशम के कंधे पर बैठे हुए चले आए, तेलगू-देशम के कंधे पर बैठकर चले आए, वरना आप भी नहीं आते।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : इसके लिए आपको रीजनल पार्टी को दाद चाहिए कि वो इस तरह से लोगों को ले आती हैं।

श्री जैनुल बशर : आप तो किसी को नहीं ले आए, सुब्रह्मण्यम स्वामी को तो आप नहीं लाए।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : अच्छा है रेड्डी साहब आ गए, हम दो हमारे दो··· (व्यवधान)

श्री जैनुल बशर : दल-बदल विरोधी विधेयक से सार्वजनिक जीवन में एक स्वच्छता आई है। अदालती कार्यवाही में भी "लोक-अदालतों" का गठन किया गया, बहुत से जो सरकारी कर्मचारी थे, उनके लिए ट्रिब्यूनल्स खोला गया। कपड़े की नई नीति बनाई गई ताकि हैंडलूम सैक्टर को बढ़ावा मिले। नई शिक्षा नीति की तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं। पिछले साल बहुत अच्छे-अच्छे काम हुए, ऊसर और बंजर जमीनों को खेती योग्य बनाने का काम गंगा से प्रदूषण दूर करने का काम, गरीबी उन्मूलन प्रगति हुई है, इसका ब्यौरा श्री फैलीरो ने दिया है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में जो प्रगति हुई है, उसका ब्यौरा भी उन्होंने दिया है। इस तरह से यह वर्ष बहुत ही उपलब्धियों का वर्ष रहा है और मुझे पूरी आशा है और विश्वास है कि आने वाला वर्ष और भी अच्छा साबित होगा और सरकार पहले से भी बेहतर काम कर सकेगी और विकास की तरफ हम पिछले वर्ष से भी अधिक टेज रफ्तार से बढ़ेंगे, बशर्ते कि राष्ट्र-विरोधी ताकतों पर काबू पाया जा सके, बशर्ते कि देश में शांति-व्यवस्था को ठीक प्रकार से स्थापित किया जा सके, बशर्ते कि जो राष्ट्र-विरोधी ताकतों को हौसला देने वाले हमारे राजनीतिक दल हैं वे ठीक प्रकार से बिहेव करें, ठीक प्रकार से अपने कर्त्तव्य का निर्वाह करें। पूरे देश में शांति-व्यवस्था कायम रहे तो हम प्रगति के रास्ते पर और मीलों आगे बढ़ जाएंगे। इसीं आशा और विश्वास के साथ राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो प्रस्ताव हमारे फैलीरो साहब ने पेश किया है, मैं पुनः उसका समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सदन में उपस्थित माननीय सदस्य जिनके धन्यवाद प्रस्ताव के संशोधन परिचालित हुए हैं, वे यदि अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो पन्द्रह मिनट में उन संशोधनों की पर्चियां जिसमें की क्रमसंख्या दर्शाई गई हो, सभा पटल पर पहुंचा दें। केवल उन्हीं संशोधनों को प्रस्तुत किया गया माना जाएगा और पेश किये अशोधनों की एक सूची जिसमें उन संशोधनों की क्रम संख्या दी जाएगी, शीघ्र ही नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगी। यदि कोई सदस्य सूची में किसी विषमता की ओर ध्यान दिलाना चाहे तो वह कृपया किसी विलम्ब के बिना यह बात सभा पटल के अधिकारी के ध्यान में लायें।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी (करनूल) : वह सदस्य जो यहां उपस्थित हैं कृपया बता दें कि वे संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं।

सभापति महोदय : यदि संख्या अधिक हो तो आपको इसे सभापति को लिख कर देना होगा।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : इसे दोबारा लिखने और पटल पर रखने की बजाये, मैं कहता हूं कि मैं वह संशोधन प्रस्तुत करता हूं जो मेरे नाम पर हैं। कृपया नोट कीजिए।

सभापति महोदय : आप कृपया पर्ची भेज दीजिए।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : वास्तव में हमने इसे पहले ही सभा पटल पर रख दिया है। जब हम उठ कर कहते हैं, तो यह उन्हें नोट करना है।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : कार्यालय को उनकी सूची तैयार कर लेनी चाहिये थी जो संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, मैं संशोधन संख्या 66 से 83 प्रस्तुत करता हूं जिसके लिए मैंने सूचना दे दी है।

सभापति महोदय : कृपया पर्ची भेज दीजिए। केवल इसे एक पर्ची पर लिख कर भेज दीजिए।

श्री सी० जंगा रेड्डी : मैं अपने संशोधन 1 से 11 प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : कृपया पर्ची भेज दीजिए। श्री मेवा सिंह गिल।

श्री सी० जंगा रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में, जैसा कि राष्ट्रपति के पिछले अभिभाषण में वायदा किया गया था, वर्ष 1985 में चुनाव प्रक्रिया में सुधार करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दूरदर्शन तथा रेडियो द्वारा किये जा रहे गलत प्रसारणों, विशेषकर दिल्ली बन्द के समाचार के मामले में 10-2-1986 को 21.30 बजे दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया था कि दिल्ली बन्द के लिए विपक्षी दलों द्वारा किए गए आह्वाहन का कोई असर नहीं हुआ के बारे में कोई उल्लेख नहीं हैं।" (2)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हाल के वर्षों में समाचार पत्र जो कि संचार के क्षेत्र में एकमात्र स्वतंत्र साधन है, उद्ग्रहणों और अखबारी कागज के मूल्यों में वृद्धि के कारण निरंतर महंगे होते जा रहे है, कोई उल्लेख नही है।" (3)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मुकदमों के निर्णयों में होने वाले अत्यधिक विलम्ब और उन पर आने वाले अत्यधिक खर्च के कारण लोगों का न्यायिक प्रणाली पर से विश्वास उठने के बारे में कहीं भी कोई गहन चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है। (4)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी उपक्रमों में सरकारी धन की भारी राशि का निवेश करने और उन्हें दक्षतापूर्वक चलाये बिना उनके उत्पादों के मूल्यों में बार-बार वृद्धि

करके आम आदमी पर अधिकाधिक कर लगाने की सरकार की नीति के बारे में गहरी चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है।" (5)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत में बंगलादेशवासियों की घुसपैठ, जो देश की आन्तरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए सुनिश्चित रूप से खतरा है, को रोकने के लिए सरकार के उदासीन रवैये और अपूर्ण उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। (6)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दिल्ली के कालेजों में प्रोफेसर ग्रेड लागू करने के बारे में दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के साथ 1983 में हुए समझौते को लागू न करने में सरकार की असफलेता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (7)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पंजाब और देश के अन्य भागों में उग्र-वादियों के आतंक, जो पाकिस्तान में उग्रवादियों के प्रशिक्षण से और भी सक्रिय रूप से भड़क रहा है, को समाप्त करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (8)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दिल्ली में गोपाल टावर में आग लगने के बाद आग के उपयुक्त निवारक उपाय सीखने और अपनाने में सरकार की असफलता के बारे में जिसके परिणामस्वरूप 24 जनवरी, 1986 को दिल्ली के पांच तारा सिद्धार्थ कन्टिनेन्टल होटल में आग से जान और माल की अत्यधिक हानि हुई, कोई उल्लेख नहीं है।" (9)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषाण में सरकारी कर्मचारियों को बिना कोई कारण बताए सेवा से निकाल देने के बारे में उनका भय दूर करने के लिए सरकार द्वारा कोई सकारात्मक कदम न उठाए जाने पर सरकारी कर्मचारियों में व्याप्त गहरे क्षोभ के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (10)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों चल रही भारी सूखे की स्थिति के कारण लोगों को हो रही अत्यधिक परेशानियों और कष्ट के बारे में कोई उल्लेख नही है।" (11)

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में, आवश्यक वस्तुओं जैसे, पेट्रोलियम उत्पादों, चावल, चीनी, उर्वरकों, कोयला इत्यादि की हाल में बढ़ाई गई कीमतों को कम करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (66)

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा-विवाद से सम्बन्धित महाजन आयोग के निर्णय को क्रियान्वित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (67)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कर्नाटक से लम्बे समय से लम्बित विजयनगर इस्पात संयत्र को शुरू करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (68)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए किसी ठोस उपाय का कोई उल्लेख नहीं है।" (69)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी कर्मचारियों की नौकरी समाप्त करने के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप सरकारी कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष की ओर ध्यान नहीं दिया गया है।" (70)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए सरकार के प्रस्तावित उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।" (71)

कि प्रस्ताव के अन्त निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में श्रीलंका की समस्या का समाधान किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (72)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विभिन्न राज्यों में बाढ़ और सूखे की स्थिति का स्थायी रूप से समाधान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (73)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विविध शुल्कों तथा करों में राज्यों के हिस्से को बढ़ाये जाने की आवश्यकया के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (74)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय विकास परिषद् को सांविधिक निकाय बनाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (75)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में यह विनिर्दिष्ट नहीं किया गया कि चतुर्थ वेतन आयोग का प्रतिवेदन सरकार को कब तक प्रस्तुत किया जायेगा।" (76)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्त निकाय बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (77)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बिजली-संकट का तथा उसे दूर करने के लिए किये गए उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।" (78)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में काले धन का पता लगाने में सरकार की असफलता की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है।" (79)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण मे मानव-जाति को परमाणु-युद्ध से खतरे का तथा परमाणु-युद्ध को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा किये गए उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।" (80)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भारतीय अर्थ-व्यवस्था में हस्तक्षेप, जो अधिक सुनिश्चित हो चुका है तथा यह कि विश्व बैंक खाद्यान्न सम्बन्धी सहायता को समाप्त करने की मांग कर रहा है और जनता के उपभोक्ता स्तरों में कमी लाने के लिए जोर दे रहा है, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (81)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कर्नाटक में मंगलोर तेल परिष्करण शाला तथा इलेक्ट्रानिक डिजिटल ट्रंक एक्सचेंज फैक्टरी, जिसकी स्थापना बहुत पहले हो जानी चाहिये थी, की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।" (82)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा, जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी सेवा में आरक्षण-संबंधी मंडल आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (83)

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दूपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ऐसे व्यक्तियों को स्थिति में सुधार करने के लिए किसी योजना का उल्लेख नहीं है जो देश में और विशेषकर आन्ध्र प्रदेश के रायलसीमा जिले में निरन्तर सूखा प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं।" (84)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में सूखे की भयावह स्थिति से निपटने के लिये धनराशियों के आवंटन के संबंध में दिखाई गई पूर्ण उदासीनता और उपेक्षा के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (85)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चुनाव सुधारों के बारे में जैसाकि 1985 में राष्ट्रपति के अभिभाषण में वचन दिया गया था, कोई उल्लेख नहीं है। (86)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गरीबी को दूर करने के लिये उठाये गए कदमों और ग्रामीण गरीबों तथा शहरी अमीर लोगों के बीच की खाई को पाटने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (87)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में समाजवादी ढांचा अपनाने के प्रति सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (88)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में शहरी सम्पति पर कोई अधिकतम सीमा लगाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (89)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में लोगों की आय तथा व्यय के बीच असमानताओं को कम करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (90)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में औद्योगिक क्षेत्र में रुग्णता को दूर करने और औद्योगिक श्रमिकों में व्याप्त असन्तोष को दूर करने के बारे में उठाने जाने वाले कदमों का कोई उल्लेख नहीं है।" (91)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संघ सरकार की अदूरदर्शी तथा आत्मघाती वस्त्र नीति के कारण हुई हथकरघा मजदूरों की कठिनाइयों तथा विपत्तियों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (92)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण जनता की गरीबी को दूर करने के लिये चलाये जाने वाले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, डी० पी० ए० पी०, आर० एल० ई० जी० पी० टी० आर० वाई० एस० ई० एस० कार्यक्रमों की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (93)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण लोगों को तथा शिक्षित बेरोजगारों की बेरोजगारी तथा अल्प बेरोजगारी दूर करने के उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (9)

"कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गैर कांग्रेस सरकारों द्वारा शासित कुछ राज्यों में सिंचाई परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मंजूरी देने में विलम्ब तथा पक्षपात करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (95)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिए प्रभावी उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (96)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में तेलगु गंगा मामले पर आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के बीच चल रहे विवाद को हल करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (97)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में श्रीलंका में की समस्या को सुलझाने में हुए असाधारण विलम्ब के परिणामस्वरूप श्रीलंका में तमिलों के नर संहार के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (9४)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रशासनिक प्रणाली में सुधार करने के लिए उपायों के बारे में ताकि उसे देश और लोगों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और अधिक और सक्षम बनाया जा सके, कोई उल्लेख नहीं है।" (99)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जन साधारण के लिए न्याय शीघ्र और सस्ता करने के उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (100)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में, विशेष रूप से बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, वन रोपण के लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (101)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में 'काम पाने के अधिकार' को मौलिक अधिकार बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों और अर्ध रोजगार प्राप्त लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (102)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में शिक्षित युवा वर्ग में बेरोजगारी का उन्मूलन करने के लिए किन्हीं ठोस कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (103)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों को उनके उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य देकर उनकी दशा सुधारने के कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (104)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण लोगों और कृषकों को उनके विकास के लिए अच्छे आवास, चिकित्सा सुविधाएं, बेहतर किस्म के बीज और वैज्ञानिक विशेषज्ञता उपलब्ध करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (105)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आकाशवाणी और दूरदर्शन के दुरूपयोग और उन्हें स्वायतत्ता देने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (106)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों, जिनकी संख्या में काफी वृद्धि हुई है, के सुधार और विकास के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (107)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में वनों की कटाई को रोकने के लिए प्रभावी कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (108)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आन्ध्र प्रदेश के रायलसीमा जिले में निरन्तर चल रहे अकाल से निपटने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दीर्घावधि योजना बनाने और पर्याप्त धनराशि आबंटित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। (109)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर और चित्तूर जिलों, जोकि लम्बे समय से सूखाग्रस्त क्षेत्र है, में सभी सिंचाई कूपों में सरकारी लागत पर छिद्रण करने के लिए छिद्रण परियोजनाएं आरम्भ करने हेतु निधि आबंटित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (110)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आन्ध्र प्रदेश में लम्बे समय से सूखाग्रस्त जिले रायलसीमा के त्वरित औद्योगिकीकरण हेतु कार्यवाही किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (111)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले के कादुरी, पैनुगोंड़ा जैसे ऐतिहासिक महत्व के स्थानों तथा चित्तुर जिले के हार्सली हिल्स, कुड़प्पा जिले में पुलीवैनडुल्ला के निकट पालाकोंडालू जैसे अत्यधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर दूरदर्शन रिले केन्द्र खोलने के लिए कार्यवाही करने का कोई उल्लेख नहीं है।" ('12)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल भवनों हेतु मांग कर रहे हजारों गांवों में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल भवन तथा अन्य मूलभूत सुविधाएं देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है जबकि माडल स्कूलों तथा आवासीय स्कूलों पर करोड़ो रुपया खर्च किया जा रहा है।" (113)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पंजाब समझौते को लागू करने के सम्बन्ध में संघ सरकार द्वारा जानबूझकर विलम्ब किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (114)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आसाम समझौते को क्रियान्वित करने के लिए उठाये गए कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (134)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में श्रीलंका की समस्या को सुलझाने और तमिलों पर किए गए नरसंहार को रोकने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (135)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बजट सत्र के कुछ सप्ताह पहले सरकार द्वारा सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में जानबूझकर की गई वृद्धि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (136)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार की त्रुटिपूर्ण नीतियों के फलस्वरूप सभी वस्तुओं में मुद्रास्फीतिक प्रवृत्तियों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (137)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उर्वरकों पर राजसहायता में कमी होने के कारण किसानों, जिन पर पहले से ही बहुत अधिक भार है, पर और भार बढ़ाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (138)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में योजना और गैर-योजना वर्ग में प्रशासन में अत्यधिक निरर्थक व्यय में कटौती करने के किसी उपाय के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (139)

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित आंग्ल-भारतीय) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि संघ सरकार आवश्यक होने पर संविधान के अनुच्छेद 30 के अन्तर्गत दी गयी गारन्टी के अनुसार भाषा तथा/अथवा धार्मिक दृष्टि से अल्पसंख्यकों को, राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे शैक्षिक अथवा भाषायी अथवा धार्मिक अत्याचारों से बचाने के लिए हस्तक्षेप करेगी।" (115)

श्री श्रीराम मूर्ति भट्टम (विशाखापत्तनम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बारे में कोई उल्लेख नहीं है कि सरकार विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के आकार को छोटा करने के प्रस्तावों और नौकरी के अवसरों में पर्याप्त कमी करने के बारे में विचार कर रही है।" (125)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बारे में कोई उल्लेख नहीं है कि सरकार विशाखापत्तनम के इस्पात संयंत्र क्षेत्र में प्रत्येक विस्थापित परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को नौकरी देने के इसके पूर्व के निर्णय को कार्यान्वित करने में विफल रही है।" (126)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि सरकार ने अभी तक निर्णय नहीं किया है कि विशाखापत्तनम संयंत्र क्षेत्र में विस्थापितों से अधिग्रहीत की गई भूमि के लिए क्षतिपूर्ति बाजार दर पर की जाएगी।" (127)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राउरकेला/विशाखापत्तनम स्थित इस्पात संयंत्रों तथा विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, दिल्ली स्थित सिद्धार्थ कंटिनेंटल तथा अकबर होटल में आग लगने की दुर्घटनाओं का उल्लेख नहीं है, जिनसे जान और संपत्ति की भारी क्षति हुई है। (·28)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि विशाखापत्तनम स्थित इस्पात संयंत्र के निर्माण की प्रगति संतोषजनक नहीं है क्योंकि केन्द्र द्वारा धन का दिया जाना अनिश्चित है तथा दिए गए अनुदान की राशि भी बहुत कम है।" (129)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि अनेक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, अपने बिस्तार और आधुनिकीकरण के लिए किए गए भारी निवेश तथा उनके लिए चालू किए गए कार्यक्रमों के बावजूद, भारी और आवर्ती हानि उठा रहे हैं।" (130)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बारे में कोई उल्लेख नहीं है कि केन्द्र ने विभिन्न राज्यों में कई मुख्य तथा बहुद्देशीय परियोजनाओं को अभी तक मंजूरी नहीं दी है।" (131)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि सरकार आंध्र प्रदेश में तेलगू गंगा तथा पोलावरम परियोजनाओं को मंजूरी देने और बमसाधारा तथा इच्छमपल्ली परियोजनाओं के सम्बन्ध में सम्बन्धित मुख्यमन्त्रियों की बैठक का प्रबन्ध करने में विफल रही है।" (132)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बहुराष्ट्रिकों को ऐसे कार्य सौंपने, जिनमें भेल, ई० सी० आई० एल० एच० एम० टी० जैसी सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं ने अपनी तकनीकी क्षमता तथा विशेषज्ञता सिद्ध कर दी है, तथा उन्हें अधिक महत्व देने की हाल की अविचारित नीति का कोई उल्लेख नहीं है।" (133)

श्री ई० अय्यप्पू रेड्डी (करनूल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के उपयोगी जल की बर्बादी को रोकने हेतु आंध्र प्रदेश सरकार के भरसक प्रयासों के बावजूद केन्द्रीय सरकार के पास बहुत अधिक समय से लम्बित पड़ी हुई तेलगू गंगा परियोजना, पोलावरम परियोजना तथा चम्पाली परियोजना जैसी अत्यन्त महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (145)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं, गेहूं तथा चावल उर्वरक, कोयला तथा पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में की गई अत्यधिक वृद्धि के कारणों का कोई उल्लेख नहीं है।" (146)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं है कि सभी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के कारण रुपये के मूल्य में अत्यधिक गिरावट से सम्पूर्ण आर्थिक ढांचा अत्यन्त अव्यवस्थित हो गया है।" (147)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि पंजाब समझौते को लागू करने हेतु मैथ्यू आयोग की असफलता से बचने के लिए कोई शीघ्र पग नहीं उठाए गए।" (148)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि गरीबी-विरोधी कार्यक्रम के क्रियान्वयन के कोई ठोस परिणाम नहीं निकले हैं तथा ग्राम्य-गरीबी को दूर करने और कृषि आर्थिक विकास एवं प्रगति लाने के लिए कोई दृढ़ निश्चय नहीं किया गया है।" (149)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि अफसरशाही विलम्ब, भ्रष्टाचार तथा अकुशलता से बचने के लिए प्रयास नहीं किया गया है।" (150)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने किसी प्रकार का सुधार नहीं दर्शाया है तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का घाटा बढ़ते-बढ़ते 2,000 करोड़ रु० प्रतिवर्ष की विशाल राशि पर पहुंच गया है।" (151)

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र सहित देश के विभिन्न पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि के ऊपरी सतह के क्षरण को रोकने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (172)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नेपाली भाषा को संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (173)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल राज्य में दार्जिलिंग जिले के तीन पर्वतीय उप-मंडलों तथा पड़ोसी जिले के उन निकटवर्ती क्षेत्रों की जनता को, जहां नेपाली भाषी लोग बहुसंख्या में हैं, क्षेत्रीय स्वायत्तता देने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (174)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए और अधिक केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (175)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दार्जिलिंग जिले में, संसार के सबसे सुन्दर स्थलों में से एक है, पर्यटन को विकसित करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (176)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण के सभी चाय उत्पादक राज्यों में बन्द एवं रुग्ण चाय बागानों को अधिग्रहीत करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (177)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय क्षेत्रों में चाय बागानों के लिए 43 करोड़ रुपए की सुधार परियोजना को शीघ्र क्रियान्वित करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (178)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दार्जिलिंग जिले में विदेशी पर्यटकों पर लगे प्रतिबन्धों में ढील देने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (179)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दार्जिलिंग में एक सैनिक स्कूल स्थापित करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है ।" (180)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में श्रमिक वर्ग के हित में त्रिपक्षीय समझौतों आदि के श्रमिक विधान सम्बन्धी पंचाटों को लागू करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है ।" (181)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में श्रमिकों के हित में भविष्य निधि अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाई गई योजनाओं के उपबन्धों को कड़ाई के साथ लागू करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है ।" (182)

कि प्रस्ताव के अन्त मे निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण के सिक्किम विधान सभा में स्थानों के आरक्षण की समस्या को सुलझाने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है ।" (183)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सिलीगुड़ी में एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है ।" (184)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कुरासियोग में स्टुडियो की सुविधा सहित आकाशवाणी केन्द्र विकसित करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है ।" (185)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जलपाईगुड़ी से नई दिल्ली तक सीधी रेलगाड़ी शुरू करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है ।" (186)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में न्यू जलपाईगुड़ी से कलकत्ता तक अति तीव्रगामी रेलगाड़ी शुरू करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है ।" (187)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बंगलादेश के साथ अपनी सीमा को बन्द करने तथा पश्चिम बंगाल राज्य के पश्चिम दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर, चपरा तथा अन्य भागों जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को सीमा पार से आने वाले असामाजिक तत्वों की लूटमार से बचाने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है । (188)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि सरकार कोयला खानों दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रभावी पग उठाने में विफल रही है।" (229)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि सरकार अधिनियम करने हेतु कोई श्रम सम्बन्धी विधान लाने से पूर्व सभी केन्द्रीय मजदूर संघों तथा स्थायी मजदूर समितियों से परामर्श करने में विफल रही है।" (230)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को ऋण देने के लिए एक समान नीति बनाने में विफल रही है।" (231)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सीमांत किसानों और बटाईदारों को दिए गए ऋणों पर ब्याज की दरों को कम करने में सरकार की विफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (232)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस्पात और सीमेंट के मूल्यों को कम करने में सरकार की विफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (233)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के हथकरघा बुनकरों की रक्षा करने में सरकार की विफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (234)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विभिन्न राज्यों में सिंचाई के उद्देश्यों के लिए नदियों के जल के न्यायसंगत वितरण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (235)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बढ़ती हुई साम्प्रदायिक तथा जातिगत भावनाओं से देश की अखण्डता को खतरे तथा इस अभिशाप से निपटने के लिए उठाए गए पगों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (236)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूमि अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों को लागू करने में असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (237)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि वस्तुओं तथा औद्योगिक उत्पादों के मूल्यों में बहुत बड़ी असमानता को दूर करने में असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (238)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि श्रमिकों के लिए केन्द्रीय विधान बनाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (239)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूमिहीन निर्धनों के लिए आवास-स्थलों तथा मकानों का निर्माण करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (240)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उद्योगो के राष्ट्रीयकरण के बारे में सरकार की स्पष्ट तथा दृढ़ नीति के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है।" (241)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण आदेश का जानबूझ कर उल्लंघन करने पर उठाये जाने वाले दण्डात्मक पगों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (242)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिला के तीन पर्वतीय उपमण्डलों में नेपाली भाषी लोगों को क्षेत्रीय स्वायत्ता देने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (243)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दार्जिलिंग जिला में पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए अधिक केन्द्रीय सहायया देने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (244)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दार्जिलिंग जिले में, जो संसार के अत्यन्त सुन्दर पर्यटक क्षेत्रों में से एक है, पर्यटन के विकास के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (245)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दार्जिलिंग के चाय जिला में चाय उद्योग में सुधार और

जीर्णोद्धार के लिए ठोस पग उठाने में सरकार की विफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (246)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि श्रमिकों, विधवाओं तथा अपंग व्यक्तियों को पेंशन देने में सरकार की विफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (247)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश भर के गरीबों तथा सीमान्त किसानों, बर्गादारों तथा कृषि श्रमिकों की कृषिक एवं अन्य सरकारी ऋणों तथा सहकारी ऋणों पर ब्याज से छूट देने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (248)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अमीरों की खपत पर नियंत्रण रखने में विफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (249)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राज्य सरकारों की शक्तियों में की गई कमी के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (250)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वित किये जाने के दौरान विस्थापित हुए हजारों आदिवासी लोगों के दुखों और कठिनाइयों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (251)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य के बारे में कोई उल्लेख नहीं है कि विकास के लाभ अधिसंख्यक लोगों को प्राप्त नहीं हो रहे हैं।" (252)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बड़े पैमाने पर निरक्षरता का उन्मूलन करने के लिए नीति बनाने में सरकार की विफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (253)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में शिक्षा के क्षेत्र में सभी रूढ़िवादी, साम्प्रदायिक तथा अलोकतंत्रीय विचारों के विरुद्ध लड़ाई करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (254)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नेपाली, मैथिली, मणिपुरी तथा डोगरी भाषाओं को

संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (255)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बाढ़ से विनाश की पुरारावृत्ति को रोकने में सरकार की विफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (256)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण स्तर तक योजना का विकेन्द्रीकरण करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (288)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 में परिभाषित उद्देश्यों को पुनर्भाषित करने तथा उद्योगों की समग्र आयोजना तथा अनुज्ञप्तियों का दायित्व राज्यों को अन्तरित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (289)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिमी बंगाल में परमाणु संयन्त्र स्थापित करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (290)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"मिन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की एकक स्थापित करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (291)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में योजना के आरंभिक वर्षों में अनेक आवश्यक वस्तुओं की प्रति व्यक्ति उपलब्धता का निर्धारित लक्ष्यों से कम होने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (292)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल विधान सभा द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति हेतु बहुत समय से लम्बित अनेक विधेयकों का कोई उल्लेख नहीं है।" (293)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में खानों में दुर्घटनाओं के कारण सैकड़ों खान श्रमिकों की हुई मौतों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (294)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रस्ताव नई शिक्षा नीति के द्वारा विशिष्ट वर्गशिक्षा लागू किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (295)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में फालतू भूमि का अधिग्रहण करने तथा उसे भूमिहीन मजदूरों में वितरित करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं हैं।" (296)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कामगार लोगों के लिए न्यूनतम मजदूरी के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (297)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संविधान के अनुच्छेद 38 से 50 में अन्तर्विष्ट नीति निदेशक तत्वों को क्रियान्वित करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (298)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कार्मिक संघों को बिना किसी भेदभाव के सामूहिक सौदेबाजी की तथा अन्य कार्मिक संघ अधिकारों की गारंटी देने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (299)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में श्रमजीवी वर्ग के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की वर्तमान त्रुटियों को ठीक करने हेतु उच्च न्यायालयों के सेवारत न्यायाधीशों को एक समिति गठित करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (300)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार द्वारा अपने हाथ में लिए गए औद्योगिक एककों के कुप्रबन्ध तथा कुप्रशासन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (301)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अमरीका तथा पाकिस्तान जो देश में पृथकतावादी ताकतों को सहायता एवं प्रोत्साहन देने वाली अपनी घृणास्पद गतिविधियों के द्वारा भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (302)

कि प्रस्ताव के अन्त यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अमरीकी साम्राज्यवाद द्वारा हमारे देश के आसपास सैनिक अड्डे स्थापित करके तथा लोकतंत्र के विरोधी शासनों को अत्याधुनिक शस्त्रों की पूर्ति द्वारा भारत को चारों ओर से घेरने का प्रयास करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (303)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की एकता तथा अखण्डता को नुकसान पहुंचाने के मूल कारणों तथा उन्हें समाप्त करने के तरीकों को परिभाषित करने की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (304)

कि प्रस्ताव के अन्त में वह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में अनिवार्य तथा एक समान स्कूल शिक्षा को तत्काल लागू करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (305)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बहुराष्ट्रिक कम्पनियों द्वारा तृतीय विश्व में अपनी पुरानी रद्द प्रौद्योगिकी दिये जाने सम्बन्धी उनकी कपटपूर्ण भूमिका के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (306)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बहुराष्ट्रिक कम्पनियों को खुश करने की सरकार की वर्तमान नीति को त्यागने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (307)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भोपाल त्रासदी के हानिकारक प्रभावों को कम करने की दृष्टि से दीर्घकालीन उपाय करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (308)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बंगलादेश से आए शरणार्थियों की पुनर्वास की समस्या के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (309)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में काम पाने के अधिकार को मूल अधिकार बनाने के लिए संविधान में संशोधन करने की सरकार की असमर्थता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (310)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में महिलाओं पर बढ़ते हुए अत्याचारों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (311)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में दहेज के बढ़ते हुए संकट और दहेज के कारण होने वाली मौतों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (312)

कि प्रस्ताव के अन्त यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में शाहबानो मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के ऐतिहासिक महत्व के बारे में कोई उल्लेख नहीं हैं।" (313)

कि प्रस्ताव अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल में पोत मरम्मत यार्ड की स्थापना करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (314)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल में हल्दिया में पोत निर्माण काम्पलैक्स की स्थापना करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (315)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल में एक इलैक्ट्रोनिक यूनिट की स्थापना करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नही है।" (316)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, मिश्रण इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर और इस्को, बर्नपुर तथा कुल्टी वर्क्स के विस्तार और आधुनिकीकरण की आवश्यकता के बारे में कोइ उल्लेख नहीं है" (317)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल राज्य में नए विद्युत एककों की स्थापना के संबंध में राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार के प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमति दिए जाने में विलम्ब के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (318)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल में आई० डी० पी० एल० की यूनिट की स्थापना करने के लिए किए गए संस्थागत प्रबन्धों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (319)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल में बन्द पड़े औद्योगिक एककों का राष्ट्रीयकरण करके उन्हें पुनः खोलने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (320)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलने तक बेरोजगारी भत्ता देने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (321)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि राज्यपाल के पद का उत्सादन किया जाएगा और संघ तथा राज्यों के बीच सम्पर्क व्यवस्था बनाये रखने के के लिए वैकल्पिक संस्थगत प्रबन्ध किए जायेंगे।" (322)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि शिक्षा के विषय को पुनः राज्य-सूची के अन्तर्गत रखा जाएगा।" (323)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विश्वविद्यालयों के लिए विशेष अनुदानों की आवश्यकता, जिसे राज्य पूरी नहीं कर सकते, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (324)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में—

(क) समवर्ती सूची लोप करने तथा इस सूची के अन्तर्गत आने वाली प्रत्येक मद के राज्य सूची में अन्तरण की आवश्यकता;

(ख) अनुच्छेद 248 के लोप करने तथा स्पष्ट उपबन्ध के पुरःस्थापन की आवश्यकता ताकि अवशिष्टीय शक्तियां संघ के पास न होकर राज्यों के पास रहे;

(ग) अनुच्छेद 249, 252 और 254 के लोप करने अथवा उनमें संशोधनों की आवश्यकता ताकि किसी राज्य को इसकी पूर्व अनुमति के बिना ऐसी किन्हीं विधायी शक्तियों से वंचित न किया जाए, जो उस राज्य की है;

(घ) अनुच्छेद 200 और 201 के वर्तमान स्वरूप का लोप करने तथा राज्यपाल के लिए अब यह अनिवार्य बनाने की आवश्यकता कि वह राज्य सूची के अन्तर्गत आने वाली मदों के सम्बन्ध में राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित सभी विधेयकों पर अनुमति दें,

के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (325)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि अनुच्छेद 247 और 254 में इस प्रकार संशोधन किया जाएगा कि राज्य सूची के अन्तर्गत आने वाली मदों के सम्बन्ध में संघ सरकार की विधान बनाने की शक्तियां 6 महीने की अवधि से अधिक न हो।" (326)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि राज्य सरकारों को रेडियो और दूरदर्शन पर समान अधिकारिता दी जाएगी। (327)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सूखा, बाढ़ तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित राज्यों के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है।" (328)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में रेल यात्रा में बढ़ती हुई असुरक्षा का उल्लेख नहीं है।" (329)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बढ़ती हुई रेल दुर्घटनाओं तथा रेलगाड़ियों के पटरी से उतर जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (330)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र अभी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की परिधि से बाहर है।" (331)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में विद्यमान बन्धुआ श्रमिक प्रणाली का उल्लेख नहीं है। (332)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में विद्यमान बाल श्रमिक पद्धति का उल्लेख नहीं है।" (333)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस समय देश के विभिन्न भागों में बसे हुए भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को भूमि सम्पत्ति के अधिकार देने के सम्बन्ध में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (334)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल में भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड की एक ईकाई स्थापित करने के सम्बन्ध में सरकार की असफलता का उल्लेख नहीं है।" (335)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी नीति बनाने के सम्बन्ध में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (336)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अमरीका द्वारा अत्यधिक सैन्यकरण करने की नीति अपनाये जाने के कारण विश्व-शान्ति और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होने का उल्लेख नहीं है।" (337)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा अर्ध विकसित देशों को अपनी मर्जी से चलाने के लिए उन पर डाले जा रहे निरन्तर दबाव का, ताकि वे पुराने उपनिवेशवाद के स्थान पर नया उपनिवेशवाद स्थापित कर सकें, कोई उल्लेख नहीं है।" (338)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में हिन्दमहासागर में दिएगो गार्शिया में अमरीकी नौसैनिक अड्डे, जो कि तटवर्ती राष्ट्रों की पुसुरक्षा के लिए एक निरन्तर खतरा है, का उल्लेख नहीं है।" (339)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में साम्राज्यवादी देशों द्वारा हथियार जमा करने, यूरोप में नये तथा शक्तिशाली परमाणु मिसाइल स्थापित करने, दिएगो गार्शिया जैसे परमाणु अड्डों का प्रसार करके तथा नए अड्डे स्थापित करके खाड़ी के क्षेत्र और हिन्द-महासागर में सेना तैनात करने की नीति अपनाये जाने के कारण तेजी से बिगड़ती हुई अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और युद्ध के खतरे का उल्लेख नहीं है।" (340)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को घातक हथियार दिये जाने और उसके परिणामस्वरूप देश की सुरक्षा को खतरे का उल्लेख नहीं है।" (341)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी विदेशी आस्तियों का राष्ट्रीयकरण करने में सरकार की असफलता का उल्लेख नहीं है। (342)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् : —

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की एकाधिकारिक धारिता का राष्ट्रीयकरण करने में सरकार की असफलता का उल्लेख नहीं है।" (343)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण जनता में बढ़ती हुई गरीबी का उल्लेख नहीं है।" (344)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत में आवश्यकता पर आधारित मजदूरी नीति का उल्लेख नहीं है।" (345)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों तथा कृषि मजदूरों के हित में आमूल-चूक भूमि सुधारों की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है।" (346)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में एकाधिकारियों तथा विदेशी बहुराष्ट्रिकों को रोकने के सम्बन्ध में सरकार की असफलता का उल्लेख नहीं है।" (347)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि सरकार एकाधिकारियों और बहुराष्ट्रिकों को और रियायतें दे रही हैं।" (348)

कि प्रस्ताव के अन्त मे निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् : —

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति, जहां मुद्रास्फीति की दर दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और जिसके परिणामस्वरूप आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में तीव्र वृद्धि हो रही है, का उल्लेख नहीं है।" (349)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बढ़ाये हुए करों तथा श्रमिकों और कर्मचारियों की मजूरी पर प्रहार द्वारा लोगों के निर्वाह स्तर पर सर्वतोमुखी प्रहार का उल्लेख नहीं है।" (350)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में ठेका श्रम पद्धति के उत्पादन की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है।" (351)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कामकाजी महिलाओं के लिए समान वेतन तथा सुविधाएं सुनिश्चित करने में सरकार की असफलता का उल्लेख नहीं है।" (352)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में अधिकांश जनता को प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय तथा प्रति व्यक्ति अनेक आवश्यक वस्तुओं की न्यूनतम उपलब्धता सुनिश्चित करने के लक्ष्यों तक पहुंचने में असफलता का उल्लेख नहीं है।" (353)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में धनवानों द्वारा सुस्पष्ट उपभोग तथा अधिकांश आम जनता की दयनीय निर्वाह दशाओं का उल्लेख नहीं है।" (354)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी का उल्लेख नहीं है।" (355)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में तिलहनों, दालों, कपास और जूट के उत्पादन में आई प्रगतिरोध के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (201)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पिछले वर्ष के दौरान खाद्यान्नों के रिकार्ड उत्पादन के बावजूद इसकी कीमतों में असामान्य वृद्धि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (202)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक में परिवर्तन की तुलना में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई असंगत वृद्धि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (203)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में रुग्ण होने वाले छोटे और बड़े उद्योगों की संख्या में निरंतर वृद्धि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (204)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हिन्द-महासागर को शांति-क्षेत्र बनाने के लिए प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन को बार-बार स्थगित किये जाने के संबंध में सरकार की ओर से कोई चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है।" (205)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बेरोजगार लोगों को बेरोजगार-भत्ता देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (206)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में, अर्थव्यवस्था में सरकारी क्षेत्र का महत्व तथा सरकारी क्षेत्र के एककों को मजबूत और आर्थिक दृष्टि से आत्म-निर्भर बनाने के लिए, यथा परियोजनाओं को ठीक समय पर पूरा करने, उनकी क्षमता का पूरा उपयोग करने आदि के लिए प्रस्तावित उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (207)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में, कृषि-उत्पादकों को लाभकारी कीमतें दिलवाने, कृषि उत्पादनों तथा औद्योगिक उत्पादनों और निवेशों में समानता लाने, मूल उत्पादकों को दी गई कीमयों तथा वास्तविक उपभोक्ताओं से ली गई कीमतों में बीस प्रतिशत का अन्तर सीमित करने तथा थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली नेटवर्क के माध्यम से नियन्त्रित कीमतों पर सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की गारंटी प्रदान करने के लिए एक मिश्रित मूल्य नीति के क्रियान्वयन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (208)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो मूल्य वृद्धि पर रोक लगाने तथा लोगों को दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, को पुनर्गठित करने तथा उसका विस्तार करने में सरकार की असफलता के बारे में गहन चिंता व्यक्त नहीं की गई है।" (209)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जूट, सूती-वस्त्र, चीनी, वनस्पति, चिकित्सा-औषधियों तथा अन्य आवश्यक खाद्य-वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए किसी उपाय के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (210)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि कृषि, सिंचाई और

ग्रामीण विकास के लिए मुख्य रूप से नियत की गई राशि का लाभ धनवान् लोग उठा रहे हैं जबकि इसके लाभों से निर्धन वर्ग के लोग वंचित रहते हैं।" (211)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अधिकांश राज्यों में भूमि-सुधारों का क्रियान्वयन, जिसमें भूमि-सीमा का निर्धारण करना तथा काश्तकारों को फालतू जमीन का वितरण भी शामिल है, बिलकुल ठप्प हो गया है, के बारे में कोई गहन चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है।" (212)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बारे में कोई उल्लेख नहीं है कि सरकार तथा प्रशासन पर भूस्वामियों के प्रभाव के कारण अनेक राज्यों में न्यूनतम कृषि मजदूरी से संबंधित वर्तमान कानूनों को समुचित रूप से लागू नहीं किया जा रहा है।" (213)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बारे में कोई गहन चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है कि स्वतन्त्रता के 37 वर्षों के बाद भी भारत के एक-तिहाई गांवों में अभी तक पीने का पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है।" (214)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में खेतिहार मजदूरों के लिए एक विस्तृत केन्द्रीय विधान बनाने की तत्काल आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (215)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बारे में कहीं भी कोई गहन चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है कि विदेशी-मुद्रा विनियम अधिनियम के उपबन्धों को समुचित रूप से लागू नहीं किया जा रहा है तथा बहुराष्ट्रिक कम्पनियों द्वारा उनकी अवज्ञा की जा रही है।" (216)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस देश से बहुराष्ट्रिक कम्पनियों द्वारा मुनाफे, ब्याज, रायल्टी तथा लाभांश बाहर भेजे जाने के परिणामस्वरूप हमारे देश के संसाधनों के निष्कासन पर कारगर रोक लगाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (217)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बढ़ रहे क्षेत्रीय असन्तुलन तथा उसे ठीक करने के लिए उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (218)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ती बेरोजगारी तथा अल्प-रोजगार के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (219)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में काले धन का कारगर ढंग से पता लगाने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (220)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गुप्त मतदान के माध्यम से श्रमिक संघों को मान्यता दिए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (221)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में एकाधिकार प्राप्त कम्पनियों तथा बहुराष्ट्रिक कम्पनियों के पक्ष में औद्योगिक नीति को निरन्तर उदार बनाये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (222)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दहेज के संकट तथा दहेज के कारण होने वाली मौतों में वृद्धि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (223)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में महिलाओं की बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए सरकारी तथा अर्ध-सरकारी कार्यालयों में महिलाओं के लिए 25% स्थान आरक्षित करने के लिए किसी प्रस्ताव के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (224)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में गैर-कानूनी खनन-कार्यों में लगे हुए खान-मालिकों द्वारा आदिवासियों के निरन्तर शोषण के बारे में कोई गहन चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है।" (225)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चुनाव-संबंधी सुधारों के उपाय के रूप में आनुपातिक प्रतिनिधित्व का कोई उल्लेख नहीं है।" (226)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बढ़ती हुई आर्थिक विषमताओं, जिसके कारण अधिकाधिक लोग गरीबी की रेखा से नीचे चले जा रहे हैं, के बारे में सम्यक् चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है।" (227)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में 18 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर मताधिकार का प्रयोग करने के अधिकार को संविधान में एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करने के बारे में कोई उल्लेख नही है ।" (228)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में एकाधिकार औद्योगिक घरानों की वृद्धि पर रोक लगाने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (257)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम और इसको पुन: सक्रिय बनाने के लिये उठाये जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (258)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के क्रियान्वयन में की गई प्रगति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (259)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों को भारी राशि के देय बकाया भुगतान के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (260)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र न बनने देने में अमरीकी साम्राज्यवाद के एक मुख्य कारण होने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (261)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विश्व शांति और विशेष रूप से यूरोप में शांति को खतरा पैदा करने में अमरीका के एक मुख्य कारण होने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (262)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दिएगो गासिया में अमरीकी सैनिक अड्डे के विस्तार और वहां पर परमाणु अस्त्रों सहित शस्त्रास्त्रों के जमाव के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (263)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नेपाली, मणिपुरी, मैथिली, संथाली और भोजपुरी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (264)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारतीय अर्थव्यवस्था में बहु-राष्ट्रिकों के बढ़ते हुए प्रभाव के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (265)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश से सभी के बंधुआ श्रम को समाप्त करने और उनके पुनर्वास के लिए किन्हीं कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"] (266)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण मे देश के विभिन्न भागों में प्रतिवर्ष आने वाली भयानक बाढ़ और सूखे की प्रभावी रोकथाम करने के लिए किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" 267)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में निरक्षरता की बढ़ती हुई समस्या को सुलझाने के लिए किसी उपायों के बारे मे कोई उल्लेख नहीं है।" (268)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में वृद्ध कृषि कर्मकारों को पेंशन देने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (269)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश के विभिन्न भागों, विशेषरूप से बिहार और उत्तर प्रदेश मे हरिजनो और आदिवासियों पर निरतर किये जा रहे बर्बर अत्याचारों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (270)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में आई० आर० डी० पी०, एन० आर० ई० पी० और आर० एल० ई० पी० जी० जैसे विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमो के क्रियान्वयन में कदाचार के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (271)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में श्रमिक वर्ग विरोधी नीति, जिसके अंतर्गत श्रमिक संघों के अधिकारों पर प्रहार किया जाता है और दमनकारी उपाय अपनाये जाते हैं, की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है और एस्मा जैसे अधिनियमों का निरसन करने की सरकार की मंशा के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (272)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में विदेशी ऋण लौटाने के बढ़ते हुए दायित्व के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (273)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में भारतीय महिलाओं, जो दकियानूसी, अर्ध-सामन्तवादी दृष्टिकोण का शिकार हैं और जिन्हें संविधान में घोषित स्त्री-पुरुष समानता के बावजूद समान मजदूरी सहित समान व्यवहार से वंचित किया जाता है, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (274)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश के विभिन्न भागों में प्रायः भड़कने वाली साम्प्रदायिक हिंसा, जिससे साम्प्रदायिक भाईचारे में व्यवधान पड़ता है, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (275)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में संविधान के अनुच्छेद 311(2) पर सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णय के फलस्वरूप सरकारी कर्मचारियों में असुरक्षा की बढ़ती हुई भावना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (276)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में संविधान में यथा उपबन्धित 6 से 14 वर्ष की आय समूह के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने में असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (277)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किंतु न भरे गए पदों को भरने के लिए प्रभावी और तात्कालिक कदमों के उठाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (278)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में विभिन्न राज्यों में सूखा से पीड़ित लोगों की दशा सुधारने के लिए पर्याप्त धनराशि देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (279)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में प्रबन्ध में श्रमिकों की सहभागिता आरम्भ करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (280)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सभी बड़े नगरों में गन्दी बस्तियों और गन्दी बस्तियों में रहने वालों की दशा सुधारने के उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (281)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में विद्युत संकट, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में वर्तमान क्षमता के उपयोग पर प्रभाव पड़ता है, और इस समस्या को सुलझाने के लिए किए जाने वाले उपायों पर गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया है।" (282)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में भारत की अर्थ-व्यवस्था में विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के हस्तक्षेप जो अधिक स्पष्ट हो गया है, और इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि विश्व बैंक खाद्य और उर्वरक के मामले में राज-सहायता समाप्त करने की मांग करता रहा है और लोगों के उपयोग स्तरों को घटाने के लिए दबाव डालता रहा है।" (283)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी सेवा में आरक्षण के सम्बन्ध में मण्डल के आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (284)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में स्वदेशी पूंजीगत माल उद्योग पर उदार आयात नीति घातक के कुप्रभाव के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (285)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में आन्तरिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए कृषि-आय पर कर लगाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (286)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में स्वचालित यान नीति की पुनः जांच करने की आवश्यकता और दक्ष तथा विश्वसनीय सरकारी परिवहन पर अधिक जोर देने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (287)

श्री डी० एन० रेड्डी (कड़प्पा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में, निम्न-स्तर की बैलगाड़ी, जिस पर परिवहन सहित हमारी कृषि-पैदावार अधिकांशतः निर्भर है, में सुधार लाने तथा इसे उन्नत करने के महत्व और हल में सुधार करने तथा हमारे किसानों के सामने उत्पन्न बाधाओं का कोई उल्लेख नहीं है।" (356)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत्रों विशेषतया ब्राजील की तरह इथाईल और मिथाईल अल्कोहल का विकास करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (357)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में जनसंख्या नियंत्रण पर जोर देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (358)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय औषध नीति तथा सभी दवाओं तथा औषधियों को स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन लाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (359)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार और उसमें सुधार करने तथा उत्पादकों और उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं के लिए मूल्य निर्धारण एवं विपणन प्राधिकरण स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (360)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में इस बारे में कोई उल्लेख नहीं है कि आम आदमी के लिए जीवन-रक्षक खाद्य-पदार्थों विशेष रूप से सब्जियों, फलों और दूध की उत्पादकता को बढ़ाने की आवश्यकता है।" (361)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में इस बारे में कोई उल्लेख नहीं है कि गरीब लोगों के लिए कम लागत पर मकान बनाये जाने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाये।" (362)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् : —

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में शुष्क-भूमि पर खेती का विस्तार करने तथा प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के अन्तरण में सुधार करके दालों, तिलहनों और चीनी के उत्पादन में वृद्धि करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (363)

श्री मेवा सिंह गिल (लुधियाना) : सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति और विरोधी पक्ष की कृपा से, विशेष रूप से तेलगु देशम के नेताओं की कृपा से बोलने के लिए खड़ा हूं जिन्होंने मुझे शिरोमणि अकाली दल की ओर से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भाग लेने जिसे कुछ दिन पहले दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों में पढ़ा गया था, चर्चा में भाग लेने के लिए समय दिया है।

सभा में हम कई लोगों के लिए और सभा के बाहर भी बहुत-से लोगों के लिए शिरोमणि अकाली दल केवल एक क्षेत्रीय दल है। लेकिन इतिहास साक्षी है कि जब कभी समय की मांग हुई। जब कभी समस्याओं ने पुकारा, जब कभी राष्ट्रीय विपत्ति ने इस प्रकार की चुनौती दी, यह दल राष्ट्रीय दल के रूप में उभर कर सामने आया। इसलिए मैं इस दल की ओर से बोल रहा हूं जिसने स्वतन्त्रता संग्राम में स्वतन्त्रता की लड़ाई में अन्य दलों के साथ देशभक्त लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सहित देशभक्त दलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वीरता दिखाई। उन्होंने अपनी जानें गवाई हैं। उन्होंने आजादी की बलिवेदी पर अनगिनत बलिदान दिए।

यदि आप मुझे अनुमति देते हैं तो मैं उद्धृत कर सकता हूं कि स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान केवल 120 ऐसे स्वतन्त्रता सैनानी थे जिन्हें ब्रिटिश साम्राज्यवाद द्वारा फांसी पर लटकाया गया था। फांसी पर चढ़ने वाले इन 121 लोगों में से 93 लोग सिख समुदाय के थे। यह वह समुदाय है जो गुरु नानक और गुरु गोविन्द सिंह की शिक्षा और उपदेशों पर विश्वास करता है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद द्वारा स्वतन्त्रता सेनानियों को जो कठोर सजा दी जाती थी वह देश निकाला थी। उन्हें बर्मा, मलेशिया, अंडमान और सेल्युलर जेल मे भेजा जा सकता था। यह सजा भारत के 2646 स्वतन्त्रता सेनानियों को दी गई थी और इनमें से 2147 लोग मेरे समुदाय के थे। वे सिख थे और वे अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए सबसे आगे लड़े थे। जनरल डायर ने 1300 लोगों को गोली का शिकार बनाया था जिसमें से 679 लोग इस समुदाय के थे। पंजाब से बाहर बहुत दूर बड़गे-बड़गे घाट पर 22 व्यक्ति ब्रिटिश साम्राज्यवाद की गोलियों का शिकार बने थे और वे सभी 22 व्यक्ति सिख थे तथा मेरे समुदाय के थे। इसलिए जब मैं कहता हूं कि मैं शिरोमणि अकाली दल की ओर से बोल रहा हूं तो मेरा कहने का मतलब है कि··· भी ओर से······

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : 'मेरे' शब्द के स्थान पर आपको 'हमारा' समुदाय कहना चाहिए।

श्री मेवा सिंह गिल : एक बार फिर, आपातकाल के दौरान यही वह दल था जिसने अवसर का सामना किया और भारत के लोगों की मुक्ति के लिए, जिनके हाथ-पांव आपातकाल के कानूनों द्वारा बंधे थे, लड़ाई लड़ी। मैं उसी पार्टी की ओर से बोल रहा हूं। मैं विशेषकर इस सदन के ध्यान में और इस सदन के माध्यम से उन लाखों लोगों के ध्यान में, जोकि भारत के तटीय भागों में रह रहे हैं—मछुआरे, श्रमिक, मजदूर और उन लाखों लोगों के जोकि ऊंचे हिमालय के निकट घाटियों में रह रहे हैं और खेतों में तथा खानों में काम कर रहे हैं, उन सबके ध्यान में लाना चाहता हूं। मैं उनके ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि एक दल है जिसने भारत की स्वतन्त्रता के लिए लड़ाई लड़ी है। लेकिन सत्तारूढ़ दल द्वारा हमारी छवि धूमिल करने, हमें गद्दारों या उग्रवादियों के रूप में उकेरने के इरादे से एक विशेष कदम उठाया गया।

श्री राम प्यारे पनिका : बिल्कुल नहीं। महोदय, यह बिल्कुल गलत है। हमारे मन में सिखों के लिए हमेशा बहुत सम्मान है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : माननीय सभापति जी, मैं सदन में सिर्फ इतना ही कहना

चाहूंगा कि माननीय मेवा सिंह गिल जी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं परन्तु उसमें वे इतना और जोड़ दें कि जिस व्यक्ति ने यह अभिभाषण दिया है, वे भी इनकी ही जाति के हैं, वे भी सिख हैं।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : क्या मैं माननीय सदस्य की सूचना के लिए एक शब्द जोड़ सकता हूं ? सिख देश के सर्वाधिक देशभक्त लोगों में से एक है। सत्तारूढ़ में हममें से किसी ने भी उन्हें कभी भी गद्दार नहीं कहा। हमने हमेशा कहा है कि वे देश-भक्त रहे हैं। व्यक्ति विशेष हत्यारे हो सकते हैं; व्यक्तिगत रूप से कुछ लोग आतंकवादी हो सकते हैं तथा व्यक्तिगत रूप से कुछ लोग खूनी हो सकते हैं। लेकिन सिख समुदाय कभी नहीं हो सकता। वे सर्वाधिक देशभक्त लोगों में से एक हैं।

श्री राम प्यारे पनिका : हमें सिख समुदाय पर गर्व है।

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : हमने हमेशा ऐसा कहा है। कृपया अपनी बात का सुधार कीजिए, तथा इसे फिर से मत दोहराइये।

श्री एच० के० एल० भगत : कांग्रेस के साथ-साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी है, उसके साथ ही मरे हैं तथा कांग्रेस के साथ ही दुःख झेले हैं। अकाली दल ने भी देश के लिए बड़े बलिदान किए हैं।

श्री मेवा सिंह गिल : यही बात मैं कह रहा हूं। अकाली दल ने देश के लोगों के लिए इतने अधिक बलिदान किए हैं।

5.15 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

श्री वसन्त साठे : मेवा सिंह जी, मैं आपसे केवल एक दरख्वास्त करता हूं, आप इतना अच्छा भाषण दे रहे हैं, मेहरबानी करके यह मत कहिए कि रूलिंग पार्टी ने तमाम सिख कौम को, सिख कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश की है, यह बात सच नहीं है। यह बात रिकॉर्ड पर चली जाती है। रूलिंग पार्टी के किसी भी आदमी ने कभी यह नहीं कहा है।

[अनुवाद]

श्री मेवा सिंह गिल : दल ने कभी भी ऐसे प्रस्ताव पास नहीं किए। लेकिन कुछ लोग, जिन्हें अवसर मिलता है, ऐसा कहते हैं।

एक माननीय सदस्य : कोई नहीं। (व्यवधान)

श्री मेवा सिंह गिल : अब मैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस करना चाहूंगा। प्रारम्भ में ही मैं यह कहूंगा कि यह अभिभाषण एक जानबूझकर अपनायी गयी चुप्पी का और की गलतियों का ब्योरा है। यह भुलाये गए वायदों का वक्तव्य है, यह पूरे न किए गए वायदों का वक्तव्य है और भुलाए गए आश्वासनों और वचनों का वक्तव्य है। मैं कहूंगा कि इस अभिभाषण में विशेषकर देश

की विधि और व्यवस्था की स्थिति का जानबूझकर उल्लेख नहीं किया गया है। विशेषकर, धनी और निर्धनों के बीच बढ़ती खाई का उल्लेख नहीं किया गया है। विशेषकर लोगों की परेशानियों का उल्लेख करना इसमें छोड़ दिया गया। इन सब बातों को, एक विशेष शब्दावली में, मैं कहूंगा कि जोशीली शब्दावली से ढक देने का प्रयत्न जानबूझकर किया गया है, और राष्ट्र के लोगों के सम्मुख सच्चाई नहीं रखी गई है। आज सुबह सुबह उठकर अखबारों में हमने पढ़ा कि बहुत से लोग साम्प्रदायिकता की आग में जीवित भून डाले गए हैं। घायल कर दिए गए हैं और जिन्दा जला दिए गए हैं। सुबह उठकर हमें मालूम होता है कि उन स्त्रियों की और नवविवाहिताओं की कराहें आ रही है जिन्हें दहेज की कभी न मिटने वाली भूख के खातिर जिन्दा जला दिया गया था। आज, लोगों के दरवाजे पर प्रत्येक आहट मोत की घन्टी की आवाज है। हमने देखा है कि संध्या और प्रातः काल की शांति मृत्यु और निराशा की शान्ति है। आज घर की चारदीवारी के भीतर विधि और व्यवस्था की कहानी ससुराल वालों की और उनके द्वारा दिये जाने वाले मृत्यु दण्ड की कहानी है, और चारदीवारी के बाहर विधि और व्यवस्था की कहानी मुजरिमों की और उनके द्वारा की जाने वाली लूट की कहानी है। आज, हम देखते हैं कि दिन की कहानी है कर्फ्यू की कहानी, यह धारा 144, दण्ड प्रक्रिया सहिता के लागू किए जाने की कहानी है। यह गोलियों की बौछार की कहानी है। आज के समय की कहानी यही है। आज रात्रि होने की कहानी उन लोगों की है जो बीते हुए कल की गहरी काल कोठरी मे गिर जाते हैं, क्योंकि हम पाते है कि उन लोगों के सिर में छत नहीं है, वे खाली पेट हैं, नंगे पांव हैं और उनके पास खाने को कुछ नहीं है। रात्रि होने की कहानी ये है और आप उन्हें शहरों, महानगरों, की पटरियों में पायेंगे, और उनकी संख्या दिन प्रति दिन बढ़ रही है। यह वह कहानी है जिसका सामना हम कर रहे हैं और राष्ट्रपति के अभिभाषण में लोगों के जीवन के इस पहलू का उल्लेख जानबूझ कर छोड़ दिया गया है। मैं कहूंगा कि ज्यादा समय नहीं हुआ है जबकि इस राजधानी में, उत्तर भारत के शहरों में—बोकारो में ऐसा हुआ, कानपुर में ऐसा हुआ हमने एक दर्दनाक नाटक देखा जिसकी सभ्यता के इतिहास मे कोई तुलना नहीं है, घृणा के इतिहास में जो अद्वितीय है, और हमने देखा कि यहां गृह मंत्रालय के बिल्कुल नजदीक उनकी नाक के ही नीचे, उनकी आंखों के नीचे, जमुना के किनारों पर एक नाटक का मंचन किया गया। यहीं नवजात बच्चों और छोटे शिशुओं को उनकी मांओं की गोद से छीन लिया गया तथा भारत की एकता के नाम पर उनको चीर डाला गया। यहीं अखण्ड भारत के नाम पर माताओं और बहनों से उनके बेटों और भाइयों के सामने सामूहिक रूप से बलात्कार किया गया। यहीं लोगों को पकड़कर उनके गले में जलते हुए रबर के टायर डालकर उन्हें मौत का नाच करने को विवश किया गया। यहीं बहुत से लोगों को पकड़ लिया गया, उनको पीटा गया, उनको मार डाला गया और उनके टुकड़े-टुकड़े कर दिए गए और यह सब भारत की एकता के नाम पर किया गया। यहीं मकान जलाए गए, झुग्गियां-झोंपड़ियां जला दी गई, यहीं इतना बड़ा यज्ञ किया गया। यह सब बातें गृह मंत्रालय की आंखों के नीचे हुई, इन सब तथ्यों का राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

पंजाब ने इस भव्य सदन की ओर देखा, उच्च सत्ता के सोपानों की ओर देखा, लेकिन एक भी उंगली नहीं उठाई गई, एक भी आवाज इस महान संहार के विरुद्ध नहीं उठी। इन पहलुओं का राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।

लाखों लोगों के मुंह में यह एक प्रश्न बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा है, भारत में कौन शासन करता

है ? क्या कांग्रेस (इ०) के भगवान राजीव शासन करते हैं, या मृत्यु अवसाद और संहार के देवता भगवान शिव ? प्रश्न यह है । यह प्रश्न राष्ट्रपति के अभिभाषण में होना था लेकिन इसे जानबूझकर छोड़ दिया गया है।

एक ओर हम देखते हैं कि दिन पर दिन धनी और निर्धनों के बीच खाई बढ़ रही है । हम पाते हैं कि रोज ऊंची-ऊंची इमारतें बन रही हैं और साथ ही साथ गन्दी बस्तियों का क्षेत्र भी दलित क्षेत्रों में दूना और तिगुना होता जा रहा है। यह तो स्थिति है । एक ओर कुछ लोग धनी होते जा रहे हैं, और दूसरी ओर, लोग दिन पर दिन और अधिक गरीब होते जा रहे हैं और भारत के लाखों-करोड़ों लोग अपना जीवन निर्वाह भी नहीं कर पा रहे हैं । गरीबी की सीमा रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की सख्या बढ़ रही है। मैं यह भी कह सकता हूं कि ऐसे लोगों की संख्या पिछले वर्षों में कम नहीं की गयी है, बल्कि यह और बढ़ गयी है । लगभग 36,000 करोड़ रुपए का काला धन इस देश में प्रचलन में है और हमारे देश में इससे बड़ी बुरी स्थिति पैदा हो गई है । यही कारण है कि कीमतें बढ़ रही हैं और लोग गरीब होते जा रहे हैं, दूसरी ओर हम अपनी उपलब्धियो की बात कर रहे हैं । हमारी उपलब्धियां इस सरकार की उपलब्धियां नहीं हैं ।

हमारे देश में जो हरित-क्रान्ति हुई वह इस सरकार के कारण नहीं हुई । यह पंजाब के किसानों तथा अन्य लोगों के कठिन श्रम के कारण हुई । यह उन लोगो के द्वारा खेतों में कठिन कार्य करने से हुई जिनको अच्छा पैसा नहीं दिया जाता, यह केवल सरकार के प्रयत्नों के कारण नहीं हुआ है और इसका राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।

एक माननीय सदस्य : मजदूर बिहार, उड़ीसा तथा अन्य स्थानों से आते हैं ।

श्री मेवा सिंह गिल : हम इसके लिए कृतज्ञ हैं । लेकिन यहां प्रश्न है इस सम्बन्ध में सरकार के प्रयत्नों का । असल बात यह है कि किसानों और फार्म मजदूरों द्वारा किया गया प्रयत्न कहीं अधिक है। इसलिए यह हरित क्रान्ति हुई है, ऐसी बात नहीं है कि हमने इन बातों को केवल सरकार के प्रयत्नों से ही प्राप्त किया है ।

इन शब्दों के साथ, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

[हिन्दी]

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए चन्द बातें मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं ।

देश चलाने के लिए कोई राजनीतिक इच्छा होती है, यह इच्छा किसकी है ? यह इच्छा कांग्रेस पार्टी की है । आज से नहीं, 1947 से जब से देश का विभाजन हुआ है, तब से यह संस्था काम करती रही है । आज देश में जो प्रगति आप देख रहे हैं, वह कांग्रेस की वजह से हुई है।

आज देश में शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रगति हुई है । यह प्रगति कांग्रेस पार्टी के सत्ता में रहने के कारण से ही हुई है । इस देश में कांग्रेस ने केवल ढाई साल छोड़कर पूरा समय शासन किया है । हमारे जो विरोधी भाई यह कहते हैं कि देश में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। मैं उनकी यह बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं । हम देखते हैं कि स्थिति दिनोंदिन सुधरती जा रही है । आज सबको खाने के लिए अनाज मिल रहा है । पहले हमारे यहां उड़ीसा में बहुत अधिक अकाल

आता था। वैसा अकाल आज वहां नहीं आ रहा है। इस बात का श्रेय कांग्रेस पार्टी को ही जाता है।

हमारे प्रधान मन्त्री जी ने जो भी वायदा किया था वह पूरा किया है और आगे भी वह वायदे पूरा करने जा रहे हैं। आज जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई है, इस देश में भूमि सुधार और लैंड सीलिंग भी हो गई है। यही कारण है कि बहुत बड़ी मात्रा में खाद्यान्न बाहर भेजते हैं। यह सब काम बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है।

हमारे गांधी जी, नेहरू जी और इन्दिरा जी का यह सपना था कि हम समाजवाद लाएंगे। उनका वह सपना पूरा हो गया है। हमारे प्रधान मन्त्री जी ने प्रभुता सम्पन्न लोकतान्त्रिक गणराज्य स्थापित करने का संकल्प किया है जिस को कि वह पूरा भी कर रहे हैं।

राष्ट्रपति जी ने जो अभिभाषण दिया है उसमें उन्होंने गए साल का ब्यौरा और अगले साल में हम क्या करने जा रहे हैं, उसका पूरा ब्यौरा दिया है। मैं उसका हार्दिक स्वागत करता हूं।

आज हमारी नीतियों का ही नतीजा है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, मनी-लैंडिंग सिस्टम खत्म किया और जिन बड़े-बड़े लोगों के पास काला धन था उनको पकड़ा। समाज का वह वर्ग जो कि अब तक शोषण का शिकार था, वह भी शोषण से मुक्त हो गया है।

हमारे विरोधी भाई जो कि कहते हैं कि इस देश से समाजवाद खत्म हो गया है। मेरे ख्याल में वह समाजवाद की परिभाषा ही नहीं जानते। हमारे देश में समाजवाद की जो परिभाषा है, वह दूसरे कंट्रीज से फर्क है। आप देख रहे हैं कि आई० आर० डी० पी० का प्रोग्राम हो, आई० एल० ई० जी० पी० का प्रोग्राम हो या एन० आर० ई० पी० का प्रोग्राम हो और चाहे हरिजन आदिवासियों के लिए कोई प्रोग्राम हो, पिछड़े एरियाज के लिए प्रोग्राम हो या फिर पहाड़ी इलाको के लिए प्रोग्राम हो—यह सारे ही प्रोग्राम जो हैं वह दरिद्रता को, पावर्टी को हटाने के लिए बनाए गए हैं। इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है?

लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जमीन पर जिस प्रकार से आपने सीलिंग लगाई है उसी प्रकार से प्रापर्टी पर भी सीलिंग लगाई जानी चाहिए। बिना प्रापर्टी पर सीलिंग लगाए हुए गरीब लोगों को हम जो बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं उसमें हम सफल नहीं पाएंगे। यदि एक ही फैमिली के पास तरह-तरह के इनकम के सोर्सेज होंगे तो दूसरों के लिए हम सोर्सेज पैदा नहीं कर पाएंगे। आप जानते ही हैं कि आर० एल० ई० जी० पी० के अन्तर्गत साल में कम से कम सौ दिन की रोजी की व्यवस्था करने की बात कही गई है लेकिन इम्प्लीमेन्टेशन स्टेज पर इसको ठीक प्रकार से कार्यान्वित नहीं किया जा सका है। हमारी भूतपूर्व प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा और प्लानिंग कमीशन ने प्रोग्राम तैयार किया जिससे कि हर व्यक्ति को कुछ-न-कुछ बेनिफिट पहुंच सके लेकिन आर० एल० ई० जी० पी० के अन्तर्गत यह बेनिफिट नहीं पहुंच सका है क्योंकि कौन आदमी उसमें आएंगे उनका आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हो सका है। यह किसी एक स्टेट की बात नहीं है, चाहे आंध्र हो या कोई भी अन्य स्टेट हो सभी जगह बेनिफिसरी को इसका बेनिफिट नहीं पहुंचता है। कम से कम सौ दिन का काम उनको नहीं मिलता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसके इम्प्लीमेन्टेशन में सुधार करने की आवश्यकता है ताकि लोगों को लाभ मिल सके।

राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में यह बात कही है कि बीस सूत्री कार्यक्रम में आगे

सुधार लाया जाएगा। हमें आशा है जरूर सुधार आएगा परन्तु एक बात पर जरूर ध्यान जाना चाहिए कि एक परिवार के पास ज्यादा घर नहीं रहने चाहिए। एक परिवार के पास एक घर ही हो। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो देश में जो शोषण हो रहा है उसको हम रोक नहीं पाएंगे और न ही गरीबों को हम जो बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं, वही पहुंचा पाएंगे क्योंकि ज्यादा बेनिफिट कुछ लोग ही रास्ते में उठा ले जाएंगे। ऐसी हालत में मैं समझता हूं राष्ट्रपति जी ने जो अपने अभिभाषण में यह बात कही है कि अगले साल बीस सूत्री कार्यक्रम को नया रूप दिया जाएगा वह बहुत आवश्यक है ताकि देश में जो गरीब से गरीब लोग भी हैं उनको भी बेनिफिट पहुंचाया जा सके। इस सम्बन्ध में जहां तक हरिजन आदिवासियों का सम्बन्ध है उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वे ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं इसलिए एजूकेशन को खास प्रायर्टी मिलनी चाहिए। यदि आप एजूकेशन को खास प्रायर्टी नहीं देंगे तो उनको बेनिफिट नहीं मिल सकेगा और वे आगे नहीं बढ़ पायेंगे और न ही आप जो सहायता देंगे वे उसका ठीक ढंग से उपयोग ही कर सकेंगे।

प्रधान मन्त्री जी ने समाज में क्लीनलीनेस का एक मसला सभी के सामने रखा है। हमारे युवा प्राइम मिनिस्टर ने क्लीनलीनेस के सम्बन्ध में जो बात कही है उसमें सभी का कोआपरेशन उनको चाहिए ताकि समाज का कोई भी क्षेत्र क्यों न हो सभी में निर्मलता, क्लीनलीनेस आ सके। आखिर में राष्ट्रपति जी ने कहा है कि देश की एकता को बनाए रखना चाहिए। असम और पंजाब के समझौते के बाद वहां इलैक्शन हुआ और जनतान्त्रिक सरकार बनी। लेकिन ये राष्ट्र विरोधी कार्य करने वाले लोग सरकार को को-आपरेट नहीं करना चाहते हैं। एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि समय के साथ-साथ हमारे देश की आबादी भी बढ़ रही है। पहले जो 45 करोड़ के लगभग थी, वह अब डबल से भी ज्यादा हो गई है। इस बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिए सरकार को कोई-न-कोई कदम तो उठाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं दोबारा राष्ट्रपति जी द्वारा दिए गए अभिभाषण का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री एडुआर्डो फैलीरो द्वारा प्रस्तावित और श्री जैनुल बशर द्वारा समर्थित प्रस्ताव का समर्थन करते हुए राष्ट्रपति को धयवाद देता हूं कि उन्होंने हमापे दोनों सदनों के सम्मुख अभिभाषण किया। सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्वारा दिया गया अभिभाषण स्वाभाविक रूप से पिछले पूरे वर्ष के दौरान सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करता है। हमारी अर्थव्यवस्था की मुख्य प्रवृत्तियों का भी यह पूर्ण उल्लेख करता है तथा अगले वर्ष के लिए कुछ प्राथमिकता के क्षेत्रों की रूपरेखा के साथ इसका समापन होता है।

महोदय, जहां तक पिछले वर्ष की उपलब्धियों का प्रश्न है, मैं कहूंगा कि इस सरकार की बड़ी उपलब्धियां हैं; पंजाब और असम समझौते। वे हमारे प्रधानमंत्री द्वारा प्राप्त किए गये हैं। इन दोनों राज्यों में काफी लम्बे समय तक कोई भी प्रजातांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार नहीं थी, और एक प्रजातंत्र में, विशेषकर एक संघीय व्यवस्था में यह उचित नहीं था कि दो राज्यों में प्रजातांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकारें ही न हों, इसी प्रकार इस सदन में भी उनका प्रतिनिधत्व नहीं था। और

यह उचित ही था कि जितनी जल्दी हो इन दोनों राज्यों को इस सदन में प्रतिनिधित्व दिया जाए। इस संसदीय दृष्टिकोण से दोनों राज्यों में समझौतों का बड़ा महत्व है। अतः मैं यह कहूंगा कि यह दोनों समझौते प्रधानमंत्री के लिए गर्व की बात हैं।

जब पंजाब समझौते पर हस्ताक्षर किए गए तो कई विपक्षी नेताओं ने भविष्यवाणी की कि पंजाब में शान्तिपूर्ण चुनाव नहीं होंगे। परन्तु प्रधान मंत्री का कथन सत्य निकाला। दोनों राज्यों में विशेषकर पंजाब में निर्वाचन शान्तिपूर्ण के ढंग से संपन्न हुआ और जैसाकि मैंने कहा है कि लोकतंत्रीय ढंग से चुनी हुई सरकार वहां पर गठित हुई। इस क्षेत्र में आतंकवादी और उग्रवादी सबसे बड़े शत्रु हैं और सबसे बड़ा खतरा उनसे ही है और वे ही इस निर्वाचित सरकार को अस्थिर बनाना चाहते हैं तथा इससे सतत् संघर्ष जारी रखना चाहते हैं। अतः पंजाब सरकार का बड़ा कार्य इस उग्रवाद को समाप्त करना है तथा भारत की मुख्य धारा में मिलाना है और यह दिखाना है कि शेष भारत की तरह वहां पर शांतिप्रिय सरकार है और राज्य की समृद्धि के लिए कदम उठाए गए हैं। उस समझौते से भी कुछ कठिनाइयां पैदा हुई हैं। मैथ्यू आयोग राजधानी अर्थात् चण्डीगढ़ तथा पंजाब के हिन्दी भाषी क्षेत्रों को हरियाणा को दिए जाने का कोई समाधान नहीं दे पाया। अतः उक्त समझौते की क्रियान्विति भी खटाई में पड़ गई है। परन्तु मुझे विश्वास है कि प्रधान मंत्री के नेतृत्व में उसकी क्रियान्विति के बारे में कोई समाधान निकल आएगा। मैं पंजाब की अकाली सरकार से अपील करता हूं कि वह दलीय राजनीति से ऊपर उठे, उग्रवादियों तथा आतंकवादियों से दृढ़ता के साथ निपटे, तथा पंजाब समझौते के बारे में केन्द्र के साथ सहयोग बनाए रखे।

असम समझौते के फलस्वरूप वहां पर भी लोकतंत्रीय सरकार गठित हुई है तथा वह राज्य भी समृद्धि और प्रगति की ओर अग्रसर होगा।

अब सरकार की इस मुख्य उपलब्धि के संबंध में चर्चा करने के बाद मैं संक्षेप में अर्थ-व्यवस्था की बड़ी प्रवृतियों की भी चर्चा करूंगा जो हमें समद्धृति तथा प्रगति की ओर ले जा रही है। इस क्षेत्र में उपलब्धि के बारे में मैं अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। पहले वाले वक्ता ने इस बारे में बहुत से आंकड़े दिए हैं। मैं इस संबंध में एक या दो पहलुओं की चर्चा करूंगा।

जहां तक वस्त्र नीति का संबंध है मेरे निर्वाचन क्षेत्र अर्थात् बम्बई का नई वस्त्र नीति क्रियान्वित करने से गहरा संबंध है। हम उस नीति के पूरे भारत में क्रियान्वित किए जाने के परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, परन्तु विशेष रूप से बम्बई के बारे में समस्याएं पैदा हुई हैं। वर्ष 1883-84 में बम्बई में 13 कपड़ा मिलों को राष्ट्रीयकरण से पूर्व अधिकार में लिया गया और अब पिछले दिनों यह बनाया गया है या अखबारों में छपा है कि बेशक केन्द्र ने 13 मिलों को अधिकार में ले लिया है उन 13 में से 10 मिलों में हानि हो रही है, अतः उनका राष्ट्रीयकरण करना संभव नहीं होगा। मेरा सरकार से निवेदन और अपील है कि जब ये कपड़ा मिलें अधिकार में ली गई थीं तब नई कपड़ा नीति अभी घोषित नहीं की गई थी। उन्हें पुरानी नीति के अंतर्गत अधिकार में लिया गया था। अतः जहां तक इन मिलों का संबंध है उन पर अर्थक्षम की वही कसौटी लागू न की जाए और इन मिलों के अर्थक्षम के लिए पूर्ण रूप से जांच की जानी होगी और केवल इसीलिए कि 10 मिलें कुछ हानि में चल रही हैं, हम नहीं कह सकते कि हम उनका राष्ट्रीकरण नहीं करेंगे। पूरा-पूरा अवसर दिया जाना होगा क्योंकि इससे बंबई के हजारों कपड़ा मजदूरों का, जो बेरोजगार हैं, प्रश्न है। अपने अधिकार

में ली जा रही मिलों में भी सभी कर्मचारियों को नियुक्त नहीं किया गया केवल कुछ कामगारों को ही रखा गया है और अन्य बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। यदि हम अंतत: यह निर्णय लेते हैं कि उनका राष्ट्रीयकरण न करें तथा अन्य एककों में न मिलाएं तब बम्बई नगर में बेरोजगारी की समस्या पैदा होगी।

समाचार पत्रों में यह सुझाव दिया गया है कि धनराशि जुटाने के लिए इन मिलों की कुछ भूमि बेचकर उन्हें अर्थक्षम बनाया जा सकता है। जहां तक इन मिलों का सम्बन्ध है, यह कदम भी विनाशक होगा, क्योंकि बम्बई में आजकल भूमि सोने के मूल्य पर बिकती है। विशेषकर भवन निर्माता इन मिलों के पीछे पड़े हुए हैं तथा मिलों के प्रभारियों से आग्रह करते हैं कि वे भूमि बेचने का निर्णय लें, ताकि वे लोग इस भूमि के प्रभारी बन सकें और करोड़ों रुपए कमा सकें। अत: मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि सरकार के अधिकार में ली गई मिलों की भूमि के बेचने के संबंध में वह उनके जाल में न फंसे। उनका शीघ्र राष्ट्रीकरण करके उन्हें चलाए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि सभी कामगरों को नियुक्त किया जाए।

मैं पेट्रोलियम पदार्थों के उपभोग को कम करने संबंधी सरकार की नीति के सम्बन्ध में एक तात्कालिक समस्या का उल्लेख करना चाहता हूं। दुर्भाग्य से विपक्षी दलों ने इस मामले को स्थगन प्रस्ताव के रूप में उठाया था और इसलिए उस पर मुक्त रूप से चर्चा नहीं हो पाई।

यदि एक पार्टी 'न' के पक्ष में ले लाई गई है तो दूसरी पार्टी 'हां' के पक्ष में ले लाई गई है। मेरा निवेदन है कि इस मामले पर गम्भीरता से पुनर्विचार किया जाना चाहिए और उस मामले पर बारीकी से विचार होना चाहिए।

जहां तक सरकार के विकल्पों का संबंध है मैं जानता हूं कि सरकार यह कहती रही है कि कठोर विकल्प हैं और सरकार को आकलित मूल्यों में वृद्धि करनी पड़ी है ताकि इस देश में पेट्रोलियम के उत्पादनों की खपत और कम हो सके। बहुत सारे अधिकरण इस बारे में विवाद करते रहे हैं। मैं इस संदर्भ में योजना आयोग के सदस्यों द्वारा की गई विभिन्न टिप्पणियों का उल्लेख करना चाहूंगा। श्री आबिद हुसैन ने रसायन उद्योग की समीक्षा करने वाली 34 समिति की 18 फरवरी, 1986 को होने वाली 9वीं बैठक का उद्घाटन करते हुए विचार व्यक्त करके प्रधानमंत्री को बताया कि "सरकारी क्षेत्रों के एककों को आकलित मूल्यों में वृद्धि करके लाभ दिखाने के सरल विकल्प को नहीं अपनाने दिया जाना चाहिए। सरकारी क्षेत्र को लाभ कमाने के लिए कठोर परिश्रम करना चाहिए। मूल्य वृद्धि करके उन्हें धन कमाने नहीं दिया जाना चाहिए।" योजना आयोग के एक वर्तमान सदस्य ने यह विकल्प पेश किया है। यदि यह सही है तो हम यह नहीं कह सकते कि सरकार के समक्ष एक-मात्र विकल्प पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य वृद्धि करना और मूल्य वृद्धि करके अन्तर को पाटना है। मैं समझता हूं कि सरकार के समक्ष अन्य विकल्प भी हैं जिन पर इस समय बारीकी से विचार किया जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर ऊर्जा की खपत में शीघ्र वृद्धि हमारे समक्ष आई है परन्तु आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में तेल की प्रति व्यक्ति खपत अमरीका की 21 बैरल, जापान की 13 बैरल और अर्जेन्टीनी जैस विकासशील देश की 5 बैरल की तुलना में प्रतिवर्ष 0.4 बैरल बहुत कम है। अत: उन देशों की तुलना में हम नहीं कह सकते कि हमारी खपत बहुत बढ़ी है तथा हमें उसे तुरन्त रोकना चाहिए। आगे मैं छठी पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन का उल्लेख करना चाहता हूं जिसमें यह अनुमान लगाया गया है कि पेट्रोलियम उत्पादों की खपत और भी

बढ़ेगी। यह दर्शाने के लिए मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। छठी पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय पेट्रोलियम उत्पादों की वर्ष 1984-85 की खपत मूलतः 455.5 लाख टन आंकी गई थी। यह मैं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन, अगस्त, 1983 के पृष्ठ 70-73 से उद्धृत कर रहा हूं। इस प्रकार उस समय भी यह अनुमान लगाया गया था कि पेट्रोलयम उत्पादों की मांग 455.5 लाख टन होगी। उसकी तुलना में 1984-85 में हमारी मांग केवल 385 लाख टन ही रही। अतः हमारे अनुमान के अनुसार भी मांग इस समय से अधिक होगी। अतः मेरा निवेदन है कि मामले पर गम्भीरता से विचार किया जाए। यह बात नहीं है कि पेट्रोलियम उत्पादों की मांग हमारे प्राक्कलनों से अधिक हो बढ़ी है तथा मूल्य बढ़ा कर उसे कम किया जाना चाहिए। अनुभव से यह भी पता नहीं चलता कि मूल्य बढ़ाकर खपत कम की जा सकती है। इन वर्षों में जब भी पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य बढ़े हैं उनकी खपत कभी कम नहीं हुई। इसका धक्का कुछ सप्ताहों तक रहता है तथा बाद में खपत अपनी मूल स्थिति पर वापस आ जाती है। अतः सरकार ने जो बताया है कि मूल्य वृद्धि से खपत कम होगी यह बात पिछले अनुभव से मेल नहीं खाती।

मेरा यह भी निवेदन है कि पेट्रोलियम उत्पादों की खपत कम करने के लिए कई अन्य उपाय बरते जा सकते हैं। वास्तव में, काफी समय से कई उपाय सुझाए गए हैं परन्तु क्रियान्वित नहीं किये गये हैं। उदाहरणार्थ कपूर समिति की रिपोर्ट ताक में रखी हुई है। पेट्रोलियम उत्पादों की खपत करने वाले कई अन्य प्रतिवेदन हैं जोकि अभी तक क्रियान्वित नहीं हुए हैं। अतः मेरा निवेदन है कि ये उपाय किए जाएं। मेरा सुझाव यह नहीं है कि राशन प्रणाली शुरू की जाए। इससे तो शायद व्यावहारिक समस्या पैदा हो सकती है। जहां तक उद्योगों और सरकारी तथा गैर-सरकारी उपक्रमों का संबंध है, हम उन पर रोक लगा सकते हैं कि वे अपनी खपत को कम करें, अर्थात उसमें 5 या 10% की कमी करें। इससे उद्योगों की पेट्रोलियम उत्पादों की खपत शीघ्र कम हो जाएगी। अतः अन्तर्राष्ट्रीय तेल संकट के परिणामस्वरूप सातवें दशक के मध्य में उसकी बचत के जो भी उपाय किए गए हैं वे सभी विफल रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय तेल संकट के समय हमने उसमें कटौती के कई उपायों का सुझाव दिया था। परन्तु वे सभी समाप्त हो गए। आज हम केवल सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य बढ़ाकर खपत कम करना चाहते हैं। अतः मेरा निवेदन है कि इसकी फिर छानबीन की जानी होगी। जहां तक इस पहलू का संबंध है, यदि कोई उपचार पाया जा सकता है तो उस पर विचार किया जाना चाहिए।

पिछले कई महीनों से हम मोटर उद्योग के उत्पादन को प्रोत्साहन देते रहे हैं। सहसा हम पूरी नीति पर पुनर्विचार कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इस नीति को बदलना अब संभव नहीं है। हमें यह कार्य पहले करना चाहिए था तब हमें उसका लाभ भी पहुंचता।

अतः मेरा निवेदन है, जैसाकि मैंने पहले बताया था कि स्थगन प्रस्ताव पर ही पूरी चर्चा की जानी संभव थी। चूंकि यह मूलभूत आर्थिक नीति का मामला है इस पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार किया जाना चाहिए। इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाया जाना चाहिए। जहां तक इस मामले का प्रश्न है हमें मामले के सभी पहलुओं पर विचार कर सचाई का पता लगाना चाहिए। इस दृष्टि से मेरा निवेदन है कि जो आर्थिक प्राथमिकताएं हम अपनाने जा रहे हैं तथा जिन पर विचार करने जा रहे हैं, उन पर राष्ट्रीय दृष्टि से न कि दल की या समुदाय की दृष्टि से ध्यान दिया जाना चाहिए। राष्ट्र के वास्तविक हित को ध्यान में रखते हुए नीति निर्धारित की जानी चाहिए।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में बहुत-सी अच्छी बातों का उल्लेख हुआ है। कई अच्छी प्रवृत्तियां

दर्शाई गई हैं। इस बारे में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे एक साथी ने बताया है कि दिल्ली के अत्याचारों का इसमें उल्लेख नहीं हुआ है। इस बारे में वह गलती कर रहे हैं। इससे पूर्व राष्ट्रपति का अभिभाषण 17 जनवरी, 1985 को हो चुका है। ये घटनाएं उससे पहले की हैं। अभिभाषण में केवल वही घटनाएं सम्मिलित की जाएंगी जोकि पिछले एक वर्ष में घटीं। अतः यह आलोचना एक तरह से किसी गलतफहमी पर आधारित है।

अंतिम बात मैं सरसरी तौर पर कहना चाहता हूं। संविधान तथा संसदीय प्रक्रिया के छात्र के नाते मैं विनम्रतापूर्वक सरकार को बताना चाहता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण का उद्देश्य केवल इतना ही नहीं है कि इसमें सरकार की उपलब्धियां बताई जाएं। यह तो हमें जो आमंत्रण दिए गए उसके पीछे जो कारण हैं उसके हेतु यह है। राष्ट्रपति ने हमें संसद में बैठक के लिए बुलाया है। राष्ट्रपति का अभिभाषण आमंत्रण के पीछे जो कारण हैं, उसे बताने के लिए है। हमें क्यों बुलाया गया है। भावी योजनाओं का सविस्तार उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद कम से कम मुझे आशा है कि सरकार के संविधान विशेषज्ञ इस पहलू पर ध्यान देंगे। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण का उद्देश्य हमें बुलाए जाने का कारण बताना है। आपको क्यों बुलाया जाता है? आप क्या कहने जा रहे हैं? अतः इस दृष्टि से केवल नीतियों का अस्पष्ट उल्लेख करना ही पर्याप्त नहीं है। कौन से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? कौन-कौन से ठोस विषयों पर आप चर्चा करने जा रहे हैं? कौन-सा ठोस विधायी कार्य है जिसे आप न केवल इस सत्र में अपितु वर्ष-भर में करने जा रहे हैं। ये बातें कम से कम इसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण में दर्शाई जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा कल ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

6.00 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 26 फरवरी, 1986/7 फाल्गुन, 1907 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, साउथ मोजपुर, दिल्ली-53